مرکز احیاء الفکر الاسلامی کا دینی، دعوتی، علمی، ادبی، تحقیقی، فکری اور اصلاحی ترجمان

ماهنامه
نقوشِ اسلام

VOL.No.5 | اگست ۲۰۱۰ء (August.2010) رمضان، شوال ۱۴۳۱ھ | Issue.No. 6

زیر سرپرستی

مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی
ولی مرتاض حضرت مولانا سید مکرم حسین سنسارپوری
عارف باللہ حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم رائے پوری

مجلس مشاورت

مولانا سعید الرحمٰن اعظمی ندوی — مولانا محمد عامر صدیقی ندوی
مولانا سید واضح رشید حسنی ندوی — الحاج موسیٰ بھائی درسوت
مولانا سید عبداللہ حسنی ندوی — مولانا محمد احمد صالح جی
مولانا حافظ محمد ایوب — مولانا یحییٰ بام — مولانا محمد اختر قاسمی

مجلس ادارت

❁ مولانا سید محمود حسن حسنی ندوی ❁ مولانا محمد عمر قاسمی مجاہد پوری ❁ مولانا حمید اللہ قاسمی کبیر نگری

چیف ایڈیٹر
محمد مسعود عزیزی ندوی

مدیر انتظامی
حافظ عبدالستار عزیزی

مدیر معاون
ڈاکٹر مرغوب عالم عزیزی

ترسیل زر اور خط و کتابت کا پتہ

NUQOOSH-E-ISLAM
MUZAFFARABAD.SAHARANPUR 247129
(U.P)INDIA Ph.0132 2775452 Cell 09719831058
E.mail : nuqooshe_islam@yahoo.co.in
masood _azizinadwi@yahoo.co.in
ماہنامہ "نقوش اسلام" مظفر آباد، سہارنپور 247129 (یوپی) انڈیا

شرح خریداری

ہندوستان کے لیے

فی شمارہ	۱۰ر روپے
سالانہ	۱۰۰ر روپے
خصوصی	۳۰۰۰ر روپے

ایشیائی، یورپی افریقی وامریکی ممالک کے لیے ۲۰ ڈالر

رسالہ کے جملہ امور سے متعلق اس نمبر پر رابطہ کریں: 09719639955

منیجر توسیع واشاعت: قاری محمد صالحین
09675335910/ 09813806392

Markazu Ihyail Fikril Islami , A/C No. 30416183580,S.B.I
Monthly Nuqoosh-e-Islam, A/C No. 30557882360,S.B.I

PRINTER, PUBLISHER AND OWNER MOHD.MASOOD AZIZI NADVI
PRINTEDBY UNION PRINTING PRESS DEOBAND SAHARANPURPUBLISHEDAT
Vill&P.O.MUZAFFARABAD DISTT SAHARANPUR(U.P) EDITOR:MOHD.MASOODAZIZINADVI

मर्कज़ अहयाउल फ़िक्रुल इस्लामी का दीनी, दअ्वती, इल्मी, अदबी, तहकीकी, फ़िक्री और इस्लाही तरजुमान

उर्दू माहनामा

नुकूशे इस्लाम

शुमारा नम्बर ६, जिल्द नं. ३, अगस्त २०१० ई, रमज़ान-शव्वाल १४३१ हि.

ज़ेरे सर-परस्ती

मुफक्किरे मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद मुहम्मद राबेअ् हसनी नदवी
वली ए मुरताज़ हज़रत मौलाना सैयद मुकर्रम हुसैन संसारपूरी
आरीफ बिल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ति अब्दुल कय्यूम रायपूरी

मजलिसे मुशावरत

- मौलाना सईदुर रहमान आज़मी नदवी
- मौलाना सैयद वाज़ेह रशीद हसनी नदवी
- मौलाना सैयद अब्दुल्लाह हसनी नदवी
- अल्हाज मूसा भाई दरसोत
- मौलाना मुहम्मद आमिर सिद्दीकी नदवी
- मौलाना मुहम्मद अहमद सालेह जी
- मौलाना हाफिज़ कारी मुहम्मद अय्यूब
- मौलाना मुहम्मद अख़्तर कासमी

मज्लिसे इदारत

मौलाना सैय्यद हसन हसनी नदवी
मौलाना मुहम्मद उमर कासमी मुजाहिदपूरी
मौलाना हमीदुल्लाह कासमी कबीरनगरी

चीफ एडिटर	मुदीरे इंतेज़ामी	मुदीरे मुआविनः
मुहम्मद मसऊद अज़ीज़ी नदवी	हाफिज़ अब्दुल सत्तार अज़ीज़ी	डा. मरगूब आलम अज़ीज़ी

तरसीले ज़र और ख़त व किताबत का पता

नुकूशे इस्लाम,
मुज़फ्फराबाद,
सहारनपूर 247129
(यू.पी) इंडिया
मोबाइल: 09719831058

शरह ए ख़रीदारी

हिंदुस्तान के लिए
फी शुमारहः 10 रूपये
सालानाः 100 रूपये
ख़ुसूसी: 3000 रूपये
एशियाई, यूरपी, अफ्रीकी मुमालिक के लिए 20 डालर

Printer, publisher and owner Mohd. Masood Azizi Nadvi
Printed Union Printing Press, Deoband, Saharanpur.
Published at: Vill. and P.O. Muzaffarabad, Dist. Saharanpur (U.P.) Editor: Mohd. Masood Azizi Nadvi

माहनामा नुकूशे इस्लाम की खुसूसी पेशकश

सफ़रे हज की मुश्किलात और उनका मुम्किन हल

नं.	उन्वान	पेज नं.
१.	हुज्जाजे किराम की खिदमत में (इदारिया)..........	३
२.	पेश लफ्ज़ / मुकदमा..............................	४
३.	हज के दौरान मिलने वाले शनाख़ती कार्ड और उनकी अहमियत	५
४	सामाने सफर	७
५.	हज के दौरान रास्ता भूलने और खोजाने का मसला.	११
६.	हज के ख़ास दिनों में सवारी का मसला	१३
७.	सफरे हज में नमाज़ का बयान	१६
८.	मसलक का मस्ला	१८
९.	जम्रात और जान का ख़तरा	२०
१०.	एहराम का बयान	२२
११.	हरम शरीफ और मिना के क़याम में पर्दे का मसला	२५
१२.	हालते एहराम में मम्नू काम और उनका कफ़्फ़ारा..	२६
१३.	औरतों का एहराम	२७
१४.	हैज़ व निफ़ास के मसाइल	२८
१५.	हरम और मीक़ात का बयान	३०
१६.	तारीखे मक्का मुकर्रमा और काबा शरीफ़	३१
१७.	मक्का मुकर्रमा के तारीख़ी मकामात	३२
१८.	हज क्या है?	३३
१९.	नबी-ए-करीम (स.) का हज	३६
२०.	क़ुर्बानी में धोका	३९
२१.	तवाफ़ का बयान	४०
२२.	अरकाने उम्रह और हज का बयान	४१
२३.	हरम शरीफ़, मिना, मुज्दल्फ़ा और अरफ़ात का करीबी नक्शा..............................	४२,४३
२४	सफ़रे हज का आग़ाज़	४४
२५.	हवाई सफर और मक्का मुकर्रमा में आमद	४६
२६.	मस्जिदे हरम, ख़ाना-ए-काबा और मुताफ़ की तफ़सील	४७
२७.	उम्रह कैसे करें	४८
२८.	अय्यामे हज के ६ खास दिन	५२
२९.	हज कैसे करें?	५३
३०.	मदीना मुनव्वरा के तारीख़ी मुक़ामात	५८
३१.	रौज़ा-ए-मुबारक की तफ़सील	५९
३२.	हुजरा-ए-आइशा और रियाज़ुल जन्नत की तफ़सील	६१
३३.	मदीना मुनव्वरा का सफ़र	६२
३४.	रौज़ा-ए-नबवी का नक्शा (आउट लाइन)......	६३
३५.	दरबारे रिसालत की पहली हाज़िरी	६४
३६.	नबी-ए-करीम (स.) का ईसार और हमारी ज़िम्मेदारियाँ	६६
३७.	हज से मुतअल्लिक़ चंद मशहूर ग़लतियाँ	६८
३८.	हज का सफ़र किस के ज़रिए करें? (हज कमेटी या टूर)	७०
३९.	सन १९६८ ई. का एक समंदरी सफरे हज	७२
४०.	जन्नतुल-बक़ी का एक नायाब नक्शा	७३
४१.	अरफ़ात में मांगने वाली दुआएँ	७४
४२.	आज़मीने हज के लिए ज़रूरी मालूमात	७५
४३.	हज पर जाने वालों की खिदमत में	७७

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

नोटः मक़ाला निगार की राय से इदारा का मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है। हर किस्म की क़ानुनी चारह जूई का हक़ सिर्फ सहारनपूर की अदालत को ही होगा।

प्रिन्टर, पब्लिशर ममुहम्मद मसऊद अज़ीज़ी नदवी ने यूनियन ऑफसेट प्रेस देवबंद में छपवा कर दफ्तरे नुकूशे इस्लाम, मुज़फ्फराबाद (यू.पी) से शाए किया।

Email: masood_azizinadwi@yahoo.co.in nuqooshe_islam@yahoo.co.in

कम्पोज़िंग एन्ड डिज़ाइनिंगः तन्वीर पब्लिकेशनस, मुम्बई-78 (फोनः 022-25965930)

हुज्जाजे किराम की खिदमत में

"नुकूशे इस्लाम" की खुसूसी इशाअत

मोहम्मद मसऊद अज़ीज़ी नदवी

"हज" इस्लाम का एक ऐसा रूक्न है जो ज़िंदगी में एक मर्तबा हर उस मुसलमान पर फर्ज़ है जो, "من استطاع اليه سبيلا" के ज़ेल में आता है, इसीलिए मुसलमान इस फरीज़े को बड़े एहतेमाम और नेक जज़्बात के साथ अदा करता है, मगर इस अहम रूक्न की अदाएगी में आम तौर से कोताही हो जाती है, इस लिए हर ज़माने में उलमा ए इस्लाम नें कुरआन व हदीस और अपने तर्जुबात की रोशनी में इस सिलसिले में उम्मत की रहनुमाई फरमाई है, इसके लिए तरबियती कॅम्पों का भी एहतेमाम किया जाता है और अहकाम व मसाइल से मुतआरिफ कराने के लिए पम्फलेट और किताबें भी शाए की जाती हैं ताकि वह मुसलमान जो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई और अपनी कीमती पूंजी को खर्च करके हिजाज़ का यह मुकद्दस सफर कर रहा हैं वह सही मसरफ में खर्च होकर उसकी कामयाबी व फलाह व बेहबुद का ज़रिया बने, इसी नेक जज़्बे से हमारे एक मुखलिस दोस्त करम फर्मा जनाब अल-हाज कमरूद्दीन एस. खान साहब ने उम्मत के मुसलमानों के लिए अपने तजरूबात की रोशनी में यह किताब तरतीब दिया है, इसमें आम और दीनी मालूमात भी हैं, हज के तजरूबात भी हैं, मुकामाते मुकद्दसा की तारीख और नक्शें भी और रास्तों की निशानदेही भी, नीज़ सफर से मुतअल्लिक ज़रूरी हिदायात व तालीमात भी और फिर मनासिके हज व उम्रह की अदाएगी के सिलसिले में मसाइल व एहकाम भी बयान किए हैं ताकि हज पर जाने वाले मुसलमान इस किताब को पढ़कर मालूमात और रहनुमाई हासिल करें और इस अहम रूक्न की अदाएगी खैर व आफियत और सेहत व सलामती के साथ करें और उन खतरात और खदशात से महफूज़ रह सकें जिन से आम तौर पर आदमी ना वाकिफ होने की वजह से बच नहीं सकता।

इसमें कोई शक नहीं के हज बहुत ही अहम और बाबर्कत फरीज़ा हैं। हज के बाद आदमी ऐसा मासुम यानी गुनाहों से पाक होकर लौटता हैं, जैसा कि आज ही उसकी माँ ने उसको जनम दिया है, मगर उसके साथ यह सफर बहुत पुर मशक्कत और सब्र आमेज़ भी है, इसलिए यह किताब इस सिलसिले में बहुत मुफ़ीद और कारगर साबित होगी, इन्शा अल्लाह।

हज की अदाएगी के वक़्त से चंद माह कब्ल इस किताब की इशाअत "नुकूशे इस्लाम" के खुसूसी शुमारे के तौर पर की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हुज्जाजे किराम की खिदमत में इसकों भेजा जा सके, और हुज्जाज के साथ हमारे आम कारईन भी इससे इस्तीफादा कर सकें, और जब भी अल्लाह तआला उन को हज व उम्रह का मौका अता फरमाए तो वह इस रिसाले से फायदा उठा सकें।

यह खुसूसी शुमारा इमसाल १५ हज़ार की तादाद में शाए किया जा रहा हैं, ताकि इसका नफा ज़्यादा से ज़्यादा आम हो, अल्लाह तआला कबूल फरमाए और इसके फैज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आम फरमाए, मुअल्लिफ, राकिम और तमाम मुसलमानों कों बार बार ज़ियारते बैतुल्ला नसीब फरमाए, और जिन दोस्तों ने इसकी नश्र व इशाअत में हिस्सा लिया हैं खास तौर पर, शेख़ हसनैन, शेख़ रशीद, सैयद यूनुस, शेख़ फज़लुर्रहमान, अली मियाँ कलदानी, मुहम्मद सालेह बारूदगर, जिब्रईल दीवान (अकोला), शहज़ाद शेख़ साहबान।

अल्लाह तआला सब को अपनी शायाने शान अज्रे अज़ीम अता फरमाकर बार बार बैतुल्ला की ज़ियारत नसीब फरमाएं। (आमीन)

मुहम्मद मसऊद अज़ीज़ी नदवी
चीफ एडीटर, माहनामा "नुकूशे इस्लाम"
व रईस मर्कज़ अहया उल फिक्रुल इस्लामी,
मुज़फ्फराबाद
(२८ मे सन २०१० ईसवी.)

पेश लफ़्ज़

सफर ख़्वाह कोई भी हो तक्लीफ और मशक़्क़त का सबब है। इमाम ग़ज़ाली (रह.) ने लिखा है के हज के सफर में आदमी जो कुछ ख़र्च करे इस को निहायत खुशदिली से करे और जो नुक़सान जानी या माली पहुँचे इस को बर्दाश्त करे यह इस के हज के कुबुल होने की अलामत है। हज के रास्ते में तक्लीफ उठाने के बराबर है इस लिए जो मशक़्क़त उठाएगा या नुक़सान बर्दाश्त करेगा अल्लाह के क़रीब इस का बड़ा अज्र है, वह ज़ाया नहीं होगा।

हदीस में आया है ....

हुज़ूर (स.) ने हज़रत आईशा (रज़ी) से फर्माया "ऐ आईशा (रज़ी) तेरे हज का अज्र तेरी मशक़्क़त के मुताबिक़ होगा"

फरीज़ा-ए-हज अदा करने में जिसे जितनी तकलीफ होती है उसे उतना ही सवाब मिलता है। इसी लिए लोग हज की हर मुश्किल को खन्दा पेशानी के साथ खुशी से बर्दाश्त करते हैं और उफ तक नहीं करते। और न ही किसी से अपनी तक्लीफ का ज़िक्र करते हैं। लोग हज की तकलीफें किसी से इस लिए भी बयान नहीं करते के कम हिम्मत के लोग हज करने से घबराने न लगें।

हज से पहले मैं ने हज की जो तर्बियती तालीम हासिल की उसमें तमाम उल्माए किराम ने सिर्फ इसी बात पर ज़ोर दिया कि फरीज़ा-ए-हज किस तरह अदा किया जाए, किसी ने यह न बताया के वहाँ के ४० दिन के क़याम में जो तक्लीफें पेश आऐंगी उन से कैसे निपटा जाए? मैं ने हज के उन ४० दिनों में महसूस किया कि बहुत सारी परेशानियाँ सिर्फ हमारे अनजान होने की वजह से होती हैं, इस से हमारा बहुत सारा क़ीमती वक़्त जो की इबादत में गुज़ारा जा सकता था, ज़ाया हो जाता है। इस लिए मैं ने ये किताब लिखने की जसारत की। इस किताब के ज़रिये से मैं हाजी साहेबान को आने वाली मुश्किलों से आगाह करने और उनके मुम्किन हल के बारे में ज़रूरी मालूमात, हिदायात और मश्वरा देना चाहता हूँ।

उम्मीद है कि हाजी साहेबान इन मश्वरों पर अमल करें, तो बहुत सी परेशनियों से बच कर अपना सारा वक़्त और अपनी सारी क़ुव्वत सिर्फ खुदा की इबादत में गुज़ारेंगे।

अगर आप इस किताब से फैज़याब हों, तो अपनी दुआओं में इस गुनाहगार कमरूद्दीन ख़ान को ज़रूर याद रखें। यह किताब महज़ दौराने हज पेश आने वाली मुश्किलात से महफूज़ रहने के लिए ज़ाब्ताए तहरीर में लाई गई है। गो कि इस में चन्द दुआएँ और नक़शाजात भी शामिल किये गऐ हैं मगर मनासिके हज के मुकम्मल मालूमात के लिए मुख़्तलिफ इदारों की जानिब से जो मजालिस मुन्अक़द की जाती हैं उन में शरीक होकर ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर लें, ताकि आप खूब बेहतर तरीके पर हज जैसी मोहतिम-बिश्शान इबादत का हक़ अदा कर सकें। अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त से दुआ हैं कि आप को हज मक़बूल व मबरूर की सआदत नसीब फरमाए। आमीन!!.

वस्सलाम

फ़क़त तालिबे दुआ

क्यु. एस. ख़ान

ΔΔΔΔΔ

मुक़दमा

ज़ेरे नज़र किताब हमारे मोहतरम दोस्त अल्हाज क़मरूदीन साहब ने (बेहतरीन इंसान वो है जो दुसरों के काम आऐ) के मक़ौला पर अमल करते हुऐ अपने हज के तजुर्बात से हजाजे किराम को आगाह करने के तहरीर की है उम्मीद है कि हुजाजे किराम इस से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपने औक़ात को ज़्यादा से ज़्यादा जोहद व इबादत में सर्फ करेंगे। यह किताब आँमोहतरम के तजुर्बात की ही नहीं बल्कि इनके सोज़ व गदाज़ क़ौम व मिल्लत की दिली हमदर्दी की आईनादार है साथ साथ मौसूफ़ के ज़ोर क़लम का एतराफ़ भी करवाती है। किताब के बावजुद आँजनाब के तस्नीफ़ी मैदान में नौआमोज़ी के हर जगह कहीं न कहीं मश्क़ मुसन्निफ़ की झलक दिखाती है। अल्फ़ाज़ का हुस्न, जुम्लों की बेहतरीन तरतीब दिल को मोह लेती है। अल्लाह करे ज़ोरे क़लम और ज़्यादा।

रब्बुलआलमीन से दुआ ये है कि इस किताब को मुसन्निफ़ के लिए ज़ख़ीरा-ए-आख़िरत बनाए और आम मुसलमानों को इस से खूब मुतफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाऐ।

" ई दुआ अज़ मने व अज़ जुमला जहाँ आमीन बाद "

नाचीज़ फसीहउद्दीन क़ासमी

ख़ादिम दारूलउलूम हुसैनिया, सोनापूर, भांडुप.

हज के दौरान मिलने वाले शिनाख़ती कार्ड (I-CARD) और उन की अहमियत

हज का फार्म भरने से लेकर आखीर तक अलग अलग मर्हलों में आप को मुख्तलिफ शिनाख्ती कार्ड (I-Card) और हाथ में पहनने के कड़े वगैरह दिये जाते हैं, जिनकी बहुत अहमियत है। अक्सर हाजी साहेबान लापरवाही से इन्हें गुम करके बहुत परेशानी उठाते हैं, आप इन की अहमियत अच्छी तरह समझ लें, इन की हिफ़ाज़त करें और सही ढंग से इस्तेमाल करें।

हज कमेटी की तरफ़ से इत्लाअ़ती ख़त और कवर नंबर (Intimation Letter & Cover No.):

हज का फ़ार्म भरने के बाद कुरआ-अंदाजी होगी और अगर कुरआ-अंदाजी में आप का नाम आ गया तो फोन से आप को इत्ला दी जायेगी या आप के घर पर हज कमेटी से एक इत्लाअ़ती ख़त आयेगा। जिसमें बहुत सारी मालूमात के साथ आपका कवर नंबर (Cover No.) लिखा हुआ होगा, ये नंबर आप के लिए बहुत अहम है, हज से पहले और हज के दौरान यही आप की शिनाख़्त है। आप का कोई भी फ़ार्म और काग़ज़ी कारवाई इस नंबर के बग़ैर मुकम्मल नहीं होगी, इस लिए इस ख़त को हिफ़ाज़त से रखें और कवर नंबर याद कर लें, यही ख़त दिखाकर आप को आपका पासपोर्ट, हवाई टिकट, शनाख़्ती कार्ड और कड़ा वग़ैरह मिलेगा। आप का ड्राफ्ट (Draft) हज कमेटी इसी नंबर पर क़बूल करेगी।

पासपोर्ट की अहमियत:

2008 तक हज कमेटी वाले सफरे हज के लिए एक स्पेशल पासपोर्ट बनाते थे। मगर 2009 से सऊदी हुकूमत ने "इंटरनेश्नल" पासपोर्ट को लाज़मी करार दिया है, इस लिए अगर आप का हज का इरादा है, तो फ़ौरन पासपोर्ट बनवाने की कारवाई शुरू कर दीजिए। मक्का पहुँचने के बाद यह पासपोर्ट आप से आप का मुअल्लिम ले लेगा और वापसी के वक्त एयरपोर्ट पर बस में वापस करेगा।

हवाई टिकट:

हज कमेटी से पासपोर्ट के साथ आप को आने और जाने दोनों का हवाई टिकट (बोर्डिंग पास) मिलेगा, जिसे दिखा कर ही आप हवाई जहाज़ में सवार हो सकेंगे, इस लिए हवाई टिकट को वापसी के सफर तक इन्तेहाई हिफ़ाज़त के साथ रखें, और पासपोर्ट से अलग रखें और मुअल्लिम को सिर्फ पासपोर्ट दें, टिकट न दें।

शिनाख़्ती कार्ड (I-Card):

हज कमेटी से आप को आपका फ़ोटो लगा हुआ एक शनाख़्ती कार्ड (I-Card) मिलेगा। ये काफी बड़ा और प्लास्टिक के कवर में और गले में पहनने के लिए होता है। इसे आप हमेशा अपने साथ रखें और जो दूसरे कार्ड आपको मक्का में मिलेंगे उन्हें भी इस में पीछे की तरफ़ रख लें।

शिनाख़्ती कार्ड में निम्नलिखित बातें होंगी:

(१) आप का नाम (२) आप का पासपोर्ट नंबर

(३) आप का ब्लड ग्रुप (Blood Group)

(४) आप का दर्जा (Category)

कड़ा:

हज कमेटी की तरफ़ से आप को एक स्टील का कड़ा मिलेगा जिसमें निम्नलिखित मालूमात दर्ज होंगी।

(१) आप का नाम। (२) आप का कवर नंबर।

(३) आप का पासपोर्ट नंबर। (४) मुल्क का नाम।

इस कड़े को आप हाथ में पहन लें और वापस आने तक हर्गिज़ न उतारें। कड़े के साथ एक चैन भी होती है। अगर आप को तक्लीफ़ हो तो चैन निकाल लें मगर कड़ा हमेशा आप के साथ रहे। क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर इसी के ज़रिये आप की शिनाख़्त हो सकेगी।

ख़ुदा-न-ख़ास्ता अगर आप किसी हादसे में बेहोश हो गए या आप का सारा सामान गुम हो गया तब भी कड़े पर लिखे कवर नंबर से आप को पहचाना जा सकता है और आप के मुक़ाम तक पहुँचाया जा सकता है। मैं ने ऐसे भी वाक़्यात सुने हैं कि लोग बग़ैर शिनाख़्त के हज के पहले गुम हो गए और हज के बाद भिकारियों की शक्ल में मिले, इसलिए यह कड़ा आप हमेशा आप के साथ रखें। नहाते वक्त या बैतुल्ख़ला जाते वक़्त या किसी भी हाल में इसे न उतारें।

ज़रे मुबादला (Foreign Exchange):

छठी चीज़ जो आप को हज के लिए रवाना होने से पहले एयरपोर्ट से मिलेगी वह है सऊदी रूपया (रियाल) या ड्राफ्ट।

यह आप के राहत का सामान भी है और जान का दुश्मन भी। हमारे पड़ोस के एक साहब २००४ ई. में हज के लिए गए और मक्का में इंतकाल कर गए। उन के साथियों से पूछने पर पता चला के उन का सारा रूपया एयरपोर्ट पर तलाशी के बहाने पुलिस ने ले लिया था। वह समझे के जिद्दा एयरपोर्ट पर वापस मिलेगा। मगर जब ना मिला तो बहुत फिक्रमंद हुए और उसी फिक्र में दौर-ए-क़ल्ब (Heart Attack) की वजह से वह अल्लाह को प्यारे हो गए। मक्का में जिस कमरे में हम मुक़ीम थे ठीक उसके सामने वाले कमरे में माँ और बेटी रहती थीं उन दोनों के सारे रूपये हरम शरीफ़ में तवाफ़ करते हुए चोरी हो गऐ। पूछने पर दोनों ने बताया कि मक्का पहुँचते ही उम्रह करना था। कमरा नया, कमरे के साथी भी नये, किस पर कैसे भरोसा करें? इसलिए सारे रूपये साथ ही लिऐ थे और हरम शरीफ़ में जेब कट गई।

हमारे एक दोस्त मक्का में वकील हैं उन्होंने बताया कि मक्का में जितनी चोरी की वारदातें होती हैं, उन में अक्सर हरम शरीफ़ के अन्दर ही होती हैं।

हमारे एक और दोस्त ने अपना रूपया इतनी हिफ़ाज़त से अपने सामान में रख लिया के खुद भुल गऐ के कहाँ रखा है। बहुत परेशान रहे सलातुल्हाजात पढ़ कर ख़ुदा से दुआ की। तब जाकर अपना रूपया अपने सामान में खोज पाए।

इस लिए एयरपोर्ट पर मिलने वाले रूपये का ख़ास ख़्याल रखें और मक्का में अपनी रिहाईशगाह पर पहुँचने के बाद या तो होटल के काउंटर पर जमा कर दें, और रसीद ले लें, या अपने मुअल्लिम के पास जमा कर के रसीद ले लें। रसीद लेना ना भूलें वरना वहाँ भी आप रूपयों से हाथ धो बैठेंगे। अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा रूपया निकालते रहें।अगर इन दोनों जगह भी पैसा रखना आपके लिए मुम्किन न हो तो अपने सुटकेस में ही रख लें।मगर सूटकेस का ताला मज़बूत हो।

जिद्दा एयरपोर्ट पहुँचने के बाद एयरपोर्ट से आप के रिहाईशगाह के सफर के दौरान बस में आप से, आप का पासपोर्ट ले लिया जाऐगा और तीन शिनाख़्ती चीज़ें दी जाऐंगी वो इस तरह हैं:

कलाई पट्टाः

मुअल्लिम की तरफ से आप को एक कलाई पट्टा दिया जाएगा जिस में मुअल्लिम का पता लिखा होगा, इस पट्टा की अहमियत यह है कि आप कभी मक्का में गुम हो गए, तो कोई भी इस पट्टे की मदद से आप को आप के मुअल्लिम के ऑफिस तक पहुँचा देगा। मुअल्लिम के ऑफिस में गाईड (रहबर) होते हैं, जो आप को रिहाईशगाह तक पहुँचा देंगे।

मुअल्लिम का शिनाख़्ती कार्डः

जिद्दा एयरपोर्ट पर मुअल्लिम आप का पासपोर्ट आप से ले लेगा। और आप को अपना एक शिनाख़्ती कार्ड देगा, जिस में मुअल्लिम का पता आप के बिल्डिंग का नंबर और आप के कमरे का नंबर लिखा होगा।

जिद्दा एयरपोर्ट से बस सीधे आपको आप के बिल्डिंग तक पहुँचा देगी। और मुअल्लिम के आदमी आप का सारा सामान आप के कमरे तक पहुँचा देंगे।

कमप्यूटराईज़्ड शिनाख़ती कार्ड (Computerised I-Card):

ये दूसरा और बहुत अहम शिनाख़ती कार्ड आप को मक्का में एक या दो दिन के बाद मुअल्लिम की तरफ से मिलेगा। यह प्लास्टिक का कमप्यूटराईज़्ड कार्ड है। यह एक तरह से आप का पासपोर्ट है। इस में आप के फ़ोटो के साथ वो सारी बातें दर्ज होती हैं जो आप के पासपोर्ट में होती है। क़ानूनी तौर से हर हाजी को यह कार्ड अपने साथ रखना होता है और पुछने पर दिखाना ज़रूरी होता है। अगर आप को मक्का से जिद्दा या और किसी शहर जाना होगा तो इस कार्ड के बग़ैर नहीं जा सकते।

जब आप मक्का से मदीना जाऐंगे तो मदीने में आप का दूसरा मुअल्लिम होगा और रिहाईशगाह भी नई होगी इस लिए मदीना में भी आप को आप का बग़ैर फ़ोटो का एक कमप्यूटराईज़्ड कार्ड मिलेगा और मुअल्लिम का शिनाख़ती कार्ड मिलेगा, जिसमें मुअल्लिम का पता आप की बिल्डिंग का पता और कमरा नंबर लिखा होगा। मदीना के दस दिन क़याम में भी आप ये दोनों कार्ड हिफ़ाज़त से रखें। वतन वापसी के लिए सफर के शुरू में इसी कार्ड को देखकर आप को बस का नंबर दिया जाएगा, इसी बस में आपको आपका पासपोर्ट वापस मिलेगा और यही बस आपको एअरपोर्ट तक पहुंचा देगी।

मुअल्लिम का शिनाख़्ती कार्ड (मिना के लिए):

मिना जाने से पहले मुअल्लिम आप को फिर अपना एक शिनाख़्ती कार्ड देगा, जिसमें आपके मिना का ख़ेमा नंबर लिखा होगा। मिना में एक मुअल्लिम के बहुत सारे ख़ेमे एक ही मुक़ाम पर होते हैं, जिन के एतराफ़ हिफ़ाज़त के लिए लोहे के जंगले लगे होते हैं।

गेट पर मुअल्लिम के पहरेदार होते हैं जो ये कार्ड देख कर ही आप को जंगले के अन्दर ख़ेमों की तरफ़ जाने देंगे। इस लिए मिना के क़याम में इस कार्ड को भी अपने साथ रखें और इस कार्ड के पीछे अपने हाथ से अपने ख़ेमे के करीब के खम्बे पर पहचान के लिये लिखे गए नम्बर को नोट कर लें और पुल का नाम नोट कर लें। इस से इंशा अल्लाह मिना में अपने ख़ेमे का पता नहीं भूलेंगे।

मेडिकल सर्टीफिकेटः

हुकुमत सऊदी अरबिया ने सन् २००६ से हज बैतुल्लाह जाने वाले हुज्जाज किराम के लिए ज़ाब्ताए सेहत मुकर्रर किया है जिसकी रू से तमाम आज़मीने हज के लिए मुंदर्जा ज़ैल(नीचे दिये गयें) टीके इन्जेक्शन लगवाना ज़रूरी है।

पोलियो का टीकाः

सऊदी वज़ारते सेहत के हुक्काम ने पोलियो की ख़ुराक (बिला तफ़रीक़ उम्र) लेने और इस बाबत सर्टीफिकेट हासिल करना लाज़िमी क़रार दिया है, इस सर्टीफिकेट को पासपोर्ट के साथ नथ्थी करना ज़रूरी है, जिसमें बग़ैर सऊदी हुकुमत वीज़ा जारी नही करेगी। यह सर्टीफिकेट हज दरख़ास्त फार्म के साथ नथ्थी किया गया है। इसलिए वह हज़रात जिनका हज करने का इरादा है वह ओ.पी.वी. पोलियो की ख़ुराक लें, इसका सर्टीफिकेट हासिल करें और हज कमीटी ऑफ इण्डिया को अपने फार्म के साथ भेज दें ताकि उनके लिए हज वीज़ा की हुसुलियाती में दुश्वारी न हो।

दिमाग़ी बुख़ारः

तमाम आज़मीने हज के लिए लाज़िमी है के सऊदी अरब में दाख़ले के लिए हवाई जहाज़ की रवानगी से छः हफ़्ता क़ब्ल दिमाग़ी बुख़ार की रोकथाम के लिए इन्जेक्शन लगवाने का सर्टीफिकेट हासिल करें जिसके जारी किए जाने की मुद्दत सऊदी अरबिया में आमद के वक़्त दस दिन से कम और तीन साल से ज़्यादा न हो।

हज गाईडः

हज कमेटी की तरफ से आप को एक किताब दी जाएगी। इसमें हज की मालूमात के साथ बहुत सारे अहम पते और फ़ोन नम्बर होंगे। इस किताब को आप ग़ौर से पढ़ लीजिए और ज़रूरत के मुताबिक मालूमात का इस्तेमाल करें। अगर आपको हज के सफर में कोई शिकायत हो या आप कोई सलाह देना चाहते है, तो इस किताब में बहुत सारे वज़ीरों और सिफारतकारों (Counslators) वग़ैरह के पते और फोन नम्बर हैं, इन सब जगह ख़ुतूत लिखें। हुकूमत और मिनिस्टरों ने हज में होने वाली मुश्किलात को नज़र अंदाज़ कर रखा है। अगर लाखों हाजी इस सिलसिले में उन्हें ख़ुतूत लिखें तो ज़रूर उन के कान पर जूं रेंगेगी।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

इसाई या यहूदी की तरह मौत

मुश्रेकीन मक्का शिर्क करते थे मगर हज भी करते थे, जब कि इसाई और यहूदी ख़ुदा को मानते थे, रोज़े आख़ीरत पर ईमान रखते थे, जन्नत और जहन्नम के भी क़ाएल थे और रोज़े भी रखते थे, मगर हज ना करते थे। हज इस्लाम का पाँचवाँ और अहम रूक्न है। जो हज करने की इस्तेताअत रखने के बाद भी हज ना करे ऐसे इंसान के लिए हुज़ूर ;स.अ़ ने सख़्त नाराज़गी का इज़्हार किया है। मुंदर्जाज़ैल हदीस का मफ़हूम है के ऐसे शख़्स का बग़ैर हज किये मरना इसाई या यहूदी की तरह मरना है।

हदीस शरीफ : हज़रत अली मुर्तुज़ा (रज़ी) से रिवायत है। रसूर अल्लाह (स.) ने इर्शाद फर्माया: "जिस के पास सफ़रे हज का ज़रूरी सामान हो और इस को ऐसी सवारी भी मयस्सर हो जो बैतुल्लाह तक इस को पहुंचा सके, फिर भी वह हज ना करे, तो कोई फ़र्क़ नहीं कि वह यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर। (जामा तिर्मिज़ी)

और यह इस लिए कि अल्लाह तआला का इर्शाद-ए-आली है कि: "अल्लाह के लिए बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ है उन लोगों पर जो इस तक जाने की इस्तेताअत रखते हों और जो इन्कार करे तो अल्लाह तआला दुनिया जहान से बे नियाज़ है।" (आले इम्रान ९७)

हज ना करने पर वईद

हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर (रज़ी) फर्माते हैं कि जो शख़्स तंदुरुस्त हो, हज के अख़राजात रखता हो, फिर भी बग़ैर हज के मर जाए तो कयामत के दिन उस की पेशानी पर काफिर लिखा होगा। (दुर्रे मन्सूर)

हुसूले इल्म फर्ज़ है

रसुल (स.) ने ईर्शाद फरमायाः "दिन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान (मर्द व औरत) पर फर्ज़ है।"(इब्ने माजा-बरिवायत हज़रत अनस रज़ी)

सामान-ए-सफर

हज के सफर में आप जितना कम सामान ले जाएंगे, आप को उतनी ही आसानी होगी। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के क़याम के हालात और हमारी सलाह मुन्दर्जा ज़ैल(नीचे दिए गये) है।

१. खाने पीने का इंतेज़ामः

रिहाईशगाह (बिल्डिंग) के हर मंज़िला पर एक या दो किचन (बावरची खाना) होते हैं, जिसमें गैस और चुल्हा मुअल्लिम या मकान मालिक की तरफ से पहली बार मुफ्त मिलता है। हाजी साहेबान खाना बनाने का पूरा सामान साथ ले जाते हैं और वहाँ खाना बना कर खाते हैं। सऊदी हुकूमत कानून के मुताबिक कोई भी खाने की चीज़ सऊदी अरब में लाना मना है। मगर मैं ने देखा कि न हिन्दुस्तान के एयरपोर्ट पर किसी ने किसी हाजी को रोका न जिद्दा एयरपोर्ट पर। सिर्फ तेल, पानी या सय्याल माद्दा (Liquid) दोनों एयरपोर्ट वाले कभी कभी ज़ब्त कर लेते हैं।

मक्का और मदीना में बेशुमार पाकिस्तानी होटलें हैं, जो हिन्दुस्तानी ज़ाईके का खाना बनाते हैं, जिन की कीमतें (2009 में) ८ से १० रियाल के दरमियान थीं।

अगर आप एक प्लेट दाल या गोश्त या सब्ज़ी लें, तो तीन रोटी मुफ्त मिलती है, यह दो से तीन लोगों के लिए काफ़ी होती है। इस लिए बहुत सारे हाजी खाना बनाने में वक़्त ज़ाए करने के बजाए खाना खरीद कर खाते हैं और पूरा वक़्त इबादत में लगाते हैं और यह बात मुनासिब और दुरूस्त है।

कभी कभी दुसरे और तीसरे दर्जे के हाजियों को अज़ीज़िया मुकाम पर ठहराया जाता है, जो नई आबादी है, और वहाँ होटल वगैरह नहीं हैं। ऐसे हाजी अगर खाना बनाने का सामान साथ ले जाएँ तो बेहतर है।

२. कपड़ेः

हर मंज़िला पर कई बाथरूम (गुसुल खाना) होते हैं जिस में आप आसानी के साथ कपड़ा धो सकते हैं। सुखाने के लिए आप घर से रस्सी ले जाएँ और लाबी या बिल्डिंग के छत पर आसानी के मुताबिक़ कपड़ा सुखा लें। मक्का और मदीना में लॉन्ड्री भी है जो कि एक जोड़ा धोने का ५ रियाल लेते हैं। चूँकि वहाँ नमाज़ के सिवाय और कोई काम होता नहीं, इस लिए कपड़े कम ही गंदे होते हैं। इस लिए दो या तीन जोड़ों में गुज़र आसानी के साथ हो जाता है।

हज के सफर में बुजुर्गों से सुना है कि रोज़ मर्रह के कपड़ों के साथ अगर दो जोड़े नये हों तो ज़्यादा बेहतर है। एक १० ज़िल्हिज्जा के लिए जिस दिन ईद होती है और एक मस्जिद नबवी के लिए जिस दिन पहली बार आप हुजुर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की क़ब्र मुबारक पर हाज़री देकर सलात व सलाम का नज़राना पेश करेंगे।

३. बिस्तरः

मक्का और मदीना दोनों जगह आप को आप के कमरे में पलंग, गदेला, तकिया और एक कम्बल, बेडशीट (चादर) मिलेगी। इसलिए मक्का और मदीना में खुद के बिस्तर की ज़रूरत नहीं होती।

मिना के खेमों में ज़मीन पर क़ालीन बिछा होता है। मगर तकिया और चादर नहीं मिलती इस लिए मौसम के मुताबिक़ एक हवाई तकिया और एक चादर ले लें तो बेहतर होगा।

४. दवाएँः

सऊदी अरब में दवाएँ बहुत महंगी हैं और उन के नाम भी अलग होते हैं। इस लिए रोज़ मर्रह की सारी दवाएँ आप साथ ले जाएँ। सऊदी हुकूमत और इंडियन हज कमीटी की तरफ से भी मुफ्त दवाएँ मिलती हैं। मगर आप अपनी सेहत की हिफ़ाज़त खुद करें और अपनी दवाएँ अपने साथ ले जाएँ। ज़रूरत पड़ने पर मक्का और मदीना में हिन्दुस्तानी कॉन्सिलेट के ऊपर हिन्दुस्तानी अस्पताल हैं जहाँ हिन्दुस्तानी डॉक्टर मिलते हैं, उन से अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। वहाँ सऊदी अस्पताल भी हैं उन में भी मुफ्त इलाज होता है। मिना में भी सऊदी अस्पताल हैं।

५. मोबाईल फोनः

हज के मौके पर हाजियों के लिए स्पेशल सिम कार्ड (Sim Card) निकालती है जो के १०० रियाल का होता है। और आप १०० रियाल कीमत खत्म होने तक बात कर सकते हैं। आप को अपना मोबाईल नंबर मिलता है, जिसे आप अपने घर वालों को और साथीयों को दे सकते हैं। मोबाईल अगर सही इस्तेमाल करें तो बहुत से फ़ायदे हैं। आप हमेशा अपने घर और कारोबार से बाख़बर होते हैं, इस लिए इत्मिनान से इबादत कर सकते हैं। हज के दौरान साथियों से बिछड़ जाने के बाद या किसी तकलीफ़ में फौरन दोस्तों से राबता कायम कर सकते हैं और गलत इस्तेमाल करें तो वबाल ही वबाल है। आप वहाँ इबादत के लिए जाते हैं, मोबाईल पर वहीं से तिजारत या बिज़नेस न करने लगें। मोबाईल हरम शरीफ़ में बन्द रखें, नहीं तो लाखों के हिसाब से गुनाह होगा।

पहियों वाला छोटा बैगः

हज के सब से मुश्किल दिन ८ से १३ ज़िल्हिज्जा के होते हैं। इस दौरान आप को मुंदर्जाज़ैल (नीचे दिए गयें) सफर करने होंगेः

तारीख	मकाम	दूरी	समय
८ ज़िल्हिज्जा	मक्का से मिना	५ कि.मि.	एक घंटा
९ ज़िल्हिज्जा सुबह	मिना से अर्फात	६.५ कि.मि.	दो घंटे
९ ज़िल्हिज्जा शाम	अर्फात से मुज्दल्फा	५.५ कि.मि.	दो घंटे
१० ज़िल्हिज्जा सुबह	मुज्दल्फा से मिना	१ कि.मि.	आध घंटा
१० ज़िल्हिज्जा दोपहर	मिना से मक्का	५ कि.मि.	एक घंटा
१० ज़िल्हिज्जा शाम	मक्का से मिना	५ कि.मि.	एक घंटा
१२ ज़िल्हिज्जा शाम	मिना से मक्का	५ कि.मि.	एक घंटा

जो लोग यह सफ़र पैदल करते हैं वह बस या किसी और सवारी से सफ़र करने वालों के मुकाबले में ज़्यादा आराम से रहते हैं और हर जगह वक़्त पर पहुँचते हैं। खाली हाथ पैदल चलना आसान है और सामान ले कर चलना बहुत मुश्किल। मगर मक्का से मिना और मिना से अरफात के सफ़र में सामान तो होता ही है इस लिए आसानी के लिए जो छोटा बैग आप ख़रीदें अगर वह दो पहियों वाला हो तो बहुत आसानी होगी। मिना अरफात के सफ़र में सामान बहुत ही कम होता है (एक चटाई, पानी की बोतल, थोड़ा सा खाने का सामान और एक शाल), इस लिए यह बैग ज़्यादा बड़ा न हो। पहियों वाले इस छोटे बैग से मिना और मक्का के सफ़र में आप को बहुत आराम मिलेगा।

६.रोज़ मर्रह के इस्तेमाल की चीज़ें:

रोज़ मर्रह के इस्तेमाल की सारी चीज़ें आप को मक्का और मदीना शरीफ़ में दुकानों पर मिल जाऐंगी। इस लिए अगर हिन्दुस्तान में कुछ चीज़ें छूट जाऐं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वैसे अगर आप का सामान ३५ किलो से कम है तो मुंदर्जाज़ैल (नीचे दिए गयें) सामान एहतियात के लिये रख लें।

१. खाना रखने और खाने के न टूटने वाले बर्तन।

२. टूथ पेस्ट, साबुन और सिर में लगाने का तेल।

३. जा-नमाज़।

४. रात के वक़्त पहिनने के कपड़े।

५. रस्सी और पतला पर्दे का कपड़ा।(हो सकता है आप को अपने कमरे में औरतो के लिए पर्दा करना पड़े)

६. दो अदद एहराम, एक मोटे कपड़े में एक पतले कपड़े का, और कमर पट्टा (Belt)

७. मुज़दल्फ़ा में रात गुज़ारने के लिए चटाई।

८. पानी की थरमस या बोतल(जिससे आप आब-ए-ज़म ज़म कमरे तक ला सकें)

९. ऐसी खाने की चीज़ें जो बहुत दिनों तक ख़राब न हो, मिना व अर्फ़ात में खाने की सब चीज़ें मिलती हैं मगर एहतेयात के लिये रख लेना बेहतर है।

१०. अगर आपकी नज़र (बीनाई) कमज़ोर है और आप चश्मा इस्तेमाल करते है, तो दो अदद चश्मे साथ रख लें।

दो सामान ऐसे हैं के जिन की ज़्यादा ज़रुरत तो नही होती, मगर साथ रख लें तो बेहतर है। एक है धूप का चश्मा, और दूसरा नाक पर लगाने का कागज़ का रुमाल (Nose-Mask)।

धूप के चश्मे से दोपहर के वक्त दूध की तरह सफेद फर्श पर तवाफ करने में आसानी होती है।

अगर आपको नज़ला अक्सर रहता है, या जल्दी हो जाता है तो Nose-Mask इस्तेमाल करने से आप और दूसरे लोग Infection से महफ़ूज़ रहते है। नोज़ मास्क सिर्फ पांच रुपये में किसी भी मेडिकल दुकान पर मिल जाता है। यह मक्का शरीफ में एक रियाल में मिल जाएगा।

७. हैण्ड बैग:

हज कमेटी या बैंक वग़ैरह से एक छोटा हैण्ड बैग आप को तोहफ़े के तौर पर मिलेगा, जो हज के पूरे चालीस दिन आप का साथी होगा और आप के बहुत काम आएगा, इस में दो पट्टे लगे होते हैं; एक गर्दन से लटकाने के लिए और दुसरा कमर से बांधने के लिए। अगर दोनो पट्टे आप अच्छी तरह पहन लें तो ये आप के जिस्म से चिपका रहेगा और भीड़ भाड़ में भी इस के खोने का डर बहोत कम होता है इसमें दो हिस्से होते हैं; एक बाहरी और छोटा हिस्सा जिस में शफ़्फ़ाफ़ प्लास्टिक लगा होता है। इसमें आप अपना शिनाख़्ती कार्ड और दूसरे काग़ज़ात रख सकते हैं। दूसरे हिस्से में आप चप्पल वग़ैरह रख सकते हैं। हरम शरीफ़ के दरवाज़े के बाहर रखी हुई चप्पलों को ख़ादिम वक़्फ़ा-वक़्फ़ा से हटा कर फेंकते रहते हैं। दरवाज़े से लगी अल्मारीयों से चप्पल दूसरे हाजी पहन कर ले जाते हैं। इस लिए चप्पल को प्लास्टिक की थैली में रख कर बैग में रख लें। हरम शरीफ़ में दो से चार घंटे तक भी बैठना पड़ता है। इस लिए खाने के लिए कुछ खजुरें और बिस्किट वग़ैरह भी रख लें, और पीने के लिए आब-ए-ज़म ज़म हरम शरीफ़ में हर जगह मिलेगा। अगर यह बैग आप को तोहफ़ा में कोई न दे तो इंतेज़ार न कीजीए बल्कि बाज़ार से ख़रीद लीजिए।

८. सफ़री सूटकेस:

हज के सफ़र में तक़रीबन आठ से दस बार आप का लगेज कुली हज़रात के हाथों में होगा। जो अक्सर इसे बड़ी बेदर्दी से इधर-उधर फेकेंगे। इस लिए आप का सुटकेस और बैग ऐसे हों के आसानी से न टूटें या तो ऐसे हों कि जिन के टूट जाने का आप को ग़म न हो।

सन् २००९ में हाजियों को हवाई सफ़र में सख़्त परेशानियां हुई थीं। हाजियों की कई परवाज़ (Flights) छूट गईं। कई कई दिन एयरपोर्ट पर रहना पड़ा। सामान कई हफ्तों या महीनों बाद मिला वग़ैरह वग़ैरह।

इसकी वजह यह थी के पहल तो हाजियों ने हुकूमत के क़वानीन को नज़र अंदाज करके ज़रूरत से ज़्यादा सामान साथ ले लिया, फिर बग़ैर ज़्यादा किराया दिए सामान मुफ्त में हिन्दुस्तान लाने पर अड़ गये इसलिए तंग आकर जहाज़ के अमले (Staff) ने बग़ैर हाजियों के ही जहाज़ रवाना कर दिया। जब ऐसे लावारिस हाजियों की तादाद एयरपोर्ट पर ज़्यादा बढ़ी और हुकुमत को दख़ल देना पड़ा तो एमरजंसी में इसने सारे शैड्यूल और प्लानिंग को साइड में रख कर जो भी फ्लाइट ख़ाली मिली उस से हाजियों को वापस भेजना शुरू किया। इस unsheduled रवानगी में हाजी किसी और जहाज़ से रवाना होते और उनका सामान किसी और जहाज़ से रवाना होता और हफ़्तों या महीनों के बाद मिलता।

इस अफरा तफरी की वजह हाजियों की लापरवाही और ज़िद के सिवाय कुछ भी न था इसलिए हुकुमत ने इसका सख़्त नोटिस लिया है और सूटकेस के साईज़ और वज़न की पाबंदी को सख़्ती से आयद करने का तहैया किया है इसलिए इस मुबारक और मुक़द्दस सफ़र में आप भी इस बात का ज़रूर ख़्याल रखें, ताकि आप अपना और दुसरे हाजियों का सफ़र वक़्त पर और आसानी से हो।

सामान के सिलसिले में हुकुमत के क़वानीन मुंदरजा ज़ैल(निचे दिए गयें) हैं:

१) हिंदुस्तान से सऊदी जाते वक़्त हाजियों को ३५ किलोग्राम सामान मुफ्त ले जाने की इजाज़त होगी।

२) वापसी पर ५५ किलोग्राम सामान और १० लीटर आबे ज़मज़म लाने की इजाज़त है।

३) वापसी में ५५ किलोग्राम में से ४५ किलोग्राम आप के Check -in-luggage का होगा और १० किलोग्राम वज़न आप के हैण्ड बैग का होगा। चेक इन लगेज यानि वह छोटे सूटकेस जो आप अपने साथ जहाज़ के अन्दर ले जाऐंगे।

४. सऊदी हुकूमत के क़ानून के मुताबिक़ ४५ किलोग्राम भी आपके एक ही सूटकेस का वज़न न हो बल्कि २ सूटकेस का वज़न हो और आप का कोई सूटकेस २३ किलो से ज़्यादा न हो।

५. ज़मज़म के पानी का डिब्बा गोल न हो बल्कि चौकोर हो और प्लास्टिक की थैली में इस तरह बंद किया हो कि सफ़र के दौरान पानी निकलकर बहने का अंदेशा न हो।

६. हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुताबिक़ दोनों चेक इन लगेज के सूटकेस मुंदर्जा ज़ैल (नीचे दिए गयें) साईज़ के हों :

पहले सूटकेस की लम्बाई, चौड़ाई और उंचाई को जमाअ़ किया जाए, तो ६६ इंच से ज़्यादा न हो और दूसरे सूटकेस की लम्बाई, चौड़ाई और उंचाई को जमाअ किया जाए, तो ४४ इंच से ज़्यादा न हो।

७. जहाज़ के अंदर अपने साथ ले जाने वाले बैग या सूटकेस का साईज़ 22'' X16''X8'' से ज़्यादा न हो और वजन भी दस किलो से ज़्यादा न हो, इस साईज़ के बैग को आप आसानी से जहाज़ के ऊपरी ख़ानों में रख सकते हैं।

८. ज़ायद सामान आप को कार्गो के ज़रिये रवाना करना होगा ५५ किलो से ज़्यादा सामान पर ज़ायद हवाई जहाज़ का किराया भी देना होगा और हज

कमेटी पर इन सामानों की ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

(छोटा बैग या सूटकेस अगर पहियों वाला हो, तो आप को मक्का से मिना और मिना से मक्का पैदल सफ़र करते वक़्त आसानी होगी।)

हाजियों के सामान का साईज़ और वज़न सही होना क्यों ज़रूरी है?

क्योंकि एयरपोर्ट पर सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेल्ट कन्वेयर (Belt Conveyer) ले जाया जाता है, इन बेल्ट कनवेयर की सामान ढोने की ताक़त और साईज़ महदूद है और यह कई खिड़कियों से गुज़रते हैं, इन खिड़कियों की साईज़ भी महदूद है। बड़े सामान अगर कन्वेयर बेल्ट पर रख भी दिये जाएं तो वह खिड़कियों में जाकर अटक जाते हैं और अगर वह आगे ही न बढ़ें तो वह जहाज़ में लोड कैसे होंगे?

जहाज़ों में भी हर सामान अलग अलग लोड नहीं किया जाता बल्कि पहले उन्हें छोटे डिब्बों (containers) में पैक करते हैं, फिर उन छोटे कंटेनरों को एक जीप या ट्रैक्टर के ज़रिये खींचकर जहाज़ तक ले जाया जाता है फिर लोड किया जाता है, तो बड़े सामान या सूटकेस को उन छोटे कंटेनरों में भरने में बहुत दिक्कत होती है, इस लिए जहाज़ वाले बड़े सामान न मुसाफ़िरों के साथ ले जाने देते हैं।

आप अपने हर बुकिंग और सूटकेस पर अपना कवर नम्बर और घर का पूरा पता embarkation point या मर्कज़ रवानगी लिखना न भूलें वह भी परमानंट मार्कर पेन या पक्की रोशनाई से जिससे कि पता बिल्कुल न मिटे। ताकि ख़ुदा न ख़ास्ता अगर आप का सामान खो जाये, तो कवर नम्बर और पते से आप को वापस मिल जाये।

दूर से एयरपोर्ट पर अपने सामान को पहचानने के लिए रिबन या रंग या और कोई रोशनाई लगा लें इससे सामान ढुंढने में आसानी होगी। वरना सभी सूटकेस दूर से एक जैसे लगते हैं।

दूसरी अहम बात याद रखिये कि आप के लगेज पर दुसरों के लगेज का ५०० किलो से ज़्यादा का भी बार पड़ सकता है। इस लिए आप के सुट केस या बैग में ऐसा कोई सामान न हो जिस के टूटने से आप का और दुसरों का सामान ख़राब होजाए। मक्का और मदीना शरीफ़ के क़याम और मिना के ख़ेमों में, मस्तुरात पर्दे की वजह से अलग रह सकती हैं। इस लिए आप अपना रोज़ मर्रह के इस्तेमाल का सामान मस्तुरात के सामान से अलग रखें, वरना दोनों को बड़ी परेशानी होगी और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए एक दुसरे को आवाज़ देना पड़ेगा।

आप अपना सूटकेस मज़बूत ताले का लें, ताकि आप रुपया पैसा सूटकेस में रख कर इत्मिनान से हरम शरीफ़ जा सकें।

६. अच्छी सेहत

सब से ज़रूरी चीज़ जो आप को अपने साथ लेजाना है वह है अच्छी सेहत, क्योंकि मक्का के क़याम और हज के दौरान आप में जितनी ज़्यादा कुव्वत होगी आप उतनी ही ज़्यादा इबादत कर सकेंगे। तवाफ़ व सई और रिहाईश गाह से हरम तक आप को जितना चलना है और इस में जितना वक़्त दरकार है, अन्दाज़न मैं यहाँ दर्ज करता हूँ, इस से आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ कम से कम आप को कितने देर तक लगातार चलना है।

तवाफ़ः

काबा शरीफ़ के गिर्द सात चक्कर या फेरा लगाने पर एक तवाफ़ होता है, चक्कर या फेरा को अरबी में शूत कहते हैं।

सुबह ६ बजे से १० बजे, दोपहर १:३० से २:३० बजे और रात १२ बजे से ३ बजे के वक़्त जब भीड़ कम होती है। काबा शरीफ़ से ५० फिट की दूरी पर शूत (फेरा या चक्कर) में ३ मिनट और १०० फिट की दूरी से एक शूत में ६ मिनट लगते हैं। इस लिए सात शूत के लिए कम भीड़ के वक़्त २० से ४२ मिनट के दरम्यान लगेंगे। भीड़ के औक़ात में सात शूत यानी एक तवाफ़ में एक घंटा से ज़्यादा भी लग जाता है।

ज़्यादा भीड़ में जब मुताफ़ में तवाफ़ करना मुश्किल होता है तो पहले मंज़िले या छत पर तवाफ़ करना पड़ता है। जहाँ एक शौत के लिए १३ से १५ मिनट लगते हैं। इस लिए सात शूत के लिए ६१ से १०५ मिनट लग जाते हैं। तब जाकर एक तवाफ़ होता है।

सईः

सफ़ा और मर्वाह के दरम्यान ३६५ मिटर का फासला है। सफ़ा और मर्वाह पहाड़ के बीच चलने को सई कहते हैं। सई में सफ़ा और मर्वाह के दरम्यान ७ चक्कर लगाने पड़ते है। पहला चक्कर सफ़ा से शुरु होता है और सातवाँ चक्कर मर्वाह पर ख़त्म होता है। एक चक्कर के लिए कम भीड़ में ४ से ५ मिनट लगते हैं। इस लिए सात चक्कर में क़रीब ३० मिनट का वक़्त लगता है। भीड़ के औक़ात में एक घंटा से ज़्यादा भी वक़्त लग जाता है।

रिहाईश गाह से हरम शरीफ़ तक आने जाने का वक़्तः

आम तौर पर हाजियों का क़याम हरम से ५ से १५ मिनट की दूरी पर होता है। मगर ४ ज़िलहिज्जा से १५ ज़िलहिज्जा तक लोगों का ज़बर्दस्त हुजूम होता है। इस दौरान ५ से १५ मिनट का ये रास्ता तय करने में १५ से ३० मिनट का वक़्त भी लग सकता है।

नमाज़ का इन्तेज़ारः

४ ज़िलहिज्जा तक चुँके ३० से ३५ लाख लोग मक्का शरीफ़ पहुँच चुके होते हैं इस लिए हरम शरीफ़ में भी ज़बर्दस्त भीड़ होती है। अगर नमाज़ से ३० से ४५ मिनट पहले आप हरम में न पहुँचे तो तमाम जगहें भर चुकी होती है। इस लिए हर नमाज़ से एक घंटा पहले आप को अपने कमरे से नमाज़ के लिए निकल जाना होता है।

हरम शरीफ़ से कमरे तक आने जाने में भी काफ़ी वक़्त लगता है इस लिए लोग तहज्जुद के लिए आते हैं और फ़ज्र पढ़ कर जाते हैं। इसी तरह मग़रिब के लिए आते हैं और इशा पढ़ कर जाते हैं। बहुत से लोग ज़ोहर से इशा तक हरम शरीफ़ में ही रहते हैं और नमाज़, तिलावत और तस्बीहात में मसरूफ़ रहते हैं। और इशा पढ़ कर जाते हैं।

जो लोग मक्का के रहने वाले हैं उन के लिए हरम शरीफ़ में नफ़िल नमाज़, नफ़िल तवाफ़ से अफ़ज़ल है। मगर जो लोग दुसरे शहरों से आते हैं उन के लिए नफ़िल तवाफ़, नफ़िल नमाज़ और दुसरी इबादत से ज़्यादा अफ़ज़ल है। इस लिए हर हाजी को पाँच वक़्त की नमाज़ हरम शरीफ़ में पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करना चाहिए।

ऊपर दिए गए वक़्त के हिसाब से आप ख़ुद अन्दाज़ा कर सकते हैं कि एक दिन में आप को कितना वक़्त चलना और हरम में बैठ कर इंतेज़ार करना है।

हुज़ूर (स.) का इर्शाद है कि "क़वी मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है"। क्योंकि क़वी मोमिन दीन के बहुत सारे वो काम कर सकता है, जो कमज़ोर मोमिन नहीं कर सकता।

हुज़ूर (स.) के इर्शाद के मुताबिक़ जो लोग सिर्फ़ जिहाद के लिए घोड़े पालते हैं। उन्हें घोड़े के खाने पीने, चलने यानी उस के हर काम पर सवाब मिलता है। (बुख़ारी)

हम और आप अगर अपनी सेहत इस मक़सद से बेहतर बनाने की कोशिश करें कि इंशा अल्लाह अच्छी सेहत से हम इस्लाम और मुसलमान के फ़लाह और बेहबुदी के लिए काम करेंगे तो अपने बेहतर सेहत बनाने की कोशिश में भी हम को सवाब मिलेगा।

डॉक्टरों का कहना है के हर शख़्स को दिन में कम से कम २० मिनट तक तेज़ चलना चाहिये, इस से दिल का दौरा, डायबिटीज़ और दुसरी बहुत सारी

बिमारियाँ नही होती या कन्ट्रोल में रहती हैं।

इस लिए हज के लिए जो सब से पहली तैयारी आप को करना है, वह यह है कि सुबह और शाम कम से कम ३० मिनट चलें और अपनी सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश करें।

हरम शरीफ पहुँचकर भी अपनी सेहत का ख़याल रखे। हजम होनेवाला हलकी गिज़ा लें। फलों का इस्तेमाल खूब करें। हमेशा ज़मज़म का पानी पियें, गरमी के दिनों में जब पानी से प्यास न बुझे तो ठंडे पानी और मशरूब के बदले सुलेमानी चाय या कहवे का इस्तेमाल करें। सुबह ४ बजे से पहले उठे ताकि इत्मिनान से जरूरीयात से फ़ारिग़ होकर आप तहज्जुद पढ़ सकें।

१०. सब से अहम ज़ादे सफ़र:

अल्लाह तआला फ़रमाता है।

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَ اتَّقُوْنِ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ.
(سورۃ بقرہ)

तर्जुमा : और ज़ादे राह जो बेहतरीन ज़ादे राह है वह तक़्वा है और ऐ अक़्लमंदो मेरा तक़्वा इख़्तियार करो।

हज़रत आदम (अ.) के बेटे काबील की कुर्बानी इस लिए क़ुबूल नही हुई थी क्योंकि उसमें तक़्वा का जज़्बा न था।

अल्लाह तआला फ़रमाता है।

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (سورۃ مائدہ-٢٧)

तर्जुमा : अल्लाह मुत्तक़ीयों ही से क़बूल फर्माता है।

रसूल अल्लाह (स.) ने हज्जतुलविदा के मौके पर फरमाया:

التقوىٰ ههنا و يشير الىٰ صدره ثلاث مرات (مسلم)

तर्जुमा : तक़्वा यहाँ होता है आप (स.) ने तीन मर्तबा अपने सीने मुबारक की तरफ इशारा करते हुए फर्माया:

"इस लिए हज के सफ़र पर जाने से पहले सारी तैयारियों के साथ अपने दिल की कैफ़ियत को भी सवारें। हाजी कहलाने की चाह, दिखावा, सैर व तफ़रीह की नियत, खूब ख़रीदी की तैयारी वग़ैरह का इरादा भी हज की नियत के साथ हो तो तौबा इस्तग़्फ़ार कीजिए और ख़ालिस ख़ुदा की ख़ुश्नूदी के लिए हज के सफ़र की तैयारी कीजिए।"

अश्या-ए- मम्नूआ:

१. हथियार या उनके हिस्से या फौजी इस्तेमाल की अश्या।
२. तमाम क़िस्म की धमाका ख़ेज़ अश्या या बारूद।
३. मिट्टी का तेल और पेट्रोल और तमाम क़िस्म के सयुयाल मादे और स्टोव वग़ैरह।
४. आतिशगीर अश्या, चमक पैदा करने वाली गेम माचिस गेम राकेट वग़ैरह।
५. तमाम नशा आवर मशरूबात और दवाऐं जो के ख़्वाब आवर मादे, अफ़ीम, चरस, मारफ़ीन, कोकीन या इस क़िस्म के मादों से बनी हुई हों या इन में इन अश्या की मिक़दार शामिल हो।
६. ऐसी अश्या जिनमें ज़हरीला मादा या इसी क़िस्म की दवाऐं शामिल हों जब तक वज़ारते सेहते आमा से मंज़ूरी हासिल न हो।
७. तमाम दवाऐं सिवाय जिनकी, वज़ारते सेहते आमा से मंज़ूरी हासिल हो।
८. तमाम तबा शुदा मुवाद जो के इख़्लाक़ी और इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ हो।
९. नंगी तसावीर या इसी क़िस्म की दूसरी अश्या जो ईसाइयों के मज़हबी क्रॉस (✝) की शक्ल में हो।
१०. बड़ी साईज़ की तसावीर जो कि बग़ैर फ़रोख़्त आप ले जाना चाहते हों।
११. फ़िल्में सिवाय इस समाजी फ़िल्मों के टेप जो कि वज़ारते इत्तलाआत व नसिरयात ने मंज़ूर किये हों।
१२. वायरलेस और उसके पुर्ज़े जब तक के वह हुकूमत के इस्तेमाल के लिए दरआमद किये जायेंगे और वज़ारते ख़बर रिसानी की मंज़ूरी हासिल कर ली गयी हो।
१३. खिलौने वाली बंदूक़ें जो के बच्चों के लिए हों।
१४. बच्चों के वास्ते शूटिंग के लिए तमाम क़िस्म की बंदूक़ें जब तक वज़ारते दाख़ला की मंज़ूरी न हो।
१५. चाकू, ख़ंजर और हथियार वग़ैरह।
१६. वह तमाम किताबें, पम्पलेट या दूसरी अश्या जिनमें कम्युनिज़म का प्रोपेगंड्डा किया हो या सऊदी हुकुमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हों या इस्लाम के ख़िलाफ़ लिट्रेचर।
१७. मछलियां पकड़ने के लिए ख़ुसूसी फूल जो कि जहाज़ रानी और इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसानदायक हो।
१८. वह तमाम सामान जिन पर इस्राईल का तारा या उन का कोई निशान बना हो।
१९. बच्चों की मिठाईयां जो सिगरेट की शक्ल में हों या इसी तरह की अश्या जो सिगरेट की पब्लिसिटी के लिए हो।
२०. तेल और तेल से बनी तमाम अश्या जो के सेहत आमा के लिए मुज़िर हों।
२१. काले रंग की तस्बीह के दाने जो प्लास्टिक, कांच या इस क़िस्म की दूसरी चीज़ों से बने हों।
२२. वीडियो और ऑडियो कैसेट।

मुंदर्जा ज़ैल(नीचे दिए गये) अश्या हर हवाई सफ़र में हैंड बैग में रखना मम्नू है:

१. कैंची, नेलकटर (नाख़ून काटने का सामान) ब्लैड, छुरी, चाकू और ऐसे सारे सामान जिन से किसी इंसान को ज़ख़्मी किया जा सकता है।
२. आज कल बम बनाने के केमिकल, सयुयाल मादे या प्लास्टिक की तरह होते हैं इसलिए अब जहाज़ के अंदर पानी की बोतल और तमाम सयुयाल मादे ले जाना मम्नू है।
३. ऐसे तमाम क़िस्म के खिलौने भी मम्नू हैं, जिससे किसी को डरा कर जहाज़ को अग़वा किया जा सकता है जैसे; प्लास्टिक की बंदूक वग़ैरह।

ये सारी चीज़ें एयरपोर्ट पर ज़ब्त कर ली जाती हैं:

४. एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान अगर कोई ड्रग या नशे वाली चीज़ आप के सामान में शामिल मिल गयी, तो सऊदी हुकूमत में इस की सज़ा आम तौर पर सज़ा-ए-मौत ही है।
५. बाल काटने की कैंची, सब्ज़ी काटने की छुरी, नाख़ून काटने के औज़ार या बच्चों के खिलौने वग़ैरह आप चेक इन लगेज वाले सुटकेस में रख सकते हैं जो के जहाज़ के निचले हिस्से में लोड होगा। ये सारी अश्या जहाज़ के अंदर ले जाना मना है। इनके साथ सफ़र करना मना है।
६. बाल काटने की कैंची, शेविंग ब्लैड, नाख़ून काटने का औज़ार, सब्ज़ी काटने की छुरी इन सब की ज़रूरत आप को उम्रह के बाद हज से पहले और हरम में क़याम के दौरान होगी। इस लिए इनको चेक इन लगेज में रख लें और अपने मुक़ाम पर पहुंच कर निकाल लें और इस्तेमाल करें।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

हज के दौरान रास्ता भूलने और खो जाने का मसला

मक्का मुकर्रमा में खो जाने का मसला :

हरम शरीफ़ की मस्जिद में ६२ दरवाज़े हैं, जिन पर नंबर लिखे हुए हैं। कुछ दरवाज़ों पर नंबर नहीं हैं। उन्हें भी गिना जाए तो १०० से ज़्यादा दरवाज़े हैं। नये आदमी को सब दरवाज़े एक जैसे लगते हैं इस लिए जब पहली मर्तबा आप हरम शरीफ़ जाऐं तो जिस दरवाज़ से दाखिल हों उस का नंबर नोट कर लें और उसी दरवाज़े से बाहर आऐं।

जब आप हरम शरीफ़ के अंदर मुताफ़ (सेहन) में होंगे तब भी चारों तरफ़ सारे दरवाज़े आप को एक जैसे लगेंगे। पहचान के लिए हुकूमत ने पाँच अहम दरवाज़ों पर पाँच अलग अलग रंग की मेहराबें बना दी है। जब आप हरम में दाख़िल हों तो इन रंगों को अच्छी तरह पहचान लें और इसी तरफ़ के दरवाज़े से बाहर निकलें। दरवाज़ों की मेहराबें और उन के रंग इस तरह हैं।

दरवाज़े का नाम	मेहराब का रंग	सिम्त (तरफ़)
१. बाबे अब्दुल अज़ीज़	हरा	यह दरवाज़ा नंबर १ है और मिस्फ़ला इलाक़े की तरफ़ है।
२. बाबे सफ़ा	सफ़ेद	यह हिज्रे अस्वद के सामने सफ़ा पहाड़ी की तरफ़ है। जहाँ से सई शुरू की जाती है।
३. बाबे फ़तह	नीला	यह मरवा पहाड़ी की तरफ़ है।
४. बाबे उम्राह	सिलेटी	यह दरवाज़ा नंबर ६३ है।
५. बाबे फ़हद	पीला	यह दरवाज़ा नंबर ६३ है। शाह फ़हद ने हरम के एक हिस्सा की बहुत ज़्यादा तवसि की है जिस में ८० हज़ार लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। यह मेहराब उसी हिस्से की तरफ़ है।

गेट नंबर ६२ के बाहर गुमशुदा लोगों और सामान का आफ़िस है। अगर आप गेट भूल जाएँ और अकेले घर जाने की हिम्मत या एतमाद न हो तो गेट नंबर ६२ के पास आफ़िस में पहुँच जाएँ। वह गाईड के ज़रिया आप को आप के घर या मुअल्लिम के आफ़िस पहुँचा देंगे।

जिद्दा एयरपोर्ट पर खो जाने का मसला :

जिद्दा एयरपोर्ट बहुत वसीअ और अरीज़ है। और इस एयरपोर्ट पर आप को काफ़ी देर रुकना है और तक़रीबन ३०० फीट बस डिपो तक चलना है। इस एअरपोर्ट के हर खम्बे पर नंबर लिखे हुए हैं। बस डिपो तक तो गाईड आपको रास्ता बता देंगे। मगर दूसरी किसी जरुरत से अगर आप दूर जाते हैं तो आप का सामान जिस खम्बे के पास है, उसे ज़रुर नोट कर लें।

मिना में रास्ता भूलने का मसला :

मिना में अक्सर हर शख़्स एक बार रास्ता ज़रूर भूलता है। इस लिए अगर आप मिना का जुगराफ़िया अच्छी तरह समझ लें तो इन्शा अल्लाह रास्ता नहीं भूलेंगे। मिना दो पहाड़ों के दरम्यान एक वादी का नाम है। इस वादी में मक्का की तरफ़ से दाखिल होते ही 'जमरात' यानी शैतान को कंकरी मारने का मुक़ाम पहले है, फिर उस के बाद खेमों का सिलसिला है। वादी के दूसरी तरफ़ निकलें तो आधे किलो मीटर की दूरी पर 'मुज़्दल्फ़ा' है, फिर और आगे जाएँ तो ६ किलो मीटर की दूरी पर 'अरफ़ात' है।

मिना लम्बाई में बसा है इसकी चौड़ाई कम है। रास्ता और खेमा न भुलने के लिए सबसे पहले आप जमरात की जगह पहचान लीजिए फिर मिना के ऊपर चौड़ाई की सिम्त में तीन पुल हैं। इन का नाम याद कर लीजिए। जमरात से नज़दीक पहले पुल का नाम है किंग खालिद ब्रिज दूसरे पुल का नाम है किंग अब्दुल अजीज ब्रिज, तीसरा पुल मिना से बाहर मुज्दल्फा की सरहदद पर है। उसका नाम किंग फैसल ब्रिज। ज़्यादातर हिन्दुस्तानी खेमे पहले और दुसरे पुल के आसपास ही होते है। तीसरी और सबसे अहम निशानी की और खेमे का पत्ता मिना में लगे खम्बे है, जिनपर नम्बर लगे होते है। अगर आप सिर्फ इन खम्बों पर लिखे नम्बर भी नोट कर ले तो कोई भी आप को आप के खेमे तक पहुँचा देगा।

एहतेयात और तदबीरें :

१. मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा पहुँचते ही होटल के कॉउंटर से उनका शनाख़ती कार्ड माँग ले और हमेशा अपने पास रखे।

२. एहतेयात के तौर पर एक छोटी सी डायरी और पेन जेब में रखा कीजिए और इस में मुंदर्जाज़ैल बातें नोट किया किजीए :

- आप के क़याम गाह की सिम्त में हरम शरीफ के दरवाज़े का नंबर।
- आप के क़याम गाह के पास के मशहुर होटल या दुकानों के नाम।
- मिना में आप के खेमा के नज़दीक खम्बे का नंबर।
- रोज़ मर्राह का आप का ख़र्च।

  इस से आप को अपना ठिकाना तलाश करने में आसानी होगी और ख़र्च बजट के अन्दर रहेगा।

- तवाफ़ करते वक़्त अगर दो लोग भी साथ हो तो अलग अलग हो जाते हैं इस लिए एक दुसरे का हाथ मज़बुती से पकड़ने के बदले हरम शरीफ़ में दाख़िले के वक़्त ही आपस में तय कर लें कि इबादत ख़त्म कर के कहाँ और कब मिलेंगे। हर एक हरम शरीफ़ में दाख़िल होते वक़्त बाहर से दरवाज़ा का नंबर नोट कर लें और मुताफ़ या ख़ाना काबा के सेहन की तरफ़ से जो मेहराब उस दरवाज़ा की तरफ है उस का रंग नोट कर लें (दरवाज़े का नाम और नंबर दोनों तरफ़ लिखे हुए हैं मगर आसानी के लिए मुताफ़ की तरफ़ से पाँच अहम दरवाज़ों की मेहराबें भी अलग अलग रंग की हैं इस से भूलने का डर कम रहता है।) फिर अगर तवाफ़ करते करते साथ छुट जाए तो साथी को तलाश करने के बदले इबादत जारी रखें और पहले से तय शुदा जगह और वक़्त पर हरम शरीफ़ के दरवाज़े पर मिलें।

४. मिना और अरफ़ात में भी भीड़ में साथ छुट जाने का डर रहता है वहाँ तो आप पहले से जगह भी तय नहीं कर सकते, इस लिए वहाँ लोग मुंदर्जा ज़ैल(नीचे दिए गये) तदबीर एख़्तियार करतें हैं।

i) एक ग्रुप का हर फ़र्द एक ही जैसा कोई निशान अपने कपड़े या टोपी या दुपट्टे पर लगाऐ रहता है, जैसे लाल रिबन या कपड़े के फूल वग़ैरह इस से एक दुसरे को पहचानने में आसानी होती है।

ii) एक ग्रुप में किसी एक शख़्स के हाथ में कोई निशानी की चीज़ होती है जो वह

बुलंद किये रहता है, जैसे झंडा, छतरी, लकड़ी वग़ैरह। ग्रुप के बाक़ी के लोग उस निशान को देख कर उस ग्रुप लीडर के पीछे चलते रहते हैं और खो जाने पर दूर से ही पहचान कर आ मिलते हैं।

ये दोनों तरीक़े लोग तवाफ़ करते वक़्त भी इस्तेमाल करते हैं।

iii) तीसरा तरीक़ा मोबाईल का इस्तेमाल है। मगर इसे उस वक़्त इस्तेमाल करें जब कोई चारा न हो। मुताफ़ और हरम शरीफ़ के अंदर मोबाईल बंद ही रखें और हरम से बाहर आकर इस्तेमाल करें। मस्जिद के अंदर दुनियाधारी की बातें करने पर फ़रिश्ते लानत भेजते हैं और मस्जिद-ए-हरम में किया गया एक गुनाह एक लाख गुनाह के बराबर है।

गुमशुदा आज़मीन किराम और सामानः

अगर आपका कोई साथी खो जाये, तो हिंदुस्तानी हज मिशन के ब्रांच आफिस को फौरन इत्लाअ़ दें, और अगर आपका कोई सामान खो जाये, तो भी पहले अपने ब्रांच आफिस A.H.O. को इत्लाअ़ करें और फिर उन के मशविरे पर सऊदी अरब हुकूमत कि गुमशुदा सामान के ब्रांच आफिस में इत्लाअ़ करें।

रक़म का गुम होना या चोरी होनाः

अगर आप की रक़म गुम हो जाये या चोरी हो जाये, तो ऐसी सूरत में शोऐब आमिर इलाक़े में मौजूद हिंदुस्तानी मिशन के सदर दफ्तर में इफ़ाद ऐ आम डेस्क से रूजूअ़ करें। आप को आरज़ी इम्दाद हिंदुस्तानी आज़मीने इफ़ादा फोरम I.P.W.F. की जानिब से फराहम की जायेगी।

अपने साथी आज़िम की मौत हो जाने परः

अगर आप के किसी साथी की मौत हो जाये, तो मुअ़ल्लिम के दफ्तर और अपने ब्रांच आफिस का मुत्लाअ़ करें। याद रक्खें के मरहूम की रिहाईश गाह से क़ब्रिस्तान ले जाने और तदफीन की सारी ज़िम्मेदारी मुअ़ल्लिम पर आयद होती है। शोऐब आमिर में वाकेअ़ हिंदुस्तानी हज मिशन का सदर दफ्तर का राब्ता डेस्क इस ज़मन में N.O.C. जारी करता है।

तिब्बी इमरजेंसी इम्दादः

इमरजेंसी की सूरत में हिंदुस्तानी मिशन के ब्रांच के दवाख़ाने या अस्पतालों से दवा ली जा सकती है, मज़ीद मुश्किल हालात में डाक्टर को अपनी इमारत में भी बुलवाया जा सकता है।

मिना में कोई मसला दरपेश हो तो..!

अपने ख़ेमे से हमेशा मुअ़ल्लिम से राब्ता क़ायम करें। हिंदुस्तानी मिशन के मिना में मौजूद कैंप ऑफिस से भी राब्ता क़ायम कर सकते हैं।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

हज्जे मक्बूल

हज़रत अबू हुरैराह (रज़ी.) से रिवायत है के रसूल अल्लाह (स.) से किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह (स.) कौन सा अमल ज़्यादा अफ़ज़ल है? आप (स.) ने फरमाया : अल्लाह और उस के रसूल अल्लाह पर ईमान। अर्ज़ किया, उस के बाद? फरमायाः अल्लाह के रास्ते में जिहाद। अर्ज़ किया, फिर? फरमायाः हज्जे मक्बूल। (बुखारी, मुस्लिम)

हज़रत इमाम हुसैन रजी फर्माते हैं कि रसुले खुदा (स.) से एक शख़्स ने अर्ज किया, "हुज़ूर (स.) मैं कमजोर भी हुं और बुज्दील भी" फर्माया "तु ऐसा जिहाद किया कर जिसमें कांटा भी न लगे।" उसने अर्ज किया, ऐसा कौन सा जिहाद है जिसमें तकलीफ न पहुँचें? फर्माया "हज किया कर" (तिबरानी)

पहले कौन ?

मैं ५० किलो का दुब्ला पतला इन्सान हूँ, जब मुसल्ले पर खड़ा होता हूँ, तो आधा मुसल्ला ख़ाली रहता है। हरम शरीफ में मुझे उस जगह नमाज़ पढ़ने का बहुत शौक़ था जहाँ से ख़ानाऐ काबा साफ नज़र आऐ इसी लिए मैं वक़्त से पहले हरम पहुँच जाता और मौजें जगह मुसल्लह बिछाकर बैठा रहता। जैसे जैसे नमाज़ का वक़्त क़रीब आता, आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जाती। जब सारी ख़ाली जगह भर जाती तो लोग दो नमाज़ियों के दरम्यान कुछ जगह बना कर बैठने लगते।

चूँकि मेरा आधा मुसल्लह तो ख़ाली ही होता था इस लिए मेरे बग़ल में कोई न कोई ज़रूर आ जाता और अगर कोई सेहतमंद हाजी आ जाते तो आहिस्ता आहिस्ता वह मुसल्लह के बीच में होते और मैं किनारे और इस तरह अक्सर मैं ने नमाज़ दो मुसल्लों के बीच में पढ़ी, और ये बात मुझे नागवार गुज़रती।

एक दिन मैं ने दिल मैं फैसला किया कि आईदा किसी को अपने मुसल्ले पर जगह न दूँगा। मेरा इतना सोचना था के दूसरे दिन से मेरे वक़्त से पहले हरम जाने और अपनी मन-पसंद जगह पर नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ छिन गई। मैं खुद देर से जाने लगा। दुसरों से गुज़ारिश कर के दरम्यान में जगह बना कर बैठने लगा। यहाँ तक कि कभी कभी मुसल्लह भी न ले जा पाता और जनवरी के सख़्त सर्दीयों में बर्फ की तरह ठंडी फर्श पर किसी कोने या किनारे नमाज़ पढ़ता। आख़िर बहुत तौबा इस्तग़फ़ार के बाद फिर तौफ़ीक़ नसीब हुई।

किसी हाजी के लिए सिर्फ बदगुमानी की ये सज़ा के इबादत की तौफ़ीक़ छिन जाऐ, तो जो लोग हाजियों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं उनका क्या होगा?

जो कोई भी ख़ुदा के घर आता है वह ख़ुदा का मेहमान है और अल्लाह तआला मेज़बान हैं। अगर मेज़बान को ख़ुश करना है, तो इसके मेहमानों की ख़िदमत को अपना नस्बुलऐन बनाना होगा। आप मेहमान से झगड़ा करके, धक्का देकर, पीछे ढकेल कर, उसे तकलीफ पहुँचाकर कभी मेज़बान (अल्लाह तआला) को ख़ुश नहीं कर सकते। ख़ुदा न करे के आप से भी इबादत की तौफ़ीक़ छिन जाए या इबादत लौटा दी जाए इसलिए एयरपोर्ट पर, बस अड्डे पर या कहीं भी जब ये सवाल हो कि पहले कौन तो आप का जवाब होना चाहीये कि पहले अल्लाह तआला का मेहमान फिर मैं।

रसुलअल्लाह (स.) ने हजतुलविदा के मौके पर फर्मायाः

فان دماء كم و اموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة
يومكم هذا في بلد كم هذا في شهر كم هذا (متفق عليه)

तुम्हारा ख़ून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज़्ज़त तुम पर इसी तरह हराम है, जिस तरह के आज का दिन इस शहर में और इस माह में हराम है। (यानी मुसलमान को किसी भी तरह तकलीफ़ पहुँचाना हराम है।

हुज़ूर (स.) का इर्शाद है के मुसलमान वह है जिस की ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान सलामती में रहें।

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (متفق عليه)

हज़रत अबु हुरैरा (रज़ी) से रिवायत है कि रसुलअल्लाह (स.) ने इर्शाद फरमाया, "हज उम्रह करने वाले अल्लाह तआला के मेहमान हैं। अगर वह अल्लाह से दुआ करें, तो वह उन की दुआ कबूल फरमाए और अगर वह इस से मग़फ़िरत माँगे तो वह उन की मग़फ़िरत फरमाए।"

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

हज के ख़ास दिनों में सवारी का मसला

१. एहसान का बदला :

आप के घर में अगर दस लोग रह रहे हों और बीस मेहमान बाहर से आ जाएँ और आप ने उन की खुश दिली से खिदमत की तो मेहमान का क्या फ़र्ज़ बनता है? मेहमान को चाहिये कि आप के एहसान का बदला बराबरी के एहसान से चुकायें।

هل جزاء الاحسان الاالاحسان (الرحمن-٦٠)

तीस से चालीस लाख लोग हज के अय्याम और रमज़ान-उल-मुबारक में मक्का शहर पहुँचते है। जो मक्का शहर की आबादी से कई गुना ज़्यादा है। शहर के लोग और हुकूमत हर तरह से हाजियों की ख़िदमत करते हैं। इस लिए हाजियों को चाहिये कि उन के रिज़्क में बर्कत् और खुशहाली की दुआ करें।(मक्का में दाखिल होते वक्त और बस में इस दुआ को आप पढ़ते भी हैं) और अगर आप से उन को फ़ायदा पहुँचता है तो उसे खुशी से होने दें। तंग दिल न हो, वहाँ के होटल, दुकानें, बस, टैक्सी वग़ैरह की बड़ी आमदनी का ज़रिया हज और रमज़ान-उल-मुबारक ये दो मवाके ही है इस लिए अगर इन दो मौक़ों पर आप को ऐसा महसूस हो कि वह ज़्यादा कमा रहे है तो इस का उन को हक़ है। और आप को इन की मदद करनी चाहिये और ज़्यादा रूपया बग़ैर तंग दिल हुए देना चाहिये।

हज़रत बरिद (रज़ि) से रिवायत है के हुजुर (स.) ने इर्शाद फर्माया के हज में ख़र्च करना जिहाद में खर्च करने की तरह है।

एक हदीस में हज़रत आईशा (रज़ि) से मरवी है के हुजुर (स.) ने फर्माया के तेरे उमरे का सवाब तेरे ख़र्च के बक़द्र है यानी जितना ज़्यादा इस पर ख़र्च किया जाएगा उतना ही सवाब होगा।

२. सवारी का इंतेज़ाम :

हज के मौके पर तीस से चालीस लाख लोग एक ही वक़्त में एक तरफ़ सफ़र करते है इतने ज़्यादा लोगों के लिए एक ही वक़्त सवारीयों का इंतेज़ाम करना मुम्किन ही नहीं इस लिए मुअल्लिम का इंतेज़ाम लोगों को तीन ट्रिप (trip) में बस के ज़रिए मंज़िल पहुँचाना होता है। सड़क पर लोगों के अज़दहाम और मोटर गाड़ियों की भीड़ की वजह से वह मुश्किल से दो ट्रिप कर पाते हैं। आख़री ट्रिप के तिहाई १/३ लोगों को या तो अपनी मंज़िल तक पैदल या प्रायवेट टैक्सी ही में सफ़र करना पड़ता है।

जो लोग बस के पहली ट्रिप में सवार होते हैं वह दुनियावी नुक़्ते नज़र से चुस्त, चालाक और सवारी की मुश्किलों से वाकिफ़ होते हैं। जो, सब लोगों से पहले पहुँच कर धक्कम पेल कर के बस में सवार हो जाते हैं।

जो लोग सब्र कर के और देर तक इंतेज़ार कर के दुसरी ट्रिप में सफ़र करते है। वह अक्सर सीधे सादे, सवारी की तकलीफ़ो से नावाकिफ़ और भीड़ भाड़ से कतराने वाले लोग होते हैं। आख़री ट्रिप होती ही नहीं। क्योंकि तीसरी ट्रिप तक मंज़िल पर पहुँचने का वक़्त ख़त्म हो चुका होता है इस लिए वह लोग जिन्हों ने हज की तर्बियती तालीम हासिल की है और जो मसाइल का इल्म रखते है। वह बग़ैर बस का इंतेज़ार किये पैदल या प्रायवेट टैक्सी वग़ैरह से ही चल देते है। मिसाल के तौर पर अगर आप को मिना से अरफ़ात जाना है तो पहली बस फज्र के फ़ौरन बाद चली जाती है। और दुसरी ट्रिप के लिए करीब ११ बजे वापस आती है। और हाजियों को लेकर २ बजे तक अरफ़ात पहुँचती है। तीसरी ट्रिप के लिए अगर वापस आना हुआ तो फिर अरफ़ात पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी और वक़्त ख़त्म हो चुका होगा इस लिए तीसरी ट्रिप हो ही नहीं पाती।

३. पैदल सफर कितना मुश्किल है?

१. मक्का शरीफ से मिना तकरीबन ४.५ से ५ किलो मीटर दूर है।

२. मिना कि लम्बाई तकरीबन १.५ से २ किलो मीटर है।

३. मुज़दलफा मिना से बिल्कुल लगा हुआ है।

४. मिना से अरफात ६.५ किलो मीटर है।

५. सफा और मरवा की दुरी ३९५ मीटर है।

६. जब आप खाने काबा का तवाफ मुकामें इब्राहिम के बिल्कुल करीब से करते है, तो एक चक्कर में आप १५० मीटर का सफर करते है यानी सात चक्कर में एक कि.मी. से कुछ ज़्यादा चलते है।

७. जब आप खाने काबा का तवाफ काबे शरीफ से १०० फिट की दूरी यानी मुताफ़ के आखरी हिस्से से करते है तो तकरीबन पौने दो कि.मी. की दूरी तय करते है।

८. सफा और मरवा की दूरी ३९५ मी है यानी सात चक्कर में आप तकरीबन पौने तीन कि.मी. चलते हैं।

९. उम्रह में अगर आप खाने काबा से १०० फिट की दूरी से तवाफ करते है और सफा और मरवा के सात चक्कर लगाते हैं। तो ४.५ किलो मीटर की दूरी तय करते है यानि मक्का से मिना कि दूरी। अगर आप उम्रह आसानी से कर सकते है तो मक्का से मिना भी आसानी से और उतने ही वक्त में जा सकते हैं।

१०. जब आप मक्का पहुँचते ही उम्रह करतें है तो उम्रह करते वक्त अपनी जिस्मानी ताकत का भी अन्दाज़ा कर लें। अगर आप बड़ी आसानी से उम्रह कर लेते है तो मक्का और मिना का दरम्यानी सफ़र भी आप बड़ी आसानी से कर लेंगें।

११. एक बार उम्राह करने के बाद कुछ देर आराम करने के बाद अगर आप सफा और मरवा के सात चक्कर और लगा सकते हैं, तो आप मिना और अरफात के दरम्यान का सफर भी आराम से कर सकते है।

१२. लोग दिन में पाँच से सात बार तवाफ करतें है ये मक्का और मिना या अरफात की दूरी से भी ज्यादा चलना है मगर क्योंकि एक ही जगह पर चलना होता है इसलिए हिम्मत बंधी रहती है और मिना और मक्का या मिना और अरफात का सफर भी पैदल नहीं किया हुआ होता है इसलिए इस बारे में सोचकर हिम्मत टूट जाती है इसलिए अपने पहले उम्रह पर बारीकी से गौर कीजिए। अपनी कुव्वत का अन्दाजा लगाइये और अल्लाह की मदद पर भरोसा करके ज़्यादा से ज्यादा पैदल सफर करने की कोशिश कीजिए।

१३. पैदल चलने की बहुत फज़ीलत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजी) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फरमाया:

जो मक्का को पैदल हज को जाये यहाँ तक के मक्का से वापस आये यानी तमाम हज पैदल करे, तो उस के लिए हर कदम पर सात सौ नेकियां हरम शरीफ की नेकियों की मिस्ल लिखी जायेंगी। कहा गया है कि हरम शरीफ की नेकियों की क्या मिक्दार है? फरमाया हर नेकी लाख नेकी है।(इब्न ख़ज़ीमा व हाकिम) लिहाज़ा इस हिसाब से हर क़दम पर सात करोड़ नेकिया हुई। (वल्लाहु ज़ुल्फ़ज़्लिल अज़ीम)

मेरे ज़ाती मश्वरा आप को ये है कि आप नीचे दिए गए तरीके से सफर कीजीए।

४. मक्का से मिना का सफर:

१. मिना जाने से पहले मुअल्लिम से खेमा का नक़्शा ले लीजीए। मक्का में आप की रिहाईशगाह से मिना जाने के लिए बस का इंतेज़ार कीजिए और बस में ही सफर कीजीए क्योंकि मुअल्लिम ७ तारीख़ की रात से ही हाजियों को मिना पहुँचाना शुरू कर देते है और ८ तारीख़ को १२ बजे आप को मिना पहुँचना होता है इस लिए बस में अक्सर आराम से जगह मिल जाती है। दूसरी वजह ये भी है कि बस आप को आप के खेमा तक पहुँचा देगी। पहली बार खेमा ढुंडना भी एक बड़ा मसला है। अगर मुअल्लिम रात में हाजियों को मिना पहुँचाना नही शुरू करता तो सुबह में बहुत भीड़ और अफ़रा तफ़री होगी। ऐसे हालात में आप सुबह फज्र के बाद ही मिना पैदल चल दीजिए।

अगर आपके साथ औरतें और बुढ़े है जो चल नही सकते तो आप सब्र कीजीए और दूसरी या तिसरी बस कि ट्रिप से मिना पहुँचे। क्योंकि आठ तारीख को मिना पहुचकर आपको सिर्फ पाँच वक्त की नमाज़ पढना है। अगर आप दोपहर २ बजे भी मीना पहुँचते है तो भी पाँचों वक्त कि नमाज़ आसानी से पढ़ सकते है।

अगर आप चल सकते है और आप के पास मिना का नक्शा भी है ओर ख़ैमा तलाश कर लेने का हौसला भी है तो अल्लाह का नाम लेकर पैदल सफर शुरु कर दीजीए।

मिना के ख़ैमे में तकरीबन ७० लोंगों को रखा जाता है। लोग बड़ी मुश्किल से खेमे मे सो पाते है जो लोग मिना पहले पहुंचते है वो ज्यादा से ज्यादा जगहों को घेर लेते है। जिससे आखिर में आनेवाले को सामान रखने कि जगह भी नही मिल पाती। अगर ऐसा हो तो सब्र से काम लीजिए किसी कोने में सामान रखकर दिनदार लोगों को जमा कीजिए और औरतो के पर्दे के लिए खेमे के दरम्यान का पर्दा गिराकर औरता को खेमे के एक तरफ करने कि कोशिश कीजिए।

ऐसा करने से सब की घेरी हुई ज़ाएद जगह आज़ाद हो जाती है। फिर इंसाफ के साथ आपस के सुलह व मश्वरे से हर एक को इन के आसानी के मुताबिक़ जगह दीजिए। शरीयत के उसूलों पर चलने से न सिर्फ आख़िरत की ज़िन्दगी बल्कि दुन्यावी ज़िन्दगी भी आसान हो जाती है।

५. मिना से अरफ़ात का सफ़र:

९.तारीख़ को मिना में फज्र की नमाज़ पढ़कर अरफ़ात के लिए जाना, यह सुन्नत तरीक़ा है और अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, मगर जब तीस लाख लोग एक साथ ऐसा करें, तो क्या हाल होगा? आप इस का अंदाज़ा कर सकते हैं? सख़्त अफ़रा तफ़री का आलम होता है। बस और जीप में सब छत के ऊपर तक भरे होते हैं। मिना से अरफ़ात आप का मुअल्लिम की बस में जाना ज़्यादा बेहतर है इसकी चार वजूहात हैं:

१. मुअल्लिम आप को अपने अरफ़ात के ख़ेमे में ले जाकर ठहराऐगा, जहाँ आप सुकून से बैठ सकते हैं ज़रूरत हुई, तो लेटकर आराम कर सकते हैं। अपने ग्रुप में जमात बनाकर नमाज़ अदा कर सकते है, और सुकून से इबादत कर सकते हैं।

२. दोपहर का खाना मुअल्लिम की तरफ से होगा। इसलिए आप को अपने खाने की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए।

३. मुअल्लिम के ख़ेमों के आस पास ही नहाने और ज़रूरियात से फारिग़ होने का अच्छा इंतेज़ाम होता है। अरफात में गुस्ल सुन्नत है।

४. अरफ़ात से वापसी के वक़्त भी मुअल्लिम के ख़ेमे के पास ही से इस की बस रवाना होगी। इस लिए अगर आप के साथ ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते, तो आप को सवारी के लिए आसानी होगी।

अगर आप ने अरफ़ात की तरफ पैदल सफ़र किया और मस्जिद नमरा के क़रीब पहुंच गये, तो वहाँ इतनी शदीद भीड़ होती है, जैसे; नमाज़ के बाद मुताफ़ में तवाफ़ करते वक़्त होती है। इसलिए अगर आप का पैदल सफ़र का इरादा है, तो अरफ़ात से पहले दायें या बायें होकर अरफ़ात में दाख़िल हों सीधे रास्ते पर मस्जिद-ए-नमरा है।

मुअल्लिम की बस से सुकून से आपको अगर अरफ़ात जाना है, तो आधी रात को जब इस की पहली बस अरफ़ात के लिए रवाना होगी उस से आप अरफ़ात आ जायें और अरफ़ात पहुंच कर फज्र की नमाज़ अदा करें।

मिना में फज्र की नमाज़ पढ़कर निकलना सुन्नत है। मगर मुसलमानों को तकलीफ देना हराम है। अगर आप सुबह तक इंतेज़ार करते हैं और सुबह की बस से रवाना होना चाहेते हैं, तो उस वक़्त जब बस छत तक भर गयी होगी। आप का उस भीड़ में शामिल होना लोगों की परेशानी का सबब बन जायेंगे।

अरफ़ात के करीब पहुँचकर आप को लोगो का एक समंदर नज़र आएगा। मगर ख़बरदार रहिए! जहाँ लोग हैं, वहाँ अरफ़ात के मैदान का होना ज़रुरी नही हैं। अरफ़ात का मैदान एक महदूद जगह हैं जिसकी निशानदेही कर दी गयी है। वकूफ़अरफ़ा (अरफ़ात में वक्त बिताना) का फर्ज़ इसी जगह रहकर इबादत करने से अदा होगा। मस्जिद-ए-नमरा का कुछ हिस्सा और आसपास का बहुत सा इलाका अरफ़ात के हुदूद के बाहर है। जब आप अरफ़ात के मैदान में दाखिल होने लगे, तो अरफ़ात के हद का बोर्ड जरूर देख लें।

मुज्दल्फ़ा से अरफ़ात के तरफ कुल ११ सड़कें जाती है जिन में से २ सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए और ९ मोटर गाडियों के लिए हैं। पैदल चलनेवाली दो सडके मुज्दल्फ़ा में मस्जिद अलशअ़रुल हराम से निकलती हैं इस में सड़क नम्बर एक मस्जिद ए नमरा और सडक नम्बर दो जबल-ए-रहमत तक गयी हैं, इन सडकों पर तरीकुल मशाता रक्कम १ या २ लिखा हुआ होगा। पैदल चलने वाली सड़क नम्बर एक मोटर गाड़ियों के सड़क नम्बर ४ और ५ के दरम्यान है और पैदल चलने वाली सडक नम्बर २ मोटर गाड़ियों के सड़क नम्बर ७ और ८ के दरम्यान है।

मस्जिद-ए-नमरा अरफात में दाखिल होते ही हैं। इस का मुज्दलफ़ा की सिम्त का एक हिस्सा अरफ़ात के हुदूद के बाहर है। जब के जबले रहमत अरफ़ात मैदान के दरम्यान है, इन दोनों जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अगर आपके ग्रुप में ज्यादा लोग हो और औरते और कमजोर लोग हो तो इन दोनों जगहों से दूर ही रहें तो बेहतर है वरना एक दुसरे से बिछड़ जाने का खतरा रहता है।

६. अरफ़ात से मुज्दल्फ़ा का सफ़र:

हर साल तकरीबन ३५ से ४० लाख लोग हज करते हैं, मगर मक्का शरीफ से मिना और मिना से अरफ़ात का सफ़र लोग ३ से ४ घंटे के वक्फे में करते हैं, यानि किसी ने ३ घंटे पहले और किसी ने ३ घंटे बाद सफ़र शुरू किया। मगर अरफ़ात से मुज्दल्फ़ा का वापसी का सफ़र लोग एक साथ, एक ही वक्त में सुरज डूबते ही करते है इस लिए वह गाडियाँ जो अरफ़ात के आखरी सिरे पर, यानि मस्जिद-ए-नमरा से दूर होती हैं वह एक ही जगह पर ३ से ४ घंटे खड़ी रह जाती हैं और मुज्दल्फ़ा रात के ३ या ४ बजे पहुँचती हैं। जिस से मग़रिब और इशा की नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं। मुज्दल्फ़ा की रात बहुत अहम है। अल्लाह तआला ने कुरआन शरीफ़ में शबे क़द्र की सिर्फ फ़ज़ीलत बयान की है कि ये एक रात हज़ार रातों से ज़्यादा अफ़ज़ल है। मगर अल्लाह तआला ने मुज्दल्फ़ा की रात में अल्लाह तआला को याद करने का हुक्म कुरआन शरीफ़ में इन अल्फ़ाज़ में दिया है।

"जब अरफ़ात से वापस होने लगो तो मश्अरे हराम (यानी मुज्दल्फ़ा) में अल्लाह का ज़िक्र करो और इस तरह करो जिस तरह उस ने तुम को सिखाया और इस से पहले तुम लोग (इन तरीक़ों से महज़) ना वाक़िफ़ थे।"

(सूरह बकरा-198)

अगर मुज़्दल्फ़ा आप वक्त पर पहुँच कर इबादत करना चाहते हैं तो पैदल चलने के सिवाय कोई चारा नहीं है। अरफ़ात से मुज़्दल्फ़ा तक़रीबन ६ किलो मीटर है। अरफ़ात से मुज़्दल्फ़ा के सफ़र में २० लाख लोग आप के साथ पैदल सफ़र कर रहे होंगे, इन सब के साथ आप को चलना बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप ठहर ठहर कर आराम से चलें तब भी २ से ३ घंटे में मुज़्दल्फ़ा पहुँच जाएंगे और अगर थक गऐ हों, औरतें और बूढ़े साथ हों, तो फिर प्रायवेट टैक्सी से सफ़र कीजिए क्योंकि बस तो अस्र की नमाज़ ख़त्म होते ही छत के ऊपर तक भर जाती है और असल अरफ़ात में दुआ का वक़्त अस्र से मग़रिब का है। इस दौरान आप ख़ूब दिल लगा कर इबादत कीजिए और आराम से मग़रिब के वक़्त चलिये।

मुज़्दल्फ़ा और मिना की सरहदें मिली हुई हैं, और अब तो मिना के ख़ेमे जगह की कमी होने की वजह से मुज़्दल्फ़ा के अन्दर तक लगाए जाते हैं इस लिए ये सफ़र पैदल ही किजिए और इतने नज़्दीकी के लिऐ शायद आप को सवारी भी न मिलेगी।

७. मिना से मक्का मुकर्रमा का सफ़रः

जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि मक्का शरीफ़ से मिना की दूरी सिर्फ़ साढे चार से पाँच कि.मी. है। इतनी दूरी तो आप एक उम्राह में तय कर लेते है। मक्का से मिना और मिना से मक्का सफ़र आप पैदल ही तय कीजिए। अगर आप पैदल चलते हैं तो यह सफ़र आप ३० मिनट के वक्फ़े में कर लेंगे। सवारी से दो से तीन घंटे भी लग सकते हैं। सवारी के मुश्किलात से वाक़िफ़ सऊदी हुकूमत ने इस मुख़्तसर सफ़र के लिए बेहतरीन सड़कें और सुरंग बनाए हैं। रास्ते में साया भी किया है और पानी का इंतेज़ाम भी है। अगर आपका बैग पहनने वाला है और आप को कंधों पर उठाकर नहीं चलना है, तो सफ़र और भी आसान हो जाएगा। मिना से मक्का के लिए वापसी के पैदल सफ़र की एक और वजह यह भी है कि आप को १२ तारीख़ के मग़रिब से पहले मिना से निकल जाना है अपने ख़ेमे से, अगर आप वक़्त पर पैदल रवाना हुऐ तो यक़ीन के साथ मिना से मग़रिब के पहले निकल जाऐंगे। बस के सफ़र में अगर ट्राफ़िक जाम हो तो कभी कभी बस या टैक्सी एक से दो घंटे जगह पर ही खड़ी रह जाती है इस लिए अगर आप सही वक़्त पर भी अपने ख़ेमे से निकलें मगर सवारी में बैठे बैठे सूरज ग़ुरूब होने तक आप अगर मिना में रह जाते हैं तो आप का मिना में रहना अफ़ज़ल होगा।

८. हरम के टेक्सी ड्राइवरः-

हरम के टेक्सी ड्राइवरों से अपने क़यामे हरम में हिफ़ाज़त कीजिए और टेक्सी ड्राइवरों पर कभी भी भरोसा मत कीजिए। इन में से अक्सर ग़ैर मुल्कि और मुज्रिमाना ज़हनियत के हैं। उन के ज़रिए धोका देने और लूटने की अक्सर वारदातें होती हैं।

९. सफ़र से मुतअ़लिक़ कुछ ज़रूरी मालूमातः

मक्का से मदीना, मदीना से मक्का या जिद्दा वग़ैरह के सफ़र के बारे में जानकारी के लिए अपनी इमारतों में चिस्पा नोटिस को पढ़ें या अपने अपने मुअ़लिम के दफ़्तर से रूजुअ़ करें या अपने हिंदुस्तानी हज मिशन ब्रांच के आफिस से राब्ता क़ायम करें।

मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के तारीख़ी मुक़ामात की ज़ियारत के लिए कई दलाल आप की इमारत या कमरे में आयेंगे। ये हर शख़्स से उन मुक़ामात की ज़ियारत के लिए १५ से २० रियाल या इससे भी ज़्यादा रूपये वसूल करेंगे। ये उनका मुनाफ़ा बख़्श कारोबार है।

अगर आप और कुछ हाजी मिल कर कोन्टर एक्ट वालों से राब्ता क़ायम करें, तो बसें इतने सस्ते में मिल जाती हैं के फी कस हर शख़्स को सिर्फ़ ५ से १० रियाल ही अदा करने पड़ेंगे।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

ख़सारे का सौदा

मक्का और मदीना मुनव्वरा में हरम शरीफ़ की मस्जिदों का माहौल इतना पुर नूर और पुर सकून है कि लोग घंटों यूँ ही सेहन और बाहर की खुली जगहों पर बैठे रहते हैं। नमाज़ का इन्तेज़ार करते हैं। और अज़ान होने पर वहीं मुसल्ला बिछा कर नमाज़ पढ़ने लगते हैं।

जितनी देर मस्जिद में बैठ कर नमाज़ का इन्तेज़ार किया जाए वह इन्तेज़ार का वक़्त भी नमाज़ में शुमार होता है और उस का भी सवाब मिलता है। मगर हाजी हज़रात दो वजहों से ये बेहतरीन सवाब कमाने का मौक़ा खो देते हैं। बल्कि कभी कभी तो गुनाहगार भी होते हैं।

पहली वजह तो यह है कि अक्सर हाजी हज़रात इन वक़्तों मे आपस में दुनियादारी की बातें किया करते हैं। जिस से सवाब नहीं मिलता बल्कि नमाज़ पढ़ने की जगहों पर दुनियादारी की बात करने वालों पर फ़रिश्ते लानत भेजते है और दुसरी वह है कि जब भी जमाअत शुरू हो तो पहले अगली सफ़ों को भरना चाहिये। अगर अगली सफ़ ख़ाली है तो बग़ैर अगली सफ़ों को भरे पीछे दुसरी सफ़ बनाने से नमाज़ नहीं होती।

इन बा-बरकत मस्जिदें जहाँ सवाब लाखों और करोड़ों में कमाया जा सकता है। अपने नफ़्स के ज़रा सी ख़ुशी के लिए हम ऐसे सुनहरे मौक़े बर्बाद कर देते हैं।

इस लिए जब भी हरम में बैठें तो दुनियादारी की बातों से परहेज़ करें। और जमात शुरू होते ही पहले अगली सफ़ों को पुरा कर लें।

बाहरी सेहन बहुत पुरकशिश है और वहाँ बैठना भी आसान है इस लिए जमात शुरू होते ही बाहरी सेहन तो खचा खच भर जाता है। मगर पहला मंज़िला, छत और तहख़ाना ख़ाली रहता है। नमाज़ शुरू होने के बाद अगर कोई अंदर जाना भी चाहे, तो नहीं जा पाता या बहुत तकलीफ़ से जा पाता है।

इस तरह जाने वाले नमाज़ियों को रोकने का वबाल भी बाहर नमाज़ पढ़ने वालों पर होगा। इस लिए भले ही आप सेहन में बैठ कर नमाज़ का इन्तेज़ार करें मगर नमाज़ शुरू होने के पहले अंदर चले जाएँ और अंदर की जगहें पुर करें। अंदर हरम शरीफ़ की मस्जिद पुरी तरह भर जाने के बाद ही बाहर नमाज़ पढ़ें।

अल्लाह तआला आप की इबादत को क़बूल फ़रमाए और हज-ए-मबरूर अता फ़रमाए। आमीन

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

उम्र भर का कफ्फारा

हज़रत अबू हुरैराह (रज़ी.) से रिवायत है के रसूल अल्लाह (स.) से सुना है के जिस ने हज किया और कोई बेहयाई का काम नहीं किया और फिस्क व फ़ुजूर से बचा रहा तो वह गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा; जैसे आज पैदा हुआ है। (बुखारी, मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैराह (रज़ी.) से रिवायत है कि रसूल अल्लाह (स.) ने फ़रमायाः एक उम्रह से दूसरे उम्रह तक बीच के तमाम गुनाहों का कुफ़्फ़ारा है और हज्जे मबरूर की जज़ा जन्नत है। (बुखारी, मुस्लिम)

औरतों का जिहाद, हज है।

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह (स.) हम जिहाद को अफ़ज़ल समझते हैं, तो क्या हम जिहाद ना किया करें? आप (स.) ने फ़रमाया, तुम्हारे लिए अफ़ज़ल जिहाद हज्जे मबरूर है। (बुख़ारी)

सफरे हज में नमाज़ का बयान

पर्दे के साथ रहा और सब से अहम और मुश्किल काम जो आप को करना है, वह है खेमा में बा-जमाअत नमाज़ का इंतेज़ाम। मिना में मस्जिद-ए-खैफ है। अगर खेमा मस्जिद से दूर हो तो वहाँ तक पाँचों वक़्त पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। इस लिए खेमा में बा-जमाअत नमाज़ का एहतेमाम करें।

२) मिना के क़याम में इबादत के लिए अल्लाह तआला ने खास ताकीद फरमाई है। अल्लाह तआला फरमाते हैं:

- जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो (मिना में) खुदा को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, उस से भी ज़्यादा। (सूरह बकरा आयत:२००)
- और (मिना के क़याम) के दिनों में (जो) गिन्ती के (चंद दिन हैं) खुदा को याद करो। अगर कोई जल्दी करे (और) दो ही दिन में (चल दे) तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। और जो बाद तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं। (सूरह बकरा)। इस लिए मिना में बहुत ज़्यादा इबादत करना चाहिए। मगर आम तौर पर लोग वहाँ सैर व तफ़रीह, बहस मुबाहिसे और फुज़ूल बातों में वक्त गंवाते रहते है।

३) मिना में तीन वजूहात की बिना पर एक जमाअत बना कर नमाज़ पढ़ना मुश्किल होता है।

(क) नमाज़ के वक्त पर लोगों की ना इत्तेफाकी।

(ख) मस्लक का मसला।

(ग) कसर नमाज़ का मसला।

हुज़ूर (स.) का इरशाद है, कि जो मेरी एक सुन्नत ज़िंदा करेगा उसे १०० शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा।

जमाअत बना कर नमाज़ पढ़ना हुज़ूर (स.) की सुन्नत है। इस लिए कोशिश कर के जमाअत से नमाज़ पढ़ें। और ऊपर बयान किए गए तीनों वजूहात को आड़े आने ना दें।

४) मिना के खेमे में पहुँचते ही पहले परदे का एहतेमाम करें। फिर तमाम लोगों को एक जगह जमा करके नमाज़ बा-जमाअत की कोशिश करें। और ऐसे शख्स को इमाम बनाऐं जिस के पीछे दूसरे मस्लक वालों को नमाज़ पढ़ने में कराहियत ना हो।(जिन हज़रात को कराहियत हो तो बाद में वह खामूशी से अपनी नमाज़ दोहरा लें, मगर हुज़ूर (स.) की जमाअत से नमाज़ पढ़ने की सुन्नत को ना छोड़ें।

५) चूंकि अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तआला को मिना में ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। इस लिए शरीअत के दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की कोशिश करनी चाहिए। मुसाफिर की नमाज़ मुकामी इमाम के पीछे हो जाती है इस लिए कोशिश करके ऐसे शख्स को इमाम बनाया जाए जो कि मुकामी हो। इस से वह हाजी जो मुकामी है और जिन पर 'कसर' लाज़िम नहीं है उन्हें चारों रकअत इमाम के साथ नमाज़ पढ़ने का मौका मिलेगा और मुसाफिर हज़रात [illegible] ज़्यादा दो रकअत नमाज़ पढ़ेंगे तो उस का उन्हें भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। (अगर सब मुसाफिर है तो इमाम का मुसाफिर में से इंतिखाब करना और सब का कसर पढ़ना ज़्यादा अफ़ज़ल है।)

६) नमाज़ के इलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा नफ़िल पढ़ने की कोशिश करें या कम अज़ कम नमाज़ पढ़ने की जगह पर ही १५ मिनट से आधा घंटा बैठ कर तस्बीह पढ़ते रहें। इस से दूसरों को भी इबादत करने का शौक होगा। अगर आप अपनी नमाज़ मुख्तसर करके फौरन जगह से उठ जाऐंगे तो चूंकि नमाज़ आराम करने की जगह पर ही होती है। इस लिए इस खौफ से कि दूसरों को तकलीफ होगी हर कोई मुख्तसर करके जगह खाली करने की कोशिश करेगा। इस लिए शरीअत जहाँ तक इजाज़त दे पूरी नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें और नफ़िल नमाज़ और तस्बीहात का भी खूब एहतेमाम करें।

७) दो मोअज़्ज़िन और दो इमाम मुकर्रर कर लें। ताके अगर एक किसी वजह से ग़ैर-हाज़िर हो तो दूसरा ज़रूर अज़ान दे सके और नमाज़ पढ़ा सके। नमाज़ का वक़्त भी काग़ज़ पर लिखकर खेमे में लटका दें ताकी सब को हमेशा याद रहे।

अल्लाह तआला मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करे। ईमाने कामिल अता फरमाए और दुनिया व आखिरत दोनों जगह कामयाब फरमाऐ, आमीन।

कसर नमाज़ का बयान:-

- अगर कोई अपने शहर से ७८ कि. मि. दूरी के सफर का इरादा करता है तो उस शख्स का अपने शहर को छोड़ते ही मुसाफिर में शुमार होगा।
- अगर वह शख्स मंज़िल पर पहुँच कर १५ दिन से कम रहने का इरादा रखता है तो उस शख्स का दूसरे शहर में भी मुसाफिर ही में शुमार होगा। और १५ दिन से ज़्यादा रहने का इरादा हो तो फिर वह शख्स सिर्फ रास्ते के सफर में ही मुसाफिर होगा और मंज़िल पहुँच कर मुकामी हो जाएगा।
- मुसाफिर के लिए ४ रकअत वाली फर्ज़ नमाज़ २ रकअत होगी। जिन्हें 'कसर' कहते हैं।
- मुसाफिर अगर सुन्नत और नफिल ना पढ़े तो कोई गुनाह ना होगा। अगर पढ़ लें तो उसे सुन्नत और नफिल के मुताबिक ही सवाब मिलेगा। (सवाब कम न होगा।)
- मुसाफिर के लिए फर्ज़ नमाज़ के इलावा फज्र की २ सुन्नत और इशा की ३ वित्र पढ़ना लाज़िम है।
- मुसाफिर अगर मुकामी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता है तो उस की नमाज़ बिला कराहियत दुरूस्त होगी। और उसे इमाम के साथ पूरी नमाज़ पढ़नी होगी।
- मुकामी हज़रात अगर मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तो उन की भी नमाज़ हो जाएगी। मगर जब इमाम कसर की २ रकअत नमाज़ पढ़ कर सलाम फेरे तो मुकामी हज़रात बग़ैर सलाम फेरे उठ कर बाकी २ रकअत पूरी कर लें।
- मुसाफिरत के अय्याम में जब मुसाफिर तन्हा नमाज़ पढ़े तो हनफी मस्लक के मुताबिक उसे कसर नमाज़ पढ़ना लाज़िम है। जब कि दूसरे मस्लकों के मुताबिक सिर्फ जायज़ है, लाज़िम नहीं।
- सऊदी उलमा का मस्लक हंबली है, इस लिए सऊदी में सारी नमाज़े हनफी मस्लक के नमाज़ के वक्त से बहुत पहले पढ़ी जाती है। किसी भी मस्जिद में हंबली मस्लक के वक्त के मुताबिक अगर आप जमाअत से नमाज़ पढ़ते है तो आप की नमाज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ते है या मिना में सारे हाजी हनफी मस्लक से है और अपनी अलग जमाअत बना कर नमाज़ पढ़ते है तो उन्हें हनफी मस्लक के मुताबिक जो नमाज़ का वक्त है उस वक्त पर नमाज़ पढ़ना चाहिए।

मिना में क्या आप मुसाफिर हैं?

- ७८ किलोमिटर दूरी के सफर के बाद अगर आप नहीं जगह में १५ दिन से ज़्यादा रोज़ रहने का इरादा करते है, तो आप वहाँ मुकामी होंगें मगर नए जगह पर भी अगर आप का दो मुस्तकिल जुदा-जुदा जगह पर ठहरने का इरादा है और हर एक जगह पर भी आप कयाम का इरादा १५ रोज़ से कम होगा तो आप मुसाफिर में ही शुमार होगें।
- पहले ज़माने में मक्का मुकर्रमा एक शहर था और मिना दो पहाड़ीयों के दरम्यान एक वादी थी। दोनो जुदा-जुदा थे। मिना में आबादी न थी। या मक्का मुकर्रमा से मुसलसल आबादी का सिलसिला मिना न था। इसलीए दो अलग-अलग शुमार किए जाते थे और अगर किसी हुज्जाज कि रिहाईश मक्का मुकर्रमा में हज से पहले १५ दिन से कम होती तो वह मक्का मुकर्रमा और मिना मुज्दल्फा और अरफात में मुसाफिर ही शुमार होता था और उसे कसर पढ़ना लाज़मी होता था।
- मगर अब मिना और मुज्दलफा का इलाका मक्का शहर में शामिल कर लिया गया है और आप खुद ही देखेंगे कि मक्का मुकर्रमा से मुसलसल ११ आबादी का सिलसिला फैला हुआ है और मिना के मुतवाज़ी पहाड़ पर रिहाईशी इमारतों की एक कतार सी है।
- सन २००६ इसवी में यह भी खबर मिली है कि अरफात भी मक्का मुकर्रमा शहर में शामिल कर लिया गया है, और वैसे भी हाजी अरफात में रात नहीं गुज़ारते हैं सिर्फ अरफात जाकर शाम तक वापस आते हैं।
- इसलिए अब वह हज़रात जिनका कुल कयाम १५ दिन से कम होगा सिर्फ वही मुसाफिर शुमार किए जाएंगे। वरना सब मुकामी होगें। कुल कयाम यानी हज के अय्याम से पहले मक्का मुकर्रमा के कयाम के दिन, हज के पाँच दिन और हज के बाद मक्का मुकर्रमा में कयाम के दिन इन सब दिनों की जमा या सब दिन मिलाकर १५ दिन से कम होंगे तो हाजी मुसाफिर हैं वरना मुकामी।

वकूफे अरफात और नमाज़:-

- मिना और मुज्दलफा यह दोनों मुक्कदस मुकामात मक्का मुकर्रमा शहर में शामिल होने के बाद अब अक्सर हाजी मुकामी ही होते है और उन्हें नमाज़ पूरी ही पढ़नी होती है।
- अरफात में शानदार और कुशादा मस्जिद, मस्जिदे नमरा है। यहाँ ज़ोहर के वक़्त ही ज़ोहर और अस्र दोनों नमाज़ें एक साथ कसर कि तरह (दो-दो रकात करके) पढ़ी जाती है। अगर आप मुकामी हैं तो मस्जिदे नमरा में कसर नमाज़ किस तरह पढ़ें, यह अपने उल्मा से दरयाफ्त कर लें।
- मालिकी और हम्बली मसलक के मुताबिक, मुकामी और मुसाफिर सबके लिए अरफात में कसर पढ़ना जायज़ हैं। जब कि हनफी के नज़दिक मुकामी शख़्स अरफात में कसर नमाज़ नहीं पढ सकता, उसे पूरी नमाज़ ही पढ़नी होगी। हनफी मसलक के मुताबिक मुकामी इमाम कसर नमाज़ पढ़ा ही नहीं सकता। और मस्जिदे नमरा का इमाम मुकामी होता है और कसर पढ़ाता है। मगर यह मालिकी और हम्बली के नज़्दीक जायज़ है।
- जिन लोगों ने बार बार हज किया है उनके तर्जुबे के मुताबिक, उनकी राय है कि अगर आप ग्रुप में है और आप के ग्रुप में औरते और बुढ़े हैं तो भूल कर भी मस्जिदे नमरा मत जाईये। क्योंकि वहाँ इतनी शदीद भीड़ होती हैं कि नमाज़ तो दरकिनार सीधा खड़े होने या बैठने के लिए भी जगह मिलना मुश्किल होता है। और एक दुसरे से बिछड़ जाना तो यकिनी है।
- इसलिए मिना में ९ ज़िल्हिज्जा कि रात या सुबह जब मुअल्लिम अपने बस से आप को अरफात में अपने खेमे पर ले जाता है तो आप उसके साथ चले जाएं। खैमें पर दोपहर का खाना मुअल्लिम कि तरफ से होगा। खैमें पर पूरे दिन इत्मिनान से इबादत कीजिए। नमाज़ के वक़्त नमाज़ पढ़ें और बकिया वक्त तस्बिहात में मश्गुल रहें।
- हनफी मसलक के मुताबिक अगर आप मस्जिदे नमरा से दूर अपने खैमें में नमाज़ पढ़ते हैं तो ज़ोहर के वक्त ज़ोहर नमाज़ पढ़ें और अस्र के वक्त अस्र पढ़ें दोनों का साथ मिलाकर न पढ़ें और अगर आप मुकामी हैं तो पूरी नमाज़ पढ़ें, कसर न पढ़ें।
- अरफात में भी अपने खैमे के लोगों के साथ जमात बनाकर नमाज़ पढ़े। नमाज़ के पहले अज़ान का और जमात के पहले तकबीर का एहतेमाम करें।
- हरम शरीफ कि नमाज़ और अरफात के दिन मस्जिदे नमरा की नमाज़ रेडीओ और टिव्ही पर नश्र होती हैं। मगर आप इन की आवाज़ पर अपने खैमें में जमात का तसव्वुर करके नमाज़ नहीं पढ़ सकते। जमात के लिए जरूरी है कि सब बन्दी हो। इक्तादा के लिए जरूरी है कि इमाम और मुक्तदी के दरम्यान कोई इतना बड़ा मैदान या खाली जगह न हो जिसमें वह सफें कायम हो सकती हैं। या इतनी बड़ी सड़क न हों कि बैल गाड़ी गुज़र सके। दरम्यान में कोई खैमा या मकान वगैरा हाइल न हों इसलिए अगर मस्जिदे नमरा कि आवाज़ आप लाउड स्पीकर पर सुन रहें हो मगर दरम्यान में फासला हो तो इस आवाज़ पर नमाज़ न पढ़ें।

मुज्दल्फा में नमाज़:-

- अरफात में सूरज डुबने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ें बगैर आप मुज्दल्फा कुच करना है, और मुज्दलफा पहुँचकर मगरिब और इशा दोनों नमाज़ों को जमा करके एक साथ पढ़ना चाहिए।
- अगर आप इशा की नमाज़ से पहले ही मुज्दल्फा पहुँच गए तो भी आप मगरिब की नमाज़ न पढ़ें बल्कि इशा तक इंतज़ार करें। फिर इशा का वक्त होने पर एक अज़ान और दो तकबीर से पहले मगरिब की फर्ज़ पढ़ें। फिर इशा की फर्ज़ पढ़ें फिर इसके बाद दोनों नमाज़ों की सुन्नत, नफ्लि और वित्र पढ़ें।
- मुज्दल्फा में सुबह सादिक तक यह नमाज़ कज़ा में शुमार न होंगें। इसलिए जब भी मुज्दल्फा पहुँचे अगर मुमकिन हो तो जमात बनाकर नमाज़ पढ़ें और अगर जमात बनाना मुम्किन न हो तो अकेले ही नमाज़ पढ़ लें।
- फज्र की नमाज़ का वक्त होते ही मुज्दल्फा में तोप का गोला दागा जाता हैं ताकि हाजी नमाज़ का सही वक्त मालूम कर लें।
- अगर आप ग्रुप में हैं तो मुज्दल्फा में भी सुबह सादिक के बाद फज्र की अज़ान दें। फिर जमात बनाकर नमाज़ अदा करें और वज़ाईफ व तस्बीहात में मश्गुल रहें, और सुरज निकलने से पाँच मिनट पहले मिना की तरफ कुच करें।

नमाज़ी के सामने से गुज़रना कब जायज़ हैं?

- नबी करीम(स.) का इर्शाद है कि अगर कोई नमाज़ी के सामने से गुज़रने का अज़ाब जान जाये तो ४० साल खड़ा रहकर इंतज़ार करेगा। मगर सामने से न गुज़रेगा। (बुखारी-अबुदाऊद)
- कोई तवाफ करने वाला अगर नमाज़ी के सामने से तवाफ करते हुए गुज़रें तो ऐसी हालत में न तवाफ करने वालें पर गुनाह हैं न नमाज़ी पर।
- हन्फी मसलक के मुताबिक किसी दुसरें शख़्स को नमाज़ी के सामने से गुज़रने के बारे में दो कौल हैं। एक कौल में नमाज़ी के मकामें सजदे के आगे से गुज़र सकते हैं। और दुसरें कौल में नमाज़ी से दो सफ आगे से गुज़र सकते हैं। दो सफ के मानी हैं एक नमाज़ी की सफ और एक उससे आगे की सफ। बड़ी मस्जिदों के लिए यही हुक्म है।

(बाकी पेज 24 पर)

मस्लक का मसला

- रिवायात में है कि बनी इस्राईल में एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने अल्लाह तआला से दुआ कि के या अल्लाह! तु मुझे दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद कर दे, ताकि मैं शब व रोज़ तेरी इबादत किया करूँ। अल्लाह तआला ने उनकी सुन ली। उन को एक जज़ीरा पर पहुँचा दिया। जज़ीरा पर एक अनार का पेड़ उगा दिया और एक चश्मा जारी कर दिया। वह बुज़ुर्ग रोज़ एक अनार खाते, चश्मा का पानी पीते और शब व रोज़ खुदा की इबादत में मशगूल रहते।

अपनी पाँच सौ साल की उम्र मे वह बग़ैर गुनाह किये मुसल्सल इबादत करते रहे। उन की वफ़ात के बाद जब फ़रिश्तों ने उन्हें खुदा के हुज़ुर पेश किया तो अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि जा मैंने तुझे अपने फ़ज़्ल से बख़्श दिया।

बुज़ुर्ग को बड़ा अजीब सा लगा और उन के दिल में एक गुमान सा गुज़रा कि मेरी बख़्शिश के लिए तो मेरी पाँच सौ साल की इबादत सबब है। अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़्ल से मुझे कैसे बख़्शा?

अल्लाह तआला तो दिलों की बात भी जानता है। उस ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि उन्हे जन्नत में ले जाओ, मगर पैदल।

जन्नत का रास्ता जहन्नम के ऊपर से हो कर गुज़रता है। पुले सिरात जो कि जहन्नम के ऊपर है उस पर से हर एक को पार होना है। अल्लाह के नेक बंदे इस पुल से बिजली की तेज़ी से गुज़र जाऐंगे, मगर जो नेक नहीं उन्हें मुश्किल होगी।

जब फ़रिश्ते बनी इस्राईल के बुज़ुर्ग को पैदल जन्नत के तरफ़ ले कर चले तो जैसे जैसे जहन्नम नज़दीक आती गई गर्मी की शिद्दत बढ़ती गई। बुज़ुर्ग को प्यास लगी और गला सूखने लगा। जब और क़रीब पहुँचे तो प्यास की शिद्दत इस क़दर बढ़ी कि बर्दाश्त से बाहर हो गई। इस वक़्त एक हाथ नमूदार हुआ। उस हाथ में एक का ग्लास पानी था। उस ने बुज़ुर्ग से कहा यह पानी ख़रीदना चाहते हो, तो ख़रीद लो। बज़ुर्ग की प्यास से जान जा रही थी। पूंछा कितने में दोगे? आवाज़ आई, पाँच सौ साल की इबादत के बदले। बज़ुर्ग के पास पाँच सौ साल की इबादत तो थी ही, फ़ौरन इबादत दे कर पानी ख़रीद लिया और पी लिया।

जब फ़रिश्तों ने बुज़ुर्ग की नेकियों के ज़ख़ीरे को ख़ाली पाया तो जन्नत का सफ़र रोक दिया और वापस ख़ुदा के हुज़ुर में पेश किया।

अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि मैंने तुम्हें ज़िन्दगी के हर फ़िक्र से आज़ाद किये रखा और पाँच सौ साल तक शब-व-रोज़ खाना खिलाता रहा, पानी पिलाता रहा और सारी ज़रूरतें पूरी की। तुम ने पानी के एक गिलास की क़िमत पाँच सौ साल की इबादत तय की है। अब मैंने जो पाँच सौ साल तक तुम पर एहसानात किये और अपनी नेमतें अता की, उस का तुम ने कैसे शुक्र अदा किया, उस का हिसाब दो।

बनी इस्राईल के बुज़ुर्ग सिजदे में गिर गऐ। तौबा किया और फ़रमाया:

"ऐ अल्लाह, बेशक तु जिसे अपने फ़ज़्ल से बख़्श देगा सिर्फ़ वही जन्नत में जाऐगा।"

- हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर (रज़ी.) का बयान है कि नबी करीम (स.) ने फ़रमाया जो शख्स सुब्हान अल्लाह कहेगा तो उसके नामें अमाल में एक लाख नेकिया लिखी जाएगी। तो किसी ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसुल! (स.) उसके बाद हम लोग किस तरह जहन्नम में जाऐंगें? आप (स.) ने फ़रमाया "क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, आदमी क़यामत के दिन इतने आमाल लेकर आयेगा कि अगर वह किसी पहाड़ पर रख दिए जाए तो पहाड़ भी न उठा सकें लेकिन उसका जब मुक़ाबला होगा अल्लाह की किसी नेअ़मत से तो यह नेअ़मत इसके सारे आमाल पर भारी होगी।" (इसलिए नेक आमाल पर किसी को ग़ुरूर नहीं होना चाहीए। अल्लाह तआला की रहमत और उसके फ़ज़्ल व ऐहसान ही के नतीजें में जन्नत मिल सकेगी।) (तिबरानी)

- हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ी.) का क़ौल है कि अगर अल्लाह तआला मुझे जहन्नम की सज़ा देगा तो ये उस का अद्ल (इंसाफ) होगा और अगर मुझे जन्नत अता करेगा तो ये उस का फ़ज़्ल होगा।

- नबी-ए-करीम (स.) फ़र्माते हैं:

لن ينجي احد كم عمله
ولاانت يارسو الله
لاالا ان يتغمد نى الله برحمة

तर्जुमा : तुम में किसी को किसी का अमल निजात नहीं दिलाऐगा बल्कि अल्लाह का फ़ज़्ल निजात दिलाऐगा।

हज़रत आईशा (रज़ी.) ने सवाल किया : या रसुल अल्लाह (स.) के आपका अमल भी आप को नजात नहीं दिलाएगा?

नबी अकरम (स.) ने फ़रमाया मुझे भी मेरा अमल निजात नहीं दिलाएगा। जबतक अल्लाह ही का फ़ज़ल दस्तगीरी न करें और मुझे अपनी रहमत में न ढ़ाप लें। मेरा अमल भी निजात दिलाने वाला नहीं है। फ़ज़ल खुदा वन्दा ही निजात दिलाने वाला है। (मिश्कात)

- नमाज़ के लिऐ पाकी शर्त है। अगर मामुली सी भी गंदगी कपड़ो में या जिस्म में लगी हो तो नमाज़ नहीं होती। आप हालते जनाबत में हो, गंदगी आप के जिस्म और कपड़ों पर लगी हो और पानी मुयस्सर न हो तो अल्लाह तआला फ़रमाता है कि तैयमुम कर के नमाज़ पढ़ लो। (अन्निसा : ४३)

तैयमुम में मिट्टी पर हाथ मार कर चेहरे और हाथ का मसह करना होता है। क्या सिर्फ़ मिट्टी से मसह करने से गंदगी दूर हो जाती है? नहीं ये सिर्फ़ एक फ़ार्मलीटी (अमल) है। असल में अल्लाह तआला आप की नीयत, आप का ख़ुलूस, और आप की कोशिश देखते हैं और इसी के बिना पर ऐसी इबादत जो कि क़बूल करने लायक़ भी नहीं क़बूल कर लेते हैं।

अल्लाह तआला सारी कायनात के ख़ालिक़ व मालिक हैं। उन्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं और न किसी को अपने किये का हिसाब देना है। वह जैसा चाहें वैसा करें।

- वह आलिम जो सारी दुनिया पर ऊंगली उठाते हैं और अपना मस्लक छोड़ कर बाक़ी हर एक मस्लक को ग़लत बताते हैं। जाइऐ उन से ज़रा कहिये कि "हज़रत, आप अच्छी तरह पाक हो जाइये, खाना काबा में जाइऐ और पूरी तवज्जह और ख़ुलूस के साथ नमाज़ पढ़िये और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद गारंटी दीजिये के अल्लाह तआला आप की उस नमाज़ और इबादत को ज़रूर क़बूल करेंगे। दुनिया का कोई इंसान ख़ुद अपनी इबादत की गारंटी नहीं दे सकता वह दुसरों की इबादत की गारंटी कैसे दे सकता है! कि अल्लाह तआला उस की इबादत नहीं क़बूल करेंगे?"

- ख़िलाफ़ते अब्बासिया में शिया-सुन्नी के इख़्तेलाफ़ का ज़ोर इस क़दर था कि इसी में ख़िलाफ़त का ख़ात्मा हो गया। मगर वहाँ के भीख मंगे फ़क़ीरों का धंदा बहुत ज़ोरों पर था और इन की कमाई उरूज पर थी। फ़क़ीरों का एक गिरोह दरिया-ए-दजला के पुल के एक किनारे पर होता और उन का दुसरा गिरोह दुसरे किनारे पर होता। ये पुल बीच शहर में वाक़े था।

एक गिरोह हज़रत अली (रज़ी.) और अहले बैत के मुनाक़िब गाता था। दुसरा

गिरोह हज़रत अबुबक्र (रज़ी.), हज़रत उमर (रज़ी) के फ़ज़ाइल में नग़मा सरा होता था और शिया सुन्नी गुज़रने वाले दोनों गिरोहों को खूब-खूब नवाज़ते थे और नक़्दी से उन की हिम्मत अफ़ज़ाई करते। इसी तरह फ़कीरों के दोनों गिरोह सुबह से शाम तक बड़ी बड़ी रक़म जमा कर लेते और रात को यकजा होकर आपस में बाँट लेते थे।

- क़यामत के दिन सबसे पहले आलिम अल्लाह तआला के सामने पेश होंगे। अल्लाह तआला फ़र्माएगा कि ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे दिन का इल्म दिया था बता तुने मेरे एहसान का कैसे शुक्रिया अदा किया?

  आलिम कहेगा कि ऐ अल्लाह मैंने तेरे दिए हुए इल्म को दीन रात तेरे बंदो तक पहुँचाया है।

  अल्लाह तआला कहेगा, तू झूट कहता है। फ़रिश्ते भी इसके झूटे होने की गवाही देंगे। अल्लाह तआला फ़रमाऐगा तू इसलिए तक़रीरें करता था कि लोग तेरी तारीफ़ करें और यक़ीनन दुनिया में तेरी तारीफ़ हो चुकी और तुझे तेरे काम का बदला मिल चुका।

  फिर उस आलिम को घसीटकर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इस हदीस में आगे शौहदा और अमीर के लिए इसी तरह के फ़ैसलों का बयान है।

  तो क़यामत के दिन वह लोग जो सबसे पहले जहन्नुम में जाऐंगें वह आलिम ही होंगे।

- मुसलमानों के बाहमी इख़्तेलाफ़ात से फ़ायदा उठाने वाले बग़दाद के भीख माँगने वाले ही नहीं थे बल्कि आज भी इन की तरकीब से फ़ायदा उठाने वाले बरेलवी, देवबंदी, अहीले हदीस, शिया, सुन्नी और मुसलमानों के बीच में मौजूद है।

- नबी करीम (स.) ने फरमाया, अगर तुम हक पर हो फिर भी बहस व मुबाहसे में न पड़ो तो मैं तुमको जन्नत के करीब एक घर की गैरंटी देता हूँ। (   )

  इस हदीस और ऐसी बहुत सारे अहादीस और कुरआनी आयात के जानने के बावजुद हज़ारों आलिम आप को ऐसे मिलेंगें जिनकी ज़िदगी का मकसद ही दुसरे मसलकों पर कीचड़ उछालना और बुरा भला कहना है। एक हदीस के मुताबिक जिस की रावी हज़रत अबु दरदा है जो किताब अहमद में दर्ज है। (मुंतख़ीब अबवाब सफ़ा ११२)। अल्लाह तआला ने बहुत सारे इन्सानों को सिर्फ जहन्नुम के लिए ही पैदा किया है इन इख़्तलाफ़ी उल्मा को अपने तर्जअमल पर गौर करना चाहिए और देखना चाहीए कि कहीं वह इन्हीं लोगों जैसे काम तो नहीं कर रहे है, जिनका जहन्नुम में जाना यकिनी है।

  बुज़ुर्गों और दोस्तों! अल्लाह के लिए इनसे होशीयार रहें और इनकी इख़्तीलाफ़ी बातों पर यकीन मत कीजिए क्योंकि यह अपने ज़ाती इज़्ज़त व शौहरत और फ़ायदे के लिए लोगों को आपस में लड़ाते हैं।

- मजबूरी में जैसे गंदगी लगी होने के बावजुद तैयमुम कर के नमाज़ पढ़ी जा सकती है। इसी तरह की मजबूरी से सफ़रे हज में आप दो चार होंगे। आप मजबूर हैं कि न आप हरम शरीफ़ के इमाम को बदल सकते हैं और न इस का मस्लक। अल्लाह और अल्लाह के रसुल (स.) का हुक्म है कि नमाज़ जमाअत से मस्जिद में पढ़ी जाऐ और अज़ान सुनने के बाद बग़ैर शरई मजबूरी के घर में नमाज़ नहीं होती। इस लिए ख़ुदा के इस हुक्म को मानते हुऐ हरम शरीफ़ में जमाअत से ही नमाज़ पढ़ें। अल्लाह तआला आप की कोशिश आप की नियत और आप का ख़ुलूस देखते हुए इंशा अल्लाह उसे न कबूल करने के लायक होगी तो भी कबूल फ़र्माऐंगे। आमीन। और वैसे भी अल्लाह तआला ख़ुलूस ही देखते हैं और मग़फ़िरत अपने फ़ज़्ल से फरमाते हैं।

- आप नफ़रत के जज़्बे से अलग अकेले या जमाअत बना कर नमाज़ पढ़ते रहे तो जब बनी इस्राईल के बुज़ुर्ग पाँच सौ साल की इबादत के बल बुते पर भी जन्नत न हासिल कर सके तो क्या आप अपने घमंड में सहीउल्अक़ीदा इमाम के पीछे या अकेले सिर्फ़ कुछ साल की ज़िन्दगी की इबादत के बल बुते पर जन्नत हासिल कर लेंगे?

- बुज़ुर्गों और दोस्तों, हरम शरीफ़ में एक नमाज़ का सवाब एक लाख नमाज़ों के बराबर है और वही नमाज़ अगर जमाअत के साथ अदा करेंगे तो २७ लाख नमाज़ का सवाब मिलेगा।

  इस लिए अल्लाह के वास्ते इस हज के मुकद्दस सफ़र में मस्लक के इख़्तेलाफ़ात से बाहर आ जाऐं और कोशिश करें कि आप हर नमाज़ हरम शरीफ़ ही में पढ़ें और वह भी जमात के साथ।

- अगर उलमा का बयान सुन सुन कर आप का ज़हन ऐसा हो गया है कि जमात से नमाज़ पढ़ने में आप को कराहियत महसूस हाती है तो अपनी नमाज़ बाद में दोहरा लें। मगर जमात से नमाज़ पढ़ कर २७ लाख गुना सवाब ज़रूर हासिल करें, वरना यह आप की ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी महरूमी होगी।

  अल्लाह तआला आप की हर इबादत को कबुल फ़रमाए, आप की हर जाइज़ दुआ को कबुल फ़र्माए और हज्जे मबरूर अता फ़रमाए। आमीन।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

मअ़ज़ूर की तरफ़ से हज

हज़रत इब्न अब्बास रज़ि० से रिवायत है,के एक औरत ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह (स०), अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर हज फ़र्ज़ किया मेरे बाप पर ऐसे ज़माने में फ़र्ज़ हुआ के वह बिल्कुल बूढ़े हो गये,सवारी पर ठहर नहीं सेकते,तो क्या मैं उनकी तरफ़ से हज कर सकती हूँ...? आप सल्लल्लाहु अ़लैह वसल्लम ने फ़रमाया..हां, (बुख़ारी,मुस्लिम)

हज़रत लूकित बिन आमिर से रिवायत है,के वह नबी करीम स०की ख़िदमत में हाज़िर हुए और फ़रमाया या रसूल अल्लाह मेरे बाप बहुत बूढ़े है ना हज कर सकते है ना उम्रा और ना ही चल सकते है,और ना ही सवार होने की कुव्वत ही रखते है,तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैह वसल्लम ने फ़रमायायके तुम अपने बाप की तरफ़ से हज बैतुल्लाह व उम्रा कर सकते हो। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

तवाफ के फज़ाइल

अल्लाह ताला कुरआन शरीफ़ में फ़र्माते हैं "इस क़दीम घर का तवाफ़ करना चाहिये। (कुरआन मजीद, सूरह अल-हज-२९)

रसूल अल्लाह (स.) ने फ़र्माया जो बैतुल्लाह का तवाफ़ करे और दो रकत नमाज़ पढ़े, इस को एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा।

(इब्न माजा किताबुलमुनासिक बाब फ़ज़्लुत्तवाफ़ २९-४६)

आप (स.) का इरशाद है के जिस ने बैतुल्लाह शरीफ़ का सात बार तवाफ़ किया तो अल्लाह ताला हर हर क़दम पर इस के गुनाह को माफ़ फ़र्माते हैं और हर हर क़दम पर नेकी लिखते हैं और हर हर क़दम पर एक दर्जा बुलंद करते हैं। (इब्न ख़ुज़ैमा - इब्न हब्बान)

रिज़्क़ में बर्कत

हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मस्उद (रज़ी) से रिवायत है, रसूल अल्लाह (स.) ने इर्शाद फ़र्माया कि, हज और उमरा पे दर पे किया करो क्यों कि हज और उमरा दोनों फ़क्र व मोहताजी और गुनाहों को इस तरह दुर कर देते हैं जिस तरह लोहार और सोनार की भट्टी लोहे और सोने चाँदी का मैल कुचैल दूर कर देती है। और हज मबरूर का सिला और सवाब तो बस जन्नत ही है। (जामा तिर्मिज़ी, निसाई)

जम्रात और जान का ख़तरा

- मिना वह वादी है जहाँ से हज़रत इब्राहीम (अ.) ने हज़रत इस्माईल (अ.) को ले कर ज़िबह करने के लिए गुज़रे थे और तीन जम्रात वह मुक़ाम है, जहाँ शैतान ने इन हज़रात को बहकाने की कोशिश की थी और जवाब में धुतकारा गया। शैतान उस वक्त भी ज़लील हुआ था और हज़रत इब्राहीम (अ.) की सुन्नत अदा करके शैतान को कंकरी मार कर हाजी आज भी उसे ज़लील करते है।

- जिस जगह हज़रत इब्राहीम (अ.) ने शैतान को कंकरियां मारी थीं, उस जगह की निशान दही के लिए सुतून खड़े किये गए हैं। इन खम्बों में शैतान नहीं है, न ही इन खम्बों को ही कंकरी मारना है, बल्कि असल कंकरी मारने की जगह इन खम्बों की बुनियाद या जड़ है। जम्रह इसी जड़ या बुनियाद को कहा जाता है। इस लिए आप की कंकरी या सीधे खम्बों की जड़ के पास गिरे या खम्बों से टकरा कर अहाते के बाहर जा गिरे तो आप की वह कंकरी बेकार होगी। इसे गिना नहीं जाएगा। इस के बदले आप को एक और कंकरी मारनी है और अगर आप ने इस की जगह दूसरी कंकरी नहीं मारी तो आप का रमी का रुक्न अधूरा रहा।

- छोटे पत्थरों (कंकरीयों) के फेंकने को अरबी में रमी जमार कहते हैं। (रमी यानी फेंकना, जमार यानी पत्थर की छोटी कंकरीया)।

- रमी जमार हज का वाजिब रुक्न है और उसके तर्क करने पर हज हो जाएगा मगर दम देना लाज़िम होगा।

- जम्रह के नज़दीक कंकरिया चुनना या नापाक जगह से कंकरिया लेना मकरूह है। कंकरियों को मारने से पहले धो लेना मुस्तहब है। (लाजमी नही है)

- हर जम्रह को ७ कंकरीया मारी जाती हैं। अलाहिदा अलाहिदा मारना ज़रूरी है। अगर एक से ज़्यादा या सातों एक ही दफा मारें तो एक ही कंकरी शुमार कि जाएगी अगर अलग अलग गिरी हो। इस लिए बाकी गिनती पूरा करना ज़रूरी होगा।

- ७ कंकरीयों से ज़ायद मारना मकरूह है। शक हो जाने की वजह से ज़्यादा मारे तो कोई हर्ज नहीं।

- अगर किसी ने एक दिन चार कंकरिया कम मारी हो या तीनों दिन मिलाकर ११ कंकरीया कम मारी हो या एक दिन रमी जमार तर्क कर दिया हो या तीनों दिन रमी जमार तर्क कर दिया हो। इन चारों गलतियों में से अगर आप सिर्फ एक गलती करें या चारों गलती करें आप को सिर्फ एक ही दम देना होगा।

- अगर १० वी जिल्हिज्जा के दिन ३ या इससे कम कंकरिया न मार सके और बाक़ी दिनों की रमी में से १० या उससे कम कंकरिया न मार सके। (मारने से रह गयें) तो जितनी कंकरिया कम मारे उतना सदका देना होगा। (सदका की मिकदार फित्रे के बराबर यानी पौने दो किलो गेंहू है) यानी अगर किसी ने दो कंकरिया कम मारी है तो उसे दो सदका यानी साढ़े तीन किलो गेंहू सदका करना होगा।

- जम्रह से पांच हाथ की दूरी से कंकरी मारना सुन्नत है। इससे ज़्यादा दूर से भी मार सकते हैं मगर और करीब से मारना मकरूह है।

- कंकरी पकड़ने का कोई खास तरीका नहीं है। लेकिन अगुंठे और ऊंगली से पकड़ना मुस्तहब है और रमी के लिए हाथ इतना ऊँचा करना भी मुस्तहब है कि बगल खुल जाएं।

- कंकरी मारते वक्त सिर्फ एक कंकरी एक बार में मारें। कंकरी मारने से पहले यह पढ़ें:

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِّلشَّيْطَانِ وَرِضًى لِّلرَّحْمٰنِ

तर्जुमा : मैं अल्लाह तआला के नाम से शुरू करता हुँ। अल्लाह सब से बड़ा है। यह कंकरी शैतान को ज़लील करने और अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए मारता हूँ।

ऊपर लिखी दुआ में अगर अल्फ़ाज़ में फेर बदल हो जाएगा तो गुनाह होगा। इस लिए बेहतर है आप अपनी ज़ुबान में कहें कि मैं शैतान को ज़लील करने और अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए मारता हुँ और फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अक्बर कह कर कंकरी मारें। कंकरी का एहाते में गिरना ज़रूरी है। एक कंकरी एक ही बार में मारें। अगर आप ने एक से ज़्यादा कंकरी एक बार में मारी तो वह एक ही गिनी जाऐगी।

- १० ज़िल्हिज्जा को सिर्फ बड़े शैतान (जम्रह उक़्बा) को सात सात कंकरियां मारना है और पहली कंकरी मारते हुए तलबिया पढ़ना बंद कर दें। ११,१२,१३ ज़िल्हिज्जा को तीनों जुम्रे पर रमी करना है। पहले छोटे शैतान को फिर दरम्यानी शैतान को और आखिर में बड़े जम्रह को इसी तरतीब से रमी करना सुन्नत है।

- रमी में कंकरिया पे दर पे मारना मसनून है। एक के बाद दूसरी कंकरियां मारने में ताख़ीर करना मकरूह है। इसी तरह एक जुम्रह पर रमी के बाद दूसरे जम्रह पर रमी में दुआ के इलावा, बिला वजह ताख़ीर करना मकरूह है।

- जम्रह ऊला (छोटा शैतान) और जम्रह वस्ता (दरमियानी शैतान) पर रमी के बाद किब्ला रूख़ हो कर देर तक दुआ मांगना सुन्नत है, और यह दोनों मुक़ामात दुआओं की कबूलियत के खुसूसी मुक़ामात में से हैं, इस लिए यहाँ रूक कर कम अज़ कम इतनी देर रूक कर दुआ करें जितनी देर में २० आयतें पढ़ी जा सकती हैं। (सुरे: बकरा पढ़ने में जितना वक्त दरकार है, नबी करीम (स.) उतनी देर रूक कर दुआएं माँगी थी)

- जम्रह उक़्बा (बड़ा शैतान) के रमी के बाद किसी भी दिन दुआ के लिये ठहरना सुन्नत नहीं है।

- रमी करते वक्त किसी ख़ास रूख़ की तरफ मुँह करके खड़े होने की कोई शर्त नहीं है। आप हर सिम्त से रमी कर सकते हैं ।१०, ज़िल्हिज्जा को जब नबी करीम(स.) ने जम्रह उक़्बा का रमी किया था, उस वक्त आप की दाहिनी तरफ मक्का मुकर्रमा और बायीं तरफ मिना था। इसलिए इस रूख़ पर खड़े होकर रमी करना सुन्नत है।

- एक कंकरी के फौरन बाद दूसरी कंकरी मारना और एक जम्रह पर रमी बिला ताख़ीर रमी करना सुन्नते मुअकिदह है। इसलिए अगर कोई अपनी रमी जमार के बाद किसी और का भी रमी जमार करना चाहता है, तो अफ़ज़ल यह है, कि पहले तीनों जम्रात पर अपनी रमी पूरी कर लें, फिर दूसरों की रमी शुरू से करें। मगर अब यह मुम्किन नहीं क्योंकि ऐसा करने के लिए कई किलो मीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा । इस लिए अब जम्रात पर पहले अपनी कंकरियां मारें फिर दुसरें शख़्स की तरफ से कंकरियां मारें।

- शरिअत के मुताबिक १० ज़िल्हिज्जा को रमी जुमार का अफ़ज़ल वक्त तुलूऐ आफताब से ज़वाले आफताब तक है और ११,१२,१३ तारीख़ को ज़वाल से

ले कर गुरूबे आफ़ताब तक है। मुबाहे वक़्त १० तारीख़ को ज़वाल से गुरूबे आफ़ताब तक और ११,१२,१३ तारीख़ को गुरूबे आफ़ताब से सुबह सादिक़ तक है।

- हर साल क़रीब ३५ से ४० लाख हाजी हज करते हैं और इतने लोगों का एक अफ़ज़ल वक़्त पर एक ही जगह जमा होना हर साल किसी न किसी हादसे की वजह बनता है और क़ीमती जानें ज़ाया होती हैं। हदीस शरीफ़ के मुताबिक़ मुसलमान का मुसलमान को नुक़सान पहुँचाना हराम है और अफ़ज़ल वक़्त पर रमी जुमार करना सिर्फ़ अफ़ज़ल है। इसलिए उल्मा ने फ़त्वा दिया है कि अफ़ज़ल काम करने की जुस्तजू में हराम काम न करें और अफ़ज़ल वक़्त जुमार करने की बजाए मुबाहे वक़्त (जो के हर तरह से बिला कराहियत जायज़ है।) पर रमी जुमार करें उल्मा की इन नसीहतों पर अमल करना हर समझदार मुसलमान के लिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोग ज़िद्दी और कम अक़्ल हैं वह अफ़ज़ल वक़्त पर हर हाल में जम्रात पर ज़रूर जमा होंगे, इसलिए समझदार हज़रात इस मुक़ाम में अफ़ज़ल वक़्त में दूर रहकर भीड़ को कम करने में मदद करें और हादसात को टालने में मदद करें। इस नीयत और ख़ुलूस पर अल्लाह तआला और ज़्यादा अज्र देगा (इन्शा अल्लाह)
- औरतों, बूढ़ों और कमज़ोरों के लिए कराहियत कंकरी मारने का वक़्त सुबह सादिक़ तक, इस फ़तवा के पहले भी था और अब तो सब के लिए है।
- रमी जुमार जाने से पहले अपने एहराम की चादर कसें और अच्छी तरह से लपेट लें। कोई सामान या बैग वग़ैरह हरगिज़ न लें। कोई ऐसा कपड़ा न पहने जिसके दुसरों के क़दमों के नीचे दबने का ख़तरा हो। भीड़ में अगर आप की चादर या ओढ़नी या बैग किसी के क़दमों के नीचे दब गया, तो उसे फ़ौरन अपने से जुदा कर दें। झुककर या बैठकर कोई चीज़ निकालने या उठाने की हरगिज़ कोशिश न करें वरना जान का ख़तरा है।
- कंकरी आप पुल के ऊपर से मारें, तो खुली हवा में दम घुटने का ख़तरा कम रहता है। पुल पर लोग एक तरफ़ से दाख़िल होते हैं और दुसरी तरफ़ से निकल जाते हैं, जब कि ज़मीन पर लोग सड़क के किनारे ही ग़ैर क़ानूनी छोटे छोटे ख़ेमें लगाते हैं और सामान रख कर आराम करते हैं, इसलिए जगह और छोटी हो जाती है और जम्रात की तरफ़ लोग हर तरफ़ से आने की कोशिश करते हैं, इसलिए लोगों का एक ही तरफ़ चलना रूक जाता है और भगदड़ मच जाती है।
- जब जम्रात के क़रीब पहुंचे, तो दायें और बायें होकर ज़रा आगे बढ़ जायें और आख़िरी सिरे से कंकरी मारें क्योंकि जोशीले लोग जम्रात के क़रीब पहुँचते ही कंकरी मारने लगते हैं, इसलिए पहले सिरे पर बहुत अफ़रा तफ़री होती है।
- बहुत सारे तंदुरूस्त लोग ख़ुद कंकरी मारने के बदले किसी और को अपना वकील बना कर कंकरी मारने के लिए मुक़र्रर करते हैं। यह ग़लत तरीक़ा है और इस से हज का रूक्न अदा नहीं होगा। वकील के ज़रिये उसी की कंकरी मारना दुरूस्त होगी जो शरई तौर पर माज़ूर है। जो खड़े रह कर नमाज़ पढ़ सकता है और चल फिर सकता है उन्हें ख़ुद कंकरी मारना लाज़िम है। वरना दम देना होगा।
- मुज़दल्फ़ा से सीधे जम्रात की रमी के लिए सामान वग़ैरह ले कर नहीं जाना चाहिए बल्कि पहले अपने ख़ेमों में जायें फिर वहाँ से रमी जम्रात करने कि लिए जायें।
- हर मुल्क के लिए रमी जम्रात के अलग अलग औक़ात हुकुमते सऊदिया ने तय किये हैं, ताकि जम्रात के अतराफ़ लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ न हो जाये। अपने मुअल्लिम से वक़्त माअलूम करके ही रमी जमार के लिए रवाना हों।
- जम्रात के लिए ग्रुप में रवाना हों। ग्रुप के एक फ़र्द के हाथ में उंची लकड़ी, झण्डा, छतरी या कोई निशानी दे दें ताकि ग्रुप के बक़िया लोग अगर दूर दूर भी चलें, तो भी साथ साथ ही रहें और कोई बिछड़ने न पाये।
- जम्रात पर किसी तरह का साज़ व सामान न ले जायें। माअज़ूर को व्हील चेयर पर न लें जायें, और न ही बच्चों को ले जायें।
- हज के चार दिनों में चालीस लाख लोग शैतान को ४९ से ७० कंकरी मारते हैं। अगर एक जगह पर यह कंकरियां जमा की जाएँ तो कंकरियों का पहाड़ बन जाएगा। मगर जम्रात के पास आप ग़ौर कीजिए के कंकरियों का कोई ढ़ेर नहीं होता है। क्योंकि मक़बूल कंकरियां फ़रिश्ते चुन ले जाते है और यह हदीस शरीफ़ भी है। (रावी हज़रत अबु सईद ख़ुदरी-किताब-हाकिम)

आप भी इस मोअ्जिज़े का मुशाहिदा करके अपने ईमान को ताज़ा कर लें।

▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾

दुआओं का बयान

- हज़रत अबु हुरैरा (रज़ी.) रावी है कि रसूले ख़ुदा (स.) ने इर्शाद फ़रमायाः "जब तुम में से कोई शख़्स दुआ माँगे तो ऐसा न कहें: ऐ अल्लाह! मुझे बख़्श दें अगर तू चाहे, मुझपर रहम कर अगर तू चाहे, मुझे रिज़्क़ अता कर अगर तू चाहे, बल्कि पूरे यक़ीन व ऐतिमाद के साथ माँगें (शक व शुभा का कलमा मसलन अगर तु चाहें वग़ैरा इस्तेमाल न करें) क्योंकि अल्लाह तआला वही करता है जो वह चाहता है। उसपर कोई ज़ोर और ज़बरदस्ती करनेवाला नहीं।" (बुख़ारी)
- हज़रत नोमान बीन बशीर (रज़ी.) रावी है कि रसूले ख़ुदा (स.) ने इर्शाद फ़रमायाः "दुआ इबादत है।" फिर आप (स.) ने यह आयत फ़रमायीः

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

तर्जुमाः "और तुम्हारे परवरदीगार ने फ़रमाया है कि मुझसे माँगों, मैं तुम्हारी दुआ कबुल करूंगा।" (अहमद, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा)

- हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ी.) रावी है कि रसुलें ख़ुदा (स.) ने इर्शाद फ़रमायाः "तक़दीर को दुआ के इलावा और कोई चीज़ नहीं बदलती और उमर को नेकि के इलावा और कोई चीज़ नहीं बढ़ाती।"(तिरमिज़ी)
- हज़रत अबु हुरैरा (रज़ी.) रावी है कि रसुले ख़ुदा (स.) ने इर्शाद फ़रमायाः "जो शख़्स चाहता है कि तंगी और सख़्ती के वक़्त अल्लाह तआला उसकि दुआ कबुल करें, वह उसअत व फ़राख़ी के ज़माने में बहुत दुआ करता रहें।" (तिरमिज़ी)
- हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ी.) रावी है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम(स.) से उम्राह करने की इजाज़त माँगी तो आप (स.) ने मुझे इजाज़त अता फ़रमायी और इर्शाद फ़रमायाः "ऐ मेरे छोटे भाई, अपनी दुआ में हमें भी शरीक कर लेना और दुआ के वक़्त हमें न भुलना।" हजरत उमर(रज़ी.) फ़रमाते है कि रसुल (स.) ने ऐसा कलमा इर्शाद फ़रमाया की अगर इसके बदलें में मुझे तमाम दुनिया भी दे दी जाएं तो मुझे ख़ुशी न होंगी। (अबू दाऊद)
- हज़रत अबु हुरैरा(रज़ी.) रावी है कि रसुले ख़ुदा (स.) ने इर्शाद फ़रमायाः "तीन दुआऐं कबुल की जाती है। इन की कबुलीयत में कोई शक नहीं। एक तो बाप की दुआ, दूसरी मुसाफ़िर की दुआ और तीसरी मज़लूम की दुआ।" तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा)
- हज़रत अनस(रज़ी.) रावी है कि रसुलें ख़ुदा(स.) ने इर्शाद फ़रमायाः "तुम में से हर शख़्स को अपनी तमाम हाजतें अपने परवरदीगार से माँगनी चाहिए। यहाँ तक की अगर उसके जुतें का तस्मा भी टूट जाएं तो उसे भी ख़ुदा से माँगें।"(तिरमिज़ी)

एहराम का बयान

एहराम क्या है?

१. एहराम के माअने है बेहुरमती न करना या अपने ऊपर किसी चीज़ को हराम कर लेना।

२. हज और उमरा मे हम नीयत और तल्बिया के साथ अहराम की दो चादरे पहन कर बहुत सारी चीजें अपने ऊपर हराम कर लेते है, जैसे; हजामत कराना, खुश्बू लगाना, सिले हुए कपड़े पहनना वग़ैरह वग़ैरह। इस लिए इस हालत को एहराम कहा जाता है।

३. आम तौर पर लोग सफ़ेद चादर को एहराम कहते है। जिसे हाजी एहराम की हालत में पहनते है, वह दरअसल एहराम की चादरें है, बजाते खुद एहराम नही है। इन चादरो को आप जितनी बार चाहें तब्दील कर सकते है, मगर एहराम की हालत से बाहर आने के लिए आप को उम्रह या हज के सारे अरकान मुकम्मल करने होंगे। यहाँ तक के अय्यामे हज में सिर मुंडवाने के बाद और घर के कपड़े पहनने के बाद भी एहराम की कुछ पाबंदियां आप पर बाक़ी रहती है जो के तवाफ़े ज़ियारत के बाद ही ख़त्म होती है। जैसे; अज़्दवाजी ताअलुक़ात (वैवाहिक संबंध)

४. हज का एहराम १ शव्वाल से ६ ज़िलहिज्जा का दिन गुज़र कर सुबह सादिक तक पहन सकते है। उम्रह का एहराम हज के खास दिन के अलावा कभी भी पहन सकते है।

५. मीक़ात से बाहर रहने वालो के लिए एहराम मीक़ात से पहनना वाजिब है।

६. मर्दों का एहराम २ मिटर X १ मिटर की बग़ैर सिली हुई दो चादरें होती है। एक चादर को पहनना और एक को ओढ़ना होता है।(सब्ज़ की कोई पाबंदी नहीं है।)

७. बग़ैर सिली चादर का मतलब है कि उस में इंसानी जिस्म की साख़्त के एतबार से कोई चीज़ सिली हुई न हो। जैसे आस्तीन, जेब वग़ैरह। बग़ैर सिली का मतलब यह नही है कि उस में सुई धागा न लगे। ज़रूरत पड़ने पर आप चादर की जगह गोदड़ी या रज़ाई वग़ैरह ओढ़ सकते है। जो कि कई चादरों की तह को सी कर बनाई जाती है।

८. एहराम की चादरे सफ़ेद हो तो अफ़ज़ल है। मजबूरी में आप रंगीन चादरे भी इस्तेमाल कर सकते है।

९. एहराम की हालत में पैर के ऊपर (पंजो के पीछे) की उभरी हुई हड्डियो का खुला रहना ज़रूरी है। इस लिए ऐसा जूता, चप्पल न पहिनें के हड्डियाँ छुप जाये। अगर आप हवाई चप्पल या स्लीपर पहिनें, तो यह हड्डी खुली रहती है।

१०. एहराम की हालत में मर्द को सिर और चेहरा खुला रखना है और औरतो को सिर्फ़ चेहरा। इसलिए एहराम की हालत में मर्द और औरत दोनों को अपने चेहरे को इस तरह ढाकना मना है कि कपड़ा चेहरे को छुऐ। चेहरे के कुछ हिस्से को भी ढांकना मना है जैसे: रूख़सार, नाक, या ठोढ़ी वग़ैरह।(औरतें टोपी और रूमाल बांधते वक़्त एहतियात करें कि पेशानी न ढक जाये।)

११. एहराम पहनने से पहले खुश्बू जिस्म पर लगाना सुन्नत है। मगर एहराम पहन कर किसी भी तरह का खुश्बू का इस्तेअमाल करना जायज़ नही है।(खुश्बू जिस्म पर इतना कम लगायें कि एहराम के चादर पर इस का दाग़ न पड़े)

१२. एहराम बांधने से पहले दोनों हाथों, पैरों के नाखून काटना, नापाक बाल साफ करना और गुस्ल करना मुस्तहब है। वुज़ू या ग़ुस्ल, एहराम के लिए फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, लेकिन इनको बिला उज़्र तर्क करना मकरूह है।

१३. एहराम पहन कर एहराम की नीयत से पहले दो रकअत नमाज़ अदा करना सुन्नत है। बिला नमाज़ भी एहराम की नीयत की जा सकती है मगर बिला वजह ऐसा करना मकरूह है।

- एहराम पहनने के बांद पहले से आप पर जो पाबंदियाँ थी, वह तो बाक़ी रहती है, जैसे; बदकलामी, फ़ुहश बातें, फ़िस्क व फ़ुजुर और जंग व जिदाल वग़ैरह। इनके अलावा भी आप पर कुछ और मज़ीद पाबंदियाँ आयद हो जाती है। उन की तफ़सील मुंदर्जाज़ैल (नीचे दिए गए) है:

एहराम की पाबंदियाँ :

१. बाल न काटें न तोड़ें।(वुज़ु करते वक़्त खुद से जो बाल टूट जाए, तो इस पर दम नही है)

२. नाखून न तराशें न तोड़ें।(टूटे हुए नाखून को काट सकते है)

३. मर्द न सिर ढाँपे और न ही चेहरे पर कपड़ा लगने दें। मोज़ा या दस्ताना पहनना, सिर और मुंह पर पट्टी बांधना भी मना है। आप साये में रह सकते है। छतरी इस्तेमाल कर सकते है, सिर पर सामान रख कर चल सकते है। मगर टोपी, रूमाल, चादर या कोई चिपकने वाली चीज़ से सिर नही ढाँप सकते।

४. चेहरे पर कपड़ा न लगायें। अगर चेहरे से पसीना पोछना हो, तो हाथ से पोंछ कर हाथ कपड़े से पोंछ लें।

५. अपने जिस्म के कपड़े और खाने पीने की चीज़ों में खुशबु न इस्तेमाल करें।

६. किसी शिकार किये जाने वाले खुश्की के जानवर को न मारें, न बिदकाऐ और न ही दुसरों की इस काम में मदद करें। न ही जिस्म में पैदा होने वाले कीड़ो को मारें जैसे जुं वग़ैरह, न जिस्म का मैल धोऐं। आप नहा सकते है मगर बग़ैर साबुन के और बग़ैर मैल छुड़ाएं।

७. एहराम की हालत में अज़्दवाजी तअलुक़ात (वैवाहिक संबंध) पर भी पाबंदी होती है।

एहराम की वाजिबात:

- एहराम की हालत में कोई सिला हुआ कपड़ा न पहनना। (शुरू से आख़िर तक)
- मीक़ात से या उससे पहले एहराम बांधना।
- मम्नूआत एहराम से बचना।

एहराम की सुन्नतें:

- गुस्ल करना और एहराम बांधने से पहले खुश्बू लगाना।
- एक लुंगी और एक ऊपर ओढ़ने वाली चादर से एहराम बांधना।
- एहराम से पहले नाखून काटना।
- एहराम पहनकर एहराम की नीयत से दो रकअत नमाज़ अदा करना।
- एहराम की इब्तदा, 'लब्बैक' से करना और फिर बार बार लब्बैक कहते रहना।

एहराम के मसाइल:

- अगर खुद से कोई बाल गिर जाये, तो कोई सज़ा नहीं।
- अगर तीन से कम बाल तोड़े, तो हर बाल पर एक मुट्ठी गेंहू सदक़ा करें।
- तीन से ज़्यादा बाल मगर चौथाई सिर से कम बाल दूर किये, तो सदक़ा दे।(१.७५ किलो ग्राम गेंहू)
- अगर चौथाई सिर या दाढ़ी या इससे ज़्यादा बाल साफ़ किये, तो दम वाजिब है।
- अगर अलग अलग हाथ पैर से एक या दो नाखून काटे, तो हर नाखून के बदले सदक़ा देना होगा।
- अगर एक ही बार में चारों हाथ और पैर के नाखून काटे, तो एक दम देना होगा।
- अगर चार बार में चारों हाथ पेर के नाख़ून काटे, तो चारें दम देना होगा।
- अगर चेहरे या सिर पर एक घन्टा से कम वक़्त तक कपड़ा लग रहा था, तो एक मुट्ठी गेंहू या उसकी क़ीमत की रक़म ख़ैरात करना वाजिब है।
- अगर एक घन्टा से ज़्यादा मगर एक दिन या एक रात से कम वक़्त तक कपड़ा ढ़का रहा, तो पौने दो किलो गेंहू और अगर एक दिन या एक रात तक या इससे ज़्यादा देर तक सिर ढ़का रहा और चेहरे पर कपड़ा लगा रहा, तो दम वाजिब होगा।
- इसी तरह अगर पांव की बीच की उठी हुई हड्डी जूते वग़ैरह से ढक जाती है और अगर एक घन्टा से कम वक़्त तक ढ़की रही, तो एक मुट्ठी गेंहू। एक घन्टा से ज़्यादा पर १.७५ किलोग्राम गेंहू और एक दिन या एक रात तक या इससे ज़्यादा वक़्त तक ढ़की रही, तो एक दम देना वाजिब होगा।
- सोते वक़्त रुख़सार (गाल) तकिया पर रखना जायज़ है, मगर चादर से सिर ओर चेहरा न ढ़ांकें, सोते वक़्त पैर पूरी तरह चादर में ढ़ांप सकते हैं।
- एहराम की हालत में गले में फूलों का हार मकरूह है। किसी भी ख़ुश्बू या ख़ुश्बू दार साबुन के एक बार इस्तेमाल पर सदक़ा (पौने दो किलोग्राम गेंहू) और बार बार के इस्तेअ़माल पर दम वाजिब होगा।
- हिंदुस्तान से हज और उम्रह के लिए जाने वालों के लिए मीक़ात यलम-लम का पहाड़ है जो मक्का से जुनूब की तरफ़ है, जो हज़रात वतन से सीधे मक्का पहुंचकर हज या उम्रह का इरादा करते है, उन्हें मीक़ात से पहले एहराम बांधना वाजिब है। अगर बग़ैर एहराम जिद्दा पहुंच गये, तो दम वाजिब होगा।

  वतन से पहले मदीना जाने वालों के लिए एहराम ज़रूरी नहीं है। हवाई सफ़र में यलम-लम जिद्दा से तक़रीबन एक घन्टा पहले है।

मर्द एहराम किस तरह पहनें :

एहराम की एक चादर लुंगी की तरह पहननी होती है। इसे आप जिस तरह आसानी हो वैसे पहन सकते हैं। इस के लिए कोई ख़ास क़ानून या हुक्म नहीं है। मगर चूंकि हज के दौरान लोगों की ज़बर्दस्त भीड़ होती है। लुंगी के नीचे भी आप को अंडरवीयर (चड्डी) और कोई चीज़ पहनने की इजाज़त नहीं है। इस लिए अगर लुंगी खुल जाए तो पूरा बरहना (नंगा) होने का डर होता है। इस लिए एहराम की लुंगी मुंदर्जा ज़ैल तरीक़े से पहनने की सलाह दी जाती है, जो ज़्यादा महफ़ूज़ तरीक़ा है।

- आप पैरों को ज़रा फैला कर खड़े हो जाएँ।
- लुंगी के दोनों सिरे दोनों हाथों में पकड़ लें।
- बाएं हाथ का सिरा, दाहनी कमर और पेट से चिपका ले और पकडे रहे और दाहनी तरफ के सिरे को थोडा सा खींच कर रखें। (तसवीर १)

तसवीर १, तसवीर २, तसवीर ३, तसवीर ४

P-23

तसवीर ५, तसवीर ६, तसवीर ७, तसवीर ८, तसवीर ९,

- फिर दाहने हाथ को बाएं तरफ इस तरह ले जाएं कि लुंगी का वह सिरा जो हमने दाहनी तरफ दबाया था वह वहीं जमा रहे। (तसवीर २)
- दाहने हाथ के लुंगी के सिरे को बाएं तरफ पूरी तरह ले जाने के बाद भी लुंगी दो से तीन फिट बची रहेगी। फिर इस बचे हुए सिरे को दाहनी तरफ ले जाए। मगर दरम्यान से आगे न बढ़ें बल्कि दरम्यान मे नाफ़ के पास तह करके लपेट लें। (तसवीर ३-४)
- लुंगी आपकी नाफ के ऊपर हो क्योंकि नाफ सतर मे शामिल है और सतर का छुपाना लाज़मी है।
- एहराम सिर्फ़ दो चादरों का नाम है। इस में पट्टा शामिल नहीं। मगर चूँकि हज के दौरान रूपया वग़ैरह साथ रखना ज़रूरी होता है। इस लिए रूपया रखने के लिए पट्टा पहनने की इजाज़त है। और पट्टा पहनने से पहले इनमे रूपया रखकर पहनना चाहिए।
- पट्टा नाफ़ पर या नाफ़ के उपर पहनें जिस से कि लुंगी के उपरी हिस्सा से आप की नाफ़ हमेशा छुपी रहे। एहराम की हालत में आप चश्मा, घड़ी, कान का आला वग़ैरह पहन सकते हैं।
- उम्रह और हज के तवाफे ज़ियारत में मर्दों को रमल और इज़्तेबा करना सुन्नत है। इज़्तेबा के लिए एहराम का एक सिरा दाहिने हाथ के बगल से निकाल कर बाएँ हाथ के कांधे पर डाल लेते है। (तसवीर ५)

- हज के खास दिनों में जिस्म पर ३ से ४ दिनों तक एहराम होता है। एहराम की एक चादर लुंगी की तरह पहन कर और पट्टे से मज़बूत बांध कर हाजी बेफिकर हो जाते है। मगर ऊपरी चादर संभालना ज़रा मुश्किल काम है वह भी खास कर नमाज़ की हालत में। इस लिए बुज़ुर्ग और तजुर्बेकार हज़रात जिन्हें कई बार हज का तजुर्बा है नीचे दिए हुए तरीके से ऊपरी चादर लपेटने का मश्वरा देते हैं।

१) पहले ऊपरी चादर कंधे पर ओढ़ कर पूरी तरह से हाथ सीधा करके सामने की तरफ फैला लें और चादर के दोनों सिरें हाथो में पकड़ लें। (तसवीर ६)

२) फिर सीधे हाथ का सिरा बाएँ बगल के नीचे लुंगी या पट्टे के नीचे अच्छी तरह दबा लें। (तसवीर ७)

३) फिर बाएँ हाथ का सिरा दाएँ बगल के नीचे लुंगी या पट्टे के नीचे अच्छी तरह दबा लें। (तसवीर ८)

४) फिर एहराम का कपड़ा जो हाथ के ऊपर लटक रहा होगा उसे आस्तीन की तरह समेट लें। इस तरह आपके दोनों हाथ आज़ाद भी होंगे और ऊपरी एहराम की चादर बार बार न गिरेगी न नमाज़ में खलल पैदा होगा। (तसवीर ९)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

पेज 17 से आगे....

सफरे हज में नमाज़ का बयान

- मस्जिदें नबवी (स.) और मस्जिदें हराम में हज के दिनों में इतनी भीड़ होती है कि नमाज़ी के सामने से गुज़रने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। इन हालात में अपनी तरफ से पुरी कोशिश करें कि दुसरें क़ौल पर अमल हों और अगर वह नामुम्किन हो तब ही पहले कौल पर अमल करें यानी नमाज़ी के मुकाम सजदे के आगे से गुज़रें।
- मस्जिदें नबवी(स.) और मस्जिदे खैफ के बाहर लोग फर्ज नमाजों के लिए इस तरह सब बंदी करतें हैं कि सफ इमाम से आगे बना लेते हैं। अगर मुक्तदी इमाम से आगे हो जायें तो मुकतदी की नमाज़ नहीं होगी।

जमात की एहमियतः-

हज़रत इब्ने मसुद (रज़ी.) से रिवायत है कि उन्होंने फर्मायाः जिस शख़्स को इसका शौक हो कि वह कयामत के दिन मुसलमान की तरह अल्लाह के सामने पेश हो वह पाँचों वक़्त की नमाज़ उस मस्जिद में जहाँ अज़ान दी जाती है बाजमात अदा करें। अल्लाह तआला ने तुम्हारें नबी को जो तरीक़ा हिदायत अता फर्माया हैं उसमें पाँचों नमाज़ें बाजमात पढ़ना भी शामिल है तो अगर तुमने अपने घरों में पढ़ली जैसा यह पीछे रह जाने वाला अपने घर में पढ़ता है तो बेशक तुमने अपने नबी (स.) की सुन्नत तर्क कर दी, और तुमने अपने नबी (स.) की सुन्नत तर्क कर दी तो तुम गुमराह हो गयें। हमनें किसी सहाबी को जमात से गैर हाज़िर होते नहीं देखा, जमात से वहीं शख़्स गैर हाज़िर होता था जो खुला हुआ मुनाफिक होता था, बीमार भी दो आदमीयों के सहारें से आकर सफ में शामील हो जाते थे। (मुस्लिम)

नमाज़ के लिए ममनु औक़ातः-

ऐन तुलु अफताब, ऐन ज़वाल अफताब, ऐन गुरुब अफताब में इन वक्तो पर नमाज़ होती ही नहीं हैं। चाहें आप अपने वतन में हो या हरम शरीफ में।

- अगर आप नफिल नमाज़ शुरू करके नीयत तोड़ दें तो वह नफिल नमाज़ आप के लिए वाजिब हो जाती है। जिसे आपको दोबारा पढ़ना लाज़ीम है। अगर "नफिल नमाज़ ही तो थी" ऐसा कहकर छोड़ देंगे और दोहराऐंगे नहीं तो गुनाहगार होगें।
- इसी तरह तवाफ के बाद दो रकअत नफिल अगर आपने ममनु औकात में पढ़ा है तो पहले तो वह नमाज नहीं होगी। इसलीए आपका तवाफ, और नमाज़ के अधुरा ही रहा। फिर अगर आपने नमाज़ दोहराया नही तो गुनहगार भी होगें। इसलिए हरम में ममनु नमाज़ के औक़ात का खास ख्याल रखें।
- मस्जिदे हराम में मुकामें इब्राहीम पर नमाज़ पढ़ना अफज़ल है। मगर यह मुकाम अब तवाफ करने वालों के रास्ते के बिल्कुल दरम्यान है। इसलिए अगर इस मुकाम पर कोई नमाज़ के लिए खड़ा हो जाए तो तवाफ करने वालों को सख़्त तकलीफ होती है। मुसलमानों को तकलीफ देना हराम है। इसलिए अफज़ल काम करने कि जुस्तजु में हराम काम करने से बचे।
- मुकामें इबाहीम पहले खाना काबा से बिल्कुल करीब ७ फिट की दूरी पर था। जब मुसलमानों की तादात बढ़ी और तवाफ करने वाले ज़्यादा हो गये तो इस मुकाम पर नमाज़ पढ़ने वालों से तवाफ करने वालों को तकलीफ होने लगी। तवाफ करनेवालो कि आसानी के लिए हज़रत उमर (रज़ी.) ने मुकामें इब्राहीम को हटाकर खाने काबा से ४६ फिट दूरी पर कर दिया।

(फतेह अलबारी, हरम अल हदिस ७७८)

- सारी नसीहतों को नज़र अंदाज करके अगर आप मुकामें इब्राहीम पर नमाज़ पढ़ने के लिए बज़ीद हैं तो यह बात याद रखें कि अब यह इस मुकाम पर नहीं है जिस मुकाम का ज़िक्र हैं। वह मुकाम तो खाने काबा के बिल्कुल करीब था। और दुसरी बात यह याद रखें की अमीरुल मोमीनीन हज़रत उमर (रज़ी.) ने जिस काम को रूकावट समझा और उस मुबारक जगह उसकि मुबारक जगह से हटा दिया। आज आप खुद ही रूकावट बनने के लिए बज़ीद हैं। इसलिए तवाफ करने वालों का ख्याल रखें और इससे दूर हटकर नमाज़ पढ़ें कि आपसे किसी को कोई परेशानी न हो।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

हरम शरीफ़ और मिना के क़याम में पर्दे का मसला

- हज़रत आईशा (रज़ी.) का इर्शाद है, कि हम रसूल अल्लाह (स.) के साथ एहराम की हालत में होते थे, मगर जब ग़ैर मेहरम मर्द हमारे सामने से गुज़रते, तो हम पर्दा कर लिया करते थे।
- एहराम में औरतों का चेहरा और हाथ खुला रहना ज़रूरी है, मगर पर्दे का जो इस्लाम में शरई हुक्म है वह खतम नहीं होता है। एहराम की हालत में भी औरतों को वैसे ही पर्दा करना है जैसे ग़ैर एहराम की हालत में करना है।
- मक्का और मदीना शरीफ के क़याम में एक कमरे में ७: से ८ या उससे भी ज्यादा लोगों को रखा जाता है। अगर सारे लोग उम्र दराज़ और बुज़ुर्ग हों, तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती अगर उन में जवान और कम दीनदार हों, तो मस्तूरात का उन के दरमियान बग़ैर पर्दे के सोना बहुत मअयूब और तकलीफ़ दह काम है। कमरे में मकान मालिक की तरफ़ से पर्दे का कोई इन्तेज़ाम नहीं होता, पर्दे के लिए आप को घर से खुद पर्दा, रस्सी और कम्बलें वग़ैरह ले जाना होगा और मकान मालिक की इजाज़त से कमरे में कीलें लगाकर पर्दा करना होगा, इस लिए हज के सफ़र पर जाते वक़्त ही ये सामान साथ लेते जायें। पर्दे के कपड़े और रस्सी वग़ैरह आप को वापसी के सफर पर लगैज के ऊपर बांधने के भी काम आयेंगे।
- मिना में क़रीब ७० मर्द और औरतों को एक ही खेमे में रहना होता है। यह खेमा ४०x३० फिट का होता है। हुकुमत ने इन खेमों में कूलर और लाईट का बहुत अच्छा इन्तेज़ाम किया है। साथ ही खेमें के बीच में पर्दे का इन्तेज़ाम भी है। जो के शुरू में लिपटा हुआ होता है।
- मक्का में जो लोग आप के कमरे के साथी और पड़ोसी हैं यही लोग मिना में आप के खेमे में होंगे मक्का के क़याम के वक़्त ही दीनदार लोगों को पहचान लीजिए। और हो सके तो पहले ही से तय कर लीजिए। मिना पहुंच कर सब से पहले पर्दे ओर नमाज़ बाजमाअत का काम करना है। और पहले ही से आठ दस आदमी का उन दोनों कामों के लिए हम ख्याल होना ज़रूरी है।

  एक फेमिली के मर्द और औरतों का सामान और खना पीना एक साथ ही होता है, इसलिए ये बात अक्सर लोगों बहुत गिरां गुज़रती है और वह जल्दी पर्दे के लिए राज़ी नहीं होते, मगर जब आठ दस मर्द पर्दे की हिमायत करें, तो और लोग दब जाते हैं क्योंकि ये शरीअत के हुक्म पर अमल भी है।

  मिना पहुँच कर सारे लोगों को इकट्ठा कर लीजिए और हिकमत और मसलिहत से लोगों को राज़ी कर के खेमे के दरम्यान का पर्दा गिराकर औरत एक तरफ और मर्द दूसरी तरफ हो जायें।
- हज के मौक़े पर हरम शरीफ़ मे अक्सर तवाफ के लिए बहुत भीड़ होती है। ख़ास कर रूक्न यमानी और हज्र अस्वद के दरम्यान। इसी दौरान अक्सर लोगों के जिस्म एक दूसरे से छूते रहते हैं। अगर पीछे से लोगों का ज़्यादा दबाव आये, तो अपने आप को सामने वाले से दूर रखना बड़ा मुश्किल होता है।

  इस लिए अगर मुम्किन हो, तो औरतों को कम भीड़ के औकात में तवाफ करने के लिए कहें। जैसे सुबह ११ बजे, दोपहर २ बजे से ३ बजे और रात मे १ बजे से ३ बजे वग़ैरह। पहले मंज़िले और छत पर भी भीड़ कम होती है। इसलिए अगर वहाँ तवाफ़ करे, तो भी बेहतर है।, लेकिन पहले मंज़िले और छत पर दायरा वसीअ होने की वजह से तवाफ़ की मशक़्क़त बहुत बढ़ जाती है।
- औरतों के पीछे या बग़ल में मर्दों की नमाज़ नहीं होती है। इसलिए हरम शरीफ़ में मौजूद पुलिस औरतों को पीछे की सफ़ों की तरफ भेजती रहती हैं। अगर आप तवाफ़ के लिए औरतो को इस लिए अपने साथ ले जाते हैं, के कहीं रास्ता भूल न जायें, तो नमाज़ से कुछ देर पहले उन्हें औरतों की नमाज़ की जगह खुद ले जाकर बैठा दें, और नमाज़ के बाद फिर अपने साथ ले लें नहीं, तो एक औरत की वजह से कम अज़ कम तीन हाजियों की नमाज़ ख़राब होगी। एक दायें दूसरी बायें और तीसरा पीछे और उसका गुनाह और अज़ाब आप को होगा।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

जमाअत की अहमियत

हज़रत इब्ने मसऊद ;रजि.द्ध से रिवायत है कि उन्हों ने फरमायाः जिस शख़्स को इस का शौक हो कि वह क़यामत के दिन मुसल्मान की तरह अल्लाह के सामने पेश हो, वह पांचों वक्त की नमाज़ उस मस्जिद में जहाँ अज़ान दी जाती है बा-जमाअत अदा करे। अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी ;सद्ध को जो तरीका ए हिदायत अता फरमाया है उस में पांचों नमाज़ें बा-जमाअत पढ़ना भी शामिल है। तो अगर तुम ने अपने घरों में पढ़ ली जैसा ये पीछे रह जाने वाला अपने घर में पढ़ता है तो बेशक तुम ने अपने नबी ;स. द्ध की सुन्नत तर्क कर दी। और तुम ने अपने नबी ;स.द्ध की सुन्नत तर्क कर दी तो तुम गुमराह हो गए। हम ने किसी सहाबी को जमाअत से ग़ैर हाज़िर होते नहीं देखा। जमाअत से वही शख़्स ग़ैर हाज़िर होता था जो खुला हुआ मुनाफ़िक़ होता था। बीमार भी दो आदमियों के सहारे से आकर सफ़ में शामिल हो जाते थे। (मुस्लिम)

क्या हम भी मुसलमान हैं?

हज़रत हसन बस्री (रह.) जलील व क़द्र ताबई गुज़रे हैं। जिन्हों ने बड़े बड़े सहाबा (रज़ी.) की ज़ियरत की। आप (रह.) ऐसे ज़माने में थे जब के क़दम क़दम पर मुहद्देसीन, अइम्मा, उलमा और सुलहा मौजूद थे।

एक दिन किसी ने सवाल किया, हज़्रात सहाबा ए कराम कैसे थे? फ़र्माया के अगर तुम इन्हें देखते तो कहते के ये तो दीवाने हैं। और अगर वे तुम्हें देखते तो कहते के इन को इस्लाम से दूर का भी वास्ता नहीं!

अन्दाज़ा कीजिए के हसन बस्री ;रह.द्ध इस ज़माने में ये बात कह रहे हैं कि अभी सहाबा ए कराम (रज़ी.) की ज़ियारत करने वाले लोग ला तादाद मौजुद हैं। आज हमारे अफ़आल, आमाल और किरदार को देखते तो ना

हालते एहराम में मम्नु काम और उन का कफ़्फ़ारा

अल्लाह तआला कुरआन शरीफ में इर्शाद फरमाता है कि "जो शख्स इन महिनों में हज कि नियत करले तो हज(के दिनों) मे न औरतों से इख्तीलात करें, न कोई बुरा काम और न किसी से झगड़ें और जो नेक काम तुम करोगे वह अल्लाह को मालूम हो जाएगा।"(सुरहे बकरा, १९७)

- ऐसे काम जो हरम शरीफ में और एहराम पहन कर नहीं करने चाहिए, जिनायत कहलाते है। (जिनायत की जमा जिनायात है।) ऐसे काम जो एहराम पहनकर नही करने चाहिए, आठ तरह के है।

१. मर्द को सिला हुआ कपड़ा पहनना और पैरों की उपर कि हड्डी को ढांकना।
२. मर्द को सर और चेहरा और औरत को चेहरा ढॉंकना।
३. उम्रह और हज के किसी फर्ज़ या वाजिब अरकान को छोड़ देना।
४. खुशबू इस्तेमाल करना।
५. बाल उखाड़ना या काटना, बालों से जूं दूर करना या मारना।
६. नाखून काटना।
७. अज़्दवाजी तालुकात कायम करना।
८. खुश्की के जानवर का शिकार करना।

- ऐसे काम जो हरम शरीफ यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में नहीं करने चाहिए वह नीचे लिखे गए है।

१. लड़ाई झगड़ा करना।
२. घास या दरख्त काटना, किसी दरख्त कि शाखें या कांटें तोड़ना।(आप हरम के हुदुद में घास का एक तिनका भी नही तोड़ सकते)
३. शिकार खेलना, किसी शिकार किए जाने वाले जानवर को ड़राना या अपनी जगह से हटाना।

(हरम के हुदुद में जंगली जानवरों को भी अमान है।) इनको मारना तंग करना तो दूर की बात है अगर वह सायें में खड़े हो उन्हें हटाकर आप का साएँ में जाना भी हराम है।)

४. गिरी पड़ी चीजों का उठाना।

- ऊपर बताए गए ममनु काम करने पर चार तरह का जुर्माना आयद होता है।

१. एक मुट्ठी गेहुं का सदका करना जिज़ा कहलाता है।
२. फितरा के बराबर सदका यानी पौने दो किलो गेहुं या इतनी रकम के सदका को सदका कहेंगे।
३. एक छोटे जानवर की कुरबानी (बकरी, दुम्बा, भेड़ वगैरा) को दम देना कहते है।
४. एक बड़े जानवर कि कुरबानी यानी एक गाय या ऊंट कि कुरबानी को बिदना कहते है।

कुरबानी हुदुदे हरम में देना लाज़मी है और उसका गौश्त भी खुद नहीं खा सकते। सदका या सदके कि कीमत कहीं भी दिया जा सकता है।

ममनु काम और उनका कफ़्फ़ारा

१. किसी मर्द ने एहराम की हालत में सिला हुआ कपड़ा पहना तो अगर एक घंटा या उससे कम पहना तो जीझा देना होगा। अगर आधा दिन या आधी रात से कम पहना तो सदका देना होगा। अगर आधा दिन या आधी रात के बराबर या ज्यादा पहना तो दम वाजिब होगा।
२. एहराम की हालत में किसी वजह से अगर एक घंटे से कम वक़्फा तक सिर ढ़का रहा तो जिज़ा देना वाजिब है। अगर १२ घंटे से कम वक़्त तक सिर ढ़का रहा तो सदका करना वाजिब है। अगर १२ घंटे से ज़्यादा ढ़का रहा तो दम देना वाजिब होगा।
३. एहराम की हालत में गलें में फूलों का हार डालना मकरूह है। खुशबुदार फूल सुंघना भी मना है। खुशबूदार साबुन के एक बार इस्तेमाल से सदका और बार-बार इस्तेमाल से दम वाजिब हो जाता है।
४. बाल नोंचनें या खुजलाने वगैरह से दाढ़ी या सिर के तीन बाल तक गिरें तो हर बाल के बदलें जिज़ा दें। तीन से ज़ायद बालों पर सदका करें। अपने आप गिरने वालें बालों पर सदका नहीं है।
५. अगर एक हाथ या पाँव के पाँचों नाखून एक ही वक्त में काटें तो एक दम वाजिब होगा अगर चारों हाथ और पैरों के सारे नाखून एक ही वक्त में काटे तो भी एक ही दम वाजिब होगा। अगर चारों हाथ पैरों के सारें नाखून अलग अलग काटें तो उतने बार दम देना होगा। अगर किसी हाथ पैर के पांचों नाखून एक साथ नही काटें बल्कि एक-एक या दो-दो नाखून काटें तो जितने नाखून उतने-उतने सदके देनें होंगे।(यानी जब पाचों नाखुन एक साथ काटें जाएं तो दम लाज़ीम होगा वरना सदका)। टूटें हुए नाखुन को काटनें या तोड़ने पर कोई सज़ा नहीं है।
६. अगर किसी ने जंगली या मैदानी जानवर का शिकार किया या शिकार करनें में किसी की मदद की, तो इसी जानवर के मिस्ल सदका करना होगा।
७. अगर किसी ने बीवी से बोस व किनार किया और अगर इन्ज़ाल न हो तो इसपर तौबा व इस्तगफार है। अगर इन्ज़ाल हो जाएं तो इसका कफ़्फ़ारा एक गाय या ऊंट का दम देना है।
८. अगर किसी ने बीवी से हम-बिस्तरी किया और अगर यह हम-बिस्तरी १० तारीख को बड़े शैतान को कंकरी मारने से पहले कि थी तो उसका हज नहीं होगा। उसे हज के बाकि अरकान पूरें करने होंगे। अगले साल दोबारा हज करना होगा। और एक ऊंट या गाय दम देना होगा।

अगर हमबिस्तरी १० तारीख को बड़े शैतान को कंकरी मारने के बाद की तो उसका हज हो जाएगा। मगर बड़े जानवर की कुरबानी देनी होगी।

९. अरकान तर्क करने के मुतअ़ल्लिक:-

कामः हज और उम्रह के वाजिब अरकान का छूट जाना।

कफ्फाराः अगर हज और उम्रह का कोई भी वाजीब रूक्न छूट जाएगा, तो हज और उम्रह हो जाएगा मगर दम देना होगा।

कामः हज और उम्रह के फर्ज अरकान का छूट जाना।

कफ्फाराः हज और उम्रह का अगर कोई भी फर्ज छूट जाएं तो हज या उम्रह नहीं होगा। ऐसी हालत में हाजी तवाफ, सई और हलक करवाकर ऐहराम उतार दें मगर फिर उसे उम्रह या हज दौहराना होगा।

(बाकी पेज 29 पर)

औरतों का एहराम

औरतें भी हज के तमाम अफ़आल मर्दों की तरह करें लेकिन कुछ अमूर में उन के लिए मर्दों से अलग हुक्म है और चन्द अमूर औरतों ही के साथ मख़सूस हैं उन की तफ़सील नीचे दिए हुए तरीके से है।

१) औरतों के लिए किसी भी सफ़र के लिए मेहरम का साथ होना ज़रूरी है। हज और उम्रा का सफ़र बग़ैर मेहरम के करना नाजायज़ है और गुनाह है।

२) अगर किसी औरत पर हज फ़र्ज़ है मगर किसी मेहरम का साथ नहीं, तो उसको चाहिए के मेहरम मिलने तक हज मुल्तवी कर दे। इस मजबूरी की वजह से हज में जो ताख़ीर होगी उसका कोई गुनाह न होगा और अगर उसी हालत में मौत आ गयी तो औरत को मरते वक़्त हज-ए-बदल के लिए वसीयत करना वाजिब है।

३) इद्दत वाली औरतें अय्यामे इद्दत में मेहरम होने के बावजूद हरगिज़ हज के लिए ना जायें, ये उन के लिए हराम है।

४) मेहरम वह शख़्स है जिससे निकाह हमेशा के लिए हराम है। जैसे; बाप, बेटा, भाई, भतीजा, भांजा, शौहर का बाप वग़ैरह।

५) बहनोई, फूफा, ख़ालू, वग़ैरह मेहरम नहीं हैं।

६) अगर औरत माल दार हो और मेहरम के साथ भी हो, तो वह शौहर कि इजाज़त के बग़ैर पहला हज कर सकती है। क्योंके एक हज फ़र्ज़ है। नफ़्ली उम्राह और हज के लिए शौहर की इजाज़त ज़रूरी है।

एहराम का बयानः

१) औरतों का एहराम उन के रोज़ मर्रह के कपड़े हैं। सिर्फ़ इस बात का ख़्याल रखें कि ये कपड़े बारीक, चुस्त और ऐसे न हों जिस से दुसरों की तवज्जह आप की तरफ़ खिंचे। कपड़े बिल्कुल सादा और साफ़ सुथरे होने चाहियें।

२) एहराम की हालत में बाल काटना और तोड़ना मना है। ओढ़नी अगर सिर से बार बार सरकती रहे, तो उसके सरकने से बार बार सिर ढाकने से हो सकता है के बाल टूट जायें, इस लिए एहतियात के लिए सिर पर एक रूमाल या टोपी बांध ली जाती है। ये सिर्फ एहतियात की तदबीर है। सिर पर बांधा जाने वाला कपड़ा या टोपी का एहराम से कोई वास्ता नहीं है। ये औरतों का एहराम नहीं है। मर्दों के लिए जैसे एहराम के कपड़े और एहराम की चादरें हैं इस तरह औरतों के लिए एहराम का कोई मख़सूस कपड़ा नहीं है।

३) एहराम की हालत में औरतों को चेहरा खुला रखना है। इसलिए सिर पर टोपी या रूमाल बांधते वक़्त इस बात का ख़्याल रखें के माथा ढका ना हो वर्ना सदका या दम देना लाज़िम होगा।

४) मर्दों की तरह आरतों को क़दम के उपरी हिस्से की हड्डी को खुला रखना ज़रूरी नहीं है। औरतें जूतियां पहन सकती हैं, जिससे ये हड्डी छिप जाये।

५) ग़ुस्ल और वुज़ू करते वक़्त सिर पर बांधी हुई टोपी या रूमाल का खोलना ज़रूरी है। सिर खोल कर अगर आप ने सिर का मसह न किया, तो न वुज़ू होगा न ही आप की नमाज़ होगी।

६) उम्रह में सई के बाद, और हज में क़ुर्बानी के बाद हलाल होने के लिए तमाम सिर या कम अज़ कम एक चौथाई सिर के बालों से लम्बाई में उँगली के पोर के बराबर तक सिर के बाल काट लें। (क़रीब एक से सवा इंच) ये बाल वह ख़ुद भी अपने हाथ से काट सकती हैं या अपने जैसे किसी और ख़ातून हाजी से जिस ने बाल काटने के पहले के सारे अरकान अदा कर लिए हों बाल कटवा सकती हैं। औरतों का अपने शौहर और अपने साथ आऐ महरम मर्द को छोड़ कर किसी ग़ैर महरम से बाल कटवाना जाएज़ नहीं है।

बाल काटने का आसान तरीक़ा है कि बाल की चोटी के आख़री सिरे को उंगली पर लपेट लें और फिर काटें। ख़्याल रहे कि एक पोर की लंबाई से कम बाल न कटे।

७) एहराम की हालत में कंघी न करें। अगर जान बूझकर कोई बाल टूट गया, तो जिज़ा देना होगा।

८) बे ख़ुशबुदार तेल जिस्म पर और बालों में लगाया जा सकता है। बाल टुटने के डर से अगर न लगाया जाऐ तो बेहतर है।

९) एहराम की हालत में सुर्मे का इस्तेमाल मकरूह है।

१०) हालते एहराम में मेंहदी लगाना या ख़िज़ाब करना मकरूह है।

११) एहराम की हालत में औरतें ज़ेवर पहन सकती हैं। मगर ज़ेवर ऐसा न हों के दुसरों की तवज्जह आप की तरफ़ हो जाऐ।

औरतों के लिए मुमानिअत :

१) औरतें तल्बिया, तकबीर या और कोई तसबीह बुलंद आवाज से न पढ़ें । औरतों के आवाज़ का भी पर्दा है।

२) औरतें न रमल करें न सफ़ा मरवा के दरम्यान तेज़ चलें ,न दौड़ लगायें।

३) नबी करीम (स.) ने रास्तों पर चलते वक़्त औरतों को रास्ते के किनारे चलने का हुक्म दिया था ।

इस हुक्म के बाद सहाबे कराम (रज़ी.) कि औरतें रास्ते के इतना किनारे चलती थी कि उनके कपड़े दिवारों से रगड़ खाते थे।(अबु दाऊद शरीफ़)

हज़रत अबु हुरैरा(रज़ी.) से रिवायत है कि नबी करीम(स.) ने फरमाया "मर्दों के लिए सबसे बेहतरीन सफ़ पहली सफ़ है और सबसे बद्तरीन सफ़ आख़री सफ़ है और औरतों के लिए सबसे बेहतरीन सफ़ सबसे आख़री सफ़ है सबसे बद्तरीन सफ़ पहली सफ़ है"(अबू-दाऊद.)

४) कोई अमल या इबादत उस वक़्त तक कामिल नहीं हो सकती जब तक नबी करीम (स.) के हुक्म के मुताबिक़ न हो। इसलिए औरतें तवाफ़ करते वक़्त मर्दों के दरम्यान घुस कर न तवाफ़ करें न ही सई करें, और नमाज़ भी औरतों के नमाज़ के मुक़ाम पर पढ़ें, मर्दों के दरम्यान न पढ़ें।

५) अगर कोई औरत जमाअत में मर्दों के दरम्यान खड़ी हो जाये, तो उस औरत के दायें, बायें और पीछे खड़े होने वाले मर्दों की नमाज़ नहीं होगी उसका गुनाह उसी औरत पर, और उसके साथ ज़िम्मेदार मर्द होगा। हरम का एक गुनाह एक लाख गुनाह के बराबर है। इसलिए मर्दों के दरम्यान नमाज़ पढ़कर लाखों के हिसाब से गुनाह न कमायें।

६) हज के मौक़े पर हरम शरीफ़ में अक्सर तवाफ़ के लिए बहुत भीड़ होती है। ख़ास कर रुक्न ईमानी और हज्रे अस्वद के दरम्यान। इसी दौरान अक्सर लोगों के जिस्म एक दूसरे छूते रहते हैं। अगर पीछे से लोगों का ज़्यादा दबाव आये, तो अपने आप को सामने वाले से दूर रखना बड़ा मुश्किल

होता है।

इस लिए अगर मुम्किन हो, तो औरतों को कम भीड़ के औकात में तवाफ़ करने के लिए कहें। जैसे सुबह ११ बजे, दोपहर २ बजे से ३ बजे और रात मे १ बजे से ३ बजे वग़ैरह। पहले मंज़िले और छत पर भी भीड़ कम होती है। इसलिए अगर वहाँ तवाफ़ करे, तो भी बेहतर है।, लेकिन पहले मंज़िले और छत पर दायरा बड़ा होने की वजह से तवाफ़ की मशक़्क़त बहुत बढ़ जाती है।

७) एहराम कि हालत में औरतों का सिर्फ़ चेहरा खुला रखना है। एहराम में पर्दे का हुक्म मनसूख़ नहीं है।

हज़रत आईशा (रज़ी.) फ़रमाती है, के हम औरते हज में रसूल अल्लाह (स.) के साथ एहराम की हालत में थी, एहराम कि वजह से हम चेहरो पर नक़ाब नहीं डालती थी। मगर जब हमारे सामने से मर्द गुज़रते तो हम अपनी चादर सिर के ऊपर से लटका लेती थी और इस तरह पर्दा कर लेती थी। और फिर जब मर्द आगे बढ़ जाते तो हम अपने चेहरे खोल देती थी। (अबू-दाऊद, मआरिफ़ुल हदीस)

८) पर्दा करना अफ़ज़ल या सिर्फ़ सवाब का काम नहीं है। बल्कि औरतों पर वाजिब है। क्योंकि पर्दे का हुक्म अल्लाह तआला ने वही के ज़रिए क़ुरान मजीद के आयत में नाज़िल फ़रमा दिया है और इस आयत का मफ़हूम इस तरह है।

"ऐ नबी (स.)! अपनी बीवियों से, और अपनी साहबज़ादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वह अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें।" (क़ुरआन मजीद सूरः इहज़ाब आयतः ५९)

इस लिए अगर आप अपने घर और मोहल्लों में पर्दा नहीं करती हो, तो भी हज के सफ़र से पहले बुर्क़ा या बड़ी चादर ज़रूर ले लें और हरम शरीफ़ में इस का इस्तेअ़माल ज़रूर करें। वर्ना हरम शरीफ़ में हर चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा है, जैसे, एक नेकी का सवाब एक लाख है वैसे ही एक ग़लती भी एक लाख गुनाह के बराबर होगी।

नापाकी की हालत में इबादत:

एहराम की हालत में हाइज़ा औरतें नमाज़ और तिलावत-ए-क़ुरआन को छोड़ कर दिगर इबादात कर सकती हैं। उन के लिए ज़िक्र और दरूद व वज़ाइफ़ पढ़ना जायज़ है। मुस्तहब ये है के हर नमाज़ के वक़्त पाक साफ़ होकर वुज़ु कर के मुसल्ले पर बैठ कर जितनी देर नमाज़ अदा करने में होती है उतनी देर ज़िक्र व दुआएं पढ़ती रहे ताकि इबादत की आदत बाक़ी रहे।

रिवायत है, के नबी करीम (स.) ने फ़रमाया हाइज़ा औरत अगर नमाज़ के वक़्त सत्तर बार इस्तग़फ़ार पढ़ते, तो उस के लिए हज़ार बरकतें लिखी जाती है और सत्तर गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और उसका दर्जा बढ़ता है और उसको इस्तग़फ़ार के हर हुरूफ़ के बदले नूर मिलता है और बदन की रग के ऐवज़ में हज और उम्रह लिखा जाता है।

(मजालिसुल अबरार बहीर)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

हैज़ व निफ़ास के मसाइल

सफ़र से पहले हैज़ का आना:

अगर किसी को मक्का शरीफ़ के सफ़र से पहले ही हैज़ शुरू हो जाए तो ऐसी हालत में वह नापाकी ही में ग़ैर ज़रूरी बाल साफ़ कर के, नाख़ुन तराश कर, ग़ुसुल कर के एहराम के कपड़े पहन ले और मीक़ात पहुँच कर उम्रह की नीयत भी कर ले। मगर मक्का शरीफ़ पहुँच कर तवाफ़ और सई न करे। पाक होने तक इंतेज़ार करे और पाकी के बाद तवाफ़ और सई कर ले। इस नापाकी की मुद्दत में वह एहराम की हालत ही में रहेगी और एहराम की सारी पाबंदीयाँ उस के ऊपर आइद रहेंगी।

एहराम पहनने के बाद हैज़ आना:

अगर किसी को एहराम पहनने और नीयत करने के बाद मगर तवाफ़ और सई से पहले हैज़ आ जाऐ, तो वह पाक होने तक इंतेज़ार करे और पाकी के बाद तवाफ़ व सई कर के उम्रह पूरा कर लें और एहराम उतार दें। इन नापाकी के दिनों में एहराम की पाबंदियाँ आइद रहेंगी।

तवाफ़ के बाद हैज़ आना:

अगर किसी के हैज़ के दिन क़रीब हो, तो जब तक ख़ून न आ जाऐ मुताफ़ में तवाफ़ करना जाएज़ है, अगर तवाफ़ पूरा करने के बाद हैज़ आ जाए तो नापाकी ही में सई करके बाल तराश के उम्रह पूरा करे। सई के लिए पाकी शर्त नहीं है। और अगर तवाफ़ करते करते हैज़ आ जाऐ तो फ़ौरन हरम से बाहर चली जाऐ और पाकी के बाद तवाफ़ और सई कर के उम्रह पूरा करले। जब तक उम्रह पूरा न होगा एहराम की पाबंदियाँ आइद रहेंगी।

हज से पहले या हज के दौरान हैज़ आना:

अगर किसी को ८ ज़िलहिज्जा से पहले हैज़ शुरू हो जाऐ तो उम्रह ही की तरह बाल साफ़ कर के नाख़ुन तराश कर ग़ुसुल कर के एहराम की नीयत कर ले और तवाफ़ ज़ियारत को छोड़ कर सारे हज के अरकान अदा कर ले। इसी तरह हज के दौरान भी हैज़ आ जाऐ तो नमाज़, क़ुरआन की तिलावत और तवाफ़ ज़ियारत को छोड़ कर सारे अरकान अदा करे। तवाफ़े ज़ियारत के लिये पाक होने तक इंतेज़ार कर ले चाहे १२ ज़िलहिज्जा गुज़र जाऐ। पाकी हासिल करने के बाद तवाफ़े ज़ियारत, सई और बाल तराश कर एहराम उतार दे। इस तरह आपका हज हो जाऐगा। मगर तवाफ़े ज़ियारत तक एहराम की पाबंदियाँ आइद रहेंगी।

उम्रह और हज दोनों के पहले हैज़ आना:

किसी औरत ने तमत्तुआ की नीयत से एहराम बांधा और मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचने से पहले या मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचने के बाद उम्रह का तवाफ़ करने से पहले ही उस को हैज़ या नफ़ास शुरू हो गया और ख़ून जारी रहा, यहाँ तक कि ८ ज़िलहिज्जा यानी मिना जाने का दिन आ गया तो ऐसी औरत उम्रह तर्क कर दे और मम्नुआते एहराम (ख़ुशबू लगाना, नाख़ून काटना वग़ैरा) में से कोई काम कर के सर के बाल खोल कर उस में तेल डाल कर कंघी कर के उम्रह का एहराम खोल दे और फिर ग़ुस्ल कर के "हज का एहराम" बांध कर तल्बियाह पढ़े और मिना चली जाए और हज के तमाम अफ़आल अदा करती रहे और हैज़ बंद होने के बाद पाकी का ग़ुस्ल कर के तवाफ़े ज़ियारत और सई करे। अब उस औरत का हज "हज्जे अफ़राद" शुमार होगा।

हज से फ़राग़त के बाद इस छोड़े हुए उम्रह की क़ज़ा की नीयत से एक उम्रह कर ले और क़ुरबानी यानी दम दे, यह दम जो साबिक़ उम्रह छोड़ने की वजह से वाजिब हुआ था।

ऐसी औरत पर "हज्जे तमत्तुआ" के शुक्राने का "दम" वाजिब नहीं है। इस

लिए कि उस का हज, हज्जे अफ़राद हुआ है। और हज्जे अफराद करने वाले पर कुरबानी नहीं है। (बैरुल फतावा २३३/४, ऐनी शरह बुखारी १२३/१०, मिश्कात ३०४-३०६/२)

नोटः जिस औरत को अपनी आदत के मुताबिक इस बात की उम्मीद न हो कि वह पाक हो कर अय्यामे हज से पहले उम्रह अदा कर सकेगी। उस के लिए बेहतर यही है की वह हज्जे अफराद का एहराम बांधे ताकि उम्रह छोड़ने की वजह से जो दम वाजिब होता है, वह लाज़िम न हो।

नापाकी की हालत में तवाफ़े ज़ियारतः

२४ से २७ अक्तोबर १९९७ हज हाउस मुंबई में मुनक़िद होने वाली १० वी फिक़ही सेमिनार में हज व उम्रह से मुतल्लिक जो अहम तजावीज़ और फैसले सामने आए थे, उन में से एक तजवीज़ नं. १० इसबजैल करार पाई थी।

(अलिफ) तजवीज़ नं. १० :-

अगर तवाफ़े ज़ियारत से पहले किसी औरत को हैज़ का खून आ जाए और उस के पहले से तय शुदा प्रोग्राम में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वह हैज़ से पाक हो कर तवाफ़े ज़ियारत कर सके तो उस के लिए पहले तो ज़रूरी है कि हर मुम्किन कोशिश के ज़रिए (पाक हो कर तवाफ़े ज़ियारत कर सके इतने वक़्त के लिए अपना सफर मोअख्खर करवा ले) अगर यह मुम्किन न हो तो हालते हैज़ ही में तवाफ़े ज़ियारत कर ले, और एक बड़े जानवर की कुर्बानी दम-ए-जनाबत की नीयत से करें। इस तरह करने से उस का तवाफ़े ज़ियारत अदा हो जाएगा और तमाम पाबंदी से मुकम्मल हो जाएगी।

एक एहतेयातः-

ऐसी हालत में औरतें तवाफ़े ज़ियारत, मताफ़ के बदले पहली मंज़िल पर या छत पर करें। क्युंकि हुजूर (स.) के ज़माने में और हज़रत उमर (रज़ी.) के दौर-ए-खिलाफ़त तक मताफ़ बहुत छोटी जगह थी, और अतराफ़ में कुरैश के मकान हुआ करते थे । हज़रत उम्मे हानी (रज़ी.) का घर जहाँ से हुजूर (स.) मेअ़राज के लिए तशरीफ़ ले गए थे बाब अब्दुल अज़ीज़ से दाखिल होने के बाद तहखाना के लिए जो बाएँ तरफ़ रास्ता है और जहाँ पर अब एक ऊँची जगह पर कुरआन शरीफ़ रखने की जगह है वहीं पर था। और पचास साल पहले तक नई मस्जिदे हराम शरीफ की इमारत की जगह पर होटल और लॉज थे जहाँ लोग रहा करते थे। उन में औरतें भी थीं और उन्हें हैज़ और नफास आता ही होगा।

आज उसी जगह पर मुताफ़ के अतराफ़ शानदार मस्जिदे हराम है और नमाज़ पढ़ी जाती है और पहले मंज़िले और छत पर तवाफ भी किया जाता है।

हैज़ की हालत में मस्जिद में दाखिल होना जाइज़ नहीं है मगर जब मजबुरी की हालत में दाखिल होना ही पड़ रहा है, तो मस्जिदे हराम में भी खाना काबा से इतनी दुरी बनाऐं रहें जितनी दूर हुज़ुर(स.) के ज़माने में हाईज़ा औरतें रहा करती थीं। अगर तवाफ़ पहले मंज़िले या छत पर किया जाऐ, तो यह दूरी बनी रहेगी और तवाफ़े ज़ियारत भी हो जाऐगा और हज के अरकान भी अदा हो जाऐंगे। मगर इस एहतेयात के बावजूद बड़े जानवर की कुरबानी दम-ए-जनाबत की नीयत से देनी ही होगी। (वल्लाह आलम बिस्सवाब) (यह एहतेयात एक सलाह है इस पर अमल करना लाज़मी नहीं है।)

बग़ैर तवाफ़े ज़ियारत के घर वापसीः

तवाफ़े ज़ियारत हज के तीन फराइज़ में से एक फ़र्ज़ है। अगर कोई किसी वजह से तवाफ़े ज़ियारत नहीं करेगा तो उस का हज पूरा न होगा और न वह अपने शरीके हयात से अज़वाजी तालुक़ात क़ायम कर सकता है। दोनों एक दुसरे के लिऐ उस वक़्त तक हराम होंगे जब तक तवाफ़े ज़ियारत न कर लें। इस लिए अगर कोई १२ ज़िलहिज्जा तक न कर सका तो तवाफ़े ज़ियारत में देरी करने कि वजह से सिर्फ दम देना होगा मगर इसके बाद वह सारी उम्र मे कभी भी कर सकता है।

तवाफ़े विदा से पहले हैज़ आनाः

अगर कोई औरत हज के सारे अरकान पूरे कर चुकी और मक्का शरीफ़ से रवानगी से पहले हैज़ आ गया तो ऐसी हालत में वह तवाफ़े विदा न करे और बग़ैर तवाफ़े विदा किए अपने सफ़र पर रवाना हो जाऐ। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ी.) से हदीस मरवी है के "नबी करीम (स.) ने हाएज़ा औरत को रुख़्सत दी है कि अगर उस ने तवाफ़े ज़ियारत कर लिया हो, तो तवाफ़े विदा किऐ बग़ैर ही सफ़र पर रवाना हो जाऐ" (अहमद, हदीस नं. २४०४)

बीमारी का ख़ूनः

ज़्यादा से ज़्यादा हैज़ की मुद्दत दस दिन और कुछ बच्चे की पैदाइश के बाद निफ़ास की मुद्दत चालीस दिन है। इससे ज़्यादा मुद्दत के बाद भी अगर ख़ून आये, तो वह इस्तहाज़ा यानि हैज़ की पुरानी बीमारी में शुमार होगा।

इसी तरह किसी औरत को हमेशा यह आम तौर पर सिर्फ़ तीन दिन या पांच दिन ही हैज़ का ख़ून आता हो और हरम शरीफ़ में इतने दिनों तक खून आ जाये, तो ज़्यादा दिन का खून भी हैज़ के बदले बीमारी में शुमार होगा।

इसी तरह अगर किसी औरत को तीन दिन से कम दिन ख़ून आये, तो भी बीमारी में शुमार होगा।

अगर ऐसी बुढी औरत जिस के हैज़ बंद हो चुके हो उन्हे ख़ून आये तो भी बीमारी में शुमार होगा।

अगर किसी हामिला औरत को ख़ून आ जाए तो वो भी बीमारी के खून में शुमार होगा।

इन ख़ून की पहचान यह है, के इन में हैज़ के ख़ून की तरह बदबू नहीं होती है।

इस्तहाज़ा का ख़ून या बीमारी के ख़ून की मिसाल नकसीर; (नाक से खून आना) जैसी है। जो कभी भी किसी को भी आ सकती है। इस ख़ून से औरतों को न रोज़ा या नमाज़ छोड़ने से न तवाफ़ से महरूम होना है। ऐसी औरतों को शरीअ़त मे मअज़ूर माना गया है।

यह औरतें नमाज़ के पांचों वक़्त ताज़ा वुज़ु करें; (गुस्ल लाज़मी नहीं है।) हैज़ के दिनों में वह जिस तरह पैड (Sanitary Napkin) का इस्तेअ़माल करती थीं, उसी तरह साफ़ पैड का इस्तेअ़माल करके ताज़ा वुज़ू से हरम शरीफ़ में तवाफ़ और नमाज़ अदा कर सकती हैं।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

पेज 26 का बकाया.....

(हालते एहराम में मम्नु काम और उन का कफ्फारा)

१०. हरम शरीफ के हुदूद कि गलतियाँ और कफ्फारा

कामः किसी ने हरम की बेहुरमती की, जैसे हरम के हुदूद में घास उखाड़ लिया या दरख्त की पत्तियाँ तोड़ ली या ऐसा कोई भी काम किया जिसकी मुमानिअत है।

कफ्फाराः तौबा और इस्तग़फार करना होगा और हरम की हुदुद में दम देना होगा।

कामः नापाकी की हालत में मस्जिदे हरम में दाखिल होना।

कफ्फाराः एक उंट या गाय कि कुरबानी करनी होगी।

(नोटः ऊपर बताएं गए कफ्फारें हमने बहुत मुख्तसर तौर पर लिखा है। अलग-अलग मसलक में अलग-अलग एहकाम है। इसलीए इस बारें में आप अपने नज़रियें के आलीमों से मश्विरा लें। मुअल्लिम- उल-हुज्जाज किताब में इनका तफ़सील से ज़िक्र है।)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

हरम और मीक़ात का बयान

- नबी करीम (स.) का इर्शाद है, कि "अरबों से मोहब्बत करो, क्योंकि मैं अरबी हूँ। कुरआन अरबी में है और जन्नत की जबान अरबी है। (बैहकी हाकिम) इस लिए हम सऊदी अरब का दिल से एहतराम करते हैं"
- इस क़ाबिले एहतराम मुल्क में एक वसीअ इलाके को अल्लाह तआला ने मुक़द्दस करार दिया है। सिर्फ समझने के लिए इस वसीअ इलाके को हम मुक़द्दस जिला का नाम देते हैं।
- इस मुक़द्दस ज़िले के मर्कज़ में एक इंतेहाई मुक़द्दस शहर है, इस मुक़द्दस शहर का नाम मक्का मुकर्रमा है। इस शहर की हदूद भी अल्लाह तआला ने मुतय्यन कर दिये हैं, इस की एक मशहूर हद को तन्ईम कहते हैं।
- अल्लाह तआला के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस मुक़द्दस ज़िले और मुक़द्दस शहर के हुदूद की निशानदही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन मुक़ामात पर बुर्ज या सतून की शक्ल में निशानी खड़ी कर दिया था।
- हज़रत इब्राहिम (अ.स) के बाद हर ज़माने के हुक्मरां उन निशानियों की देखभाल और मरम्मत करते रहे और वे मिक़ात कहलाते हैं, और वह आज तक करते है।
- मुक़द्दस ज़िला या मुक़द्दस शहर के वह हुदूद जिस की निशानदही हज़रत जिब्राईल (अ.स) ने हज़रत इब्राहिम (अ.स) को की थी, मिक़ात कहलाते हैं। मुक़द्दस ज़िला और मुक़द्दस शहर के मिक़ात अलग अलग हैं।
- मुक़द्दस ज़िला की सरहद (मिक़ात) के कुछ मशहूर-मुक़ामात इस तरह से हैं: ज़ुल ख़लीफा,(बीर अली), ज़ाते ईराक़, करानुलमुनाज़िल, यलमलम, जिद्दा, जिहफा, मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा की सरहद (मिक़ात) के कुछ मशहूर मुक़ामात इस तरह है: तन्ईम, जअराना, वादिए मुहस्सा, मुज़दल्फा, इज़ातुल्लैन, हुदेबिया।
- मक्का मुकर्रमा के रहने वालों को अहले हरम मक्कि कहते हैं। मक्का मुकर्रमा के हुदूद के बाहर मगर मुक़द्दस ज़िला के हुदूद के अन्दर की ज़मीन को 'हिल' कहते हैं और यहां के रहने वालों को 'अहले हिल' कहते हैं। मुक़द्दस ज़िला से बाहर रहने वालों को 'आफ़ाक़ी' कहते हैं।
- पहले ज़माने में यह उसूल था कि जब कोई शख़्स किसी नये मुल्क में तिजारत के लिए जाता, तो पहले उस मुल्क के बादशाह के दरबार में हाज़िरी देता या तोहफा पेश करके इजाज़त तलब करता और इजाज़त मिलने पर मुल्क में घूम फिर कर तिजारत करता और मुनाफ़ा कमाता। हर शख़्स के लिए हर मुल्क की सरहदें मुफ्त में खुली न थीं बल्कि कुछ उसूल थे और मौज़ों उसूल थे।
- ऐसे ही उसूल इस मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा के लिए भी है । कोई भी शख़्स किसी भी ज़रूरत से चाहे वह इबादत की ग़र्ज से हो या तिजारत की ग़र्ज से हो दनदनाते हुए इस शहर में दाख़िल नहीं हो सकता है। उसे कुछ उसूल की पाबंदी करनी ही होगी। वह निचे दिए हैं।

१) मुक़द्दस ज़िला की सरहद (मिक़ात) में दाख़िल होने से पहले एहराम पहने।

२) तल्बिया पढ़ते हुए सारे जहां के ख़ालिक़ व मालिक के घर पर हाज़िरी दें।

३) फिर मौके के मुताबिक़ हज या उमरह करें।

४) इन सब से फ़ारिग़ होकर वह फिर दूसरे काम कर सकता है।

५) मुक़द्दस शहर मक्का में अगर किसी आफ़ाक़ी को सिर्फ तिजारत के लिए जाना हो और इबादत का इरादा न हो तब भी उन उसूलों की पाबंदी करना लाज़िमी है। यानि हज या उमराह करना ही होगा।

६) अहले हिल और अहले हरम के लिए तिजारत की ग़र्ज़ या सिर्फ तवाफ़ की गर्ज़ से मुक़द्दस शहर और मुक़द्दस ज़िला के दरम्यान बग़ैर एहराम की पाबंदी के आने और जाने की इजाज़त है। मुक़द्दस ज़िला से बाहर जाने के बाद उन्हें भी एहराम पहन कर हरम शरीफ़ की हुदूद में दाख़िल होना है।

- अहले हिल और अहले हरम को अगर उम्रह अदा करना है, तो इन मुक़द्दस शहर की सरहद पर पहुँच कर पहले एहराम पहनना है, फिर तल्बिया पढ़ते हुए सारी कायनात के ख़ालिक़ व मालिक के दरबार में हाज़िरी दे कर उम्रह के अरकान अदा करना है। तन्ईम इन मुक़ामात में से एक है।
- अहले हरम और अहले हिल को अगर हज करना है, तो उन्हें घर ही से एहराम पहनना है।

मुक़द्दस ज़िला से बाहरी रहने वाले यानी आफ़ाक़ी जब मुक़द्दस शहर मक्का पहुंचकर उम्रह या हज कर लेते हैं और मक्का मुकर्रमा में ही क़याम करते हैं, तो वह भी अहले हरम की तरह हैं यानि अगर उन्हें उम्रह करना है, तो ज़िला के सरहद पर (मिक़ात) पर एहराम बांधने की ज़रूरत नहीं है। वे अहले हरम की तरह मुक़द्दस शहर की सरहद पर जाकर एहराम बांध सकते हैं, इसलिए हाजी हज़रात मक्का के क़याम में सिर्फ तन्ईम तक जाकर एहराम बांधते हैं। मगर यही हज़रात अगर मुक़द्दस ज़िला से निकलेंगे यानी मिक़ात से बाहर चले गये, तो फिर उम्रह करने के लिए मुक़द्दस ज़िला की सरहद या मिक़ात से ही एहराम बांधना होगा। इसी लिए मक्का से मदीना जाने के बाद अगर वापस आकर फिर उम्रह करना हो, तो ज़ुल्हलेफ़ा जो के मदीना की तरफ से मुक़द्दस ज़िला की सरहद है या मिक़ात है वहां से एहराम बांधना ज़रूरी है।

- अगर कोई मदीना से आते वक़्त ज़ुल्हलेफ़ा के बजाए तन्ईम आकर एहराम बांधकर उम्रह करेगा, तो मुक़द्दस ज़िला में बग़ैर एहराम के दाख़िल होने के जुर्म में दम लाज़िम होगा।
- आपका वतन या रिहाईश मुक़द्दस ज़िला की सरहद या मिक़ात के जिस सिम्त है, मक्का मुकर्रमा में उम्रह या हज की नीयत से आते वक़्त इस सिम्त की मिक़ात से एहराम बांधना ज़रूरी है। आप गोल चक्कर लगा कर हरम से बिल्कुल करीब आकर एहराम नहीं बांध सकते क्योंकि अल्लाह तआला ने अपने बंदों को एहराम की हालत में तल्बिया पढ़ता देखना पसंद करता है। आप जितना ज़्यादा वक़्त एहराम पहन कर तल्बिया पढ़ते हुऐ सफ़र करें उतना ज़्यादा वक़्त अल्लाह तआला की पसंददीदह हालत में होंगे
- आप मिक़ात से गुज़रें या उसकी सीध से गुज़रें, मिक़ात पर या उससे पहले आप को एहराम पहनना ज़रूरी है। वर्ना, या तो फिर मिक़ात पर वापिस जाकर एहराम पहनना होगा या दम देना लाज़िम होगा।
- हिन्दुस्तान की तरफ मुक़द्दस ज़िला की सरहद मिक़ात यलमलम का पहाड़ है, अब आप यलमलम के पास या इस की सीध से पैदल या पानी के जहाज़ या हवाई जहाज़ से गुज़रें, इस के पहले आप को एहराम पहनना लाज़मी है हवाई जहाज़ या पानी का जहाज़ चक्कर काट कर दूसरी तरफ से जिद्दा पहुँच जायेगा और आप जिद्दा से एहराम पहन कर हुदूदे हरम में दाख़िल

(बाकी पेज 37 पर)

तारीखे मक्का मुकर्रमा और काबा शरीफ़

- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ी.) रावी हैं कि आसमान व ज़मीन की पैदाइश के ज़माने में पानी की सतह से सब से अव्वल काबा का मुकाम नमुदार हुवा। फिर इस के बाद ज़मीन इस के नीचे से फैलाई गई। (फज़ाईल काबा, पेज: ५)
- अल्लाह तआला फरमाते हैं। लोगों के लिए इबादत की गरज़ से बनाया जाने वाला पहला घर मक्का में हैं जो तमाम दुनिया के लिए बरकत व हिदायत वाला है। (सूरह आले इमरान, ९६)
- काबा शरीफ की तअ्मीर १२ मरतबा हुई। इस में पांच बहुत मशहूर हैं।

  (१) फरिश्तों ने पहली बार तअ्मीर किया। (२) हज़रत आदम (अलै.) ने दूसरी बार तअ्मीर किया। (३) हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने तीसरी बार तअ्मीर किया। (४) हुजूर (स.) जब २५ साल के थे तब कुरैश ने मरम्मत किया। (५) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ी.) ने ६५ हिजरी में नए सिरे से तअ्मीर किया।
- हज़रत इब्राहीम (अलै.) के ज़माने तक हतीम खाना काबा का हिस्सा था। कुरैश ने जब काबा शरीफ की फिर से मरम्मत की, तो हलाल और पाक दौलत की कमी की वजह से खाना काबा को पहले शक्ल में न बना सके और हतीम का हिस्सा खाना काबा में शामिल न कर सके।
- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर (रज़ी.) ने जब खाना काबा की मरम्मत की तो हतीम भी खाना काबा में शामिल कर लिया और पहले की तरह खाना काबा में दो दरवाज़े कर दिए। एक मशरिक और एक मगरिब की तरफ। जब हुज्जाज मक्का मुकर्रमा का गवर्नर बना तो उस ने हज़रत ज़ुबैर (रज़ी.) को शहीद कर दिया और खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान की इजाज़त से हतीम को फिर खाना काबा से बाहर कर दिया और मगरिबी दरवाज़ा भी बंद कर दिया। खलीफा को जब हज़रत आइशा (रज़ी) की हदीस पहुँची तो बहुत पछताया। मगर उस ने खाना काबा को इसी तरह रहने दिया और आज तक खाना काबा इसी हालत में है।
- कुरआन शरीफ में मक्का मुकर्रमा के पांच नाम हैं।

  मक्का, बक्का, अल–बलद अल–अमीन, उम्मुल कुरा, करया
- दूसरी मज़्हबी किताबों में भी खाना काबा का ज़िक्र है। हिंदुओं कि किताबों में खाना काबा के निम्नलिखित नाम हैं।

इलास्पद- इला यानी अल्लाह, और अस्पद यानी मकाम. (अल्लाह का मुकाम)

नाभा-पृथिव्या, नाभ यानी नाफ, पृथिव्या यानी पृथ्वी या ज़मीन (नाफे ज़मीन)

नाभी कमल- नाभी यानी नाफ कमल यानी कमल का फूल (उनके मुताबीक खाने काबा कि जमीन पहले कमल की फूल की तरह पानी से उपर आयी फिर चारों तरफ फैल गई और इस कमल का दरम्यानी हिस्सा खाने काबा है।)

अदि पुश्कर तीर्थ-आदि पुश्कर यानी बेहद मुक्कदस तीर्थ यानी मुक्कदस मुकाम (या बेहद मुक्कदस मुकाम)

मुक्तेश्वर- मक्त यानी मक्का, मक्का मुक्कर्मा ईश्वर यानी परमेश्वर या खुदा (मक्तेश्वर यानी खुदा का मक्का)

और भी कई नाम है जैसे दारदुकाबन, अलायास्पद वगैरह

- बाइबल में मक्का मुकर्रमा को बक्का के नाम से याद किया गया है। और खाने काबा को अल्लाह का घर बयान किया गया है।(पासल्मस ८४:४:६)
- अल्लाह तआला ने काबा शरीफ के इतराफ एक बड़े इलाके को हरम करार दिया है। हज़रत जिब्राईल (अलै.) ने इस इलाके की निशान-दही हज़रत इब्राहीम (अलै.) को की थी। हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने हरम की सरहद पर निशानी के तौर पर बुर्ज बना दिए थे। हर दौर में इस की मरम्मत होती रही। और आज तक बाकी है। इस में से एक तनुओम है। जहाँ से उमरे के लिए हाजी एहराम बांधते हैं। इस इलाके में हर जानदार को अमान है। अल्लाह तआला फरमाते हैं, "जो शख्स इस हरम में दाखिल हो जाए वह अमन वाला हो जाता है।" (आले इमरान, ९८)। इस इलाके में अगर कोई कत्ल करके भी दाखिल हो जाए, तो न इसे हरम में कत्ल किया जाएगा न गिरफ्तार, जब तक वह हरम से बाहर न आ जाए। हाँ अगर वह हरम में जुर्म करे तो सज़ा मिलेगी क्योंकि इस ने हरम की बेहुर्मती की है।
- हुज़ूर (स.) का इरशाद है कि मस्जिदे हराम की एक नमाज़, एक लाख नमाज़ों से भी बढ कर है। (मस्नद अहमद)

  यानी एक वक्त की नमाज़ ५५ साल की नमाज़ों से ज़्यादा है और यह एक लाख गुना ज़्यादा सवाब का मिलना सब नेकियों के लिए है। इसी तरह मक्का मुकर्रमा में जिस तरह नेकियां बढ़ती हैं उसी तरह गुनाह भी बढ़ते हैं।
- मुकामे इब्राहीम वह पत्थर है जिसे अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम (अलै.) के लिए नरम कर दिया था और इस पर खड़े हो कर वह खाना काबा की तअ्मीर करते थे और इस पर हज़रत इब्राहीम (अलै.) के कदमों के निशान हैं। पहले यह पत्थर खाना काबा से बिल्कुल लगा हुआ था। अल्लाह तआला फरमाते हैं कि तुम मुकामे इब्राहीम को जा-नमाज़ बनाओ। (बुखारी ७०२)

  मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होने के बाद मुकामे इब्राहीम पर नमाज़ पढने वालों से तवाफ करने वालों को दुश्वारी होने लगी तो हज़रत उमर (रज़ी) ने मुकामे इब्राहीम को खाना काबा से तकरीबन १४ मीटर दूर कर दिया था और आज तक उसी जगह है। (फ़तेह अल-बारी, शरह हदीस ७७८३)

  खाने काबा का रक्बा तकरिबन १६०० स्क्वायर फिट है अगर हतिम को भी शामील कर लिया जाए तो ये २३०० स्क्वायर फिट है खाने काबा कि ऊंचाई ४६ फिट है।

  खाने काबा की छत को तीन उमुदी सुतूनो (कॉलम) का सहारा है।

  खाने काबा के अंदरूनी हिस्से कि सजावट बिल्कुल मस्जिदे नबवी के रियाजुल जन्ना की तरह है। अंदरूनी हिस्से कि सफाई का विडीयो आप इंटरनेट यु ट्युब पर देख सकते है।
- खाना ए काबा पर पहली बार गिलाफ़ दौरे जाहिलियत में तबअ अस्अदुल हमैरी ने चमड़े का पहनाया था। हुजूर (स.) ने फतहे मक्का के बाद यमनी कपड़े का गिलाफ पहनाया था। नासिर अब्बासी ने पहली बार काले रंग का गिलाफ पहनाया था। तब से अब तक गिलाफ़ काले रंग का ही पहनाया जाता है।
- हजरे अस्वद और मकामे इब्राहीम यह दोनों जन्नत के दो चमकदार पत्थर थे, लेकिन अल्लाह तआला ने उन का नूर खत्म कर दिया। अगर अल्लाह तआला उन का नूर खत्म न फरमाते तो यह ज़मीन व आसमान के दरम्यान या मशिरक और मगरिब के दरम्यान पूरी दुनिया को रौशन कर देते। (मस्नद अहमद २१३/२)
- ज़मीन पर बेहतरीन पानी आब ए ज़म ज़म है। यह खूराक भी है और बीमारी से शिफा भी। (मोअज्जा कबीर, तिबरानी, हदीस १११६८)
- हजरे अस्वद और काबा के दरवाज़े की दरम्यान जगह को मुलतज़म कहा जाता है। हज़रत मुजाहिद ने फरमाया, जो इस जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेगा, अल्लाह तआला ज़रूर उस की दुआ कबूल फरमाएँगे। (तारीख ए मक्का, अज़रकी ३६८/२) हुजुर (स.) यहाँ दीवार से इस तरह चिमट कर दुआ मांगा करते जैसे बच्चा अपनी माँ से चिमट जाता है और यहाँ इस तरह दुआ मांगना सुन्नत है।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

मक्का मुकर्रमा के तारीख़ी मुक़ामात

मौलिदे रसूल यानी हुजूर (स.) की जा-ए-पैदाइशः-

यह वह मुकाम है जहाँ २२ अप्रैल ५७१ हिजरी सन को नबी करीम (स.) रहमते आलम बन कर दुनिया में तशरीफ लाए थे। अब इसी मुकाम पर एक लायब्रेरी और मदरसा है। यह मुकाम हरम शरीफ से ३ फर्लांग की दूरी पर सफा मरवा की जानिब टैक्सी स्टैण्ड के पास है।

जन्नतुल मुअल्ला :- यह मक्का मुकर्रमा का कब्रस्तान है। यहाँ पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा (रज़ी), बहुत सारे सहाबा ताबैन और औलिया-ए-किराम (रज़ी) मदफून हैं। मस्जिदे जिन्न के करीब मीना जाने वाली सड़क पर है।

मस्जिद अल-राया :- यह वह जगह है जहाँ नबी करीम (स.) ने फतहे मक्का के मौके पर अपना झंडा नसब फरमाया था।

मस्जिदे जिन्न :- इस जगह नबी करीम (स.) ने जिन्नातों से बैतली थी।

जबल ए नूर :- यह पहाड़ मक्का मुकर्रमा से मिना जाने वाले रास्ते पर तकरीबन ३ मील की दूरी पर है। इस की उँचाई तकरीबन २००० फिट है। इस की चोटी पर ग़ार ए हिरा है, जहाँ पहली बार नबी करीम (स.) पर वही नाज़िल हुई थी।

जबल ए सौर :- यह पहाड़ मक्का मुकर्रमा से तकरीबन ६ मील की दूरी पर है। इस की चोटी पर ग़ार ए सौर वाक़ेअ है, जिस में नबी करीम (स) ने हिजरत के वक्त हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक (रज़ी) के साथ तीन दिन कयाम फरमाया था। इन दोनों पहाड़ो पर कमज़ोर, ज़ईफ और बीमार न चढ़ें।

मस्जिदे आइशा (रज़ी) :- इस मस्जिद को मस्जिदे तनईम भी कहते हैं। यह हुदूदे हरम के बाहर है। मक्का मुकर्रमा में रहते हुए अगर किसी को उम्रह करना हो तो इस मुकाम पर आ कर उम्रह का एहराम बांधा जाता है।

हज़रत ख़तीजा (रज़ी) का घर :- इस मुकाम पर नबी करीम (स.) ने मदीना मुनव्वरा हिजरत करने तक क्याम फरमाया। हज़रत इब्राहीम (अलै.) के इलावा आप (स.) की सारी औलादें इस मुकाम पर पैदा हुईं। यह मुकाम मरवा की तरफ छपरा बाज़ार में दाखिल होते ही दाएँ जानिब ज़रगरों की पहली गली में है। अब यहाँ दारूल हुफ्फाज़ कायम कर दिया गया है, जहाँ बच्चे कुरआन पाक हिफ्ज़ करते हैं।

मस्जिदे खैफ़, मस्जिदे नमरा, मस्जिदे शअ्रुल हराम, जबल ए रहमत, जम्रात यह वह मुकामात हैं जहाँ आप को हज के पांच खास दिनों में जाना होगा। मगर लोगों के हुजूम की वजह से आप किसी भी मुकाम को ठीक से नहीं देख पाऐंगे। इस लिए हज से पहले या बाद में इत्मिनान से इन मुकामात को ज़रूर देखें।

कुछ मशहूर नामों का तआ़रूफ़ः

काबा या बैतुल्लाहः अल्लाह तआ़ला का घर जिस का हज और तवाफ किया जाता है। उसको काबा या बैतुल्लाह कहते हैं, और वह मस्जिद जिस में बैतुल्लाह वाक़ेअ है उसे मस्जिदे हराम कहते हैं।

रूक्न यमानीः ख़ाना ए काबा का जुनूब मग़रिबी कोना है। यमन की सिम्त वाक़ेअ है।

रूक्न ईराक़ः ख़ाना ए काबा का ईराक़ की सिम्त का कोना है।

रूक्न शामीः ख़ाना ए काबा का शाम की सिम्त का कोना है।

हज्रे अस्वदः दीवार काबा में रूक्ने यमानी के बाद वाले कोने में नसब वह पत्थर जिसे बोसा दे कर या जिसकी तरफ मुंह कर के दूर से हाथ उठाकर तवाफ़ का हर चक्कर शुरू किया जाता है।

मुल्तज़िमः हज्रे अस्वद और बैतुल्लाह के दरवाज़े के दरमियान की दीवार जिस पर लिपट कर दुआ़ मांगना मसनून है।

हतीमः बैतुल्लाह से मुतसिल शुमाली जानिब का वह हिस्सा जो खाना ए काबा में शामिल था। यह बैतुल्लाह ही का हिस्सा है, जो कुरैश की तअ़मीर के वक्त हलाल कमाई के कम पड़ने की वजह से बैतुल्लाह से बाहर छोड़ दिया गया था।

मिज़ाबे रहमतः ख़ाना ए काबा की छत से हतीम की तरफ़ बारिश के पानी के गिरने की जगह (परनाला) यह वह जगह है, जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहस्सिलाम ने बैतुल्लाह को तअ़मीर किया था।

तन्ईमः यह एक मिकात है, जहां से मक्का मुकर्रमा में क़याम के दौरान उम्रह के लिए एहराम बांधते हैं।

मिकातः उस जगह को कहते है जहां से हुदूदे हरम से बाहर रहने वालों के मक्का मुकर्रमा के लिए उम्रह या हज की नीयत से आने के लिए एहराम बांधना ज़रूरी होता है।

जुल्हुलैफ़ाः मदीना से मक्का की तरफ तकरीबन दस किलो मीटर पर वाक़ेअ है, जो मदीना वालों का मिक़ात है।

ज़ाते ईराक़ः मक्का से ईराक़ की तरफ तक़रीबन तीन रोज़ की मुसाफरत पर है, जो ईराक से आने वालों के लिए मिक़ात है।

यलमलमः मक्का से जुनूब की तरफ दो मंज़िल पर एक पहाड़ है, यह हिंदोस्तानियों और पाकिस्तानियों के लिए मिक़ात है।

जहफ़ाः शाम की तरफ़ मक्का से तीन तीन मंज़िल पर है, जो शामियों के लिए मिक़ात है।

कुरनुल मनाज़िलः नज्द की तरफ से आने वालों के लिए मिक़ात है।

सफ़ाः काबा के क़रीब जुनूब में एक पहाड़ी है जहां से सई शुरू करते हैं।

मरवाः काबा के शुमाल मशिरकी गोशे के क़रीब एक पहाड़ी है, जहाँ से सई ख़त्म करते हैं।

मसाः सफा और मरवा के बीच सई करने की जगह।

मीलैन अख़्ज़रैनः दो सब्ज़ सतून जिन के दरम्यान सफ़ा और मरवा की सई करते हुऐ मर्दों के लिए दौड़ कर गुज़रना पसंदीदा है।

अ़रफ़ातः मिना से तकरीबन ६ किलो मीटर दूर एक मैदान है जहां की मस्जिद में हज का खुत्बा दिया जाता है और जहां हज के दिन हाज़िर होना ज़रूरी है। यह ज़रूरी नहीं है, के सिर्फ मस्जिद नुम्रा में ही हाज़िर हों बल्कि मैदाने अ़रफ़ात में जहां कहीं भी हाज़िर हों, जायज़ है। याद रहे, कि अगर आप अ़रफ़ात के मैदान में हाज़िर नहीं हुए, तो हज न होगा।

जबले रहमतः अ़रफ़ात में वह पहाड़ जिसके क़रीब नबी करीम (स.) ने हज्जतुलविदा का ख़ुत्बा दिया था।

मुज्दलफ़ाः मिना से अ़रफ़ात की तरफ़ तकरीबन एक किलो मीटर की दूरी पर वाक़ेअ मैदान जहाँ अ़रफ़ात से वापसी पर हुज्जाज किराम को रात खुले आसमान के नीचे बसर करनी होती है और अपना वक़्त बादत में गुज़ारना होता है।

वादी ए मुहस्सिरः मुज़्दल्फ़ा से मिला हुवा मैदान जहाँ से गुज़रते वक़्त दौड़ कर निकलते हैं। यहाँ क़याम करना मना है। इसी वादी में उस लश्कर को अल्लाह तआ़ला ने हलाक व तबाह कर दिया था, जो काबतुल्लाह को ढाने आ रहा था। इस लिए यह जा ए अ़ज़ाब है। यहाँ से दौड़ कर, अगर नहीं, तो जल्दी गुज़रना सुन्नत है।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

हज क्या है?

हज क्या है?

- ख़ाना-ए-काबा की तरफ़ ख़ुदा के हुक्म के मुताबिक़ आना, तवाफ़ व सई करना और अरफ़ात में ठहरने और रसूल करीम (स.) के सिखाए हुऐ तरीक़े के मुताबिक़ अरकान अदा करने को हज कहते हैं।

  हज हर मुसलमान, बालिग़, आक़िल, समझदार और हर मालदार पर, ज़िन्दगी में एक बार फ़र्ज़ है।

- अल्लाह तआला फ़रमाते हैं, कि "लोगों पर अल्लाह का यह हक़ है, कि जो उसके घर तक पहुंचने की इस्तेताअत रखता हो वह उसका हज करे।"
  (सूरह आले इमरान: ९७)

- नबी करीम (स.) ने फ़रमाया: "ऐ लोगों! अल्लाह तआला ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है, इस लिए हज करो।" (मुस्लिम निसाई)

- नबी करीम (स.) का इर्शाद है, कि: "जो हज का इरादा रखता हो, वह जल्दी करे" (अहमद अबू दाऊद)

- इमाम अहमद (रह.) इमाम अबु हनीफ़ा (रह.) और इमाम मालिक (रह.) फ़रमाते हैं, कि इन्सान माली और जिस्मानी तौर से हज करने के क़ाबिल जैसे ही होता है। उस पर हज फ़ौरन वाजिब हो जाता है। (इसमें देर नहीं कर सकते) लेकिन इमाम शाफ़ई(रह.) का ख़्याल है, कि कुछ वक़्फ़ा देर की जा सकती है, लेकिन आख़िर उम्र तक नहीं बल्कि हमेशा हज का इरादा किये रहे जब तक पूरा न कर लें (और जितनी जल्दी मुम्किन हो हज कर ले) वरना गुनाहगार होगा।

हज की फ़ज़ीलत:

- जिस शख़्स ने हज किया और ज़िना और गुनाह से महफ़ूज़ रहा, तो वह तमाम गुनाहों से पाक होकर ऐसा लौटा जैसे कि माँ के पेट से पैदा होने के रोज़ पाक था। (बुख़ारी,मुस्लिम)

- हज़रत अबु हुरैरा (रज़ी.) से रिवायत है, कि नबी करीम (स.) ने फ़रमाया कि उम्रह, दूसरे उम्रह तक के गुनाहों का कफ़्फ़ारा है, जो इन के दरम्यान सरज़द रहा और हज मबरूर का सवाब जन्नत ही है। (बुख़ारी,मुस्लिम)

हज न करने पर वईद:

- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ी.) फ़रमाते हैं, कि जो शख़्स तंदरूस्त हो, हज के अख़राजात रखता हो, फिर भी बग़ैर हज किए मर जाये, तो क़यामत के दिन उसकी पैशानी पर काफ़िर लिखा होगा। (दुर्र मन्सूर)

- हज़रत अबी इमामा (रज़ी.) फ़रमाते हैं, कि रसूल अल्लाह (स.) फ़रमाया के जिस शख़्स को किसी ज़रूरी हाजत या ज़ालिम बादशाह या शदीद मर्ज़ ने हज से नहीं रोका और उस ने हज नहीं किया और मर गया, तो वह चाहे यहूदी हो कर मरे या नसरानी हो कर मरे। (दारमी)

- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फ़रमाया के इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है। (१)कल्मा (२)नमाज़ (३)ज़कात (४)रोज़ा (५)हज, तो जो शख़्स इन में से किसी रूक्न को तर्क करता है, तो वह इस्लाम की इमारत को ढहाना चाहता है। (बुख़ारी शरीफ़)

फ़लसफ़-ए-हज:

जिस्म में दिल की और दौराने ख़ून की क्या अहमियत है?

दौराने ख़ून के अमल से ख़ून जिसे सफ़ाई की ज़रूरत हैदिल तक पहुंचाता है। और वहां से सफ़ाई के लिए भेजा जाता है और फिर साफ़ ख़ून तमाम जिस्म में वापस लौटाया जाता है, ताकि तमाम जिस्म बिल्कुल तंदुरूस्त रहे। जिस्म के वह हिस्से जिस में ख़ून का दौरान कम होता है, कमज़ोर पड़ जाते हैं और जिस्म का वह हिस्सा जिस में ख़ून का दौरान रूक जाता है, सड़ जाते हैं।

ज़मीन का मर्कज़ कहाँ है?

- अगर हम ज़मीन का नक़्शा देखें, तो जो ख़ुश्की का इलाक़ा है और जहां इंसान बसते हैं वह ख़ते उस्तवा (Equator) के ४० डिग्री जुनूब में है और ८० डिग्री शुमाल के दरम्यान है। यानि ख़ते इस्तवा ख़ुश्की के मर्कज़ से नहीं गुज़रता बल्कि ख़ुश्की के मर्कज़ से गुज़रने के लिए हमें २० डिग्री शुमाल की तरफ़ बढ़ना होगा।

- इसी तरह ज़ीरो डिग्री ख़ते तुलुल बलद ग्रीन विच मुक़ाम से गुज़रता है, मगर यह भी इंसानी आबादी और ख़ुश्की के मर्कज़ से नहीं गुज़रता बल्कि ख़ुश्की कि मर्कज़ से गुज़रने के लिए हमें २० डिग्री मशरिक़ की तरफ़ बढ़ना होगा।

- ज़मीन के आबादी वाले इलाक़ों का मर्कज़ अगर हम उपर बताए गये तरीक़े से तलाश करें, तो जिस मुक़ाम पर हम पहुंचेंगे वह शहर मक्का मुकर्रमा होगा जिसे आप ख़ुद नक़्शे में देख सकते हैं।

  (मक्का शहर दुनिया के नक़्शे में तुलुल बलद Longitude 38.5 डिग्री और अरज़ुल बलद Latitude 21.5 डिग्री पर है।)

- यह शहर ज़मीन का मर्कज़ और इस के दिल की तरह है। अल्लाह तआला ने क़ुरान शरीफ़ में फ़रमाया है -:

  पहला घर जो लोगों के इबादत करने के लिए मुक़र्रर किया गया है, वही है, जो मक्का मुकर्रमा में है। बा बरकत और जहाँ के लिए मौअजिब हिदायत।
  (आले इमरान:९६)

  तो यह घर लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है और यह बात क़यामत तक के लिए अटल रहेगी और मक्का मुकर्रमा सही दीन का हमेशा सर चश्मा रहेगा।

- जैसे अल्लाह तआला ने क़ुरआन की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी ख़ुद ली है और क़यामत तक कोई इस में तब्दीली नहीं कर सकता। इसी तरह ख़ाना काबा के उलमा और उस के ज़िम्मेदारों से दुनिया को हमेशा हिदायत का रास्ता मिलेगा। इस की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह तआला ने ख़ुद ली है। इस मुक़द्दस घर को अल्लाह तआला कभी गुमराही फ़ैलाने वाले इमाम और आ़लिम की सरपरस्ती

में नहीं देगा। या यहाँ से दुनिया में कभी गुमराही नहीं फैलेगी।

तूफाने नूह और गुमराही:

- तूफाने नूह एक आलमी सज़ा थी इस में हज़रत नूह (अलै.) और उनके साथियों के इलावा सारी दुनिया हलाक हो गयी थी। बाद में सारी दुनिया हज़रत नूह (अलै.) और उनके साथियों से ही आबाद हुई। इस लिए दुनिया की हर कौम में इस तूफाने नूह का ज़िक मौजूद है, मगर अहम बात यह है, कि हर कौम के तूफाने नूह की तफ़सील में ज़मीन आसमान का फर्क है।

(इंटरनेट पर Flood Legend के उनवान से आप खुद तलाश करके इस मौजू पर पढ़ सकते हैं।)

दुनिया नये सिरे से हज़रत नूह (अलैहिस्सलाम) और उनके साथियों से आबाद हुई, तो सारी दुनिया में जहां भी ये बसे, तुफान का किस्सा एक जैसा होना चाहीए था, मगर इस लिए नहीं है कि, हर दौर में जब इस किस्से को कहने सुनने में कुछ कुछ गलती होने लगी, तो इसकी इस्लाह करने वाला कोई न था। खता पर खता होती चली गयी और आख़िर में सारा किस्सा असल से बिल्कुल मुख़्तलिफ़ हो गया।

जो तूफाने नूह अलैहिस्सलाम के किस्से के साथ हुआ वही तमाम मज़ाहिब के नज़रयात के साथ हुआ। किसी पैग़म्बर ने शिर्क और बुत परस्ती की तालीम नहीं दी थी, मगर जब नज़रयात में बिगाड़ पैदा हुआ, तो लोगों ने इस की इसलाह की कोशिश न की या उन्होंने इस निज़ाम पर अमल नहीं किया, जिससे इसलाह हो।

- हज यह दुनिया की दाईमी हिदायत और इस्लाह का ज़रिया है। इस हज की इबादत के ज़रिए दौरान-ए-खून की तरह सारी दुनिया के इन्सानों को ज़मीन के दिल यानी मर्कज़ (मक्का मुकर्रमा) में जमा होता है और अपने इस्लाह के बाद फिर सारी दुनिया में फैल जाता है। जब तक लोग मर्कज़ में आते जाते रहेंगे उनका मज़हब और नज़रियात बिल्कुल सही रहेंगे। न कभी नमाज़ का तरीका बदलेगा न ही रोजे का न कभी ज़कात का न कभी हज का। इस्लाम हमेशा अपनी असली शक्ल में बरकरार रहेगा। मगर मर्कज से रिश्ता कमज़ोर हो गया या कट गया तो फिर सड़े हुऐ जिस्म कि हालत होती है वही उस कौम की होगी।

अल्लाह तआला ने हर कौम को इस मर्कज़ पर जमा होकर इबादत करने कि तलकीन की है मगर उन्होंने नज़र अंदाज किया और खुद गुमराह हो गये। मिसाल के तौर पर चार हज़ार साल पुराने ऋग्वेद में है;

"ए इबादत गुज़ारों और मुल्क में समंदर के किनारे दारदुकबन (खाना काबा) है। जिसे कभी इंसान ने नहीं बनाया इसमें इबादत करों ताकि अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल हो सको।" (ऋग्वेद, ३-१४४-१०)

दो हज़ार साल पुराने बाईबिल में है। (Pslam 84:1:12)

ऐ खुदा आपका घर कितना खुबसुरत है।
मेरी रूह तड़पती है तेरे घर के दिदार के लिए।
मेरा जिस्म मेरा दिल रोता है इस हमेशा ज़िंदा रहने वाले खुदा के लिए।
ऐ अज़ीम और सारी कायनात के शहनशाह
वो खुश नसीब है जिन्हें तेरे घर का दीदार हुआ
वो तेरी इबादत कसरत से करते है।
वो खुश नसीब है जिनका तुझ पर भरोसा है।
वो खुश नसीब है जिसने तेरे घर पर हाज़िरी (हज का इरादा किया)।
जब वो वादी ए मक्का (मक्का मुकर्रमा) से गुजरते है।
तो इस चश्मा (ज़मज़म) के पास ठहरते है।
जिसे बरसात का पानी (तेरी रहमत भी भर देता है)।
ऐ अल्लाह! तेरे घर का एक दिन दुसरी जगहों के हजार दिन के बराबर है।
मेरे लिए तेरे घर का दरबान बनना किसी गुनहगार के घर में रहने से बेहतर है।
ऐ अज़ीम मालिक! वो खुशनसीब है जिनका ईमान तुझ पर है।

(ये अल्फाज हज़रत दाऊद अलैसलाम के दुआ के अल्फाज है। जो उन्होंने फलस्तिन कि फतेह से पहले अल्लाह तआला से माँगे थे) इससे यह बात साबित होता है कि उस जमाने में भी लोगो को मक्का मुकर्रमा, खाने काबा, ज़मज़म और हज के बारे में पूरा इल्म था।

- हरमैन शरीफैन के ईमामों और आलीमों का मज़हब और आकिदा बिल्कुल सही है क्योंकि अल्लाह तआला ने इन मुक्कदस मुकामात के हिदायत का ज़रिया होने की ज़िम्मेदारी ले रखी है। वो सारे मसलक भी सही है जो हरमैन शरीफैन के ईमाम और उल्मा को सही समझते है और इन के पीछे नमाज़ पढ़ने में कोई कराहत महसूस नहीं करते और वह सारे मसलक और जो लोग हरमैन शरीफैन के ईमाम और उल्मा को गलत कहते है, उनके कहने का मतलब ऐसा है कि किसी ज़माने में हरम हिदायत का ज़रीया हुआ करता था अब नहीं रहा और यह इसलिए हुआ के (नऊज़बिल्ला) अल्लाह तआला ने इसकि हिफाजत कि जो ज़िम्मेदारी ले रखी थी वह पूरी न कर सके। ऐसे नज़रियात रखना गुनाह है। हरम शरीफ कि ज़ियारत इस अकिदे से करे कि चारों मुसल्ले बरहक है और चारों मसलकों में से कोई भी गलत नहीं है।

हज आख़िरत की रिहर्सल

- उलमा कहते है कि हज दरअसल सफरे आख़िरत की एक रिहर्सल है जब किसी का इन्तेकाल होता है तो दोस्त ऐहबाब उसे नहेला धुलाकर, कफन पहनाकर, कब्रस्तान ले जाकर छोड आते है। मरनेवाला विराने में कयामत तक पडा रहता है, फिर कयामत के दिन वह अपनी कब्र से निकलकर हश्र के मैदान में जाएगा और खुदा के सामने अपने अमाल का हिसाब किताब देगा। अगर किसी वजह से अमाल का वज़न कम हुआ तो उसे कोई और मौका नहीं मिलेगा बल्कि सज़ा होगी।

यह अल्लाह तआला का एहसान व करम है कि उसने इन्सानों पर हज फर्ज करके सफरे आख़िरत की रिहर्सल का मौका दिया और इस बात का मौका दिया कि दुनिया के हश्र के मैदान में आकर अमाल का पलड़ा हल्का है बंदा रो रोकर दुआ माँगे और अपनी मग़फ़िरत करा ले।

हाजी कफन (ऐहराम) पहन कर वीराने (मिना) में जाते है, फिर वहाँ से हश्र के मैदान (अरफात) जाते है और दिनभर अल्लाह की ईबादत करते है और रो रोकर पिछले सारे गुनाह माफ कराकर अपनी मग़फिरत करा लेते हैं।

अल्लाह तआला के इस एहसान और करम की कद्र करनी चाहिए हज की एहमियत को समझना चाहिए और इससे पहले कि मौत आजाए या सूरज सवा नेज़े पर आ जाए, सही तरीके से हज करके अपने आख़िरत संवार लेना चाहीए।

रिज़्क में बरकत:-

हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद (रज़ी.) से रिवायत है कि रसुल(स.) ने इर्शाद फरमाया कि हज और उम्रह पे दर पे किया करो क्योंकि हज और उम्रह फक व मोहताजी और गुनाहो को इस तरह दुर कर देते है जिस तरह लोहार और सोनार की भट्टी लोहे और सोने चांदी का मैल कुचैल दूर कर देती है और हजे

मबरूर का सिला और सवाब तो बस जन्नत ही है। (जामे तिरमीज़ी, निसाई)

ऊपर बयान किये गए मज़मून से वाज़ेह होता है कि,

१. हज का मकसद सारी दुनिया की इस्लाह और हिदायत है।

२. हज आख़िरत की रिहर्सल है।

३. अल्लाह तआला ने हज-ए-मबरूर के ज़रिए तमाम इन्सानों को गुनाहों से पाक होने का एक नुस्खा दिया है।

४. हज एक बा बरकत इबादत है। इसको करने से माल व दौलत में इज़ाफा होता है। (जो लोग हरम शरीफ में नमाज नहीं पढ़ते और दुसरे तरह के गुनाह करते है। चूंकि हरम का एक गुनाह एक लाख गुनाह के बराबर है इसलिए हज के बाद वह लोग अक्सर बर्बाद या मज़ीद बदुदीन हो जाते है, जो लोग खुलुस के साथ इबादत करने की कोशिश करते है वह हमेशा हज के बाद तरक्क़ी करते है और खुशहाल हो जाते हैं। यह मेरा ज़ाती तजरिबा और मुशाहिदा है।)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

पैदल चलने की फज़ीलत

• हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ी.) ने बिमारी की हालत में अपनी औलाद के सामने बयान किया, मैंने रसूल अल्लाह (स.) से सुना है जिसने मक्का मुअज़्ज़मा से पैदल हज किया उसके हर कदम पर ७०० नेंकिया लिखी जाती हैं यहाँ तक की मक्का वापस आजाये और हर नेकी हरम की नेकी के बराबर होती है। इब्ने अब्बास (रज़ी) से इनकी औलाद ने पुछा हरम की नेकी क्या है?फरमाया हर नेकी एक लाख नेकियों के बराबर है।

(इब्ने हज़ीमा)

मतलब यह है की हाजी अपने मकान से तो सवारी पर जाये लेकिन मक्का पहुँचकर मिना और अरफात पैदल जाएं और वापस मक्का मुअज़्ज़मा भी पैदल ही आएं।

इस हिसाब से ७०० नेंकियां, ७०० करोड़ नेकियों के बराबर होंगी और हर-हर कदम पर यह सवाब है तो सारे हज के सवाब का क्या अंदाज़ा हो सकता है।

• हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ी.) फरमाते है कि अंबियाए किराम (अ.) का मामुल पैदल हज का था। (इन्ख़ाफ)

• हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ी.) ने इन्तेकाल के वक्त अपनी औलाद को वसीयत फरमायी कि पैदल हज किया करो।

• नबी करीम (स.) उम्मत के लिए हमेशा आसान तरीका पसंद फरमाया है अपने आखरी हज के मौके पर आप (स.) ने देखा कि एक बूढ़ा दो लोगों के सहारे पैदल चल रहा है। पूछने पर पता चला कि उसने पैदल हज करने की नज़र मानी है इसलिए मजबूरन चल रहा हैं। तो आप (स.) ने इसे सवार हो जाने के लिए कहा।

इस लिए पैदल चलना बहुत अफ़ज़ल है मगर अपनी कुव्वत और इस्तकामत को देखतें हुए मुशक्कत उठाएं।

रमज़ान का उम्रह

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ी.) से रिवायते के रसुल अल्लाह (स.)ने फर्माया रमजान का उमराह हज करने के बराबर है जो मेरे साथ कीया जाए। (बुखारी-मुस्लिम)

पेज 31 का बकाया.....

(हरम और मीक़ात का बयान)

हों तब आप गुनाहगार होंगे और आप को दम देना होगा।

हरम की हुदूद में नीचे दी गई बातें हराम हैं:

१) लड़ाई झगड़ा करना।

२) घास या पेड़ काटना, किसी पेड़ की शाखें या कॉंटे तोड़ना। (आप हरम के हुदूद में घास का एक तिनका भी नहीं तोड़ सकते)

३) शिकार खेलना, किसी शिकार किये जाने वाले जानवर को डराना या अपनी जगह से हटाना।

(हरम के हुदूद में जंगली जानवरों को भी अमान है उन को मारना तंग करना तो दूर की बात है। अगर वह साये में खड़े हों उन्हें हटा कर आप का साये में जाना भी हराम है)

४) गिरी पड़ी चीज़ों का उठाना।

इन कामों में से कोई अगर एक भी काम करता है, तो गुनाहगार होगा और कफ़्फ़ारा देना होगा। मिना और मुज़दल्फ़ा भी हुदूद हरम में शामिल है और नबी करीम (स.) ने मदीना मुनव्वरा को भी हरम करार दिया है।

अल्लाह तआला कुरआन शरीफ में इर्शाद फरमाते है कि "जो शख्स इन महीनों में हज की नियत करले तो हज (के दिनों) में न औरतों से इख्तेलात करे, न कोई बुरा काम और न किसी से झगड़े और जो नेक काम तुम करोगे वह खुदा को मालूम हो जाएगा।" (सूरह बकरा, १९७)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

४० हदीसे याद करने की फज़ीलत

हज़रत अबु दर्दा (रज़ी.) फरमाते है कि रसूल अल्लाह (स.) से पुछा गयाः इल्म की कौनसी मिकदार और हद है जिस तक पहुँचने से आदमी "फकी" यानी आलीम हो जाता है? (और आख़िरत में उल्मा के जमरान में शुमार होने की सआदत हासिल कर लेता है) तो रसुल(स.) ने इर्शाद फरमायाः "जो शख्स मेरी उम्मत के नफे के लिए दीनी उमूर से मुतअल्लिक़ चालीस (४०) हदीसें याद करेगा, अल्लाह तआला (आखिरत में) इसको फकीह बनाकर उठाएगा, और मैं उसके लिए कयामत के दिन शिफाअत करने वाला और उसकी नेकी व भलाई पर गवाही देने वाला हूँगा।" (बैहकी)

इस किताब में ४० से ज़्यादा हदीसें हैं। हज के मालूमात के साथ अगर आप हदीसे भी गौर से पढ़ें और याद करलें तो इंशा अल्लाह कयामत में आपका शुमार आलीमों में होगा।

रमज़ान का उम्रह

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ;रजिद्ध से रिवायते के रसुल अल्लाह (स.) ने फर्माया रमजान का उमराह हज करने के बराबर है जो मेरे साथ किया जाए। (बुखारी-मुस्लिम)

नबी-ए- करीम (स.) का हज

नबी करीम (स.) ने सिर्फ एक बार हज किया है। इस हज को ४ नामों से याद किया जाता है। हज्जतुल बलागा, हज्जतुल इस्लाम, हज्जतुल विदा, हज्जतुल अत्माम वल अक्माम।

- सन १० हिजरी माहे ज़िल्कअदा में जब आपने हज का इरादा फर्माया तो ऐलान करा दिया। इस ऐलान पर तकरीबन १ लाख २४ हज़ार (कुछ रिवायतों मे १ लाख ४४ हज़ार) लोग मक्का मुकर्रमा पहुँचते पहुँचते आप के साथ हो गए।
- आप ने २५ ज़िल्कअदा सन १० हिजरी को ज़ोहर की नमाज़ के बाद कूच किया और मदीना से ६ मील दूर मिकाते ज़ुल हलैफा में कसर करके अस्र की नमाज़ पढ़ी और शब गुज़ारी।
- ज़ोहर के बाद गुस्ल करके एहराम बांधा और अपनी ऊंटनी पर सवार होकर ब अवाज़ बुलंद तल्बिया पढ़ा।
- आप (स.) ने हुक्म दिया कि जो कुर्बानी के जानवर साथ लाए हैं वह हज्जे किरान कि नीयत करें और जो नही लाए है वह हज्जे तमत्तो कि नीयत करें।
- उम्मुल मुअ मिनीन हज़रत आईशा (रजी) मक्का मुकर्रमा से बारह मील की दूरी पर हज से पहले ही हाइज़ा हो गई। आप(स.) ने हज़रत आईशा (रज़ी.) को हुक्म दिया कि उम्रह का एहराम उतार दो और हज का एहराम पहन लो और तवाफे ज़ियारत को छोड़कर सारे अरकान अदा करती रहें। हज़रत आईशा (रज़ी.) ने उम्हरे का एहराम उतारने के लिए सिर खोलकर कंघी किया और फिर हज का एहराम बांध लिया। हज के बाद फिर आपने तनओम से उम्रह का एहराम बांधकर छुटे हुए उम्रह को दोहराया।
- बहुत से लोग हुज़ूर (स.) के साथ पैदल सफर कर रहे थे इसलिए यह सफर ९ दिन में तय किया। रास्तें में आपका सामान से लगा ऊंट खो गया, मगर बाद में फिर मिल गया।
- रास्तें में किसी बिमारी के सबब आप (स.) नें सिर में पिछनें लगवाएं (फासिद खून निकलवाया)।
- ४ ज़िलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा में दिन के वक्त दाखिल हुए। खाने काबाह पर नज़र पढ़ी तो यह दुआ की :

  "ऐ अल्लाह, इस घर की तशरीफ व ताज़ीम, तकरीम व हैबत में इज़ाफा फर्मा। जो शख्स इस घर को शर्फ व अज़मत दें और इसका हज और उम्रह करें तो इसकी तशरीफ, तकरीम, ताज़ीम व नेकी में इज़ाफा करमा।"
- आप (स.) ने वुज़ु फरमाकर तहियतुल मस्जिद नमाज़ नही पढ़ी बल्कि सीधे तवाफ शुरू किया। तवाफ से पहले इस्तेबा किया और पहले तीन चक्करों में रमल किया और बाद के चार चक्कर मामुली रफ्तार से मुक्कमल किए। हर चक्कर में हज्रें अस्वद का इस्तेलाम(बोसा देना) किया और रूक्ने यमानी को छुआ।
- रिवायत है के जब आप (स.) हज्रे अस्वद के सामने आए तो मुहज्जीन (एक आसा जिसका सिर टेढ़ा था) से इशारा फरमाते और फिर मुहज्जीन के सिर को बोसा देते और कभी लबे मुबारक को संगे अस्वद पर रखकर बोसा देते।
- तवाफ मुक्कमल करके जब मुकामें इब्राहीम पर तशरीफ लाए तो यह आयत पढ़ी: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

  तर्जुमाः और मकामें इब्राहीम को नमाज़ पढ़ने की जगह बना लो।
- मुकामें इब्राहीम पर आप (स.) ने दो रकअत नमाज़ अदा फरमाऐं। पहली रकात में सुरेः काफीरून और दुसरी रकअत में सुरेः इख्लास की तिलावत फरमाई नमाज़ के बाद हज्रे अस्वद को बोसा दिया। उसके बाद आबे ज़मज़म नौश फरमाया और उसके बाद सफा पहाड़ी की जानीब तशरीफ ले गए और पहाड़ी के करीब पहुँचकर यह आयत तिलावत फरमाई:

  إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
  عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ
- कोहे सफा पर चढ़कर बैतुल्ला की तरफ रूख किया और तौहिद व किब्रीयाई बयान फरमाई।

  لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
  عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ
  عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

  तर्जुमाः "अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नही। वह अकेला है। इसका कोई शरीक नहीं। बादशाहत उसी की है। सब तारीफ उसी के लिए है और वह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं। वह तनहा है। उसने अपना वादा पूरा किया अपने बंदे कि मदद फरमाई और उस अकेले ने तमाम लश्करों को शिकस्त दे दी।"
- फिर दुआ मागी और यह अमल तीन बार दोहराया। सफा से मरवा की तरफ पैदल सई शुरू की। जब हुजूम बढ़ गया तो ऊंटनी पर सवार हो गए। बतने वादी में तेजी से और चढ़ाई पर आहिस्ता चलें।
- मरवा पर पहुँचकर वैसा ही तकबीर और दुआ का अमल किया जैसा सफा पर किया था। उसी तरह ७ वा चक्कर पूरा किया। सई के बाद आप (स.) ने सिर के बाल नहीं मुँडवाएं।
- आप (स.) ने इर्शाद फरमाया कि,"जिस शख्स के साथ कुर्बानी का जानवर न हो वह उम्रह के अरकान अदा करके एहराम खोल दे। हजे तमत्तु करने वालों के पास भी अगर (कर्बानी करने की इस्तेताअत न हो या) जानवर मयस्सर न हो तो अय्याम हज में तीन रोज़े रखें और बाकी ७ रोज़े अपने घरों पर पहुँचकर रखें।" आप (स.) उम्मत के लिए आसानी पसंद करते थें। इसलिए आफाकी के लिए आप (स.) ने हजे तमत्तु को ज़्यादा पसंद किया।
- उम्रह के बाद आप (स.) ने मक्का के बाहर ४ दिन कयाम फरमाया। उस दौरान नमाज़े कसर करके अदा फरमाई।
- ८ ज़िलहिज्जा सन १० हिजरी यौमें तरविया को आप और तमाम सहाबा (रज़ी.) ने मुकामें अबताह में एहराम बांधा। तल्बिया कहते हुए मक्का मुकर्रमा से मिना की तरफ रवाना हुए।
- मिना में अपने अपने वक्त पर ज़ोहर, अस्र, मगरीब, ईशा की नमाज़े अदा की। ९ ज़िलहिज्जा की रात भी हुज़ूर (स.) ने मिना में बसर फरमाई। फज्र अदा की। सुरज निकल आया तो अरफात रवाना हुए। अरफात में आप (स.) ने नमरा मुकाम पर कम्बल के खैमें में कयाम फरमाया। ज़वाल के बाद ऊंटनी कसवा को तैयार करने का हुक्म दिया। उस पर सवार होकर बतनेवादी में तशरीफ लाए और लोगों को खुत्बा फरमाया।
- आप (स.) का यह खुत्बा, खुत्बऐ हज्जतुल विदा के नाम से याद किया जाता

है। यह खुत्बा तो मुख़्तसर था मगर इसमें इन्सानों के लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का निचोड़ मौजुद है।

- खुत्बा हज्जतुल विदा के बाद हुजूर (स.) ऊंटनी से उतरे और हज़रत बिलाल (रज़ी.) को फ़र्माया के अज़ान दो। अज़ान दी गई और आप (स.) ने नमाज़े ज़ोहर और अस्र दो-दो रकअ़त करके एक के बाद एक कसर पढ़ाई।
- अहले मक्का जो आपके साथ हज के लिए आए थे वह मुकीमी थे। मगर उन्होंने भी हुजूर(स.) के साथ ही कसर नमाज़ पढ़ी।
- नमाज़ से फारिग होकर हुजूर (स.) कसवा ऊंटनी पर सवार हुए और मैदाने अरफात में आए। वहाँ दामने कोह में बड़े बड़े पत्थरों पर किब्ला रूख़ होकर ऊंटनी पर खड़े हुए और दुआ व ज़ारी शुरू की। यहाँ तक कि आफताब गुरूब हो गया। फिर आप (स.) ने फरमाया कि जिस जगह पर हम खड़े है यही मखसुस जगह नहीं है। जहाँ चाहे खड़े हो।
- अरफात में आप (स.) दुआ के लिए सीने तक हाथ उठाते थे और इस तरह दुआ माँगते थे जैसे कोई मिस्कीन रोटी तलब करता है। आप (स.) का इरशाद है कि हज यौमे अरफा है और बेहतरीन दुआ यौमे अरफा की दुआ है।
- गुरूबे अफ्ताब पर आप (स.) मुज़दल्फा के लिए रवाना हुऐं और उसामा बिन ज़ैद (रज़ी.) को कसवा ऊंटनी पर पीछे सवार कर लिया और ऊँटनी को आहिस्ता चलाने के लिए महार खींचे रखा। रास्ते में आप (स.) लोगो से फरमाते थे, "ऐ लोगों! आहिस्ता चलो। दौड़ना ठीक नहीं और भाग दौड़ परहेज़गारी के खिलाफ है।"
- आप (स.) एक रास्तें से अरफात गए और दुसरे रास्तें से आए। रास्तें में आप (स.) तल्बिया फरमाते रहें। रास्ते में आप (स.) ने इस्तन्जा किया और वुज़ु किया मगर मग़रिब कि नमाज़ के लिए नहीं रूके।
- मुज़्दल्फा में आप (स.) ने दस ज़िलहिज्जा कि रात मशअरूल हराम के पास कयाम फरमाया और फरमाया कि पूरा मुज़्दल्फा वकुफ का मुकाम हैं सिवाय बत्ने महस्सर के। मुज़दल्फा पहुँचकर फिर वुज़ू किया और एक अज़ान और दो अकामतों के साथ मग़रिब और ईशा कि नमाज़ जमा करके ईशा के वक़्त अदा फरमायी। नमाज़े कसर की और दोनों नमाज़ों के दरम्यान कोई नमाज़ नहीं पढ़ी गई। अलबत्ता बराबर तक्बीइक कहते रहे। रातभर आराम फरमाया। यहाँ तक के मामुल की तहजुद के लिए भी बेदार नहीं हुए। फज्र कि सफेदी फैलने के बाद नमाज़ें फज्र अदा फरमायी।
- सुबह की नमाज़ के बाद अल्लाह तआला से फिर मज़लुम व ज़ालीम के बारें में दुआ दोहराई जो कबूल हो गई और आप (स.) के चेहरे पर तबस्सुम के आसार नुमाया हुए।
- हज़रत सौदा (रज़ी.) और अहले बैत के कमज़ोर अफराद को रात ही में मिना जाने कि इजाज़त दे दी। साथ में हज़रत अब्दुल्ला बीन अब्बास (रज़ी.) थे। नमाज़े फज्र के बाद कसवा पर सवार हो कर मशअरूल हराम के पास खुब रोशनी फैलने तक किब्ला रूख़ होकर तसबीह व तैहलील, तकबीर और दुआओं में मशगूल रहें।
- तुलु आफताब के बाद मुज़दल्फा से मिना रवाना हुए। आप (स.) जुमरें उक्बा (बड़े शैतान) तक बराबर तल्बिया कहते रहें। हुजूम बहुत ज़्यादा था। आप बराबर लोगों को आहिस्ता चलने की तल्किन फरमाते रहें।
- बत्ने महस्सर को छोड़कर आएं तो रमी के लिए चने से बड़े और छोटे बेर से किसी कदर छोटी कंकरी जमा करने का हुक्म दिया। लोगों ने तअमिल की। फज़्ल बिन अब्बास (रज़ी.) ने आप (स.) के लिए ७ कंकरियां चुनी।
- आप (स.) जम्रह उक्बा के करीब पहुँचकर एक दरख्त के नीचे रूक गएं। उस वक्त आप के बाएं जानीब मिना और दाएं जानीब मक्का मुकर्रमा था। आप (स.) ने कसवा पर ही से हर बार अल्लाहु अकबर कहकर ७ कंकरिया जुमरे उक्बा (बड़े शैतान) पर मारी। यह रमी जुमार आप (स.) ने आफताब के तुलु हो जाने के बाद फरमाई और तल्बियां मौकुफ कर दिया।
- चाश्त का वक्त था। आप (स.) ने ऊंटनी पर बैठकर फरमाया: "मुझसे मनासिक हज सीख लो, मुझें नहीं मालुम की इस हज के बाद दुसरा हज कर सकुंगा या नहीं।" जुमरे उक्बा से आप मिना के लिए रवाना हुए। हज़रत उसामा (रज़ी.) साथ बैठे धूप से बचने के लिए चादर ताने हुए थे। हज़रत बिलाल (रज़ी.) कसवा की महार थामे हुए थे। इसके बाद आप (स.) ने खुत्बा दिया।
- १० ज़िलहिज्जा के इस खुत्बे के बाद कुरआन शरीफ कि सुरहे अल माएदा कि आयत नं ३ नाज़िल हुई। जिसका मफहूम है कि आज मैंने तुम्हारें दीन को तुम्हारे लिए मुक्कमल कर दिया और अपनी निअ़मत तुम पर पूरी कर दि और तुम्हारें लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसीयत से कबूल कर लिया है।

कुछ रिवायतों के मुताबीक यह आयत अरफात के खुत्बे के बाद नाज़िल हुई।

- ईमाम शाफई (रह.) फरमाते है, कि इस खुत्बे में आप (स.) ने मनासिक हज बयान फरमाया। खुत्बे के बाद आप (स.) से पुछा गया की कुर्बानी व कंकरिया मारने और बाल कटवानें में अरकान आगे पीछे हो जाएं तो क्या हुक्म है? आप (स.) ने फरमाया, लाहर्ज, लाहर्ज। यानि कोई मुज़ाईका नहीं, कोई मुज़ाईका नहीं।
- यहाँ से आप (स.) कुर्बानगाह कि तरफ तशरीफ लें गए और हज़रत अनस बिन मालीक (रज़ी.) के मुताबिक ७ ऊंट अपने हाथों से नहर (कुर्बान) किए। उसके बाद हज़रत अली (रज़ी) के साथ ५६ ऊंट कुर्बान किए और हज़रत अली (रज़ी.) ने ३७ ऊंट कुर्बान किए इस तरह कुल १०० ऊंट कुर्बान किए।
- कुर्बानी के बाद आप (स.) ने सिर मुंड़वाए। हज़रत मुअम्मिर बिन अब्दुल्ला अदवी (रज़ी.) ने आपका सिर मुंड़ा। सारे बाल एक-एक दो-दो हाज़रीन में तक्सिम कर दिए गएं। आप (स.) ने सिर मुंडाने वालो के लिए ३ बार और तरशवाने वालों के लिए १ बार दुआ फरमायी।
- ज़वाल आफताब से पहले आप (स.) तवाफे ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। लोगों के हुजूम की वजह से कसवा पर ही सवार हो कर बैतुल्ला का तवाफ फरमाया। तवाफ के बाद ज़मज़म पर तशरीफ लें गए और पानी नोश फरमाया। हज़रत अब्बास (रज़ी.) ने खजुर का शरबत पेश किया तो वह भी नोश फरमाया।
- हज़रत अब्बास (रज़ी.) ने पानी पिलाने की खिदमत की खातिर ११,१२,१३ ज़िलहिज्जा की रात में मिना कि बजाए मक्का में रहने की इजाज़त तलब की। आप (स.) ने इजाज़त दे दी।
- इसके बाद आप (स.) मिना वापस तशरीफ ले गएं।
- ११,१२,१३ ज़िलहिज्जा को तीनों जुमरो को कंकरिया मारी। जुमराह उला पर रमी के बाद किब्ला रूख़ होकर हाथ उठाकर बड़ी देर तक दुआ मांगी, इतनी देर कि, १ आदमी इसमें सुरेः बकरा पढ़ लें। जुमरें वस्ता पर भी ऐसा किया। जम्रह उक्बा पर कंकरिया मारी लेकिन ठहरें नहीं। वापस चलें आएं।
- अय्यामें तशरीक के वक्त में सुरेः अल नस्र नाज़िल हुई। आप (स.) १०,

११, १२, १३ ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखने से मना फरमाया। आप (स.) ने फरमाया कि यह खाने पीने के और जिक्र के दिन हैं।

- आखरी दिन ज़वाल के बाद रमी फरमायी और मिना से मक्का के लिए रवाना हुए। रात में मक्का मुकर्रमा से बाहर मुहस्सीब (मुआबदा) में कयाम फरमाया। हज़रत आईशा (रज़ी.) ने तनअीम से उम्रह किया। यह १४ ज़िलहिज्जा की रात थी।
- १४ ज़िलहिज्जा को सहरी के वक्त बेदार होकर तवाफे विदा के लिए मस्जिदे हराम तशरीफ ले गएं। तवाफ के बाद मुल्तज़ीम पर वकुफ फरमाया। यहाँ से चाह ज़मज़म पर जाकर खुद अपने दस्ते मुबारक से डोल खींचा। किब्ला रोह होकर पानी नोश फरमाया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया।
- बैतुल्ला से विदा होते हुए आप (स.) मगमुम, आबदीदा और हज़न व मलाल से मगलुब थे। आप (स.) सुरज निकलने से पहले मआअहबाब मक्का से रवाना हो गऐ और मक्कामे "ज़ी तवा" में जाकर पड़ाव डाला। वहीं रात गुज़ारी और सुबह को मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर गामज़न (रवाना) हुए। यहीं से दुसरें मुसलमान अपने अपने वतन को जाने वाले रास्तों पर चल पड़े।
- आप (स.) ने कुल १० दिन मक्का में कयाम फरमाया था। नमाज़ में कसर अदा किया। सलाम के बाद इर्शाद फरमाते थें :"मक्का वालों! सुनो, अपनी नमाज़े पूरी करों। हम तो मुसाफिर हैं।"
- सफर में एक मुकाम "खम" आया जो हजफा से ३ मील पर है। यहाँ नमाज़े ज़ौहर के बाद सहाबा कराम (रज़ी.) को हम्द व सना के बाद फरमायाः "मै तुम्हारे दरम्यान दो अम्रे अज़ीम छोड़े जाता हूँ। कुरआन मजीद और मेरी सुन्नत। इनके हुकूक की रियाअत रखना (मज़बुती से पकडे रहना।) यह दोनों चीज़ें तुमसे जुदा न हो ताकि तुम हौज़े कौसर पर मुझसे आ मिलो।"
- हज्जतुल विदा के मौके पर ६ मुकामात पर रसुल (स.) ने काफी देर रूक कर दुआ माँगी वह मुकामात यह हैः

१. सफा की पहाड़ी, २. मरवा की पहाड़ी, ३. अरफात (ज़ोहर के बाद से गुरुबे आफताब तक) ४. मुज़दल्फा (फज्र की नमाज़ से तुलु आफताब तक) ५. जुमरा-ए-उला यानी छोटा शैतान

(आप (स.) ने इतनी देर दुआ की, कि एक आदमी सुरेः अल बकराह (सव्वा दो पारा) पढ़ लें।)

६. जुमरा-ए-वस्ता यानी दरम्यानी शैतान

(यहाँ पर भी आप (स.) ने इतनी देर दुआ की, कि एक आदमी सुरेः अल बकराह मुकम्मल पढ़ लें।)

- हुज़ूर (स.) कि बिमारी माहे सफर के आखीर में सरदर्द और बुखार से शुरू हुई। लोगों ने नमुनीया ख्याल किया। मगर आप (स.) ने उम्मे अल बशर से फरमायाः "यह वह मर्ज है जो मैंने तेरे बेटे के साथ खैबर में गोश्त का तुकड़ा चख लिया था। आज उसी ज़हर कि तकलीफ से रगे जान फटी जाती है।"(सही बुखारी-जिल्द २, सफा ६९८, हदीस नं. १४४४)
- तकरिबन चौदा दिन बिमार रहने के बाद और हज्जे विदा के ८१ दिन आप (स.) ने इस दारे फानी से कूच किया और रफीके आला से जा मिले।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

जन्नत की तअ़मीर

(१)"नाफेउलखलाएक" में है कि एक रोज़ एक एराबी रसूल (स.) की खिदमत में आया और फक्र व फाक़ा से रोया। रसूल (स.) ने फर्माया के हर फर्ज़ नमाज़ के बाद दस बार 'इन्ना अन्ज़ल्ना', 'सुरह कद्र' पढ़ा करो और जुमा के दिन नाखुन कटवाया करो। एराबी ने ऐसा ही किया और मालदार हो गया।

(२) एक बार एक सहाबी ने हुज़ुर (स.) से फर्माया के या रसूल अल्लाह (स.) दुनिया मुझ से रूठ गई है। हुज़ुर (स.) ने फर्माया सुबह १०० बार पढ़ा करो।

कुछ दिन के बाद वह सहाबी वापस आए और कहा कि या रसूल अल्लाह (स) अल्लाह तआला ने मुझे इतना दिया है कि रखने की जगह नहीं।

अल्लाह तआला को ये कलमात सारे कलमात से ज़्यादा पसंद हैं। हुज़ुर (स.) ने फर्माया कि ये कलमात कहने में आसान और वज़न में बहुत भारी हैं।

(३) हुज़ुर (स.) दिन में सत्तर सत्तर बार इस्तग़फ़ार पढ़ा करते थे।

(४) दरूद शरीफ़ के इतने फ़ायदे हैं के यहाँ बयान करना मुश्किल है। सालेहीन और औलिया कराम की इबादत का ज़्यादा तर हिस्सा दरूद शरीफ़ होता था।

(५) सुरह फ़ातेहा बहुत ही बाबर्कत सुरह है। अल्लाह तआला ने कुरआन शरीफ़ में इस की तारीफ़ सात आयतों वाली बाबर्कत सुरह के नाम से किया है। इस के पढने से रोज़ी में बरकत होती है, बीमारियों से शिफ़ा होती है, कर्ज़ दूर होता है और किसी तरह के भी जिन्न और शयातीन परेशान करते हों तो सुबह सुन्नत और फ़र्ज़ के दरम्यान ४१ बार पढ़ने से दूर हो जाते हैं।

(६) मेराज की रात हज़रत इब्राहीम (अ.) ने हुज़ुर (स.) से फर्माया के जन्नत एक वीरान मैदान है जब बन्दा दुनिया में अल्लाह तआला का ज़िक्र करता है तो एक खुबसूरत दरख़्त जन्नत में इस के लिए लगाया जाता है। एक दुसरी रिवायत में है के फ़रिश्ते मोमिन का महल जन्नत में उस वक़्त तक तामीर करते रहते हैं जब तक उन के पास तामीर का सामान पहुँचता रहता है। जब तामीर का सामान पहुँचना बन्द हो जाता है तो वह फ़रिश्ते भी काम रोक देते हैं। और ये तामीर का सामान मोमिन के नेक आमाल हैं जो वो दुनिया में करता है।

(७) दुनिया की ज़िन्दगी इतनी मसरूफ़ है के हमारे पास आख़िरत और अपनी जन्नत संवारने का वक़्त ही नहीं है। अब जब के सफ़र हज के लिए हम ने दुनिया से चालीस दिन की छुट्टी ले ही ली है, तो इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठा कर अपनी जन्नत भी संवार लें। हम कोशिश करें के अपनी आसानी के मुताबिक़ दरूद शरीफ़, इस्तग़फ़ार और तस्बिहात का मुतवाज़िन विर्द इबादत का मामूल बनाऐं। और चालीस दिन इस पर अमल करते रहें जिस से कि एक आदत सी पड़ जाए और फिर वापस जाकर इसी इबादत पर अमल करना आसान हो। अगर रिज़्क़ में बरकत वाली तस्बिहात पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब तो मिलेगा ही और साथ में माली हालत भी और बेहतर होगी।

कुरआन शरीफ़ पढ़ने के भी बहुत फ़ज़ाइल हैं। इस मुकद्दस सफ़र में कम से कम दो बार कुरआन शरीफ़ भी ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर एक छोटा कुरआन शरीफ़ जिसे आसानी से हरम में ले जा सकें साथ ले लें तो और आसानी होगी। असर के जमात के बाद मताफ़ और मस्जिद ए हरम के दरम्यान सहन में बहोत सारे उलमा का बयान होता है। उर्दु में बयान दरवाज़ा नम्बर ५० और ५२ के सामने होता है। आप भी उन बयान में शामील हो कर अपने ईमान को ताज़ा किया किजीए।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

क़ुर्बानी में धोका

- हज एक अज़ीम इबादत है। बहुत सारे लोग ख़िदमते ख़ल्क के जज़्बे से पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। मिना और अरफ़ात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हाजियों को मुफ़्त बाँटते हैं।

  ऐसा ही एक तब्क़ा आप को अपनी ख़िदमत १० ज़िलहिज्जा के दिन क़ुर्बानी में मदद के लिए पेश करेगा। यह आप से कहेंगे कि हर साल हम सौ या दो सौ या इस से भी ज़्यादा हाजीयों के लिए क़ुर्बानी कराते हैं। अगर आप चाहें तो आप के लिए भी क़ुर्बानी कर के आप पर एहसान कर सकते हैं। ऐसा ही आप के बिल्डिंग के ज़िम्मेदार भी कहेंगे। ख़बरदार रहिये, यह सफ़ेद पोश मददगार नहीं, धोके बाज़ हैं।

- हर हाजी मक्का में नया होता है। १० ज़िलहिज्जा के दिन बहुत ज़्यादा काम होते हैं। लंबी दूरी तय कर के मज़्बह ख़ाना जाकर क़ुर्बानी करने का हौसला नहीं होता है। एहराम उतारने की जल्दी होती है, इस लिए हर हाजी शॉर्ट कट इख़्तियार करना चाहता है और दलालों को रूपया दे कर बरीउज़्ज़िम्मा होना चाहता है। मगर ये बहुत बड़ी ग़लती है।

- हम ने और हमारे कई साथीयों ने हज से तीन दिन पहले कअ़्कई मज़्बह ख़ाना जाकर जानवर बेचने वालों से जानवरों की क़ीमत, दलालों के ज़रिये क़ुर्बानी, मज़्बह ख़ानों में क़ुर्बानी का तरीक़ा, क़ुर्बानी के गोश्त का मस्रफ़, वग़ैरह वग़ैरह के बारे में गहराई से तहक़ीक़ात की, जिस से पता चला कि:

१. हर दलाल का जानवर बेचने वाले से एक कारोबारी संबंध होता है। अगर वह हाजियों से ३०० या ३२५ रियाल वसुल करेगा तो ऐसे जानवर ख़रीदेगा जिन की क़ीमत सिर्फ़ २७० से २८० रियाल तक होगी।

२. वह जानवर बेचने वाले से भी कमीशन वसूल करेगा।

३. अगर सौ क़ुर्बानी के लिऐ रूपया वसूल किया है, तो सिर्फ़ ७० या ८० जानवरों की क़ुर्बानी कराएगा।

४. क़ुर्बानी का एक तिहाई गोश्त ग़रीबों को बांटना होता है लेकिन अगर हाजी अपनी क़ुर्बानी का गोश्त छोड़ दें, तो दलाल पूरा का पूरा गोश्त होटलों में बेच देगा।

५. क़ुर्बानी करते वक़्त किसी भी हाजी का नाम नहीं लिया जाता है।

हम लोग तहक़ीक़ कर ही रहे थे कि उस वक्त तक हर हाजी किसी न किसी दलाल को रूपया दे चुका था। हम में से कई हाजियों ने दलालों से रूपया वापस ले लिए और जो न ले सके उन्होंने अपने दिल के इत्मिनान के लिए फिर से क़ुर्बानी की।

- मक्का मुकर्रमा में दो मज़्बह ख़ाने हैं एक मिना और मुज़्दल्फ़ा के बीच में है, और मिना से बहुत नज़दीक है। जहाँ आप पैदल जा सकते हैं। दुसरा कअ़्कई में है। मिना और कअ़्कई के बीच पहाड़ है।

  इस लिए आप को मक्का आकर कअ़्कई जाना पड़ेगा। जो कि मक्का से पाँच किलो मीटर की दूरी पर है, जहाँ जाने का किराया टैक्सी वाले २ रियाल और प्रायवेट टैक्सी वाले १० रियाल तक लेते हैं।

  कअ़्कई में क़ुर्बानी का अच्छा इन्तेज़ाम है, जहाँ बकरे, दुंबे, गाय और ऊंट वग़ैरह आप अपनी इस्तेताअत के मुताबिक़ ख़रीद सकते हैं। जानवर ख़रीद कर आप उन्हें मज़्बह ख़ाने में जमा कर दीजिऐ। वे बकरे की क़ुर्बानी का ३० रियाल, गाय का १५० रियाल और ऊंट का २५० रियाल लेंगे। क़ुर्बानी हुकुमत के आदमी ही करते हैं मगर आप गैलरी में खड़े रह कर देख सकते हैं। जानवर जमा करने पर आप को एक कूपन मिलेगा। जिसे दिखा कर अगर आप चाहें तो जानवर का पुरा गोश्त घर ले जा सकते हैं और नहीं तो हुकुमत उसे ग़रीब मुल्कों में भेज देगी।

- मिना मज़्बह ख़ाने में भी ऊंट और गाय बैल के क़ुर्बानी का ऐसा ही इंतेज़ाम है। दुसरा आसान तरीक़ा बैंक में रूपया जमा करना है। ये भी सही तरीक़ा है। बैंक में रूपया जमा करने में कोई हर्ज नहीं। क्यों के क़ुर्बानी की ज़िम्मेदारी हुकुमत लेती है और हुकुमत दिल व जान से हाजियों की ख़िदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती।

- अगर लोगों की भीड़, वक्त की कमी, खो जाने का डर, कमज़ोरी वग़ैरा से आप ख़ुद क़ुर्बानी नहीं कर सकते, तो बैंक के ज़रिए या मज़्बह ख़ाने में कूपन ले कर क़ुर्बानी कर दीजिए। वरना क़ुर्बान गाह जा कर क़ुर्बानी कीजिए, जो कि ज़्यादा बेहतर है। मगर हर हाल में दलालों से होशियार रहिए। अगर आप हज से पहले मज़्बह ख़ाना जा कर क़ुर्बानी के जानवरों के बारे में अच्छी तरह मालूमात हासिल कर चुके हैं तो ही हज के दौरान ख़ुद क़ुर्बानी कीजिए वरना मदरसा सौलतिया या बैंक के ज़रिए क़ुरबानी कीजिए, क्योंकि नए लोगों को हज के शदीद भीड़ वाले दिनों में ख़ुद क़ुर्बानी करने में कई बार बहुत मुश्किलात पेश आती हैं।

  मक्का शरीफ़ में हरम से बाहर मदरसा सौलतिया है, जो वर्षों से हाजियों की ख़िदमत करता चला आ रहा है और एक ज़िम्मेदार और दीनदार इदारा है। मदरसा सौलतिया बाबे फ़हद के करीब हारतुल बाब इलाके में बच्चियों के क़ब्रस्तान के करीब है। अगर आप मदरसा सौलतिया के ज़रिए क़ुर्बानी करें तब भी सही है। वह आप के बताए हुए वक्त पर ही क़ुर्बानी करेंगे। या फिर उनसे पूछ लें की वह आपकि क़ुर्बानी किस दिन और किस वक्त करेंगे। फिर उसके बाद सिर मुँडवाएं। इस तरह आप के अरकान सही तरतीब से अदा हो जाऐंगे।

- हाजी के लिए दो क़ुर्बानियां हैं एक हज की क़ुर्बानी और दूसरी ईदुज़्ज़ुहा की क़ुर्बानी। हज की क़ुर्बानी मुतम्आ और क़ारिन पर हुदूदे हरम में वाजिब और मुफ़रिंद पर मुस्तहब है। जबकि ईदुज़्ज़ुहा की क़ुर्बानी के लिए यह हुक्म है, कि अगर हाजी मुसाफ़िर हो, तो उस पर यह क़ुर्बानी वाजिब नहीं है और अगर मुसाफ़िर नहीं है, तो वाजिब है। यह क़ुर्बानी वह हुदूदे हरम में भी कर सकता है और अपने वतन में भी। इस लिए अगर किसी को क़ुर्बानी अपने वतन में करना हो, तो पहले ही से अपने घर वालों को क़ुर्बानी की हिदायत देकर रक्खे।

- किसी ग़लती पर अगर दम लाज़िम हो गया हो, तो वह क़ुर्बानी भी हुदूदे हरम में देना लाज़िम है, और उसका गोश्त आप ख़ुद इस्तेअ़माल नहीं कर सकते।

- बकरी, मेंढ़ा दुम्बा वग़ैरह पर सिर्फ़ एक ही क़ुर्बानी होगी। ऊंट, बैल वग़ैरह पर सात क़ुर्बानी के हिस्से हो सकते हैं।

- क़ुर्बानी के वक्त ऊंट कि उम्र कम से कम पाँच साल की हो। गाय दो साल की हो। बकरा, मेंढा, दुम्बा वग़ैरा दो दाता हो (मुसिन्ना) यह सामने के दो दात सव्वा साल में आ जाते है। मेंढ़ कि कुछ किस्मों में एक साल में ही दो दात हो जाते हैं। इससे कम उम्र के जानवर कि क़ुर्बानी का ऐतबार नहीं।

  नबी करीम (स.) ने हज के मौक़े पर अपनी और अपनी उम्मत की तरफ़ से क़ुर्बानी की थी। इस लिए हमें भी चाहिए कि अपनी क़ुर्बानी के साथ अपने शफ़ीक़ नबी करीम (स.) कर तरफ़ से भी क़ुर्बानी करें।

तवाफ का बयान

तवाफ के फ़ज़ाईल:

अल्लाह तआला कुरआन शरीफ मे फरमाते है "(लोगों को चाहिए कि) बैतुल्लाह का तवाफ करें। यह हमारा हुक्म है। जो शख़्स अदब की चीज़ों की जो अल्लाह ने मुकर्रर की है (यानी हज, उम्रह, तवाफ वगैरा) कि अज़मत रखेगा तो यह अल्लाह तआला के नज़दीक उसके लिए बेहतर है।"

(अल् हज, २९-३०)

- रसूल अल्लाह (स.) ने फरमाया: जो बैतुल्लाह का तवाफ करे और दो रकअत नमाज़ पढ़े उस को एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा।

(इब्ने माजा, किताब अल-मनासिक, बाब फज़्लुत्तवाफ २९-५६)

- आप (स.) का इर्शाद है : जिस ने बैतुल्लाह शरीफ का ७ बार तवाफ किया तो अल्लाह तआला हर हर क़दम पर उस के गुनाह को माफ फरमाते है और हर हर कदम पर नेकी लिखते है और हर हर कदम पर एक दर्जा बुलंद करते हैं। (इब्ने खुज़ैमा, इब्ने हब्बान)

- हज़रत इमाम गज़ाली (रह.) ने अपनी किताब 'अहया उल उलूम' में हज़रत इब्ने उमर (रज़ि) की रिवायत नकल की है कि हुज़ूर (स.) ने फरमाया के खाना-ए-काबा का तवाफ बहुत किया करो, वह बड़ी बुजुर्ग चीज़ है। जिस को तुम क्यामत के रोज़ अपने नामा-ए-आमाल मे पाओगे और इस के बराबर कोई दूसरा अमल रश्क के काबिल न पाओगे। (सातवाँ बाब, हज के असरार और उस की मुमानिअत)

- हुज़ूर (स.) ने इर्शाद फरमाया बैतुल्लाह का तवाफ नमाज़ की तरह है। अल्बत्ता तुम इस मे बात कर सकते हो, तो जो भी दौराने तवाफ बात करे, उसको अच्छी बात करनी चाहिए। (जामे तिर्मिज़ी, किताब उल हज, हदीस ९६)

- नबी करीम (स.) का इर्शाद है जिसने ५० मर्तबा तवाफ किया, तो गुनाहों से ऐसे पाक हो गया जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। (तिरमिज़ी)

तवाफ की शर्तें:-

- तवाफ मे भी नमाज़ की तरह शर्तें है।
- जैसे नमाज़ के लिए वुज़ु जरूरी है वैसे तवाफ के लिए भी वुज़ु ज़रूरी है।
- जैसे नमाज़ के लिए कपड़े पाक और सतर छुपा हुआ हो। वैसे तवाफ के लिए कपड़े पाक हो और सतर छुपा हुआ हो।
- जैसे नमाज़ के लिए नीयत ज़रूरी है वैसे तवाफ के लिए हज्रे अस्वद से पहले नीयत करें।
- जैसे नमाज़ तकबीर कह कर शुरू करते है वैसे तवाफ के लिए हज्रे अस्वद के सामने होकर तकबीर कहें और हज्रे अस्वद को बोसा दें। (इसको इस्तलाम कहते है।)
- जैसे नमाज़ में एक रकआत के बाद फौरन दुसरी रकआत पढ़ी जाती है वैसे ही तवाफ मे खाने काबा के अतराफ दर पे दर चक्कर लगाए। दो चक्करों मे वक्फा न हो।
- जैसे नमाज़ में नज़र सजदा कि जगह पर होती है वैसे तवाफ करते वक्त नज़र चलने की जगह पर हों।
- जैसे नमाज़ में किब्ले की तरफ या आसमान की तरफ नज़र उठाना मकरूह है वैसे तवाफ करते वक्त खाना काबा को देखना मकरूह है।
- जैसे नमाज़ सलाम फेर कर पूरी कि जाती है वैसे ही दो रकअत तवाफ वाजिब नमाज़ पढ़कर तवाफ पूरा किया जाता है।
- जैसे नफिल नमाज़ की नीयत करने के बाद अगर हम नमाज़ तोड दे तो फिर इस नफिल नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब होता है। इसी तरह तवाफ के कुछ चक्कर लगाकर छोड दे तो फिर इसका दोहराना या पूरा करना वाजिब होगा।

तवाफ के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात

- अगर तवाफ करते करते नमाज़ के लिए जमाअत खड़ी होगी तो तवाफ रोक कर जमाअत से नमाज़ पढ़ लें और छुटे हुए चक्कर नमाज़ के बाद पूरे कर ले। ऐसे वक़्त अगर तीन से कम चक्करो के बाद भी वक्फा हो जाए तो कोई मुज़ाईका नही।

  अगर चार चक्करों के पहले ही आपका वज़ु टूटता है तो वज़ू करके पूरा तवाफ यानी सात चक्कर शुरू से लगा लें। चार से कम चक्कर लगाने से पहले से वक्फा हो गया तो वह चक्कर गिने नही जाऐंगे। आप को शुरू से तवाफ करना होगा। अगर चार चक्करो के बाद वुज़ु टुटता है तो सिर्फ बचे हुवे चक्कर लगा लें।

- तवाफ शुरू करने से पहले सिर्फ हज्रे अस्वद के सामने ही आपका चेहरा और सीना खाना काबा के सामने होगा। इस के बाद दौराने तवाफ सीना खाना ए काबा की तरफ करना मकरूह है और पीठ खाना ए काबा की तरफ करना मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के बराबर है।
- एक चक्कर की जितनी दूरी आप ने खाना ए काबा की तरफ सीना या पीठ करके तय की उसे फिर से दोहरा लें। वह दूरी तवाफ के चक्करों में शामिल नही होगी।
- अगर आप ने सात चक्करों के बजाए आठ चक्कर लगा लिए हो तो फिर आपको ६ चक्कर और लगाकर दुसरा तवाफ भी पूरा करना वाजिब होगा।
- अगर किसी ने मक्का मुकर्रमा में तवाफ वाजिब नमाज न पढ़ी तो इसको अदा करना वाजिब है ज़िम्मे से साकित न होगी तमाम उम्र मे अदा कर सकता है। हरम से बाहर इस नमाज़ को पढ़ना ताखीर करना बुरा और मकरूह है।
- तवाफ हतीम के बाहर से करें। क्योंकि हतीम खाना-ए-काबा का हिस्सा है और तवाफ खाना-ए-काबा के बाहर से किया जाता है।
- तवाफ के दौरान कोई खास दुआ या आयत का पढ़ना फर्ज़ या वाजिब नही है।
- जो कुछ दुआऐं हज की किताबों मे लिखा है उसे देखकर पढ़ने से बेहतर है कि आपको जो दुआएं याद है वह समझकर माँगे। देखकर पढ़ने और आवाज़ करने से दुसरे हाजियों को तकलीफ होती है और दुसरों को तकलीफ पहुँचाना गुनाह का काम है।
- तवाफ में दुआ पढ़ना कुरान पढ़ने से अफज़ल है। दुआ तवाफ में बगैर हाथ उठाएँ माँगना चाहीए।
- रुक्ने यमानी और हजरे अस्वद के दरम्यान ७० हजार फरीश्ते तवाफ करने वालों की दुआ पर आमीन कहते है।
- ऐसा तवाफ जिस के बाद सई करना है उस के शुरू के तीन चक्करों में इज़्तबा

(बाकी पेज 51 पर)

अरकाने उम्रह और हज का बयान

उम्रह के सिर्फ़ दो फ़राईज़ और दो वाजिबात हैं, जो भी उन्हें पूरा करेगा उस का उम्रह हो जाऐगा।

इसी तरह हज के ३ फ़राइज़, ६ वाजिबात और १० सुन्नतें हैं जो भी उन्हें पूरा करेगा उस का हज हो जाऐगा।

इस किताब में हम सफ़र के अलग अलग मरहलों के लिऐ अलग अलग दुआऐं अज़्कार और नफ़िल नमाज़ का ज़िक्र करेंगे। ये सिर्फ़ हज और उम्रह की इबादत को और अफ़ज़ल बनाने के लिऐ हैं। उन के न करने पर न कोई गुनाह होगा और न हज और उम्रह की इबादत में कोई फ़र्क़ आऐगा।

१) उम्रह के फ़राईज़ :

१) मीक़ात से एहराम बाँधना, नीयत करना और तल्बिया पढ़ना।

२) ख़ाने काबा का तवाफ़ करना और तवाफ़ के बाद दो रकअत नमाज़ वाजिबुत्तवाफ़ पढ़ना।

२) उम्रह के वाजिबात :

१) सफ़ा व मरवा के दरम्यान सई करना।

२) बाल कतरवाना या मुंडवाना।

३) हज के फ़राईज़ :

१) एहराम पहन कर हज की दिल से नीयत करना और तल्बिया कहना।

२) वक़ूफ़ अरफ़ात यानी ९ ज़िल्हिज्जा को ज़वाल आफ़ताब से ले कर १० ज़िल्हिज्जा की सुबह सादिक़ तक अरफ़ात में किसी वक़्त ठहरना। अगर एक लम्हा के लिऐ ही क्यों न हो।

हुज़ूर (स.) ने फ़रमाया "हज अरफ़ात में ठहरने का नाम है।"

(जामे तिर्मिज़ी, हदीस ८८९)

३) तवाफ़े ज़ियारत जो दसवीं ज़िल्हिज्जा की सुबह से लेकर बारहवीं ज़िल्हिज्जा के मग़रिब तक किया जा सकता है।

४) हज के वाजिबात :

(१) अरफ़ात में सूरज डूबने तक ठहरना।

(२) मुज़्दल्फ़ा मे वक़ूफ़ के वक़्त ठहरना।

(३) सफ़ा व मरवा के दरम्यान सई करना।

(४) शैतान को बा-तरतीब कंकरी मारना।

(५) क़ुर्बानी करना।

(६) सिर के बाल मुंडवाना या कुतरवाना।

(७) मिक़ात से बाहर रहने वाले को तवाफ़े विदा करना।(अहले हरम और अहले हिल पर वाजिब नहीं है, सिर्फ़ मुस्तहब है।)

(८) १०,११,१२ तारीख़ को रातें मिना में गुज़ारना।

५) हज की सुन्नतें :

१) मुफ़रद आफ़ाक़ी और क़ारिन को तवाफ़ क़ुदूम करना।

२) इमाम का तीन मुक़ाम पर ख़ुत्बा पढ़ना। सातवीं ज़िल्हिज्जा को मक्का मुकर्रमा में, नवीं ज़िल्हिज्जा को अरफ़ात में और ग्यारहवीं को मिना में।

३) नवीं ज़िल्हिज्जा की रात में मिना में रहना।

४) तुलू ऐ आफ़ताब के बाद नवीं ज़िल्हिज्जा को मिना से अरफ़ात को जाना।

५) अरफ़ात से इमाम के चलने के बाद चलना।

६) अरफ़ात में ग़ुस्ल करना।

इन के इलावा भी और बहुत सी सुन्नतें हैं।

सफ़रे हज पर निकलने से पहले नीयत का बयान:-

हज तीन तरह के होते है और सफ़रे हज मे हज के साथ उम्रह भी किया जाता है, तो जब आप घर से एहराम पहन कर निकलेंगे, तो क्या नीयत करेंगे? उम्रह की या हज की और किस तरह के हज की?

हज की तीन क़िस्में हैं १.हज्जे इफ़राद २. हज्जे क़िरान ३. हज्जे तमत्तो

हज्जे अफ़राद में हाजी एहराम सिर्फ़ हज कि नीयत से पहनते है और सिर्फ़ हज करके एहराम उतार देते हैं।

हज्जे क़िरान में हाजी हज और उम्रह दोनों की नीयत से एहराम पहनते है और दोनों करने के बाद ही एहराम उतारते है। अहले हरम और अहले हिल सिर्फ़ हज्जे अफ़राद ही कर सकते है। हज्जे क़िरान और तमत्तुअ इन के लिए मना है आफ़ाक़ी के लिए छूट है कि वह तीनों में से जिस का चाहे एहराम बाँधे।

हज्जे तमत्तो में हाजी पहले उम्रह की नीयत से एहराम पहनते है और उम्रह करके एहराम उतार देते है। फिर ८ ज़िल्हिज्जा को एहराम हज की नीयत से पहनते है और हज करके उतारते है। हिन्दुस्तान से जानेवाले हाजियों को हज्जे तमत्तों ही आसान होता है। इसलिए हम इस हज को सीखेंगें।

इसलिए अगर आपकी फ़्लाईट जिद्दा के लिए हो और ८ ज़िल्हिज्जा से पहले की हो तो आपको मक्का शरीफ़ पहुँचकर पहले उम्रह करना है। इसलिए आप एहराम भी उम्रह की नीयत से पहनेंगें और पहले नीयत भी उम्रह ही की करेंगे।

अगर आप कि फ़्लाईट मदीना के लिए हो तो न आप घर से एहराम पहनकर निकलेंगे और न किसी चीज़ की नीयत करेंगे, बल्कि मदीना ४० वक़्त कि नमाज़ पुरी करके जब आप मदीना से मक्का रवाना होंगे तब आपको एहराम पहनकर उम्रह की नीयत करना होगा।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

	अरकान	तारीख़	हज्जे तमत्तोअ	हज्जे क़िरान	हज्जे इफ़राद
	तवाफ़े क़ुदूम		⊗	सुन्नत	सुन्नत
सिलसिलावार उम्रह के अरकान	एहरामे उम्रह	८ ज़िल्हिज्जा से १३ ज़िल्हिज्जा के दरमियान उम्रह नहीं किया जा सकता।	फ़र्ज़	फ़र्ज़	⊗
	तवाफ़े उम्रह		फ़र्ज़	फ़र्ज़	⊗
	सई उम्रह		वाजिब	वाजिब	⊗
	सिर मुंडवाना		वाजिब	⊗	⊗
सिलसिलावार हज के अरकान	एहरामे हज	८ ज़िल्हिज्जा	फ़र्ज़	उम्रह का एहराम	फ़र्ज़
	क़यामे मिना	८ ज़िल्हिज्जा	सुन्नत	सुन्नत	सुन्नत
	वक़ूफ़े अरफ़ा	९ ज़िल्हिज्जा	फ़र्ज़	फ़र्ज़	फ़र्ज़
	वक़ूफ़े मुज़्दलफ़ा	१० ज़िल्हिज्जा की रात	वाजिब	वाजिब	वाजिब
	रमी जमरा [illegible]	१० ज़िल्हिज्जा	वाजिब	वाजिब	वाजिब
	क़ुरबानी	१०,११,१२ ज़िल्हिज्जा	वाजिब	वाजिब	इख़्तियारी
	सिर मुंडवाना	१०,११,१२ ज़िल्हिज्जा	वाजिब	वाजिब	वाजिब
	तवाफ़े ज़ियारत	१०,११,१२ ज़िल्हिज्जा	फ़र्ज़	फ़र्ज़	फ़र्ज़
	सई	२९ ज़िल्हिज्जा से पहले	वाजिब	वाजिब	वाजिब
	क़यामे मिना	११,१२,१३ ज़िल्हिज्जा	सुन्नत	सुन्नत	सुन्नत
	रमी जमार	११,१२,१३ ज़िल्हिज्जा	वाजिब	वाजिब	वाजिब
	तवाफ़े विदा	वापसी से पहले	वाजिब	वाजिब	वाजिब

हरम शरीफ, मिना, मुज़्दल्फ़ा

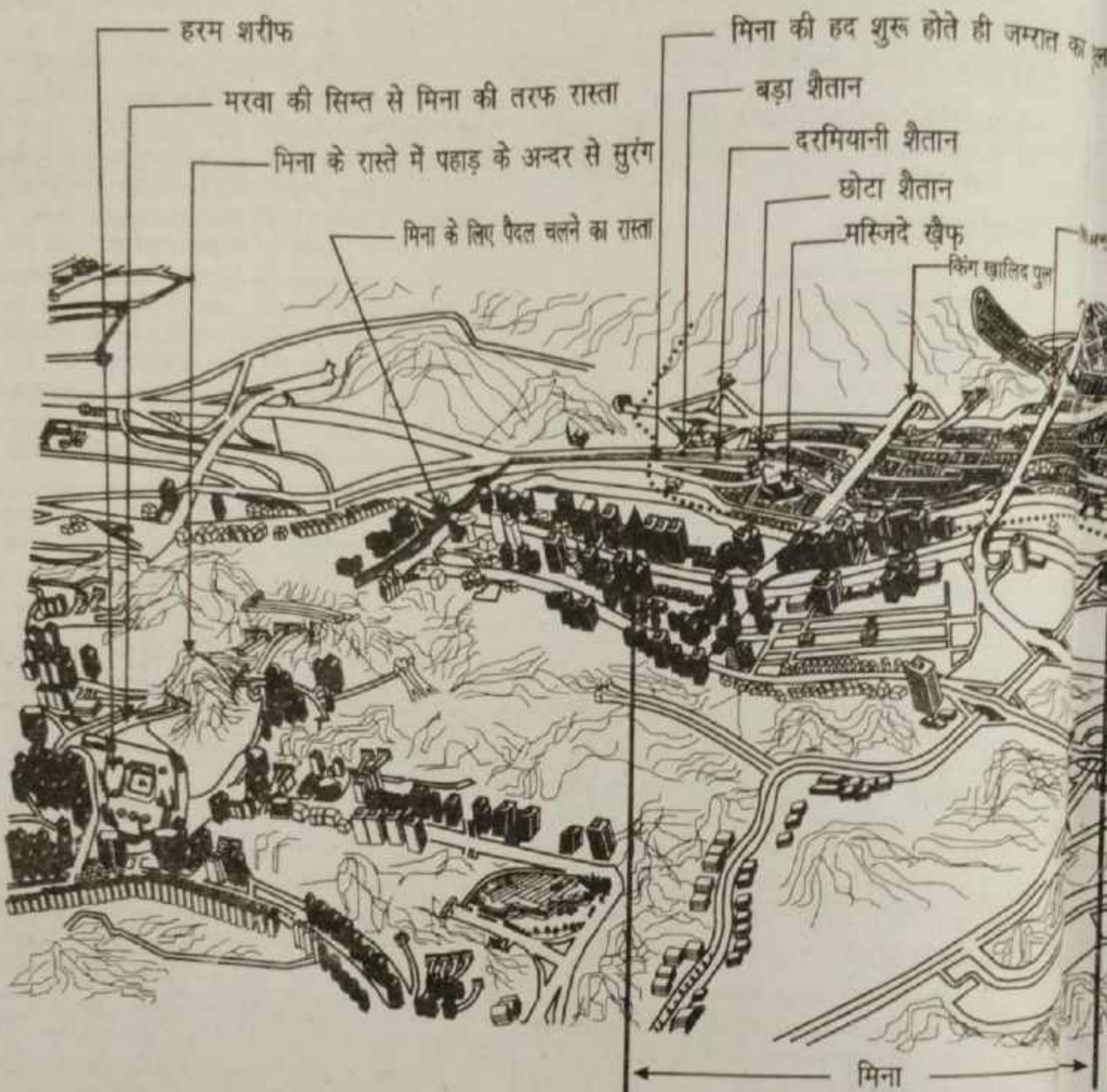

ौर अरफ़ात का क़रीबी नक्शा

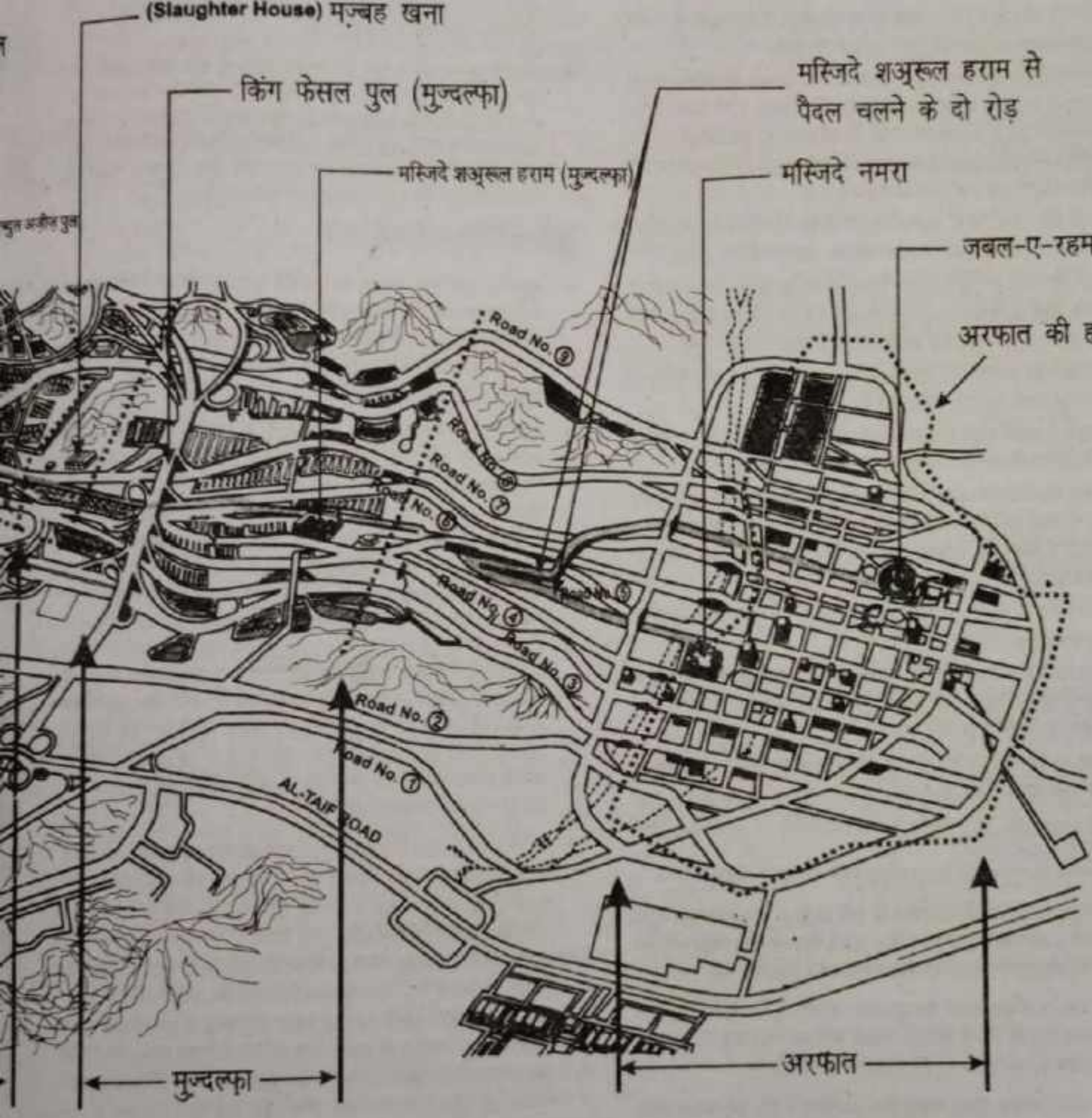

सफ़रे हज का आग़ाज़

सफरे हज पर निकलने से पहले की तैयारियाँ:-

१. ६ से ८ अच्छे और दीनदार लोगों के साथ ग्रुप बनाकर हज का फ़ार्म भरें। क्योंकि एक कमरे में ६ से ८ लोगों को रखा जाता है। अगर यह लोग हमख्याल और नेक हो, तो बड़ी आसानी होती है।

२. दिल में यह यकीन जमाएँ कि मुझे मेरा माल, मेरी ताकत, मेरी सलाहियत मुझे हज के सफर पर नहीं ले जा रही है बल्कि मुझे मेरा अल्लाह ले जा रहा है। कई लोग दुनिया में मालदार है, बा सलाहियत है, ताकतवर है लेकिन उन्हें अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ, वह नहीं जा सकते।

मैंने ज़ाती तौर से महसूस किया कि हज न सिर्फ अल्लाह कि तौफ़िक से हम कर पाते है। बल्कि हज के अरकान भी अल्लाह तआला अपने फज़ल से पूरा कराते है। ३० से ४० लाख के मज्मे मे अगर अल्लाह तआला की मदद न होती, तो मैं और कई हाजी अरफ़ात और मुज़दल्फ़ा वक्त पर न पहुँच पाते और यह अरकान हमसे फ़ौत हो सकते थे।

३. हाजी कहलाने का शौक, खरीदारी वग़ैरह भी हज की नीयत के साथ शामिल हो तो तौबा करें और हज कि नीयत खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करें।

४. कारोबार और घर की सारी ज़रूरीयात और उमुर से मुतअल्लिक वसीयत नामा लिख दे, लेना देना, हक हुकूक सब मुफस्सल दर्ज कर दे और किसी मामला शनास और दीनदार शख्स को अपना कायम मुकाम बना दे।

५. घरवालों को आप की ग़ैर मौजूदगी में भी नमाज़ पढ़ते रहने और पूरी तरह दिन पर चलते रहने की नसीहत कर दे।

६. सदके से बलाएं टलती है इसलिए सफर में जान और माल कि हिफाज़त के लिए सदका खैरात कर दे या गरीबों को खाना खिला दे।

७. अगर किसी का हक अदा न किया हो तो अदा करें। किसी का दिल दुखाया हो तो माफी माँग लें। अल्लाह तआला बेनियाज़ है वह खुद के हुकूक माफ कर देगा लेकिन बंदो के हुकूक माफ नहीं करेगा। उसे तो आपको बंदो से ही माफ कराने होंगे।

८. सफरे हज की सामान कि मुकम्मल फेहरिस्त बना ले और उसके मुताबिक सामान एक या दो दिन पहले ही पैक कर ले।

९. एक अलग हैन्ड बैग में पासपोर्ट जहाज़ का टिकट, शनाख्ती कार्ड और दुसरे जरूरी सामान रख लें। यह बैग ऐसा हो की उसे आप १४ घंटे के सफर में हमेशा अपने कंधे से लटकाए रह सके।

१०. बाल साफ कर ले, नाखून काट लें और नहा धोकर अच्छी तरह पाक हो जाए और एहराम पहन ले।

घर से रवानगी:-

अच्छी तरह नहा धो कर साफ सुथरे हो जाएँ और एहराम पहन लें।

- इस मुबारक सफ़र की कामयाबी के लिऐ अल्लाह से दुआएँ माँगे। दुआ ज़्यादा असर रखती है जब ये नफ़िल नमाज़ पढ़ कर माँगी जाऐ। इस लिऐ दो-दो रकअ़त कर के दस रकअ़त नफ़िल नमाज़ इस तरह पढ़ें।

- दो रकअ़त नफ़िल नमाज़ सलातुलहाजात की नीयत से पढ़ें, और अल्लाह तआला से दुआ करें के अल्लाह तआला आप का सफ़रे हज आसान और कामयाब करें और आप को हज्जे मबरूर अता फ़रमाऐ।

- दो रकअ़त नफ़िल नमाज़ सलातुत्तौबा की नीयत से पढ़ें। इस नफ़िल नमाज़ के बाद आप अल्लाह तआला के दरबार में सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करें।

- दो रकअ़त नफ़िल नमाज़ शुकराने की पढ़ें और अल्लाह तआला का शुक्र अदा करें कि उस ने ये तौफ़ीक आप को दी, कि आप हज के सफ़र पर जा रहे है।

- दो रकअ़त नमाज़ अपने और अपने घर वालों की बलाओं और मुसीबतों से हिफ़ाज़त की नीयत से पढ़ें और दुआ करें की अल्लाह तआला आप को सफ़र में और घर वालों को वतन में अपने अमान और हिफ़ाज़त में रखे और तमाम मुसीबतों से महफ़ूज़ रखे।

- आख़री दो रकअ़त नमाज़ एहराम की नीयत से पढ़ें। सारी नमाज़ें आप एहराम की चादर से सर ढांप कर पढ़ें और आख़री दो रेकत का सलाम फेर कर सिर खोल दें मगर अभी उमरह की नीयत न करें। उमरह की नियत अगर आप जहाज़ में यलम लम मिक़ात से करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। यलम लम मिक़ात जिद्दा उतरने से एक घंटा पहले आता है और जहाज़ का अमला मिक़ात आने पर आप को इसकी ख़बर कर देगा।

कुछ याद रखने लायक बातें:-

- बुज़ुर्गों से सुना है कि एहराम की हालत में इंसान जो भी काम करता है उस पर मुहर लग जाती है। फिर वह जिन्दगी भर उसे दोहराता रहता है। वैसे तो हर वक़्त गुनाहों से बचना चाहिये मगर एहराम की हालत में गुनाहों से सख़्त परहेज़ करना चाहिये और पूरी तरह से सुन्नत के मुताबिक शब-व-रोज़ गुज़ारने की कोशिश करना चाहिये।

- कुछ ऐसे गुनाह हैं जिन की हमें आदत सी है और उन के गुनाह होने का हमे एहसास तक नहीं होता। जैसे ग़ीबत, नज़रों का गुनाह वग़ैरह और यह गुनाह हम उस वक़्त करते है जब हम दुनियादारी की बातें करते है या बाज़ारों में घुमते हैं। एहराम की हालत में और वैसे भी हरम के हुदूद में इन दोनों से परहेज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त क़ुरआन शरीफ़ की तिलावत, तवाफ़, नफ़िल नमाज़ और वज़ाइफ़ पढ़ते हुऐ गुज़ारें। आप जिस जगह जा रहे हैं (मक्का शरीफ) वहाँ एक नेकी का सवाब एक लाख गुना बढ़ा कर मिलता है। इसी तरह एक ग़लती का गुनाह भी एक लाख गुना मिलेगा। हज़रत नुह (अलै.) की उम्र ९५० साल थी। अगर आप चार दिन हरम शरीफ़ में इबादत करें तो चार लाख दिन के बराबर इबादत का सवाब मिलेगा। जो के १००० साल की इबादत से ज़्यादा है। यानि आप हज़रत नूह (अलै.) की उम्र से भी ज़्यादा अरसे तक इबादत करते रहे। इस से आप अन्दाज़ा लगाऐं कि अगर आप एक महीने हरम में इबादत करते रहे, तो कितना सवाब मिलेगा? वह लोग खुश नसीब है, जो इस बात को समझ कर इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाते है।

- अपने वतन में एक फ़र्ज़ नमाज़ छूट जाऐ तो उस का गुनाह ७० गुनाहे कबीरा के बराबर होता है जिसकी जहन्नम की सज़ा कई लाख साल है। यही गुनाह अगर हरम शरीफ़ में हो जाऐ तो यह एक लाख गुना और बढ़ जाऐगा। नमाज़ छोड़ने के साथ अगर किसी ने ग़ीबत भी की, नज़रों का गुनाह भी किया, झगड़ा वग़ैरह भी किया और महीने भर करता रहा तो ऐसा शख़्स जब हज के सफ़र पर निकलता है तो कुछ नेक होता है और गुनाह का ज़ख़ीरा भी उसकी उम्र के मुताबिक पचास साठ साल का होता है। मगर जब हज से वापस आता है तो हज़ारों साल की उम्र के गुनाह के बराबर गुनाहों का ज़ख़ीरा लेकर आता है। ऐसा बदबख़्त इंसान हज कर के हाजी के बदले पाजी नहीं बनेगा, तो और क्या बनेगा! इस लिऐ कुछ लोग हज के बाद ज़्यादा बद्दीन हो जाते है। अल्लाह तआला हमें आप को और सारे

मुसलमानों को दीन समझने और उस पर सही तरीके पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।

- वह मुक़द्दस ज़मीन जिसे देखने के लिऐ लाखो आँखें तरसती है। वहाँ आप को सिर्फ़ चालीस दिन रहना है। इन चालीस दिनों के लिऐ अगर आप दुनियादारी छोड़ देंगे, तो क्या क़यामत आ जाऐगी? घर से निकलते वक़्त अपनी दुनियादारी को वही छोड़ कर सफ़रे हज पर रवाना हों और आने वाले हर लम्हे को ग़नीमत समझें और जितनी नेकी अपने दामन में समेट सकते हों समेट लें। मौत की किसे ख़बर, हो सकता है यह आप का आख़री सफ़र हो?

मुक़द्दस सफर का पहला कदमः-

- स्टील का कड़ा पहन लें, पासपोर्ट, एअर टिकट और दुसरा ज़रूरी सामान हैंड बैग में रखकर कांधे पर लटकालें। सारे सामान पर अपना नाम पता और कवर नंबर फिर एक बार जाँच लें और घर वालों के लिऐ अल्लाह तआला से दुआ करें, उन्हें अल्लाह तआला की अमान में दें और यह दुआ पढ़ें।

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَاٰخِرَ عَمَلِكَ،
زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ كُنْتَ.

तर्जुमा : अच्छा जाओ तुम और तुम्हारा दीन और तुम्हारी दीन व दुनिया की अमानत और तुम्हारे कामों का अंजाम अल्लाह तआला के सुपुर्द है। अल्लाह तआला तुम को तक़्वा की दौलत से नवाज़े और तुम्हारे लिऐ नेकियाँ आसान करे, जहाँ कहीं रहो।

- घर से पहला कदम निकलते हुऐ यह दुआ पढ़ें।

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

तर्जुमाः शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, मेरा अल्लाह तआला पर इमान और उसी पर भरोसा है, और यह यक़ीनी बात है कि अल्लाह तआला के हुक्म के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, मैं अल्लाह ही के सहारे सफ़र शुरू करता हूँ

सवारी आ जाऐ तो सवारी पर सुन्नत तरीक़े से सवार हों। सवारी पर सवार होने का सुन्नत तरीक़ा :

- हज़रत अली बिन रबीया (रज़ी.) से रिवायत है कि अली (रज़ी.) बिन अबी तालिब के लिऐ जब सवारी लाई गई तो इस वक़्त मैं मौजुद था। इन्हों ने जब इस की रेकाब पर पैर रखा तो बिस्मिल्लाह कहा। फिर जब पीठ पर बैठ गऐ तो कहा अलहम-दु-लिल्लाह फिर फरमाया-

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ
وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

तर्जुमा : उस अल्लाह की तारीफ़ है जिसने इस को हमारे लिऐ मुसख़्ख़र कर दिया। हम इस की ताक़त नहीं रखते थे और हम अपने रब की तरफ़ पलटने वाले हैं।

फिर तीन मरतबा अलहम-दु-लिल्लाह कहा, फिर तीन बार अल्लाहु अकबर कहा। फिर ये दुआ पढ़ीः

سُبْحَانَكَ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهٗ لَا
يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

तर्जुमा : पाक है तू। बेशक मैं ने अपनी जान पर ज़ुल्म किया। बस मुझको बख़्श दे और तेरे सिवाय कोई बख़्शने वाला नहीं।

यह कह कर हंस दिये, लोगों ने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन आप हंसते क्यों हैं। इन्होंने फरमाया कि मैं ने हुज़ुर (स.) को इसी तरह करते देखा था जिस तरह मैंने किया और जब आप हंसे तो मैंने भी अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह (स.) किस बात ने आप को हंसाया। आप (स.) ने फरमाया था तुम्हारा रब पाक है। इस के बंदे जब कहते है, कि ऐ रब! मुझे बख़्श दे, तो फिर वह ख़ुश होता है कि मेरा बंदा जानता है कि मेरे सिवाय कोई बख़्शने वाला नहीं। (अबु दाऊद-तिर्मिज़ी)

इस दुआ को याद कर लीजिए और हज के दौरान और उसके बाद भी जब भी सवारी पर सवार होना हो, इसे जरूर पढ़ें।

हवाई सफर का आगाज़

- जिन जहाज़ों से हज कमेटी से जाने वाले हाजियों को ले जाया जाता है उसमें सिर्फ हाजी ही सफर करते है। उन में सफर करने की आम मुसाफ़िरों को इजाज़त नही होती, उन जहाज़ों से सफर करनेवाले हाजियों के टिकटों पर सीट नंबर भी नहीं होते है। इसलीए जो हाजी पहले पहुँच जाते है, उन्हें अपने सारे ग्रुप के साथ बैठने के लिए अच्छी सीटे मिल जाती है और जो देर से जहाज़ में दाख़िल होते है, तो उन्हें जो बची हुई खाली सीट होती है उसी पर बैठना पडता है। ऐसे में अक्सर ग्रुप बिखर जाता है और हो सकता है कि आप को मजबूरन ग़ैर मेहरम के बगल में जगह मिले।

- हज के अय्याम में आम दिनों से ज़्यादा वक़्त एअरपोर्ट पर सामान की चेकिंग और दुसरे कामों में लगता है इसलीए ३ से ४ घंटे पहले एअरपोर्ट पर पहुँच जाए और जल्द अज़ जल्द जहाज़ में सवार होने की कोशिश किजिए।

- एयरपोर्ट पर दाख़िल होते ही पहले आप को ज़रे मुबादला मिलेगा। उसे आप हिफ़ाज़त से अपने हैंड बैग के अंदर वाली जेब में रख लें। ताकि अगर बार बार बैग खोलना हुआ तो पैसा गिरने या खो जाने का डर न हो।

  ज़रे मुबादला मिलने के बाद आप के लगेज का सेक्युरिटी चेक होगा। फिर आप का सामान वज़न होगा, उसके बाद आप का सामान जहाज़ पर लोड होने चला जाएगा और आप को जहाज़ पर सवार होने से पहले वेटिंग हॉल (Waiting Hall) में जाकर इंतेज़ार करने के लिऐ कहा जाऐगा। इस हॉल में आप पेशाब पाख़ाना से फ़ारिग़ होकर वुज़ु करलें। हज कमेटी की तरफ़ से नमाज़ पढ़ने का भी इंतेज़ाम किया जाता है। वक़्त हो तो नमाज़ भी पढ़ लें।

- जहाज़ का सफ़र साढ़े चार से पाँच घंटे का होता है। जहाज़ में टॉयलेट (Toilet) तो है मगर नापाक होने का ख़तरा रहता है और वुज़ु का इंतेज़ाम भी नहीं, इस लिए पहले से ही तैयार रहें।

  जब जहाज़ में सवार होने का ऐलान किया जाऐ तो सवारी की दुआ पढ़ते हुऐ जहाज़ में दाख़िल हों और जब जहाज़ रवाना हो तो ये दुआ पढ़ें :

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

तर्जुमा : जहाज़ों का चलना और ठहरना अल्लाह ही के नाम की बरकत से है, बेशक मेरा रब बख़्शने वाला और रहम करने वाला है।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

नबी करीम (स.) ने फ़रमायाः "अल्लाह तआला फ़रमाता है,कि ऐ औलादे आदम! तू मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग़ कर ले, मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा और मुश्किलात को आसान करूंगा,ओर अगर तूने मेरी इबादत से मुँह मोड़ा तो न मैं तेरे हाथों को मसरूफ़ियत से ख़ाली करूंगा और न तेरे फ़िक्रो फ़ाक़ा को दूर करूंगा"।

(इब्ने माजा: हदीस नम्बर- ४१०७)

हज़रत अबू मुसा अशआरी (रज़ी.) बयान करते है कि रसुल अल्लाह (स) ने फरमायाः "हाजी अपने ख़ानदान के ४०० आदमियों की शिफ़ाअत करेगा। हाजी अपने गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है गोया आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है।" (बज़्ज़ार)

हवाई सफ़र और मक्का मुकर्रमा में आमद

हवाई सफ़र साढ़े चार घंटे का है सफ़र के दौरान कोल्ड्रिंक, खाना और खुशबूदार काग़ज़ के रूमाल मिलेंगे। अगर आप ने सफ़र शुरू करने से पहले उम्रह की नीयत कर ली है, तो खुशबूदार मश्रूबात (Cold Drink), खुशबूदार रूमाल और खुशबूदार खाने से परहेज़ करें क्यों कि एहराम की हालत में खुशबू लगाना और खाना दोनों की मुमानिअत है। अगर उम्रह की नियत न की हो तो शौक़ से खाऐं।

तीन घंटे सफ़र के बाद नीयत करने की तैयारी कीजिए। मीक़ात आने के पहले ही जहाज़ का अमला आप को ख़बर कर देगा। मिक़ात आने पर उम्रह की नीयत इस तरह करें :

اَللّٰهُمَّ اِنِّی اُرِیْدُ الْعُمْرَةَ فَیَسِّرْهَا لِیْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّیْ

तर्जुमा : ऐ अल्लाह! में उम्रह की नीयत करता हूँ/करती हूँ। इसे तू मेरे लिए आसान कर और क़बूल फ़र्मा।

नीयत के बाद मर्द बुलंद आवाज़ में और ख़वातीन धीमी आवाज़ में तीन बार तल्बिया पढ़ें।

لَبَّیْکَ اَللّٰهُمَّ لَبَّیْکَ

हाज़िर हूँ मेरे मौला आपके हुज़ुर हाज़िर हूँ।

لَبَّیْکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ لَبَّیْکَ

मैं हाज़िर हूँ, आपका कोई शरीक नहीं मैं हाज़िर हूँ।

اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ،

सारी हम्द व सताईश के आप ही सज़ावार हैं। और सारी नेअ्मतें आप ही की हैं और सारी कायनात में हुकूमत भी आप ही की है।

لَا شَرِیْکَ لَکَ

आप का कोई शरीक व सहीम नहीं।

नीयत करने और तल्बिया पढ़ते ही आप पर एहराम की सारी पाबंदियाँ आइद हो गईं। इस के बाद आप के लिए सब से अफ़ज़ल तस्बीह ज़िक्र तल्बिया ही है।

जो हवाई जहाज़ हाजियों को ले जाते है वह इस बात का खयाल रखते हैं के मुसाफिरों को मिक़ात की खबर दें। मगर जो आम फ्लाइट है उस में इस बात का ख़्याल नहीं रखा जाता कि मिक़ात की ख़बर करें। इस लिए अगर आप दूर से और आम फ्लाइट से जा रहे हों तो एहतियात के तौर पर सफ़र के दो घंटे बाद ही नियत कर के तल्बिया पढ़ लें।

जिद्दा पहुँच कर जहाज़ से उतरने के बाद एक बस के ज़रिये आप को एयरपोर्ट की इमारत में ले जाया जाएगा। एयरपोर्ट की इमारत में दाख़िल होने के बाद आप को तीन मरहलों से गुज़रना है।

- पहले मरहले में आप को एक जंगले से घिरे हुऐ हॉल में रूकाया जाएगा और आप के पासपोर्ट पर दाख़ले की मुहर लगेगी।
- दुसरे मरहले में आप को बग़ल के दुसरे हॉल में जाकर अपना सामान पहचान कर एक जगह जमा करना है और उस की सेक्यूरिटी जाँच करानी है। जाँच के बाद आप का सामान फिर ले लिया जाएगा और उसे बस अड्डे पर पहुँचा दिया जाएगा।
- तीसरे मरहले में आप को क़रीब दो सौ मीटर दूर हिन्दुस्तान के बस अड्डे की तरफ़ जाना है। जिद्दा का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और खोजाने का खतरा रहता है। इस लिए अपने साथियों के साथ रहें और बोर्ड देखते हुऐ और रास्ते में खड़े गाईड से पूछते हुऐ हिन्दुस्तान के बस अड्डे पर पहुँचें। इस काउंटर पर ज़रूरियात से फ़ारिग़ होने, वुज़ु करने और नमाज़ पढ़ने की सहूलतें मुहय्या हैं। इस लिए ज़रूरियात से फ़ारिग़ होकर वुज़ु बना कर नमाज़ पढ़ लें। जो सामान आप से जाँच के बाद ले लिया गया था, कुली उसे यहाँ पहुँचा देते हैं। अब आप अपना सामान पहचान कर एक जगह जमा कर लें और अपना पासपोर्ट काउंटर पर दिखायें।

(नोटः जो कुली आप का सामान बस डिपो तक पहुँचाने में आप की मदद करते है, उन का बिल्ला नम्बर ज़रूर नोट कर लें।)

यहाँ आप को ग्रुप बना कर मुअल्लिम के हवाले किया जाएगा। मुअल्लिम एक बस में जितने लोग सवार हो सकते हैं उतने लोगों को जमा करेंगे। उन का सामान एक ट्रॉली पर लाद कर बस तक ले जाऐंगे और बस में सवार कर देंगे। आप इस बात का ख़्याल रखें कि आप इसी बस में सवार हों जिस में आप का सामान लादा जाऐ। बस में सवार होते वक़्त मुअल्लिम आप से आप का पासपोर्ट ले लेंगे और मक्का शरीफ़ में आप के रिहाईशगाह पहुँच कर आप को आप का रिहाईशगाह कार्ड, अपना शिनाख़्ती कार्ड और प्लास्टिक पट्टा हाथ में पहनने के लिऐ देंगे।

एयरपोर्ट और बस में हर जगह तल्बिया का ज़िक्र जारी रखें। जब बस मक्का शरीफ़ की हद में दाख़िल हो, तो यह दुआ पढ़ें:

"या अल्लाह यह आप का और आप के रसूल (स.) का हरम है। इसमें जानवरों को भी अम्न है। ऐसे मोहतरम मुक़ाम की बरकत से आप मेरे गोश्त, खून और हड्डियों को आग पर हराम कर दे और मुझे अपने वलियों और अताअत गुज़ारों में शामिल फ़रमा।"

जब मक्का शहर पर पहली नज़र पड़े तो यह दुआ पढ़ें:

या अल्लाह मेरे लिऐ मक्का शहर में ठिकाना फ़रमा दे और हलाल रोज़ी दे,

या अल्लाह हम को मक्का मुकर्रमा में बरकत इनायत फ़रमा।

या अल्लाह इस शहर के मेवे हमें नसीब फ़रमा।

या अल्लाह अहले मक्का को हमारी नज़रों में मेहबूब बना दे।

या अल्लाह हमें भी अहले मक्का की नज़रों में मेहबूब बना दे।

बस आप तो आप की रिहाईशगाह तक पहुँचा देगी। क़ुली आप का सामान बस से उतार कर आप के कमरे तक पहुँचा देंगे। सामान कमरा में रखकर कुछ खा पी लें। ज़रूरत हो तो कुछ देर आराम कर लें। जो रियाल आप को एयरपोर्ट पर मिले थे, उन्हें सूटकेस में हिफाज़त से रख दें। अपने साथ हरम में हरगिज़ न ले जाऐ। फिर उम्रह की तैयारी करें। मक्का मुकर्रमा पहुँच कर आप जितनी जल्दी उम्रह करेंगे उतना अफ़ज़ल है।

हज व रमज़ान के दिनों में हरम शरीफ़ में नमाज़ व नमाज़ के बाद तवाफ़ करने वालों का ज़बरदस्त हुजूम होता है जिस वजह से उम्रह के अरकान अदा करने में काफी परेशानी होती है। सुबह इशराक़ के बाद दोपहर २ बजे से ४ बजे के बीच और रात में ईशा और खाने के बाद हरम शरीफ़ कुछ खाली होता है। लेहाज़ा इन दो वक़्तों में अगर आप उम्रह करें, तो क़दरे आसानी होगी।

मस्जिदे हरम की तफ्सील

(1) खाना ए काबा के अंदर फ़र्श मताफ से 7 फिट ऊँचा है। खाना ए काबा की कुल ऊँचाई 46 फिट, लम्बाई 42 फिट, और चौड़ाई 38 फिट है। हतीम का आख़री सिरा खाना ए काबा से 21 फिट दूर है।

(2) मकामे इब्राहीम एक पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहीम के क़दमों के निशान हैं। यह 8 इंच ऊँचा, 14 इंच चौड़ा, और 15 इंच लम्बा है, और खाना ए काबा से 46 फिट दूरी पर है। इस का रंग पीला व लाल के दरमियान सफ़ेदी लिए हुए है।

(3) हज्रे अस्वद खाना ए काबा के मशरिकी कोने पर ज़मीन से तकरीबन सवा चार फिट की ऊँचाई पर नस्ब है। वह किसी हादसे में टूट गया था। अब इस के 8 टुकड़े एक 7x10 इंच के काले पत्थर पर जोड़ कर चांदी के फ्रेम में लगा दिया है। हज़रत इब्राहीम (अलै.) के ज़माने में सफ़ेद था, अब लोगों के गुनाहों से काला हो गया है।

(4) ज़म ज़म का कुआँ अब तहख़ाना में है। इस की पानी की सतह ज़मीन से 12 फिट नीचे है। पानी के सूते 40 फिट पर फूटे हैं और कुँऐं की कुल गहराई 100 फिट है। कुँवे का दहाना (मुंह) 6 फिट है। ज़म ज़म का कुआँ काबा शरीफ़ से 60 फिट की दूरी पर है।

(5) मस्जिदे हरम की तुर्की तामीर, मुताफ और तुर्की तामीर का रक्बा 290000 मुरब्बा फिट है।

(6) सऊदी दौर की मस्जिदे हरम की नई इमारत। तहख़ाना के साथ कुल रक्बा 1310000 मुरब्बा फिट और ज़मीन से छत की ऊँचाई 30 फिट है।

(7) मस्जिदे हरम का पहला मंज़िला और छत की ऊँचाई 30 फिट और रक्बा 420000 मुरब्बा फिट है।

(8) मस्जिदे हरम की छत।

(9) मस्जिदे हरम का तहख़ाना। इस के छत की ऊँचाई 12 फिट है।

(10) मस्जिदे हरम के कुल मीनारों की कुल तादाद 9 है और ऊँचाई 293 फिट है।

(11) मस्जिदे हरम का बाहरी सेहन का कुल रक्बा 880000 मुरब्बा फिट है।

(12) काबा शरीफ़ से सफ़ा 430 फिट दूर है। यह मस्जिदे हरम के अंदर मगर बाहरी किनारे पर है।

(13) लोगों की भीड़ के वक्त मस्जिदे हरम और सेहन में 10 लाख से ज़्यादा नमाज़ी नमाज़ पढ़ सकते हैं।

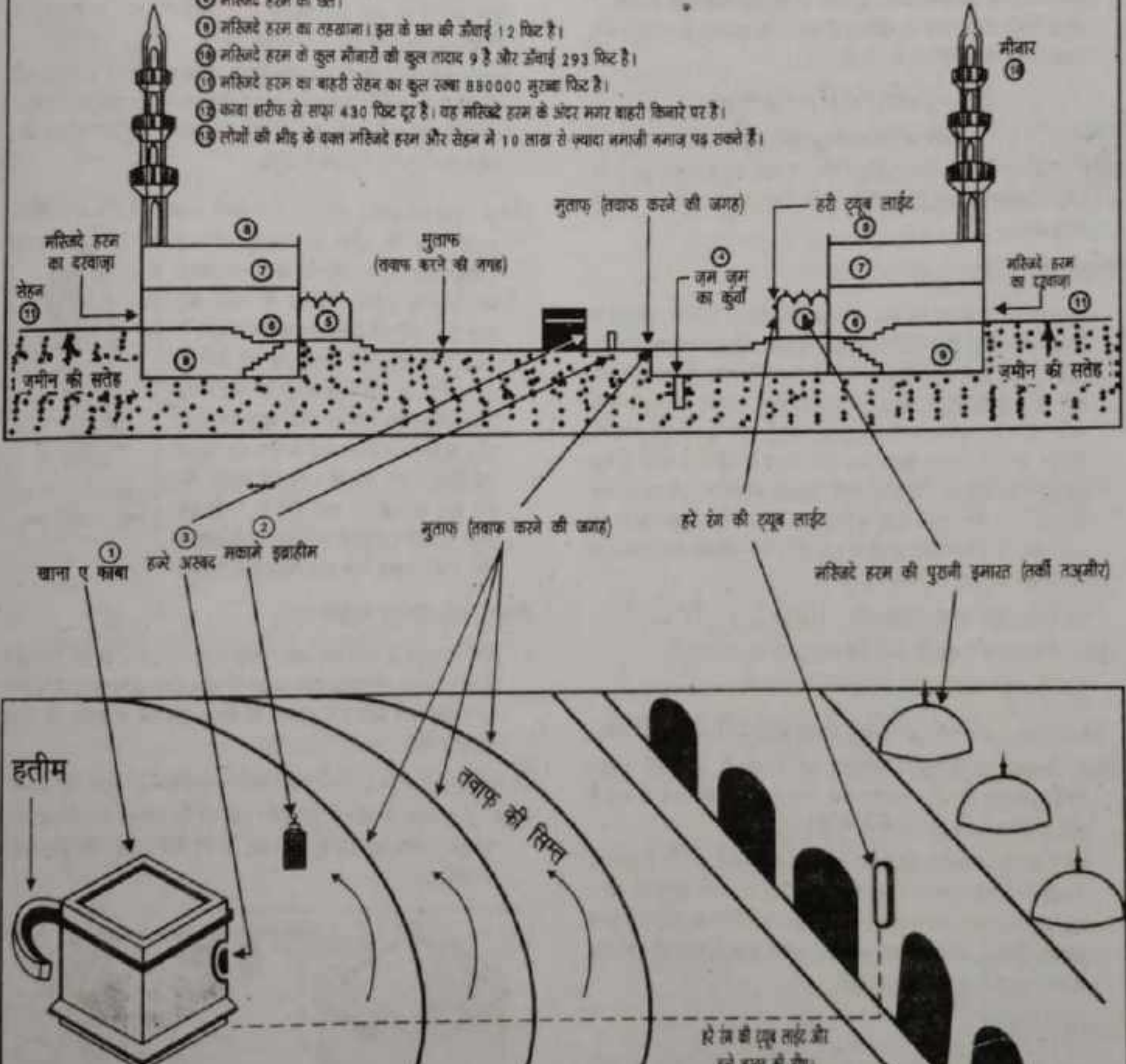

खाना-ए-काबा और मुताफ़ की तफ्सील

उम्रह कैसे करें ?

मस्जिदे हराम में दाख़ला :-

काबा शरीफ़ के चारों तरफ़ जो अज़ीमुश्शान इमारत बनी हुई है, इस को मस्जिदे हराम कहते हैं। इसमें सौ से ज़्यादा दरवाज़े हैं। हुज़ुर (स.) का घर मरवा से शुमाल मश्रिक़ की सिम्त था और हुज़ुर (स.) बाबुस्सलाम जो कि सफ़ा और मरवा के बीच है अक्सर इसी दरवाज़े से मस्जिदे हराम में दाख़िल हुआ करते थे। इस लिए अगर मुम्किन हो तो बाबुस्सलाम से दाख़िल हों वरना किसी भी दरवाज़े से दाख़िल हो सकते हैं। मस्जिद में दाख़िल होते वक़्त दाहीना क़दम मस्जिद में रखें और पढ़ें।

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ،
اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِکَ.

तर्जुमा : अल्लाह का नाम लेकर दाख़िल होता हूँ और रसूलअल्लाह (स.) पर दरूद व सलाम भेजता हूँ। ऐ मेरे! रब मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दीजिए।

पहली नज़र और दुआ :-

काबा शरीफ़ पर पहली बार जब आप की नज़र पड़ेगी, तो पलक झपकने से पहले आप जो भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह तआला उसे क़बूल फ़रमाऐंगे। इस लिऐ ये लम्हा बहुत अहम है इस लम्हा से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैज़याब होने के लिऐ पहले से ही तैयारी कर लें। मस्जिदे हराम में दाख़िल होते वक़्त नीची नज़रें रखें। फिर क़रीब दो सौ क़दम आगे बढ़ते जाऐं। इस दौरान आप को दो बार सीढ़ियाँ उतरनी होंगी। जब आप सेहन में पहुँचें तो रास्ते से एक तरफ़ हट कर खड़े हो जाऐं और नज़रें उठा कर अल्लाह के उस घर को देखें जिसकी तरफ़ रुख़ करके आप सारी उम्र सजदे करते रहे। ख़ाना काबा पर नज़र जमा दें, बग़ैर पलक झपके ये दुआ पढ़ें। "या अल्लाह इस के बाद, मैं जो भी ख़ैर की दुआ मांगूँ क़बूल फ़रमा"।

इस के बाद तीन मर्तबा ये दुआ पढ़ें। اَللهُ اَکْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

तर्जुमा : अल्लाह सब से बड़ा है, नहीं कोई मअ़बूद सिवाय अल्लाह के।

दुआ के बजाऐ आप तकबीर शरीफ़ भी पढ़ सकते हैं।

اَللهُ اَکْبَرُ، اَللهُ اَکْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَکْبَرُ، اَللهُ اَکْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

तर्जुमा : अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सब से बड़ा है, नहीं कोई मअ़बूद सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सब से बड़ा है और तमाम तअ़रीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिऐ हैं।

इस के बाद दरूद शरीफ़ पढ़िये फिर दिल भर कर दुआऐं मांगिये। ये ग़नी का दरबार है। मांगने वाला मांगते मांगते थक जाऐगा। मगर देने वाला देते देते न थकेगा। अपने लिऐ, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिऐ, दोस्त अहबाब के लिऐ, उम्मते मुस्लिमा के लिऐ, अपने मुल्क के लिऐ और हर एक के लिऐ सुकून से रो रो कर दुआ मांगें।

तवाफ़े उम्रह:-

उम्रह के दो फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ आप एहराम पहन कर पूरा कर चुके, अब दुसरा फ़र्ज़ (तवाफ़) अदा करना है। तवाफ़ हज्रे अस्वद से शुरू होगा हज्रे अस्वद पर ही ख़त्म होगा। हज्रे अस्वद काबा शरीफ़ के मश्रिक़ी कोने पर लगा हुआ जन्नत का एक पत्थर है। जिस के चारों तरफ़ चाँदी का फ्रेम बना हुआ है। तवाफ़ हज्रे अस्वद को छु कर और बोसा देकर शुरू करना होता है। मगर लोगों के हुजूम की वजह से यह नामुम्किन है। इस लिए हम मुम्किन और आसान तरीक़े से उम्रह करने का तरीक़ा बयान करेंगे।

तवाफ़ हज्रे अस्वद को नज़दीक से या दूर से बोसा ले कर शुरू किया जाता है। मगर हज्रे अस्वद की सीध का अंदाज़ करने के लिए मश्रिक़ की तरफ़ मताफ़ में दीवार पर और अतराफ़ की मस्जिदे हरम में छत (Terrace) पर खम्बों पर हरे रंग की ट्युब लाईट लगा दी गई है। इन्ही निशान से आप हज्रे अस्वद की सीध का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप का तवाफ़ इसी निशान से शुरू होगा और इन्ही पर ख़त्म होगा।

पहली नज़र की दुआ के बाद आप हिज्रे अस्वद की सीध में आ जाऐं। वहाँ पहुँचने के लिए आप लोगों के मुख़ालिफ़ सिम्त चलने के बजाऐ तवाफ़ करने वालों में शामिल हो जाऐं और इन के साथ चलते चलते हज्रे अस्वद और हरी ट्यूब लाइट के दरम्यान में पहुँचें।

रमल : एक तवाफ़ पूरा करने के लिए ख़ाना ए काबा के गिर्द सात चक्कर लगाने होते हैं और दो रकअ़त नमाज़ वाजिबुत्तवाफ़ पढ़ना होता है। उम्रह के तवाफ़ और हज के तवाफ़े ज़ियारत में पहले तीन चक्करों में मर्दों को पहलवानों की तरह शान से अकड़ कर, छोटे छोटे क़दम रख कर तेज़ी से चलना होता है। इसे रमल कहते हैं। और रमल करते वक़्त सीधा हाथ का कंधा खुला रखते हैं, इसे इज़्तिबा कहते हैं। इज़्तिबा के लिए एहराम का एक सिरा दाहिने हाथ के बग़ल से निकल कर बाऐं हाथ के कंधे पर डाल लेते हैं। रमल इस तवाफ़ में होता है जिसके बाद सई करनी होती है और नफ़्ली तवाफ़ में न रमल होता है न इज़्तिबा।

इज़्तिबा की हालत में खुला हुआ सीधे हाथ का कंधा

तवाफ़ का पहला चक्कर :-

- लोगों के हुजूम के साथ जब आप तवाफ़ करते करते हज्रे अस्वद तक पहुँचें तो हज्रे अस्वद और हरी ट्यूब लाइट की सीध और दरम्यान से आधा फिट पहले रुक जाऐं और हज्रे अस्वद की तरफ़ रुख़ कर के तवाफ़ की नीयत इस तरह करें।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِکَ الْحَرَامِ، سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى، فَيَسِّرْهُ لِيْ، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّیْ

तर्जुमा : ऐ अल्लाह! मैं आप के इस हुर्मत वाले घर का तवाफ़ आप की रज़ा और ख़ुश्नूदी के लिए कर रहा हूँ। आप इस को मेरे लिऐ आसान करें और क़बुल फ़रमाऐं।

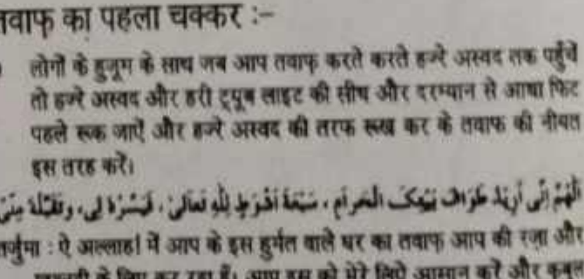

हज्रे अस्वद और हरी ट्यूब लाइट की सीध में आधा फिट पहले हज्रे अस्वद की तरफ़ रुख़ कर के नियत करें।

- नीयत करने के बाद आप दाहिनी तरफ़ इतना हटें के हज्रे अस्वद और हरी ट्यूब लाइट के बिल्कुल दरम्यान सीध में आ जाऐं। इस के बाद मुंदर्जाज़ैल तकबीर पढ़ते हुऐ कानों तक इस तरह हाथ उठाऐं जिस तरह नमाज़ में उठाते हैं।

بِسْمِ اللّٰهِ، اللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْد

तर्जुमा : शुरू करता हुँ अल्लाह के नाम से। अल्लाह सब से बड़ा है और सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिऐ हैं।

हज्रे अस्वद के बिल्कुल सामने आकर और हज्रे अस्वद की तरफ़ मुड़ कर के कानों तक हाथ उठा कर तकबीर करें।

- तकबीर कहने के बाद हाथ छोड़ दें फिर हज्रे अस्वद की सिम्त में दोनों हथेलियाँ कंधों की ऊँचाई तक इस तरह फैलाऐं के गोया आप हज्रे अस्वद को छूने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसे चूम लें। यह अमल हज्रे अस्वद को बोसा देने के बराबर है और इसे इस्तेलाम कहते हैं।

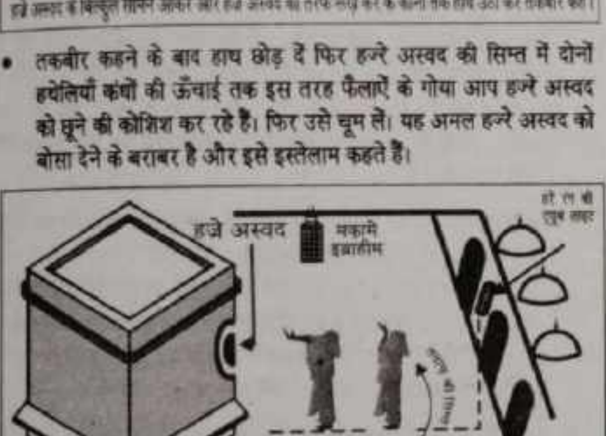

तकबीर पढ़ने के बाद हाथ छोड़ दें। हज्रे अस्वद की तरफ हाथ फैला कर उसे चूम ले और तवाफ़ शुरू करें।

- खाने काबा की तरफ सीना करके तवाफ करना मकरूह है और पीठ करके तवाफ करना मकरूए तहरीमी है। इन दोनों हालतों में आप जितनी दूरी तय करेंगे वह तवाफ में शुमार नहीं होगा इतनी दूरी आपको फिर से तय करना है इसलिए हज्रे अस्वद के इस्तेलाम के बाद फौजीयों की तरह बिल्कुल जगह पर घुमकर अपना रूख तवाफ करने के सिम्त में कर लिजीए और तवाफ शुरू कीजीए। (सीना और चेहरा खाना-ए-काबा की तरह करके एक कदम भी मत चलिए।)

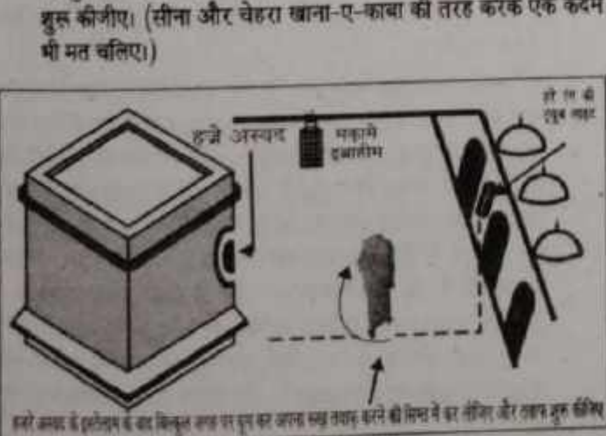

हज्रे अस्वद के इस्तेलाम के बाद बिल्कुल जगह पर घूम कर अपना रूख तवाफ़ करने की सिम्त में कर लीजिए और तवाफ़ शुरू कीजिए

- हज की तमाम किताबों में हर तवाफ के लिए लंबी लंबी दुआएं लिखी हुई है। यह सब बुज़ुर्गाने दीन का तरीका है, नबी करीम (स.) से साबित नहीं है। हुज़ूर(स.) से सिर्फ निचे दी गई दुआएं साबित है।

१. रूक्ने यमानी पहुँचकर :

اَللّٰهُمَّ اِنِّی اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَالْفَاقَةِ وَمَوَاقِفِ الْخِزْیِ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ

तर्जुमा : ए अल्लाह मैं पनाह चाहता कुफ्र से और फाके से और दीन व आखीरत की रूसवाई से।

२. रूक्ने यमानी और हज्रे अस्वद के दरम्यान:

رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (سورة البقرة)

तर्जुमा : ऐ हमारे रब! हमे दुनिया में भी भलाई अता फ़रमा और आख़िरत में भी और हमको दोज़ख़ के अज़ाब से बचा ले।

३. तवाफ के दौरान

اَللّٰهُمَّ اِنِّی اَسْئَلُکَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ.

तर्जुमा : ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ मौत के वक़्त राहत और हिसाब के वक़्त आफियत का।

- तवाफ करते वक़्त किसी आयत या दुआ का पढ़ना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। आप अपनी आसानी के लिए जो भी याद हो पढ़ सकते है। मगर जो भी दुआ पढ़े समझकर और बगैर किताब देखे पढ़ें। दुआ ही असर रखती है जो समझकर दिल से की जाए।
- तवाफ करते वक़्त देखकर दुआ पढ़ने से दुसरों को तकलीफ होती है इसलिए सफरे हज से पहले दुआए याद करले फिर दौराने तवाफ पढ़े।
- हमेशा नबी करीम(स.) से साबित दुआओं को तर्जिह दें। क्योंकि सुन्नत पर अमल हमेशा सबसे ज़्यादा नफ़ा देता है।
- अगर आपके लिए किताबों में लिखी गई दुआएं याद करना और पढ़ना मुश्किल है, तो हर चक्कर के शुरू से यानि हज्रे अस्वद से रूक्ने यमानी तक जो कुरआन शरीफ की आयतें याद हों तो उसे पढ़े या तीसरा कलमा पढ़े:

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ
اَکْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ

तर्जुमा : अल्लाह तआला पाक है। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिऐ हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह तआला सब से बड़े हैं और गुनाहों से बचने की ताकत और इबादत की तरफ़ राग़िब होने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से मिलती है।

और रूकुने यमानी से हज्रे अस्वद तक अपनी मादरी ज़बान में दुआए माँगे। तवाफ़ करते हुऐ काबा शरीफ़ की तरफ़ मुँह करना मकरूह है और पीठ करना मकरूहे तहरीमी है जो कि हराम के दर्जा में आता है। इस लिए तवाफ़ करते हुऐ सीधे चलें और निगाहें चलने की जगह पर रखें।

तवाफ़ का दुसरा चक्कर :

रूक्ने यमानी से दुआ पढ़ते हुए जब आप हज्रे अस्वद और हरी ट्यूब लाइट की सीध में पहुंचें तो हज्रे अस्वद की तरफ़ अपना रूख और सीना करके इसी तरह इस्तेलाम कीजिए जैसे; पहले चक्कर के वक़्त किया था यानि हथेलियों को हज्रे अस्वद की तरफ़ दिखाकर तकबीर कहते हुऐ चूम लें।

तकबीर : بِسْمِ اللّٰهِ، اللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْد

इसके बाद अपनी जगह पर ही बगैर एक भी क़दम आगे बढ़ाए अपना रूख तवाफ़ की सिम्त करें और तवाफ़ शुरू करें।

पहले ज़माने में तवाफ़ करने वाले लोग बहुत कम थे इसलिए हर कोई हज्रे अस्वद को चूम सकता था। तवाफ़ के दरम्यान सिर्फ़ हज्रे अस्वद को चूमते वक़्त सीना काबे की तरफ़ करने की इजाज़त है, दौराने तवाफ़ नहीं। मगर अब ५० से १०० फिट दूर से हज्रे अस्वद का इस्तिलाम करना होता है और शदीद भीड़ में अंदाज़ा गलत हुआ तो हज्रे अस्वद की सीध से कुछ आगे बढ़ने का भी अन्देशा होता है। इसलिए एहतीयात के लिए कुछ उल्मा कहते है कि अगर आप बग़ैर सीना घुमाए सिर्फ़ अपना चेहरा हज्रे अस्वद की तरफ़ करके इस्तिलाम करे तो यह गलतियों से बचने का बेहतरीन तरीक़ा होगा।

खाना काबा की तरफ़ बग़ैर सीना घुमाए सिर्फ़ अपने चेहरे का रुख करें और इस्तेलाम करें।

इस्तिलाम के बाद पहले की तरह रुक्ने यमानी तक तीसरा कल्मा पढ़ीये और रुक्ने यमानी से हज्रे अस्वद के दरम्यान दुआ। इसी तरह सातों चक्कर पूरे कीजीए।

हाथ में सात दानों वाली तस्बीह रखिये और हर चक्कर पर एक दाना कम करते रहिये और चक्करों का शुमार करते रहिये। सातवाँ चक्कर पूरा होने पर हज्रे अस्वद का तकबीर पढ़ते हुये इस्तेलाम किजीये। (यह आप का आठवाँ इस्तिलाम था) और दाहीना कांधा जो अब तक खुला था ढांप ले और मुक़ाम इब्राहीम के पीछे आजाएँ। इस तरफ़ खाना ए काबा का दरवाज़ा भी है। फिर तवाफ़ करने वालों के लिये जगह छोड़ कर दो रकअ़त नमाज़ वाजिबुत्तवाफ़ की नीयत से पढ़ें। इतना अमल करने से आप का तवाफ़ पूरा हुआ और उम्रह का दुसरा फ़र्ज़ भी।

ज़मज़म का पानी पीना :

दो रकअ़त वाजिबुत्तवाफ़ नमाज़ पढ़कर आप खूब सैर होकर पानी पीयें। पानी खड़े होकर क़िब्ला रुख होकर बिस्मिल्लाह पढ़ कर पियें और पानी पीने के बाद ये दुआ पढ़ें।

اَللّٰهُمَّ اِنِّی اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

तर्जुमा : "ऐ अल्लाह! मुझे नफ़ा वाला इल्म दे, रिज़्क़ में वुस्अत और फ़राखी दे और हर बिमारी से शिफ़ा अता फ़र्मा"

हज़रत जाबिर (रज़ी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फ़रमाया। "आबे ज़म ज़म इस के लिए है जिस के लिए उस को पिया जाऐ।" (इब्ने माजा) यानि पीने वाला जिस नीयत से भी पीता है अल्लाह तआला उसकी वह नीयत पूरी फ़रमाते हैं।

ज़म ज़म का पानी पीने के बाद फिर हज्रे अस्वद और हरी ट्यूब लाइट के दरम्यान और सीध में आ जाऐं और एक बार फिर हज्रे अस्वद का तकबीर कहते हुऐ इस्तेलाम कीजिये। यह आप का नवाँ इस्तिलाम था। इस्तेलाम के बाद आप हरी ट्यूब लाइट की तरफ़ और खाना ए काबा से दूर चलते चलते जाऐं, इस तरह आप सफ़ा पर पहुँच जाऐंगे। तवाफ़ पुरा करने के बाद खाने काबा की तरफ़ पीठ करना जायज़ है उसमें कोई कराहियत नहीं है।

सफ़ा और मरवा की सई :

सफ़ा और मरवा पहले दो पहाड़ियाँ थीं। अब सिर्फ़ थोड़ी सी ऊँचाई है। हुकूमत ने सफ़ा, मरवा और सई की सारी जगहों को हरम की इमारत में शामिल कर लिया है। पहले सफ़ा और मरवा के बीच बाज़ार हुआ करता था और हाजी धूप और बाज़ार की भीड़ भाड़ में सई करते थे। अब सारी इमारत एयर कंडीशन है और फ़र्श पर सफ़ेद मरमर लगा हुआ है।

सफ़ा पर पहुँच कर खाना काबा की तरफ़ रुख करके सई की नीयत इस तरह करें।

اَللّٰهُمَّ اِنِّی اُرِيْدُ السَّعْیَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ لِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ، فَيَسِّرْهُ لِی وَتَقَبَّلْهُ مِنِّی

तर्जुमा : ऐ अल्लाह! मैं सफ़ा और मरवा के दरम्यान सात चक्करों से सई करना चाहता हूँ, महज़ तेरी ज़ाते बुज़ुर्ग की रज़ा के लिए, बस मेरे लिए सई करना आसान फ़रमा और क़ुबूल फ़रमा।

नीयत करते वक़्त हाथ दुआ की तरह उठाऐं। नमाज़ की तकबीर की तरह न उठाऐं।

- सफ़ा, मरवा और सई की जगहें वह मुक़ाम हैं जहाँ दुआ ज़रूर क़ुबूल होती है इस लिए सई के दौरान और सई पूरी कर के जब भी आप सफ़ा और मरवा पर रुकें तो खूब दुआऐं माँगें।

  सफ़ा और मरवा पर जब भी रुकें, तो तीन बार चौथा कल्मा और एक बार तीसरा कल्मा पढ़ें और सई के दौरान ज़्यादा चौथे कल्मे का विर्द करें। यह आसान इबादत का तरीक़ा है। वैसे सफ़ा मरवा की सातों सई की अलग अलग दुआऐं हैं, जिन्हें आप हज की किताब से देख कर याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।

- हज़रत हाजरा (रज़ी.) सफ़ा और मरवा के दरम्यान जो वादी थी वहाँ से दौड़ कर गुज़रती थीं क्योंकि हज़रत इस्माईल (अलै.) जो कि खाना काबा शरीफ़ के पास थे नज़रों से ओझल हो जाते थे। उनकी यह सुन्नत आज भी अदा की जाती है। हुकूमत ने दो हरे रंग के सुतून और ट्युब लाईट निशान के तौर पर लगा दिये हैं इन्हें मिलीन अख़ज़रीन कहते हैं। इन के दरम्यान मर्दों को हल्के से दौड़ना होता है। औरतें अपनी रफ़्तार से ही चलेंगी।

- सफ़ा से चल कर मरवा तक पहुँचना यह एक का एक चक्कर हुआ। फिर मरवा से चल कर सफ़ा तक पहुँचना यह दूसरी सई का दूसरा चक्कर हुआ। इस तरह आप सई के सात चक्कर पूरे करेंगे और सातवीं सई आप की मरवा पर खत्म होगी।

  सई करने की जगह बहुत महदूद है इस लिए हज के खास दिनों में यहाँ लोगों का ज़बरदस्त हुजूम होता है और तवाफ़ से ज़्यादा वक़्त सई में लगता है। ऐसी हालत में अगर पहले मंज़िले या छत पर सई करें तो बहुत आसानी होगी।

- सई पूरी कर के दो रकअ़त नमाज़ शुकाने की पढ़ना मुस्तहब है, वाजिब या ज़रूरी नहीं है।

दो रकअ़त नमाज़ पढ़ कर मरवा की तरफ़ के दरवाज़े से बाहर निकल जाऐं। अब आप को उम्रह का आख़री रुक्न अदा करना है, वह है सिर के बाल कतरवाना या मुंडवाना। मरवा के बाहर दर्जनों हज्जामों की दुकानें हैं। किसी भी दुकान में जाकर सिर मुंडवा दीजिऐ। औरतें अपने चौथाई सिर का अपनी ऊंगली के एक पौर बाल काटें। वह लोग जो उम्रह के सारे अरकान पूरे कर चुके हैं और सिर्फ़ बाल काटना बाक़ी है, वह अपने खुद के भी बाल काट सकते हैं और अपने जैसे दूसरे लोगों के भी बाल काट सकते हैं। जिन का सिर्फ़ बाल काटने का सिर्फ़ आख़िरी रुक्न बाक़ी है, औरतों का सिर्फ़ अपने शौहर और महरम मर्द (जिन से किसी भी सूरत में निकाह नहीं हो सकता) से बाल कटवाना जाइज़ है। ग़ैर महरम से बाल कटवाने पर गुनाह होगा।

मरवाह के नज़दीक हज्जाम की दुकान पर सिर मुंडवाने का हुकुम होता है। वक्त की क़िल्लत और लोगों की भीड़ की वजह से उनके पास बालों को देर तक नम करने का वक़्त नहीं होता है और वह बड़ी तेजी से सिर मुंडते हैं। तेज़ी से काम करने की उनकी आदत सी हो गई है इसलीए सिर मुंडाते वक़्त बहुत ही तकलीफ होती है। इसलिए जब आप अपने रिहायीश से हरम की तरफ़ जाए तो रास्ते ही में हज्जाम की दुकान देख लीजिए और उम्रह कर के रिहाइश पर आते वक़्त अपनी रिहाईश के नज़दीक के हज्जाम से सिर मुंडवाइये।

सिर मुंडाते ही एहराम की सारी पाबंदियाँ आप पर से खत्म हो गई और अलहम्दुलिल्लाह आप का उम्रह पूरा हुआ। अब घर जाकर नहा धोकर अपने रोज़ मर्रह के कपड़े पहन लीजिऐ।

- जो लोग मक्का शरीफ़ के रहने वाले हैं उन के लिए हरम में नफ़िल नमाज़ पढ़ना बेहतर इबादत है। मगर जो मक्का शरीफ़ से दूर रहते हैं उन के लिए हरम में नफ़िल तवाफ़, नफ़िल नमाज़ से ज़्यादा अफ़ज़ल है क्योंकि नफ़िल नमाज़ वह अपने वतन जाकर भी पढ़ सकते हैं मगर तवाफ़ का मौक़ा और कहीं नहीं मिलेगा। इस लिए जब तक मक्का मुकर्रमा में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करने की कोशिश करें और सारी नमाज़ हरम शरीफ़ में बाजमाअत अदा करें। हरम शरीफ़ के अतराफ़ में बहुत सारी मस्जिदें हैं। लोग सहुलत के लिए वहीं या रिहाईशगाह में जमात बना कर नमाज़ पढ़ लेते हैं। मगर एक नेकी का एक लाख गुना सवाब सिर्फ हरम की मस्जिद में है, अतराफ़ की मस्जिद में नहीं।
- हरम शरीफ की हुदूद में १५ मुकामात दुआ की कबुलियत के हैं। इन मुकामात पर खुसूसी तौर पर देर तक दुआए माँगे।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

बद नसीब कौन?

हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने इर्शाद फरमाया: "अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला कहता है कि जिस बन्दे को मैं ने सेहत और तन्दुरूस्ती बख़्शी और राज़ी में फ़राख़ी और कुशादगी दी और फिर पांच साल की मुद्दत गुज़र जाए मेरे पास ना आए तो ऐसा शख़्स मेहरूमुल किस्मत और बद किस्मत है।"

तशरीह: तन्दुरूस्ती और रोज़ी की कुशादगी अल्लाह तआला की बहुत बड़ी नेअ्मत है। यह दोनों नेअ्मतें जिसे हासिल हों उस को ज़्यादा से ज़्यादा खुदा से तअल्लुक जोड़ना चाहिए, और कौलन व अमलन हर तरह से शुक्रगुज़ार बन्दा बनना चाहिए। लेकिन यह बन्दा नेअ्मतें पाकर एक दिन या एक हफ्ता या एक दिन या एक महीना या एक साल नहीं बल्कि पांच पांच साल तक खुदा के पास यानी बैतुल्लाह हज के लिए नहीं आता तो इस से ज़्यादा महरूमी की बात क्या होगी? उसे जानना चाहिए कि जिस ने उस को सेहत दी है वह छीन भी सकता है। और जिस ने उस को रिज़्क की कशाइस से नवाज़ा है उसे पल भर में दाने दाने का मोहताज बना सकता है। इस सेहत और दौलत को ग़नीमत समझें और जल्द अज़ जल्द फरीज़ा ए हज से फ़ारिग़ हो। मालूम नहीं कि आइंदा यह नेअ्मतें उसे हासिल भी रहेंगी या नहीं।

(तरग़ीब बहवाला इब्ने हब्बान)

(पेज 40 से आगे.....तवाफ का बयान)

और रमल है। ऐसा तीन बार होगा। पहला उमरा के तवाफ़ में, दूसरा तवाफ़े ज़ियारत में और तीसरा ८ ज़िल्हिज्जा को अगर मिना जाने से पहले आप तवाफ़ और सई करते हैं तब।

- ८ ज़िल्हिज्जा को अगर आप ने तवाफ और सई कर ली तो १० ज़िल्हिज्जा के बाद सिर्फ आप को तवाफ के ७ चक्कर बगैर रमल के लगाने है। उस के बाद सई करने की ज़रूरत नहीं।
- रमल सुन्नत है। अगर कोई रमल वाले तवाफ मे रमल करना भूल जाएं तो यह खिलाफे सुन्नत होगा। मगर तवाफ हो जाएगा। तवाफ दोहराने की ज़रूरत नहीं। या किसी ने सातों चक्कर में रमल कर लिया तो भी यह मकरूह है। मगर तवाफ हो जाएगा।
- रूकने यमानी और हजरे अस्वद के दरम्यान ७० हज़ार फरिश्ते तवाफ करने वालों की दुआ पर आमीन कहते हैं।
- तवाफ के दौरान कोई खास दुआ या आयत पढ़ना फर्ज़ या वाजिब नहीं है। जो कुछ हज की किताबों में लिखा है, सिर्फ मस्नून दुआऐं हैं। समझ कर दुआ मांगना और वह दुआऐं जो ज़बानी याद हों पढ़ना ज़्यादा बेहतर है।
- तवाफ का सवाब किसी को भी पहुँचाया जा सकता है। जो इंतेकाल कर गए उन्हें और जो जिंदा हैं और मक्का मुकर्रमा से दूर हैं उन्हें भी।
- मअ़ज़ूर, सवारी पर बैठ कर तवाफ कर सकते है।
- खाना ए काबा पर १२० रहमतें उतरती हैं। जिन में से ६० रहमतें तवाफ करने वालों पर, बक्या ४० रहमतें नमाज़ पढने और २० खाना ए काबा को देखने वालों के लिए हैं।
- रूकने यमानी को तवाफ के दौरान सिर्फ हाथ लगाना सुन्नत है। बोसा देना खिलाफे सुन्नत है। अगर भीड़ हो तो दूर से गुज़र जाऐं। इस्तलाम भी न करें। रूकने यमानी के पास रूक कर सीना खाना ए काबा की तरफ कर के हाथ लगाना या भीड़ लगाना खिलाफे सुन्त है, और मम्नू हैं।
- अस्र के बाद कज़ा फर्ज़ नमाज़ों को छोड़ कर और नमाज़ नहीं पढ़ सकते। इस लिए अस्र के बाद हरम में ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ कीजिए मगर आखरी की दो रकअ्त तवाफे वाजिब मत पढ़िये और मग़रिब के बाद आप ने जितने तवाफ किए हैं उन के हिसाब से हर तवाफ के लिए दो रकअ्त अलग अलग पढ़ लीजिए। इस तरह हरम शरीफ के अंदर आप का हर लम्हा बेहतरीन इबादत में गुज़रेगा।
- सिर्फ तवाफ करते हुए नमाज़ियों के सामने से गुज़रना जाइज़ है। इस के इलावा मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और कहीं भी नमाज़ियों के सामने से गुज़रना जाइज़ नहीं है। हरम शरीफ में अगर किसी के सामने से गुज़रे बगैर चारा ही न हो तो कम अज़ कम नमाज़ी से ४ फिट की दूरी या सिजदा करने की जगह के बाहर से गुज़रें।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

हज की अदाएगी में जल्दी करें।

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फरमाया: "ए लोगो! अगर तुम पर हज फर्ज़ हो चुका हो तो उस की अदाएगी में जल्दी करो, इस लिए कि तुम में से कोई नहीं जानता कि कब क्या रूकावट पेश आ जाए।" (तरग़ीब)

अय्यामे हज के ख़ास ६ दिन

हज की किताबों में १३ ज़िल्हिज्जा के मिना के कयाम के अमल को इतना सरसरी तौर से और इस तरह बयान किया जाता है जैसे वह कोई नफिल अमल है या हज का एक ज़ाईद अमल है, जिसका करना और न करना हाजी की मर्जी पर मुनहसर है। १०, ११, और १२ तारीख को रात मिना में गुज़ारना वाजिब अमल है, जिस के न करने पर दम देना होगा और १३ तारीख के लिए रहिम व करीम रब ने छूट दी है कि अगर किसी मजबूरी से कोई मिना से चला जाएं तो गुनाह नहीं है। (सुरह बकरा) मगर वह मुअल्लिमे इन्सानियत (नबी करीम स.) जिस ने खुद हज करके हमें हज करने का तरीका सीखाया है, उन्होंने १२ तारीख के शॉर्ट कट का रास्ता नहीं सीखाया। बल्कि आप(स.) खुद और आप (स.) के साथ तकरिबन सवा लाख सहाबे कराम ने १३ तारीख का दिन भी मिना में ज़िक्र व अज़्कार में गुजारा और रमी जुमार के बाद मिना से मक्का मुकर्रमा के लिए कूच किया। तो १३ तारीख का मिना में कयाम, यह नबी करीम(स.) और आप (स.) के साथ सवा लाख सहाबा की सुन्नत है और हमें भी इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।

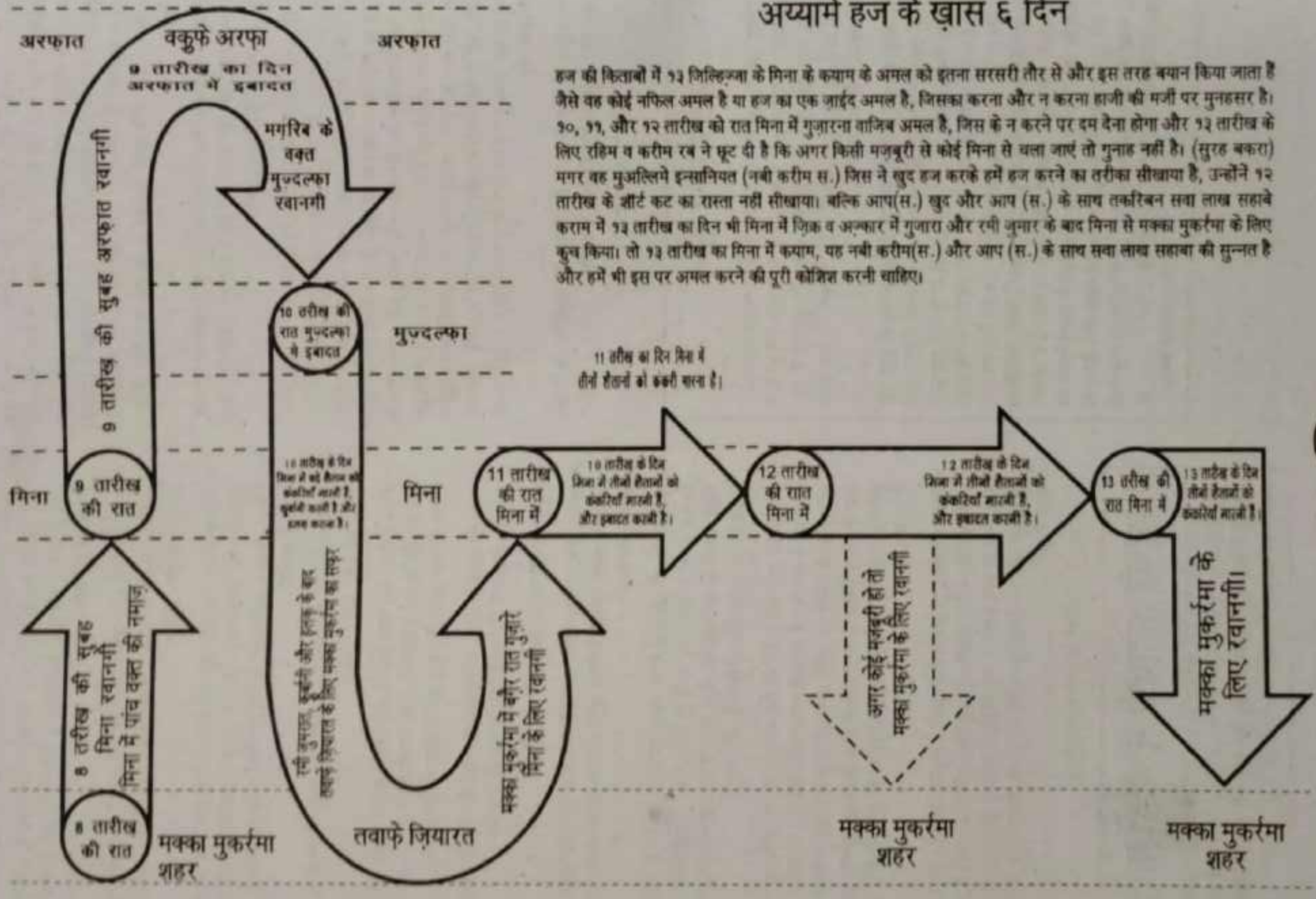

८ ज़िलहिज्जा का दिन:-

- ८ ज़िलहिज्जा से १२ ज़िलहिज्जा हज के अय्याम है। इन्ही दिनों में इस्लाम का अहम रूक्न हज मुकम्मल होता है।
- नया अंग्रेजी दिन या तारीख, रात के बारह बजे से शुरू होता है। मगर इस्लामी दिन या तारीख सूरज डूबते ही शुरू हो जाता है। इसलिए ७ ज़िलहिज्जा गुज़रकर जो शाम होगी वह ८ ज़िलहिज्जा की रात होगी। यानि हज के अय्याम शुरू हो जाएंगे।
- ७ ज़िलहिज्जा के दिन ही अच्छी तरह साफ हो जाएं। नाखून तराश लें। मुछें छोटी करवा लें। नापाक बाल साफ करले। सुन्नत के मुताबीक एहराम की नीयत से गुसल कर ले, तो अफ्जल है वरना वुजु भी कर सकते है। अगर पसीने में बदबू की शिकायत है, तो खुशबू लगा लें। मगर इतनी कम लगाएं कि एहराम की चादर पर इतर का दाग न लगें। इसके बाद एहराम की चादर पहन लें। (एहराम पहनने के पहले खुशबू लगाना सुन्नत है और बाद में मना है।)
- अगर आप के पास वक्त है, तो एहराम पहनकर हरम शरीफ तशरीफ ले जाए और अगर आप के लिए मुनकिन हो तो तवाफे तहिया करें। (ये तवाफ फर्ज़ या वाजिब नही है। इस तवाफ में इस्तेबा और रमल भी नहीं है।)

  नफिल तवाफ करके सिर ढाक कर दो रकअत वाजिबे तवाफ पढें अगर भीड़ हो या कमजोरी कि वजह से नफिल तवाफ करने का इरादा न हो तो मकरू वक़्त कि निगरानी करके अव्वल दो रकात तहियतुल मस्जिद की नीयत से पढ़े, इसके बाद सिर खोलकर एहराम की (हज की) नीयत कर ले और तल्बिया पढ़े।
- अगर आपके साथ कमज़ोर, ज़ईफ और औरते है और १० वी ज़िलहिज्जा "योमुलनहर" के दिन तवाफे ज़ियारत में सफा-मरवा की सई करने में ज़्यादा भीड़ के ख़्याल से पहले ही ८ ज़िलहिज्जा को सई कर लेना चाहते है, तो इस की भी इजाज़त है।

  ऐसी सूरत में एहराम पहनकर तवाफ करें। तवाफ के पहले इस्तेबा करें और तवाफ के पहले तीन चक्करों में रमल करें। फिर तवाफ के सातों चक्कर के बाद २ रकअ़त तवाफ ए वाजिब अदा करें। इसके बाद सफा-मरवा की सई करें। सई के बाद बाल न तराशे न सिर मुंडायें। फिर मिना रवाना हो जाए। फिर तवाफे ज़ियारत में आपको तवाफ करना काफी होगा, सई की ज़रूरत न होगी।

  (नोट: एहराम की चादर पहनने के पहले या बाद में और उम्रह और हज की नीयत करने के पहले या बाद में दो रकअ़त नफिल नमाज़ पढ़ना या नफिल तवाफ करना वाजिब या फर्ज़ नही हैं।)
- सुरज निकलने के बाद मक्का मुकर्रमा से मिना के लिए रवाना होना सुन्नत है मगर लोगों की भीड़ कि वजह से मुअल्लिम हाजियों को रात ही से मिना ले जाना शुरू कर देते है। अगर वह आप को रात ही को ले जाना चाहें, तो आप को उनके साथ चले जाना चाहिए। इसमें आपके लिए आसानी है।
- अपने मुअल्लिम से आप बस की रवानगी का वक़्त पता करले और वक़्त इजाज़त दे, तो एहराम पहन कर हरम शरीफ जाऐ। अगर वक़्त इजाज़त न दे तो अपने कमरे में ही एहराम पहन कर दो रकअत नफिल नमाज़ पढ़ कर हज कि नीयत करें और तल्बिया पढ़ ले। तल्बिया पढ़ते ही आप पर एहराम की तमाम पाबंदियाँ लाज़िम हो जाएगी।
- नीयत इस तरह करें

  اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ الْحَجَّ فَیَسِّرْهُ لِیْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّیْ

  तर्जुमा: या अल्लाह मैं आप की रज़ा हासिल करने के लिए हज की नीयत कर रहा हूँ आप इसे मेरे लिए आसान फरमाईए और कबुल फरमाईए।

  नीयत करके तलबीया पढ़े।

  لَبَّیْکَ اَللّٰهُمَّ لَبَّیْکَ

  हाज़िर हूँ मेरे मौला आपके हुज़ूर हाज़िर हूँ।

  لَبَّیْکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ لَبَّیْکَ

  मैं हाज़िर हूँ आपका कोई शरीक नही, मैं हाज़िर हूँ।

  اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ

  सारी हम्द व सताईश के आपही सज़ावार है और सारी नेअमतें आप ही की है और सारी कायनात में हुकूमत भी आप की ही है।

  لَا شَرِیْکَ لَکَ .... आपका कोई शरीक नहीं।

  तल्बिया एक बार पढ़ना फर्ज़ है और तीन बार पढ़ना सुन्नत है। तल्बिया पढ़ते ही आप मोहरीम हो गये और एहराम की सारी पाबंदिया आप पर लाज़िम हो गई।
- मक्का मुकर्रमा से मिना रवाना होने से पहले आप अपना मिना के लिए शिनाख़्ती कार्ड, खैमे का पता और हो सके, तो मिना का नक्शा भी मुअल्लिम से ले ले, और मुअल्लिम की बस से मिना के लिए रवाना हो जाए।
- हज की कोई किताब साथ रखे और एक बार "एहराम की हालत में ममनु काम" को सरसरी नज़र से पढ़े। मिना के क़याम का मक़सद यह है कि बंदा दुनिया से कटकर यकसु होकर अल्लाह की इबादत में दिन रात गुजारें। मगर लोग इस मिना के क़याम और यक्सुई का इस्तेमाल दुसरी तरह से करते है। इनका सारा वक़्त बहस मुबाहिसा, गपशप और तफरीह में गुज़रता है। इसलीए आप किताबे, तसबीह वगैरा साथ रखें ताकि अल्लाह की इबादत और इल्म हासिल करने मे आपके वक़्त का बेहतरीन इस्तेमाल हो।
- मिना में आपको खरीद कर खाना खाना है, कुर्बानी करनी है और हो सकता है टैक्सी से मिना से अरफात का सफर तय करना पड़े। इसलिए बस इतनी रकम साथ ले लिजीए की ज़रूरत पूरी हो जाए। सारी रकम साथ ले कर मिना और अरफात का सफर करना सही नहीं है। बकिया रकम को मुअल्लिम या मदरसे सौलतिया में जमा करा कर रसीद ले लें।
- अगर आप ने आठ ज़िलहिज्जा के पहले खुद कुर्बानगाह जाकर कुर्बानी के बारे में मालूमात हासिल कर ली है, तो फिर १० ज़िलहिज्जा को खुद जानवर खरीद कर कुर्बानी कर सकते है और अगर आपने हज के अय्याम से पहले मालुमात हासिल नहीं की है, तो फिर मदरसा सौलतिया से या बैंक के ज़रिए ही कुर्बानी कीजिए। वरना आप परेशान हो जाऐंगे इसलिए मिना रवाना होने से पहले किसी एक जगह पर कुर्बानी का पैसा जमा करा दे।
- अगर मदरसे सौलतिया में आप पैसा जमा कराते है, तो उनसे वक़्त भी मालूम करले कि किस वक़्त वह आपके लिए कुर्बानी करेंगे। उसी वक़्त के मुताबिक फिर आपको सिर मुंडवाना आसान होगा। हनफि मसलक के मुताबिक अरकान की तरतीब लाज़मी है। यानि पहले रमी जुमार फिर कुर्बानी फिर कसर फिर तवाफ। अगर अरकान आगे पिछे हो गए तो दम

लाज़िम होगा।

- मक्का मुकर्रमा से मिना को रवानगी के वक़्त खाना खाने की प्लेट, ग्लास, एहराम के अतिरिक्त चादरें, शाल, हवाई तकिया, मिसवाक, आपकी दवाएँ और ज़रूरी सामान साथ ले ले।
- मिना में ख़ैमा में कालीन बिछा हुआ होगा। इसलिए बिस्तर की ज़रूरत नहीं है। खाना ख़रीदकर खाना है। टॉयलेट का अच्छा इतेंज़ाम है इसलिए बाल्टी वगैरह की ज़रूरत नहीं। इसलिए आप जितना कम सामान ले कर सफर करेंगे उतनी आसानी में रहेंगे।
- मिना रवाना होने से पहले मक्का मुकर्रमा में अपना सारा कीमती सामान अपने बैग में लॉक कर दे, और बहुत कम और ज़रूरी सामान लेकर ही मिना को रवाना हो। अपना पहचान कार्ड और कलाई बंद भी अपने साथ रखे।
- तल्बिया पढ़ते हुए मिना को रवाना हो। मिना में ख़ैमे में पहुँचकर मर्दो को जमा करे और सलाह व मश्विरे से ख़ैमा के दरम्यान का पर्दा गिराकर औरतो को एक तरफ कर दे और मर्द एक तरफ हो जाएँ और हर एक आराम से सोने की जगह इन्साफ से आपस में बांट लें।
- अगर ख़ैमा दूर हो, तो मस्जिदे ख़ैफ तक पाँचों नमाज़ों के लिए आना जाना मुमकिन नहीं होगा। इसलीए ख़ैमें में दो इमाम और दो मुअज़्ज़िन मुकर्रर कर ले।(दो इसलिए मुकर्रर करें कि अगर गैर हाज़िर हो तो दुसरा नमाज़ पढ़ा सके।)
- मिना में आठ ज़िल्हिजा के दिन, ज़ोहर, अस्र, मग़रिब, इशा और ९ ज़िल्हिज्जा कि फज्र पढ़ना सुन्नत है। आप मिना और मुज़्दल्फा, मक्का मुकर्रमा शहर में दाखिल है। इसलिए हज के अय्याम को मिलाकर अगर किसी का कुल कयाम १५ दिनों से ज़्यादा होगा तो वह मुकामी होगा और उसे पूरी नमाज़े पढ़नी होंगी इस तरह अब ज़्यादातर लोग मुकामी ही होते है। इसलीए ईमान को मुकामी हज़रात में से मुन्तखिब कर ले ताकि मुकामी हज़रात को नमाज़ पढ़ने में आसानी हो।
- अल्लाह तआला का हुक्म हैः "और (कयामें मिना के) दिनों में (जो) गिनती के (चंद दिन ही है) अल्लाह को याद करो।" (सुरे बकरा)

  इसलिए मिना के क़याम में पूरी कोशिश करे, कि आपका सारा वक़्त अल्लाह की इबादत में गुज़रे। हज की नीयत करने से लेकर बड़े शैतान को कंकरी मारने तक हाजी के लिए सबसे अफज़ल तसबीह तल्बिया कहना है इसलिए कसरत से इसका विर्द करे।
- हरम शरीफ की हुदुद में १५ मुकामात दुआ की कबूलियत के है। इसलिए इन मुकामात पर खुसूसी तौर पर देर तक दुआएं माँगें।

  (१) मताफ (जहाँ तवाफ किया जाता है), (२) मुल्तज़िम(खाने काबा की चौखट), (३) निज़ाबे रहमत के नीचे (खाने काबा की छत का परनाला), (४) हतीम, (५) खाने काबा के अंदर, (६) ज़मज़म के कुएं के करीब, (७) मक्का मे इब्राहीम के पीछे, (८) सफा, (९) मरवा, (१०) सफा और मरवा के दरम्यान सई की जगह खुसूसन दोनों सब्ज़ सुतूनो के दरम्यान, (११) अरफात, (१२) मुज़्दल्फा, (१३) मिना में छोटे और दरम्यानी शैतान के नजदीक, (१४) हज्रे अस्वद और रूक्ने यमानी के दरम्यान, (१५) हज्रे अस्वद के क़रीब।

९ ज़िल्हिज्जा का दिनः-

- नबी करीम (स.) ने ९ ज़िल्हिज्जा को मिना में ही फज्र की नमाज़ अदा की थी और तुलुऐ अफताब के बाद अरफात की तरफ कूच किया था। मगर मौजूदा ज़माने में चूँकि ३० लाख से भी ज़्यादा लोग हज के अरकान एक साथ अदा करते है इसलिए लोगों की भीड की वज़ह से हज के अरकान अदा करते वक़्त कई मसाईल पैदा हो जाते है और हाजियों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है।

  हाजियों की आसानी और भीड़ को कम करने के लिए और मुअल्लिम ८ ज़िल्हिज्जा की रात को ही हाजियों को बससे अरफात ले जाते है।

  किसी मुसलमान को तकलीफ देना हराम है। मुअल्लिम का रात ही में हाजियों को अरफात में ले जाने का मकसद सिर्फ हाजियों को इस तकलीफ से बचाना है। इसलिए सुन्नत के मुताबिक न होने के बावजूद भी ये जायज़ है और सुबह के पहले हाजियों का अरफात पहुँचने में कोई मुज़ाइका नहीं है। सुबह के वक़्त अफरातफरी का माहोल होगा। सुबह को बस छूट गई तो फिर ११ या १२ बजे दुसरी बस मिलेगी और अगर नहीं मिली तो तनहा अरफात जाना, मुअल्लिम के ख़ैमे से दूर रहने, खाने व पीने का खुद इंतजाम करना वगैरा काफी मुश्किल काम है। इसलिए कोशिश करके मुअल्लिम के बस से ही अरफात पहुँचे। मुअल्लिम आपको अपने ख़ैमे में ठहराएगा अरफात के ख़ैमे मिना के ख़ैमों की तरह बेहतरीन तो नहीं होते मगर ज़मीन पर एक दरी और सिर पर एक चादर ज़रूर होती है। यहाँ आप अपने ख़ैमे के लोगों के साथ जमाअ़त बनाकर नमाज़ पढ़ सकते है, थोड़ी देर लेट कर आराम कर सकते है। दोपहर का ख़ाना मुअल्लिम की तरफ से होगा इसलिए आप इत्मिनान से सिर्फ इबादत पर तवज्जा दे सकते है। ख़ैमे के करीब गुसुलखाने और टॉयलेट भी जरूर होते है इसलिए आप को ज़रूरीयात से फारिग़ होने में आसानी होगी। वापसी के लिए बस भी ख़ैमे के पास से ही रवाना होगी।

वकुफे अरफाः-

- हुज़ुर (स.) ने फरमायाः "हज अरफात में ठहरने का नाम है।"(जामे तिरमीज़ी, हदीस ८८९)। तो यही अरफात का क़याम और इसमें की जाने वाली इबादत ही असल हज है। अपने हज को मबरूर बनाने के लिए इन क़ीमती लम्हात को ग़नीमत जानिए और दिल की गहराईयों से अपने माबुद-ए-हकीकी की इबादत किजीए।
- नबी करीम (स.) ने ज़वाल के बाद खुत्बा दिया था और ज़ोहर और अस्र की नमाज़े एक अज़ान और दो तकबीरों से कसर करके अदा फरमाई थी और इसके बाद गुरूबे आफताब तक अल्लाह के हुज़ूर में खड़े होकर दुआ वज़ारी में मसरूफ रहें।

  हम में इतनी ताकत नहीं कि नबी करीम (स.) की तरह इबादत कर सके मगर जितना मुमकिन हो नमाज़ के बाद किब्ला रूख होकर रो रो कर अपने रहीम व करीम रब से दुआएँ और गिरया विज़ारी करनी चाहीए।
- हुज़ुर(स.), हज के अय्याम में मुसाफिर थे इसलिए आप कसर नमाज़ अदा करते थे। मस्जिदे हरम में आप मुकामी लोगों को पूरी नमाज़े पढ़ने की तलक़ीन करते मगर अरफात में जब मुकामी लोगोंने मुकामी होने के बावजुद कसर नमाज़ पढ़ी तो आपने मना नहीं किया। इसलिए अगर आप मस्जिदे नमरा में हो तो इमाम के पीछे कसर करके ज़ोहर के वक्त ज़ोहर और अस्र की नमाज़ पढ़ ले। मगर आप मस्जिद से दूर अपने ख़ैमे में हैं और आप मुकामी है (कसर लाज़िम नहीं है) तो फिर हनफी वक्त के मुताबीक ज़ोहर के वक़्त अज़ान देकर जमात से पूरी ज़ोहर पढ़े और अस्र के वक्त अज़ान देकर जमात से पूरी अस्र पढ़े।
- वकुफे अरफात का वक़्त अरफात के दिन ज़वाल-ए-अफताब के वक़्त से शुरू हो जाता है। नमाज़ से फारिग़ होकर वकुफ-ए-अरफा में मसरूफ हो जाए। मुमकिन हो सके तो किब्ला रूख खड़े होकर मगरिब तक वकुफ करें और अगर पूरे वक़्त खड़े रहना मुम्किन न हो, तो बैठना और लेटना भी जायज़ है।
- यह वक़्त दुआओं, मनाजात, तौबा व इस्तग़फार की कबुलियत का है। ऐसा मोहतरम वक़्त और ऐसी मुकद्दस जगह बस खुशनसीबी से मिलती है और

पता नहीं जिंदगी में दोबारा इस बारगाहे रहमत में हाज़िरी का मौका नसीब होता है या नहीं। इसलिए हर लम्हा को ग़नीमत जानिए और हर दुआ को दिल से माँगिये।

- अल्लाह के पैगंबर मासूम होते हैं। अल्लाह तआला उन्हें सारे गुनाहों से बचाए रखता है। नबी करीम (स.) ने अरफात में गुरूब-ए-अफताब तक रो रोकर जो दुआएं मांगी, इसमें ज्यादा हिस्सा इस उम्मत-ए-मुस्लिमा के लिए था। इस शफीक नबी (स.) पर अगर हम दरूद न भेजे तो कैसी एहसान फरामोशी होगी इसलिए हुजूर (स.) पर बेईन्तिहा दरूद भेजे।
- हूजूर पाक (स.) और उनसे पहले जितने अम्बिया गुज़रें हैं उन्होंने चौथे कलमें को दुआ का दर्जा दिया और कसरत से इसी का विर्द किया। इसलिए वकुफ-ए-अरफा में सौ बार इस कलमें का ज़रूर विर्द करें।
- अस्र का वक़्त ख़ास दुआ की कबुलीयत का है। अल्लाह तआला आपसे आप की रग जान से भी ज़्यादा करीब है और आपके दिल की धड़कन को सुन रहा है। अपने लिए दुआऐं माँगे, अपनी औलाद के लिए, अपने वालिदेन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने वतन के लिए और इस उम्मतें मुस्लिमा के लिए। हर एक के लिए निहायत आजीज़ी व इन्कसारी के साथ दुआऐं माँगे।
- हमने मक्का मुकर्रमा से मिना और मिना से बस से सफर करने की सलाह इसलिए दी थी कि दोनों जगह खुद से मुअल्लिम का खैमा ढूंढ़ना एक मुश्किल काम है और अरफात पैदल न जाने की एक वजह यह है कि दिन भर की इबादत के लिए आप तरौ ताज़ा रहें। मगर वकुफ-ए-अरफा के बाद आप बस से सफ़र करने में परेशानी होगी और पैदल चलने में सहुलत और आसानी है।
- अस्र का वक़्त जो कि खास दुआ का वक्त है, बहुत सारे लोग इबादत तर्क करके बस की सवारी के लिए चल पड़ेंगे और कुछ ही देर में बस छतों के ऊपर तक भर जाएगी। यह उनकी बड़ी महरूमी होगी।
- आप दुनिया से गाफिल हो कर अपनी इबादतो, दुआओं और गिरया विज़ारी में मसरूफ रहे और गुरूब-ए-अफताब के बाद ही बगैर मगरीब पढ़े अरफात से रवाना हो।

मुज्दल्फा के लिए रवानगीः-

- पैदल चलने वाले और बसे सब गुरूब-ए-अफताब के बाद एक साथ अरफात से रवाना होंगे। मगर इन्शा अल्लाह आप पैदल चलकर ईशा के वक़्त या इससे पहले मुज्दलफा की हुदूद में दाखिल हो जायेंगे और बसें कभी कभी ईशा तक अरफात ही में खड़ी रह जाती हैं और मुज्दलफा पहुँचते पहुँचते सुबह के चार बज जाते है।

  इसलिए आप अपनी इबादात खत्म करके इत्मिनान से मुज्दलफा की तरफ पैदल सफर किजिए। इस किताब में मक्का मुकर्रमा, मिना, मुज्दलफा और अरफात का नक्शा है, इसे भी समझ लीजिए, इसमें आप देखेंगें कि पैदल चलने के दो रास्तें अरफात से निकल कर मुज्दलफा में शअरुल हराम मस्जिद की तरफ जाते है। इस रास्ते पर मुज्दलफा में बहुत भीड़ होती है। इसलिए हो सके तो रास्ता बदलकर मुज्दलफा में दाखील हों।
- अरफात और मिना के दरम्यान मशरिक की जानिब एक ३ मील का मैदान है, इसको मुज्दलफा कहते है। इस मैदान की आख़िरी हद पर एक पहाड़ है जिसे मशअरूल हराम कहते है। इसी का ज़िक्र कुरआन शरीफ में आया है। नबी करीम(स.) मशरूल हराम के पास कयाम फरमाया था। मगर सारे मुज्दलफा के मैदान में कही भी मौकुफ किया जा सकता है।
- मुज्दलफा में रात के कयाम के लिए कोई खैमा वगैरह नहीं है। रात खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर चटाई बिछाकर बैठकर गुज़ारी जाती है। वैसे तो जगह जगह मुज्दलफा में टॉयलेट है, फिर भी आप जहाँ ठहरें, हो सकता है टॉयलेट वहाँ से दूर हो। इसलिए अरफात के दिन अपने खाने पीने पर कंट्रोल रखें ताकि ज़रूरियात से फारिग़ होने के लिए आप मुज्दलफा में बेचैन न हो जाए। और कुछ ज़्यादा पानी साथ रखें कि कभी टीले के पीछे ज़रूरियात से फारिग़ होना हो तो पानी की क़िल्लत न हो।
- मुज्दलफा अगर आप ईशा से पहले भी पहुँच जाएं तब भी ईशा कि नमाज़ के वक़्त तक इंतजार करें और ईशा के वक़्त एक अज़ान और दो तकबीरों से पहले मग़रिब की फर्ज़ नमाज़ पढ़े। फिर ईशा की नमाज़ पढ़े फिर मग़रिब की सुन्नत व नफिल पढ़े। फिर ईशा की सुन्नत, वित्र और नफिल पढ़े।
- मुज्दलफा की यह रात हाजियों के लिए शब-ए-कदर से ज्यादा अफज़ल है। अल्लाह तआला कुरआन मजीद में फरमाता हैः "फिर जब अरफात से चलो तो मशअरूल हराम (मुज्दलफा) के पास ठहर कर अल्लाह को याद करो और इस तरह याद करो जिसकी हिदायत उसने तुम्हें दी है। वरना इससे पहले तो तुम लोग भटके हुए थे।" (सुरे बकरा-आयत १९८)
- नबी करीम (स.) उम्मत के लिए आसानी चाहते थे। इसलिए आपने इस रात आराम फरमाया था। इसलिए अगर आप थक कर चूर हो, तो घंटा दो घंटा आराम कर लें। फिर ताज़ा दम हो कर इबादत में मश्गूल हो जाएं। सोने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है, यह रात खुशनसीबों को मयस्सर होती है, इसकि कदर करें। इसी रात के आख़िरी पहर में जब नबी करीम(स.) ने ज़ालिम और मज़लूम वाली अपनी दुआ दोहराई जो अरफात में कबूल होने से रह गई थी वह मुज्दलफा में कबूल हो गई। तो यह मुकाम और यह रात दुआओं कि कबूलियत की रात है। यहाँ पर भी मालिक-ए-कायनात से अपने एहल व आयाल, अपने वालिदेन और उम्मते मुस्लिमा के लिए बखशिस और सेहत व करम की दुआएं माँगे।
- सुबह सादिक के वक़्त हुकूमत की जानिब से तौप का गोला दाग़ा जाता है। ताकि सारे हाजी हज़रात फज्र की नमाज़ सही वक्त पर अदा कर सके। तो आप गोले की आवाज़ के बाद अज़ान दे कर जमात से फज्र की नमाज़ अदा करें और तुलू अफताब से कुछ पहले तक दुआ व अज़्कार में मसरूफ रहें। सुबह सादिक के बाद थोड़ी देर मुज़दल्फा में वकुफ करना वाजिब है।
- रमी जुमार के लिए मिना से भी कंकरी चुनी जा सकती है। मगर आप वहाँ हर जगह पक्की सड़क और क्रांकिट का फर्श ही पाएंगे। इसलिए मुज्दलफा से ही ७० से ही कुछ ज्यादा कंकरीया चुन ले। अगर नापाकी का डर हो, तो धो ले वरना धोना फर्ज़ या वाजिब नहीं है।
- सूरज निकलने से कुछ पहले मिना कि तरफ कूच करें। आप मुज्दलफा कि हुदूद में है तभी सूरज तुलू हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मुज्दलफा से मिना में अपना खैमा तलाश करते वक़्त अक्सर व बेश्तर लोग रास्ता भूल जाते है। इसलिए मिना में अपने खैमे के करीब सुतून का नंबर हमेशा याद रखें और अगर आप मिना में अपने खैमे के करीब से गुज़रने वाले पुल का नाम याद रखें, तो आपको अपना खैमा तलाश करने में बड़ी आसानी होगी। वरना सारे खैमे एक जैसे लगते है और लोग घंटो दर बदर भटकते रहते है।
- मुज्दलफा और मिना के दरम्यान एक वादी है जिसे 'वादी-ए-महसर' (नया नाम 'वादी-ए-निहार') कहते है। इस जगह असहाब-ए-फिल पर आज़ाब नाज़िल हुआ था। हुकूमत ने इस जगह को खारदार तारों से घेर दिया है और पैदल चलने वाले हाजियो को दूर रखने के लिए पुलिस का पहरा भी होता है। इसलिए अगर इसके करीब से गुज़रना पड़ा तो दौड़कर गुज़रें।

१० ज़िल्हज्जा का दिनः-

- आज ईद उल अज़हा का दिन है। सारी दुनिया ईद की नमाज़ पढ़ेगी। मगर हाजी के लिए ईद की नमाज़ के बजाय कुछ और हुक्म है। आज उसे चार

अहम काम करने है।

१. रमी जमार, २. कुर्बानी, ३. हलक, ४. तवाफ-ए-ज़ियारत

पहले तीन काम तो वाजिब है जबके चौथा फर्ज़ है।

रमी जमार:-

- मुज्दलफा से रमी जमार के लिए सीधे न जाए क्योंकि अब सऊदी पुलिस वाले सामान लेकर रमी जमार के रास्ते पर ही चलने नहीं देते है। इसलिए पहले मिना में अपने खैमे पर आ जाए, ज़रूरियात से फारिग़ हो जाए, आराम कर लें। आज रमी जमार का अफज़ल वक्त इशराक से ज़वाल तक है। इस अफज़ल वक़्त में रमी के लिए लोगों की बहुत भीड़ होती है। इसलिए सब्र से काम ले और ज़ोहर बाद जाएं। सऊदी हुकूमत ने दुनिया के अलग अलग इलाकों के लोगों के लिए रमी का अलग अलग वक़्त तय किया है। मुअल्लिम से पता करलें कि हिन्दुस्तानी हाजियों के लिए कौनसा वक़्त तय है। फिर इसी वक़्त रमी करें। शदीद भीड़ का मसला २००६ इसवी तक था। इसके बाद सऊदी हुकूमत ने जमरात के मुकाम पर कई मन्ज़लात पुल बना दिए है कि अफज़ल वक्त में सारे हाजी रमी कर सके। इसलिए मिना में मुअल्लिम से हालात दरयाफ्त कर लें और इसे सलाह मश्विरा के बाद ही जुमरात की तरफ जाएं।

  आज के दिन सिर्फ जुमरा उकबा (बड़े शैतान) को कंकरिया मारनी है। कंकरी मारने से पहले तल्बिया पढ़ना बंद कर दे। एक एक करके सात कंकरिया मारे और हर कंकरी मारते वक्त पढ़े।

  بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ رَغْماً لِّلشَّيْطَانِ وَرِضًى الرَّحْمٰنِ

तर्जुरमा: मैं अल्लाह तआला के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह सबसे बड़ा है। कंकरी मैं शैतान को ज़लील करने और अल्लाह तआला को राज़ी करने के लिए मारता हूँ।

- किसी भी जम्रह को चारों तरफ से कंकरी मारना जायज़ है। १० ज़िलहिज्जा को नबी करीम (स.) ने जम्रह उक्बा को जब कंकरीया मारी थी, उस वक़्त आपकी बाए जानिब मिना और दाहिनी जानिब मक्का मुकर्रमा (बैतुल्ला) था।

  कंकरी मारने की जगह उस जमरात के सुतून या दीवार की बुनियाद है। इसलिए ऐसे कंकरीया मारे जैसे आप किसी हौज़ में कंकरीया फेंक रहें है। दीवार या सुतुन को इतने ज़ोर से न मारे कि कंकरीया टकराकर अहाते से बाहर जा गिरें। अगर ऐसा हुआ तो वह गिनी नही जाएगी। इसके बदले आपको फिर एक कंकरी मारनी है वरना दम लाज़िम होगा।

कुर्बानी:-

- अल्लाह तआला कुरआन शरीफ में अरकाने हज के बारे में फरमाता है। "इन मुकर्रर दिनों में (हज के अय्याम में) अल्लाह का नाम याद करें (अल्लाहु अकबर कहते हुए कुर्बानी करें) इन चौपाहों पर जो पालतू है। फिर आप भी खाए और भूखे फकीरों को भी खिलाएं। फिर वह अपना मैल कुचैल दूर करें (सिर मुंड़वाए) और अपनी नज़रे पूरी करें और अल्लाह के कदीम घर का तवाफ करें (तवाफ-ए-ज़ियारत करें)।" (सुरह अल हज २८)
- अल्लाह तआला कुर्बानी के बारे में फरमाता है: "अल्लाह तआला को कुर्बानीयों का गोश्त नहीं पहुँचता न उनका खून। बल्कि उसे तुम्हारे दिल की परहेज़गारी पहुँचती है" (सुरह अल हज ३७)
- नबी करीम (स.) ने तुलुअे आफताब के बाद रमी जमार किया था। उसके बाद खुत्बा दिया था। इसके बाद अकेले सात ऊंटों को कुर्बान किया था। और हजरत अली (रज़ी.) के साथ ५६ ऊंट। इसके बाद हज़रत अली (रज़ी.) ने अकेले ३७ ऊंट कुर्बान किए,(इस तरह कुल १०० ऊंट कुर्बान किए) कुर्बानी के बाद सिर मुंडवाया था। फिर ज़वाल से पहले मक्का मुकर्रमा में तवाफे ज़ियारत के लिए रवाना हो गए और तवाफे ज़ियारत अदा करके रात गुज़ारने फिर मिना वापस आ गए तो अरकान अदा करने का यह सुन्नत तरीका है।
- कुर्बानी के अरकान, यह इस अज़ीम कुर्बानी की यादें है, जो हज़रत इब्राहिम (अ.स.) ने अपने बेटे की अल्लाह तआला की बारगाह में पेश करके दी थी।
- इन्तेहाई खुलूस के साथ कुर्बानगाह जाकर खुद कुर्बानी करें। या बैंक या मदरसे सौलतिया के ज़रीए कुर्बानी करें। फिर दिल में यह मज़बूत इरादा रखें कि बकिया ज़िंदगी में भी इसी तरह अल्लाह की राह में अपनी दौलत, वक्त और नफ्स की, खुशी की कुर्बानी देते रहेंगे।

हलक (सिर मुंड़वाना) और तवाफे ज़ियारत:-

- अब दो अरकान बचे हैं, हलक करवाना और तवाफे ज़ियारत।
- मस्जिदे हराम में अगर बाहर के सहन को भी शामिल कर ले तो दस लाख लोग नमाज़ पढ़ सकते है।
- मुताफ में एक ही वक़्त में अंदाजन २० से २५ हज़ार लोग तवाफ कर सकते है।
- जब लोगों कि भीड़ कम हो, तो एक तवाफ में आधा घंटे से ज़्यादा वक़्त लगता है और शदीद भीड़ के वक़्त एक घंटे से ज़्यादा वक़्त दरकार है।
- अगर १० लाख हाजी जो मस्जिदे हराम में मौजूद है। एक के बाद एक (२५ हज़ार के ग्रुप में) तवाफ करना चाहे तो सारे नमाज़ियों को तवाफे ज़ियारत करने के लिए तकरीबन २० घंटो से ज़्यादा वक़्त लगेगा।
- अगर हम मुकामी लोगों को शामिल किया जाए, तो हर साल तकरीबन ३५ से ४० लाख लोग हज करते है। अगर एक के बाद एक (२५ हज़ार के ग्रुप में) यह सब हाजी तवाफे ज़ियारत करे तो कम अज़ कम २ दिन दरकार है। इसलिए हाजियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से सुन्नत तरीके से और अफज़ल वक्त पर अरकान अदा करना अब मुम्किन ही नहीं रहा। नबी करीम (स.) ने आसान तरीका (अगर ग़लत न हो तो) पसंद फरमाया। इसलिए खुद भी आसान रास्ता इख्तेयार कीजिए और दुसरों के लिए आसानी पैदा कीजिए।
- मेरी बहन कनीज़ फातमा ने सन २००६ इसुवी में हज किया था। १० ज़िलहिज्जा के अस्र के वक़्त जब वह मस्जिदे हराम पहुँची, तो पुलिस ने सारे मस्जिदे हराम के अतराफ घेरा डाल रखा था, और किसी को अंदर दाखिल होने नहीं दिया। क्योंकि मस्जिदे हराम हाजियों से भरी हुई थी और अंदर मज़ीद हाजियों कि गुंजाईश नहीं थी। वह ईशा तक इंतज़ार करती रही और मजबूरन खाली हाथ मिना लौट गई और दुसरे दिन ११ ज़िलहिज्जा तवाफे ज़ियारत किया।
- अगर पुलिस आपको न भी रोके और आप किसी तरह अंदर दाखिल हो जाए तो भी इतनी शदीद भीड़ में आप को और दुसरे हाजियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उल्मा और वह लोग जो बार बार हज कर चुके हैं, यह मश्विरा देते है कि आप ११ ज़िलहीज्जा को मगरिब मिना में पढ़कर मक्का मुकर्रमा के लिए पैदल रवाना हों, तो इशा की जमाअत आपको मस्जिदे हराम में मिल जाएगी। बाहर सहन में नमाज़ पढ़े नमाज़ के बाद खाना खा ले। कुछ देर आराम करके फिर तवाफ-ए-ज़ियारत और सई करें और फिर इत्मिनान से रात ही को मिना लौट जाएं। इस तरह अरकान अदा करने से काफी आसानी होगी और अरकान भी अच्छी तरह अदा होंगे।
- अगर आप सौलतिया मदरसे के ज़रिए कुर्बानी करेंगे तो हाजियों कि तादात

ज्यादा होने की वजह से वह आपको कुर्बानी का वक़्त, १० तारीख की शाम या ११ तारीख का कोई वक़्त बताएंगे। आप उस वक़्त तक इंतज़ार कीजिए और फिर भी १ या २ घंटा देरी से करवा ले (मुंडवा ले)। एहराम उतारकर रोजमर्राह के कपड़े पहन लें। वक़्त पर नमाज़ पढ़े और अपनी आसानी के मुताबिक तवाफे ज़ियारत के लिए रवाना हो। तो कुर्बानी के वक़्त के मुताबिक भी अगर आप हलक करेंगे, तो तवाफे ज़ियारत के लिए आप को ११ ज़िलहिज्जा तक इंतज़ार करना ही होगा। इसलिए सब्र के साथ एहराम पहने रहे और सुकून व इत्मिनान और सहूलत के साथ अरकान अदा करें।

- तवाफे ज़ियारत का अफज़ल वक़्त तो १० वी ज़िलहिज्जा है। मगर इसे १२ वी तारीख के आफताब गुरूब होने से पहले तक कर सकते है। अगर १२ वी तारीख गुज़र गई और तवाफे ज़ियारत नहीं किया तो ताखीर की वजह से दम वाजिब होगा। चुँकि तवाफे ज़ियारत हज का एक फर्ज़ रूक्न है। इसलिए जब तक तवाफे ज़ियारत न कर ले हज पूरा न होगा। एहराम की एक पाबंदी आप पर आयद रहेगी यानी आप अपनी बीवी से अज़वाजी तालुकात कायम नहीं कर सकते। १२ तारीख गुज़र गई तो दम लाज़िम होगा मगर आप फिर उसे कभी भी कर सकते है। जैसे नफिल नमाज़ पढ़ने की नीयत करने के बाद अगर आप नीयत तोड़ दें, तो फिर उसका अदा करना आप पर वाज़िब हो जाता है इसी तरह हज की नीयत करके अगर आप उसे अधुरा छोड़ेंगे तो उसका दोहराना आप पर फर्ज ही रहेगा। इसलिए अगर आप का तवाफे ज़ियारत छूट गया तो ज़िंदगी भर इसका अदा करने का फर्ज़ आप पर बाकि रहेगा और अज़्दवाजी ज़िंदगी पर पाबंदी भी।

  इस तवाफ के पहले तीन चक्करों में रमल भी है। एहराम की चादरें जिस्म पर न होने की वजह से इस्तबा नहीं है।

  अगर आप ने ८ ज़िलहिज्जा को एहराम बाँधने के बाद नफिल तवाफ किया है जिस में रमल इज्तबा और सई कर ली है तो फिर तवाफे ज़ियारत में दोबारा सई करने की ज़रूरत नहीं है और आपका तवाफ भी बगैर रमल होगा। क्योंकि जिस तवाफ के बाद सई होती है रमल इसी में किया जाता है।

  शैतान को कंकरी मारना, कुर्बानी करना, सिर मुँडवाना और तवाफे ज़ियारत करना यह तरतीब सुन्नत है और ज़रूरी है। अगर यह रूक्न आगे पीछे हो गए तो हनफी मसलक के मुताबिक दम लाज़िम होगा।

  हम्बली मसलक (सऊदी उल्मा) और इमाम गज़ाली(रह.) के मुताबीक अगर मजबूरी में अरकान आगे पीछे हो गए तो दम लाज़िम नहीं होगा। (अहया-उल-उलूम उर्दु जिल्द अव्वल सफा ४०८)

  हम्बली मसलक के मुताबिक अगर किसी वजह से सई १२ तारीख के गुरूबे आफताब तक जो के अफज़ल वक़्त है न कर सके तो ज़िलहिज्जा महीने के आखिर तक कर सकते है।

११ और १२ ज़िलहिज्जा:-

तवाफे ज़ियारत में आप को चाहे जितना वक़्त लग जाए मगर रात गुज़ारने आप को मिना ही लौटकर आना है। मक्का शरीफ मे अपनी कयामगाह पर आप रात नहीं गुज़ार सकते।

- रात मिना में गुज़ारे, पाँचों वक़्त नमाजे पढ़े।
- यह अय्याम तशरीक के दिन है, इस मे कसरत से तकबीर कहना मसनून है।
- जुमरात को कंकरिया मारना भी अल्लाह का ज़िक्र करना है। ज़वाल के बाद कंकरीया मारना अफज़ल है मगर सहूलत के मुताबिक लोगों की भीड़ का ख़्याल रखकर रमी जुमार के लिए जाए। पहले छोटे शैतान फिर दरम्यानी शैतान और फिर बड़े शैतान को कंकरी मारे। छोटे और दरम्यानी शैतान पर रमी के बाद नबी करीम (स.) ने किब्ला रूख हो कर इतनी देर तक दुआएं माँगी थी कि कोई उतने देर में सुरे: बकरा (सवा दो पारा) पढ़ सकता है। इसी सुन्नत के मुताबिक आप भी दुआओं का एहतेमाम करें। बड़े शैतान पर रमी के बाद दुआएं न माँगे।
- हज की इबादत, इब्राहिम (अ.स) के ज़माने से है। आम इन्सानों के अलावा हजारों वलियों और सैंकड़ों पैगंबरों ने हज किया होगा। हर एक ने मिना में कयाम किया होगा और हर एक ने मस्जिदे खैफ में नमाज़ पढ़ी होगी। मिना के कयाम में वक़्त फारिग़ करके इस मुबारक मस्जिद में नमाज़ पढ़ कर आप भी रूहानी फैज़ हासिल करने की कोशिश करें।

१३ ज़िलहिज्जा:-

- जुमा के दिन मस्जिदो को देखकर बड़ी खुशी होती है। मगर यह खुशी आरज़ी होती है। जहाँ इमाम ने सलाम फेरा कि लोग दुम दबाकर ऐसा भागते है कि अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। चंद मिनटों में दरवाज़े के बाहर तक लबालब भरी हुई मस्जिदे आधी से ज़्यादा खाली हो जाती है।
- ऐसा ही मामला १२ ज़िलहिज्जा की शाम को मिना में होगा। वह लोग जो अफज़ल औकात में अरकान सही तरीके से करने के लिए टूटें पड़ते थे १२ तारीख कि शाम को अपना बोरीया बिस्तर लपेटकर मिना से गायब हो जाएंगे। क्योंकि १३ तारीख को मिना में रूक्ना वाजिब नहीं है। "बस सुन्नत ही तो है।"
- नबी करीम(स.) ने हज्जतुल विदा के मौके पर लोगों को बार बार फरमाया कि,"लोगो! मुझ से हज सीख लो, हो सकता है यह मेरा आखरी हज हो।" आप (स.) ने खुद ऐसा तरीका उम्मत के सामने पेश किया जो आसान था। मिसाल के तौर पर आप (स.) ने सहाबा (रज़ी.) से फरमाया कि अगर कुर्बानी के जानवर साथ नहीं है, तो उम्रह के बाद एहराम उतार दे और हाजे तमत्तओं करें। आप (स.)ने नमाज़े कसर करके पढ़ी। आप (स.) ने मुज्दल्फा की रात आराम किया। आप (स.) ने औरतों और कमज़ोर लोगों को रात में मिना जानें की इजाज़त दी। आप (स.) ने हज्रे अस्वद को दूर से ही इस्तलाम करने की इजाज़त दी वगैरह वगैरह।

  मगर जहाँ तक मिना से गैर हाज़िर रहने की बात है तो सिर्फ हज़रत अब्बास (रज़ी) ने आप (स.) से हाजियों को पानी पिलाने के लिए मस्जिदे हरम में रहने की इजाज़त माँगी थी और मैंने एक भी ऐसी रिवायत नहीं पढ़ी जिसमें सवा लाख असहाबे किराम में से किसी ने १२ तारीख की शाम मक्का लौटने की आप (स.) से इजाज़त माँगी हो। नबी करीम (स.) और तकरीबन सवा लाख सहाबे कराम(रज़ी.) जिन्होंने आप (स.) के साथ हज किया, १३ तारीख को रमी जुमार के बाद ही मक्का मुकरमा लौटे।
- अल्लाह तआला ने कुरआन शरीफ में फरमाया की अगर कोई १२ तारीख को मक्का लौट जाएं तो कोई गुनाह नहीं, तो यह आसानी का मामला अल्लाह का करम है। मगर नबी करीम (स.) की सुन्नत १३ तारीख को ज़वाल के बाद, रमी जुमार के बाद मक्का मुकर्रमा लौटना है।
- ६ ज़िलहिज्जा से १३ ज़िलहिज्जा यह अय्याम तशरीक कहलाते है। नबी करीम (स.) ने फरमाया, "अय्यामें तशरीक खाने पीने और अल्लाह का ज़िक्र व अज़्कार करने के दिन होते है।"(मुस्लिम)। तो इन दिनों में कसरत से अल्लाह तआला का ज़िक्र और इबादत करनी चाहिए। इसलिए अगर कोई मजबूरी न हो तो १३ तारीख को मिना में ही रूके, इबादत में दिन गुज़ारे, ज़वाल के बाद रमी जुमार करें और इसके बाद मक्का मुकर्रमा रवाना हो।
- अगर कोई मजबूरी हो तो कोशिश करें की १२ तारीख की शाम से पहले मिना से रवाना हो जाएं क्योंकि शरीयत के मुताबीक अगर मिना में सूरज गुरूब हो गया तो आपको मिना में रूकना ज़रुरी है। मगर अब चुँकि रमी

(बाकी पेज ६५ पर)

मदीना मुनव्वरा के तारीखी मुकामात

मस्जिदे नबवी (स.):-

मस्जिदे नबवी (स.) की दीनी फ़ज़ीलतें तो हैं ही दुनियावी लिहाज़ से भी इस का एक खास मुकाम है। इस की तफसीलात जान कर आप को हैरत होगी। यह दुनिया का खूबसूरत तरीन महल है। इतना कीमती और खूबसूरत महल इन्सानी तारीख में पहले कभी नही बना है। इसे बनाने में तकरीबन ३६० अरब रूपये खर्च हुए हैं। इसे टी. वी. के डिस्कवरी चैनल ने दुनिया की ८ अज़ीम इमारतों में से एक कहा है और 'गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड' ने इसे दुनिया की सब से खूबसूरत इमारत तस्लीम किया है। इस की खूबसूरती देखने के साथ समझने से भी तअल्लुक रखती है। हज की इस मुख़्तसर किताब में इस की ज़्यादा तफसीलात बयान नहीं की जा सकती। आप इसे "तअ्मीरे मस्जिदे नबवी" वीडिओ सी.डी. में देख लीजिए या फिर "तारीखे मदीना मुनव्वरा" किताब में पढ़ लीजिए। यह दोनों चीज़ें आप को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में किसी भी किताबों की दुकान में मिल जाएगी।

इस मस्जिद से मुतअल्लिक सिर्फ दो बातें यहाँ बयान करूंगा। जिस से आप इस की तअ्मीर के बारे में कुछ अंदाज़ा कर सकेंगे।

१) अगर आप सरसरी तौर पर मस्जिदे नबवी (स.) का दरवाज़ा देखेंगे तो आप को बहुत खूबसूरत लगेगा। लकड़ी का यह दरवाज़ा खलिस सोने और गोल्ड प्लेटेड स्टील से जोड़ा गया है। इस दरवाज़े को बनाने के लिए आफ्रिका के जंगलो से खास लकड़ी चुनी गई। फिर इसे सिज़ीग के लिए जर्मनी भेजा गया। फिर इसे कनाडा (Canada) के माहिर कारीगरों ने बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बनाया है। हर दरवाजे का वज़न कई टन है। इतने वज़न के बावजूद एक आदमी आसानी से इसे खोल या बंद कर सकता है।

२. इस मस्जिद कि टाइल्स बहुत खूबसूरत है आप सोच रहे होंगे कि यह बेहतरीन टाईल्स दुनिया कि सबसे बेहतरीन टाइल्स बनाने वाली कंपनीयों से खरीदे गए होंगें। नहीं, बल्कि इस मस्जिद के लिए सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी और आला टेकनिक वाली टाईल्स बनाने कि फेक्टरी कायम की है। फिर इसमें टाईल्स बनाकर इस्तेमाल किए गए। इस तरह इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला हर पुर्ज़ा और हर चीज़ अपनी मिसाल आप है। आप इसे दिमाग से समझकर अपनी आखों में बसा लें। तसव्वरात की दुनिया अपने महबूब(स.) के इस महल में जब आप कदम रखेंगे, तो आप अपने आप को जन्नत में महसूस करेंगे।

मस्जिदे कुबा:- जब नबी करीम (स.) हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा पहुँचे, तो सब से पहले आप (स.) ने इसी मस्जिद की बुनियाद रखी और खुद इस की तामीर में शरीक हुए। दर हकीकत यही वह पहली मस्जिद थी जिस में आप ने अपने सहाबा (रज़ी.) को एलानिया बा-जमाअत नमाज़ पढ़ाई। मस्जिदे कुबा में नमाज़ पढ़ने की फज़ीलत के बारे में सहल बिन हनीफ (रज़ी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फरमाया "जो शख़्स घर से निकल कर इस मस्जिदे कुबा में आए और यहाँ २ रकअतें नमाज़ पढ़े इसे एक उम्रह का सवाब मिलेगा।

मस्जिदे इजाबा:- इस मस्जिद में नबी करीम (स.) ने तीन दुआएं फरमाई थी, इन में से दो दुआऐं अल्लाह तआला ने कबूल फरमा लीं, लेकिन एक दुआ कि मेरी उम्मत में आपसी इख़्तेलाफ न हों इस दुआ को कबूल न फरमाया।

मस्जिदे जुमा:- इसे 'मस्जिदे जुमा' इस लिए कहा जाता है कि नबी करीम (स.) जब कुबा बस्ती में चंद दिन ठहर कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चले तो इसी मुकाम पर आप (स.) ने पहला जुमा पढ़ाया। सहाबा किराम (रज़ी.) ने इसी जगह मस्जिद बना दी।

मस्जिदे किब्लतैन:- नबी करीम (स.) बनी सल्मा के इलाके में अपने सहाबा (रज़ी.) के साथ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे। आप (स.) ने अभी २ रकअतें ही पढ़ी थी के किब्ले की तब्दीली का हुक्म आ गया। आप (स.) नमाज़ ही में काबा की तरफ मुतवज्जा हो गए। इस मस्जिद में एक नमाज़ दो किब्लों की तरफ मुंह कर के पढ़ी गई थी इस लिए इसे मस्जिदे किब्लतैन कहा जाता है।

मस्जिदे बनी हारसा (मस्जिदे सुब्राह): नबी करीम (स.), ग़ज़वा-ए-ओहद से वापसी के वक्त आराम करने के लिए इस जगह कुछ देर ठहरे थे इस लिए इसे मस्जिदे सुब्राह कहा जाता है। यह मस्जिद, नबी करीम (स.) के दौरे मुबारक में ही तअ्मीर कर दी गई थी।

मस्जिदे फ़तह:- मस्जिदे फतह, मदीना मुनव्वरा की शुमाल में एक पहाड़ 'सलअ' में वाके है। इस को मस्जिदे फतह इस लिए कहा जाता है के अल्लाह तआला ने ग़ज़वा-ए-खंदक के दौरान इस जगह नुसरत व फतेह की वही नबी करीम (स.) पर नाज़िल की थी और नबी करीम (स.) ने सहाबा कराम (रज़ि) से फरमाया था के "अल्लाह तआला की तरफ से नुसरत व फतेह की वही पर खुश हो जाओ"।

मस्जिदे ग़मामा:- यह मस्जिद, मस्जिदे नबवी (स.) के जुनूब-मग़रिब में बाबे सलाम से आधा किलो मीटर के फासले पर वाकेअ है। यह इस मैदान में है जिसे रसूल अल्लाह (स.) ने नमाज़े ईद के लिए मुन्तखब फरमाया था। एक रिवायत के मुताबिक नबी करीम (स.) ने नज्जाशी (रज़ी.) की गायबाना नमाज़े जनाज़ा भी इस जगह पढ़ाई थी। इसे मस्जिदे ग़मामा इस लिए भी कहा जाता है के नमाज़ के दौरान एक बादल ने आप (स.) को धूप से साया किये रखा था।

जबले ओहद:- ओहद पहाड़ एक बड़ा पहाड़ है जो मदीना मुनव्वरा की शुमाल की जानिब और मस्जिदे नबवी (स.) से साढ़े पांच किलो मीटर के फासले पर वाक़ेअ है। यह हरम की हुदूद के अंदर है। इस की लम्बाई ६ किलो मीटर और रंग सुर्ख़ी माइल है।

नबी करीम (स.) ने इस की फज़ीलत के बारे में इर्शाद फरमाया "यह एक ऐसा पहाड़ है, जो हम से मुहब्बत करता है और हम इस से मुहब्बत करते है।"

ओहद पहाड़ ही के पास ग़ज़वा-ए-ओहद हुआ था, जिस में नबी करीम (स) के चचा सैय्यिदना हमज़ा (रज़ी.) और दूसरे मुसलमान शहीद हुए थे। आप का रूबाई दांत टूट गया था। आप का चेहरे अनवर ज़ख़्मी हुआ था और आप के होंठ मुबारक पर भी ज़ख़्म आए थे। इस पहाड़ के दामन में शोहदा-ए-ओहद की कब्रें है।

जन्नतुल बकी:- यह मस्जिदे नबवी (स.) से बिल्कुल करीब एक कब्रस्तान है जिस में तकरीबन १० हज़ार सहाबा (रज़ी.) मदफून हैं। नबी करीम (स.) की औलादे अतहार (रज़ी.) और अज़्वाजे मुतहरात (रज़ी.) भी यहीं मदफून है।

मदीना मुनव्वरा के कई बाज़ार मुहल्ले और बागों का ज़िक्र हदीस शरीफ में आया है। इन मुकामात के कुछ आसार अब भी बाकी है। जिनकी फेहरिस्त नीचे दी गई है। मदीना मुनव्वरा में जब आप ज़ियारत के लिए निकलें, तो अपने गाईड को इन मुकामात की सैर कराने का ज़रूर इसरार करें।

रौज़ा-ए-मुबारक की तफ़सील

१) सन ८७ हिजरी तक मस्जिदे नबवी के मशरिक़ी जानिब अज़्वाजे मुतहरात के हुजरात शरीफ़ा मौजुद थे और हुज़ूर (स.) की कब्र मुबारक मस्जिद के बाहर हज़रत आईशा सिद्दीक़ा (रज़ी.) के हुजरे में थी।

हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने सन ८७ हिजरी में सारे हुजरात ख़रीद कर मस्जिद में शामिल कर लेने का फ़ैसला किया क्योंकि उस वक़्त तक सारी अज़्वाजे मुतहरात फ़ौत हो चुकी थीं और मस्जिद में जगह की सख़्त क़िल्लत थी।

मस्जिद के तौसी के वक़्त हज़रत आईशा सिद्दीक़ा (रज़ी.) के हुजरे को छोड़ कर सारे हुजरे मस्जिद में शामिल कर लिऐ गऐ। उस वक़्त हज़रत आईशा (रज़ी.) के हुजरे की दीवारें कच्ची और छत लकड़ी की थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने हुजरे के अतराफ़ बग़ैर खिड़की, दरवाज़े की ऊँची मज़बूत दीवार तअ्मीर कर दी। हुजरा चौकोर था मगर बाहरी दीवारें पाँच कोनों की बनाई गईं ताकि इस की मुमासिलत काबा शरीफ़ से न हो। अगले छः सौ साल तक मस्जिद की छत और हुजरा की उपर की छत एक ही थी कोई गुंबद न था, सिर्फ़ निशान के तौर पर रौज़ा मुबारक के उपर मस्जिद की छत को थोड़ा ऊँचा कर दिया गया था ताकि कोई ग़लती से रौज़ा मुबारक के ऊपर वाली छत पर न चला जाऐ।

२) सन ६६८ हिजरी में पहली बार सुल्तान रुक्नउद्दीन बेबरस ने हुजरा के अतराफ़ पाँच कोनों वाले कमरा के अतराफ़ लकड़ी की जाली लगवाई थी जो कि दस से बारह फिट ऊँची थी। सन ६६४ हिजरी में शाह ज़ैनउद्दीन कुतुबग़ा ने इस जाली को ऊँचा कर के मस्जिद की छत तक कर दिया। फिर सन ८८६ हिजरी में सुल्तान क़ातिबाई ने इन जालियों को लोहे और पीतल से बदल दिया। अब क़िब्ला की तरफ़ की जाली पीतल की है और बाक़ी तीनों तरफ़ लोहे की जालियाँ हैं जिन पर सब्ज़ रंग चढ़ा हुआ है।

इन जालियों में चार दरवाज़े हैं। एक क़िब्ला की तरफ़ बाब-उत्तौबा, दुसरा मग़रिब की तरफ़ बाबे-उल्वफ़ूद, तीसरा मश्रिक़ की तरफ़ बाबे-फ़ात्मा और चौथा शुमाल की तरफ़ बाबे-उत्तहज्जुद। इन दरवाज़ों से दाख़िल होकर भी पाँच कोनों वाले अहाते के बाहर तक ही पहँचा जा सकता है। रौज़ा-ए-मुबारक को देखना या इस तक पहुँचना किसी के लिए भी मुम्किन नहीं है।

३) सन ८७८ हिजरी में सुल्तान क़ातिबाई के दौर में दीवारें कमज़ोर हो जाने की वजह से इन की फिर तअ्मीर की गई। चूँकी ईसाई और यहूदी तरह तरह की साज़िशें किया करते थे। इस लिए सुल्तान ने हुजरे की दीवारों को भी मज़्बूत पत्थर का बना दिया। सीधी (Flat) छत चूँकि कमज़ोर होती है और बार बार मरम्मत करना पड़ती है और मरम्मत के वक़्त मज़दूरों को रौज़ा मुबारक के ऊपर छत पर भी काम करना पड़ता है जो एहतेराम के ख़िलाफ़ है। इस लिए सुल्तान ने छत को भी मज़बूत गुंबद की तरह बनाने का हुक्म दिया। इन दीवारों और गुंबद में कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं है। सिर्फ़ ऊपर के हिस्से में एक छोटा सा सूराख़ है जिस से रौज़ा मुबारक आसानी से नज़र आता है।

सन ८७८ हिजरी में दीवारों की तजदीद के वक़्त अल्लामा समहूदी को हुज़ूर (स.) की कब्र मुबारक की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ। वह लिखते हैं कि तीनों कब्रें कच्ची हैं। ज़मीन के बराबर हैं या सिर्फ़ थोड़ी से उभरी हुई हैं। कुबूर के अतराफ़ कोई पत्थर या ईंट वग़ैरह लगी हुई नहीं हैं। दीवारों और गुंबद की तअ्मीर के बाद फिर किसी को यह सआदत हासिल नहीं हुई क्योंकि यह इमारत आज भी वैसी ही है।

४) रौज़ा शरीफ़ के ऊपर मस्जिद की छत पर पहली बार गुंबद, शाह मंसूर क़लाउन सालेही ने सातवीं सदी के आख़िर में बनवाया था। ये लकड़ी का था और ऊपर से सीसा (Lead) के पतरे चढ़े हुऐ थे। सीसा चूँकी सिलेटी होता है इस लिए गुंबद का रंग भी सिलेटी था।

सन ८८७ हिजरी में मस्जिद में आग लग गई थी जिस से इस गुंबद को नुक्सान पहुंचा इस लिए सुल्तान क़ातिबाई ने इसे दोबारा मज़बूत ईंटों और पत्थरों से तअ्मीर करवाया। अगले साढ़े तीन सौ साल तक यह गुंबद इसी तरह रहा। इस वक़्त गुंबद सफ़ेद या सिलेटी रंग से रंगा जाता था।

५) सन ११६२ ई. में दो इसाईयों ने सुरंग लगा कर हुज़ूर (स.) के रौज़ा-ए-मुबारक तक पहुँचने की कोशिश की थी। नूरुद्दीन ज़ंगी ने उन्हें पकड़ कर क़त्ल किया और रौज़ा-ए-मुबारक के चारों तरफ़ पानी की सतह तक मज़बूत सीसा और पत्थर की दीवार बना दी, जो आज तक मौजूद है।

सन १२३४ हिजरी में सुल्तान महमूद उस्मानी ने इसे फिर से तअ्मीर करवाया, और हरे रंग से रंगा। यानी गुंबद ख़िज़्रा तअ्मीर हुऐ तक़रीबन दो सौ साल हो चुके हैं। इस गुंबद में एक छोटा सा सूराख़ है, जो कि नीचे बने हुजरा के गुंबद के ठीक ऊपर है। यह सूराख़ क़िब्ला की तरफ़ है। जब सुरज ठीक ऊपर होता है, सूरज की रौशनी रौज़ा-ए-मुबारक पर पड़ती है। बारिश के दिनों में बारिश का पानी भी रौज़ा-ए-मुबारक पर टपकता है।

६) हुज़ूर (स.) के रौज़ा-ए-मुबारक और मस्जिद का नक़्शा ज़ुबानी बयान किया जाऐ तो वह इस तरह है। के आप (स.) की क़ब्र मुबारक कच्ची है। क़ब्र ज़मीन से कुछ ही ऊँची है। उस के बाहर पत्थर का बना हुआ चौकोर कमरा है। जिस पर एक छोटा गुंबद है। उस के बाहर पाँच कोनों की दीवार का अहाता है। जो मज़बूत है और पत्थरों से बना है। पहले इस पर ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता था। जो कि आज भी उस पर पड़ा हुआ है। इस अहाते के बाहर लोहे और पीतल की जाली का अहाता है। हम और आप इसी जाली के सामने जाकर अपना दुरूद व सलाम पेश करते हैं। इन सारी इमारतों को घेरे हुऐ मस्जिद की इमारत है और मस्जिद की छत पर ठीक रौज़ा-ए-मुबारक के ऊपर हरा गुंबद है। रौज़ा-ए-मुबारक के अतराफ़ के कमरे और दीवारों में कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं है। ऊपर के दोनों गुंबदों में सिर्फ़ एक छोटा सा सूराख़ है। जो कि एक सीध में है रौज़ा-ए-मुबारक से आसमान नज़र आता है। इस सुराख़ से सूरज की रौशनी क़ब्र मुबारक पर पड़ती है।

रियाजुल्जन्नत, मिम्बर और सुतून का बयानः-

१) रियाजुल्जन्नतः-

हज़रत अबु हुरैरा (रज़ी) से रिवायत है कि नबी अकरम (स.) ने फ़रमाया, "मेरे घर और मिंबर के दरम्यान जो जगह है वह जन्नत के बाग़ीचों में से एक बाग़ीचा है और मेरा मिम्बर क़यामत के दिन हौज़ (कौसर) पर होगा। (बुख़ारी शरीफ़)

पहले रियाजुल्जन्नत की लंबाई और चौड़ाई 15 x 26.5 मीटर थी। मगर अब चुँकि कुछ हिस्सा जालियों के अंदर चला गया है इस लिए ये अब 15 x 22 मीटर बचा है।

२) मिम्बर शरीफः-

शुरू शुरू में हुज़ूर (स.) ज़मीन पर खड़े होकर एक खजूर के पेड़ के तना का सहारा ले कर खुत्बा दिया करते थे। मगर चुँकि देर तक खड़ा रहना

तकलीफ़देह था इस लिए सहाबा-ए-किराम (रज़ी.) ने तीन सीढ़ीयों का एक मिम्बर बना दिया। आप (स.) तीसरी सीढ़ी पर बैठते और दुसरी सीढ़ी पर पांव रख कर खुत्बा दिया करते थे।

ये मिम्बर लकड़ी का था जब बोसीदा हो गया तो हज़रत अमीर मुआविया (रज़ी.) ने इसे नौ सीढ़ियों वाला बना दिया। उस के बाद ये कई बार बदला गया। अब जो मिम्बर मस्जिदे नबवी में है वह सन ९९८ हिजरी में सुल्तान मुराद सुव्वम उस्मानी का भेजा हुआ है और बारह सीढ़ीयों का है। सऊदी हुकूमत ने इस पर सोने की पालिश वग़ैरह कर के और खुबसूरत बना दिया है।

मिम्बर कई बार बदले गऐ मगर जगह आज तक वही रही जो हुज़ूर (स.) के वक़्त में थी।

निसाई में हज़रत उम्मे सलमा (रज़ी.) से रिवायत है कि रसूल अकरम (स.) ने फ़रमाया "मेरे मिम्बर के पास बहिश्त की सीढ़ी होगी।"

३) मेहराबे नबवी:-

जिस जगह आप (स.) नमाज़ पढ़ा करते थे। आप (स.) की वफ़ात के बाद हज़रत अबुबकर सिद्दीक़ (रज़ी) ने आप (स.) के सिजदा की जगह दीवार बना दी ताकि आप (स.) के सिजदे की जगह किसी के क़दम न पड़ें। चारों खुल्फ़ार राशदीन के ज़माने में कोई मेहराब वग़ैरह नहीं थी। सन ९१ हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने दौर में इस दीवार को एक मेहराब की शकल दे दी। जो कि आज तक क़ायम है। अब जो कोई इस मेहराब की सामने नमाज़ पढ़ेगा तो आप (स.) के क़दम मुबारक की जगह पर सिजदा करेगा।

इस मेहराब के पीछे मेहराब की दीवार में ही एक सुतून है जिसे सुतून हिनाना भी कहा जाता है। इस जगह पहले एक खजूर का तना था हुज़ूर (स) इसी जगह खड़े होकर खुत्बा दिया करते और नफ़िल नमाज़ पढ़ा करते थे।

आज कल जिस मेहराब या मुसल्ले पर इमाम खड़े हो कर नमाज़ पढ़ाते है यह मेहराब उस्मानी है क्योंकि यह हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन (रज़ी.) ने बनवाया था। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ी) को मेहराबे नबवी पर ही खंजर से हमला कर के शहीद किया गया था। जब मस्जिद की तौसी हुई, तो हज़रत उस्मान (रज़ी.) ने क़िब्ला की तरफ़ मस्जिद की तौसी कर के नया मुसल्ला या मेहराब बनाया और अगली सफ़ों को जाली से घेर दिया ताकि उसी तरह नमाज़ के दौरान उन पर भी हमला न हो। अब वह जालियाँ तो नहीं हैं। मगर मेहराब वहीं है।

४) सुतूने आईशा(रज़ी.):-

हुज़ूर (स.) ने फ़रमाया के मेरी मस्जिद में एक जगह ऐसी है कि अगर लोगों को इस की फ़ज़ीलत मालूम हो जाऐ तो वहाँ नमाज़ की अदाईगी के लिए आपस में क़ुरा अंदाज़ी करें। चूँकि हज़रत आईशा (रज़ी.) ने इस जगह की निशानदही की थी इस लिए इसे सुतूने आईशा(रज़ी.) कहा जाता है।

५) सुतूने अबु लबाबा:-

ग़ज्व-ए-खंदक़ के बाद हज़रत अबु लबाबा से ग़ैर शऊरी तौर पर एक ग़लती हो गई थी। जिस के लिए वह बहुत नादिम हुए और तौबा इस्तग़फ़ार किया और अपने आप को इस सुतूने से बांध लिया और ये अहद किया कि जब तक अल्लाह तआला मेरी तौबा क़ुबूल न करेंगे मैं इस सुतून से बंधा रहूँगा।

अल्लाह तआला ने इन की तौबा क़ुबूल की तब उन्होंने अपने आप को आज़ाद कराया। इस सुतून को इस लिए उन के नाम से याद किया जाता है। यहाँ आप (स.) नमाज़ अदा किया करते थे।

६) सुतूने सरीर:-

इस जगह रमज़ान के आख़री अशरा में एतिकाफ़ के लिए हुज़ूर (स.) का बिस्तर बिछाया जाता था। आप (स.) के बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ी.) ने भी यहीं एतिकाफ़ किया और इमाम मालिक (रह.) मस्जिद में इसी जगह बैठा करते थे।

७) सुतूने हिर्स:-

इस सुतून के पास वे सहाबा किराम बैठा करते थे, जो आप (स.) की हिफ़ाज़त पर मामूर होते थे।

८) सुतूने वफ़ूद:-

जब अरब के वफ़ूद हाज़िरे ख़िदमत होते तो आप (स.) उन से इसी जगह मुलाक़ात फ़रमाया करते।

सुतूने सरीर, सुतूने हिर्स और सुतूने वफ़ूद अब आधे जाली के अंदर हो गऐ है।

सहाबा किराम (रज़ी.) नमाज़ों के लिए सुतूनों की तरफ़ जल्दी पहुँचते क्योंकि सुतून नमाज़ियों के लिए सतरा (आड़) का काम भी देता है। हज़रत बुख़ारी (रह.) ने हज़रत अनस (रज़ी.) से रिवायत की है के मैंने देखा कि बड़े बड़े सहाबा किराम (रज़ी.) मग़रिब के वक़्त मस्जिद की सुतूनों की तरफ़ दौड़ पड़ते। सहाबा किराम (रज़ी.) ने सुतूनों के पास नमाज़ पढ़ी है इस लिए उन के पास नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है।

९) सुतूने तहजुद:-

यह वह सुतून है जहाँ नबी करीम (स.) नमाज़े तहजुद अदा किया करते थे।

१०) सुतूने जिब्रईल:-

यह वह मुक़ाम है जहाँ नबी करीम (स.) की हज़रत जिब्रईल (अ.स.) से मुलाक़ात हुई थी। विसाल से पहले वाले रमज़ान में नबी करीम (स.)ने हज़रत जिब्रईल के साथ क़ुरआन शरीफ़ का दौर इसी जगह फ़रमाया था। यह दोनों सुतून बिल्कुल रौज़े मुबारका के अंदर आ गए है। इसलिए बाहर से नज़र नहीं आते। गुम्बदे ख़िज़रा इन्हीं पर क़ायम किया गया है।

११) असहाबे सुफ्फा:-

सुफ़्फ़ा साएबान और साएदार जगह को कहा जाता है। क़दीम मस्जिदे नबवी के (स.) के शुमाल में मशरिकी किनारे पर मस्जिद से मिला हुआ एक चबूतरा था। यह जगह इस वक़्त बाबे जिब्रईल से अंदर दाख़िल होते वक़्त मक़सूरा शरीफ़ के शुमाल में मेहराबे तहजुद के बिल्कुल सामने दो फ़िट ऊँचे कटहरे में घिरी हुई है। इसकी लंबाई चौड़ाई ४० ग ४० फ़िट है इसके सामने ख़ुद्दाम बैठे रहते है और यहाँ लोग क़ुरआन पाक की तिलावत में मसरूफ़ रहते है।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

नबी करीम (स.) ने औरतों को बा जमाअत नमाज़ पढ़ते वक़्त उन्हें आख़िरी सफ़ में खड़े होने का हुक्म दिया।, और इस का भी हुक्म दिया के वह मर्दों के बाद सिजदे से सिर उठाऐ,ताके मर्दों के पोशिदा सतर पर नज़र ना पड़े।

इस हुक्म के सहाबा किराम रज़ि० की औरतें रास्ते के इतना किनारे चलती थी के उनके कपड़े दीवारें से रगड़ खाते थे।

हिकमत व दानाई की बात मोमीन की खोई हुई चीज़ है। लिहाज़ा जहाँ भी उसको पाएं वह इसका ज़्यादा हक़दार है।

(तिरमिज़ी-इब्ने माजा-बरिवायत हज़रत अबु हुरैरा(रज़ी.))

हुज्रा आईशा (रज़ी.) और रियाजुल्जन्नत की तफ़सील

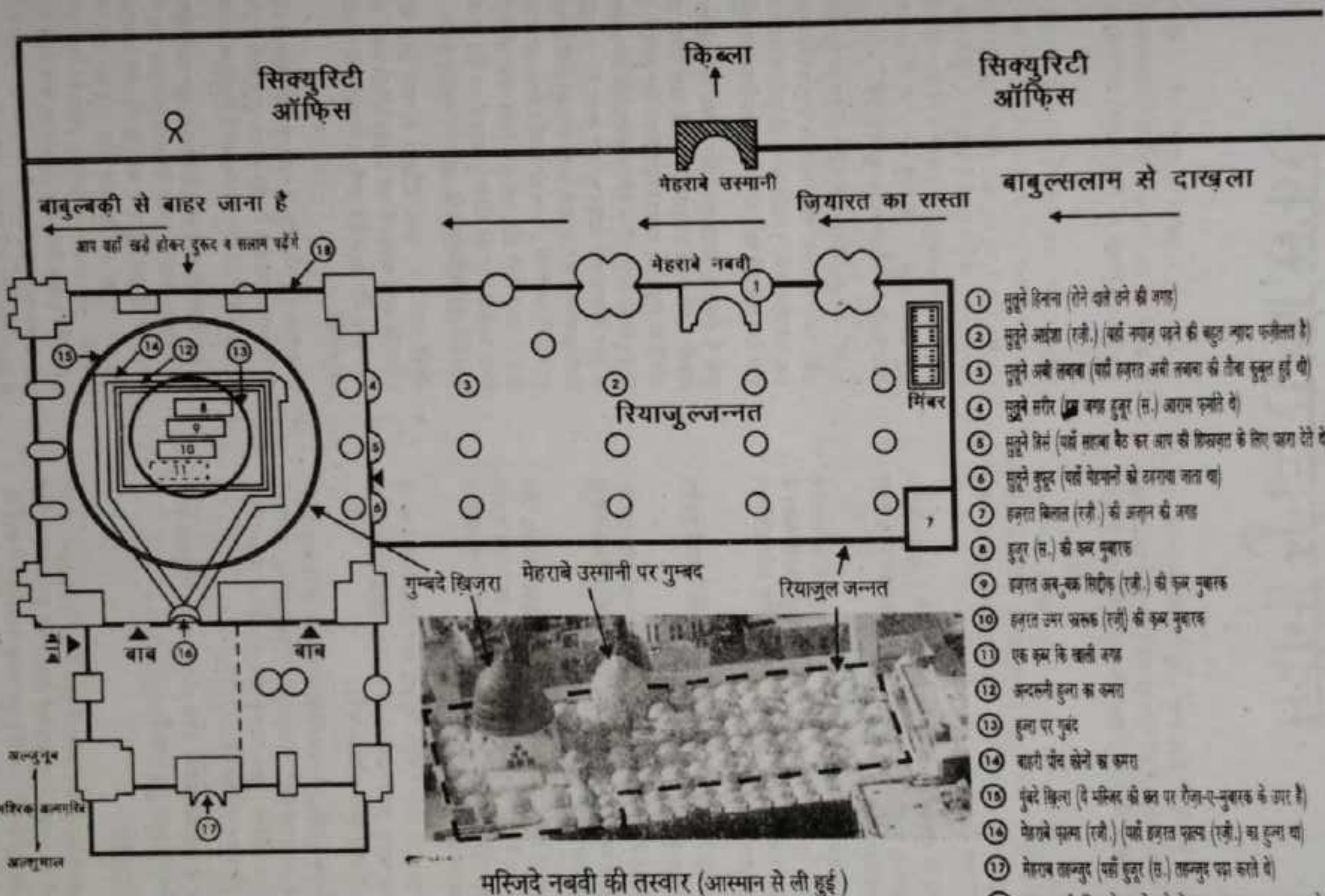

मस्जिदे नबवी की तस्वार (आस्मान से ली हुई)

मदीना मुनव्वरा का सफर

- नबी करीम(स.) का इर्शाद है कि जिस ने भी मेरी मस्जिद(मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) में ४० वक्त की नमाज़ें बा जमात अदा की और कोई नमाज़ कज़ा न की, तो वह निफ़ाक और जहन्नुम के आज़ाब से निजात पाएगा।
- मस्जिदे नबवी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) में ४० वक्त बा जमात नमाज़ पढ़ने की इतनी बड़ी फज़ीलत है इसलिए आपका मदीना का कयाम कमअज़कम ९ दिन का होगा। ताकि ८ दिन आप पावों वक्त की नमाज़ बाजमआत अदा कर सके।
- अगर आप की फ्लाईट हज के अय्याम से बहुत पहले है, तो पहले आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे। फिर वहाँ ४० वक़्त की नमाज़ पढ़कर मक्का मुकर्रमा का सफ़र करेंगे।
- अगर मक्का मुकर्रमा से पहले मदीना मुनव्वरा का कयाम हो तो, सफर से पहले एहराम पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। मदिना मुनव्वरा के कयाम के बाद में आप मदिना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा के लिए सफर करेंगें तब आपको एहराम पहनना होगा।
- मदिना मुनव्वरा में रिहाईश के लिए सबके दर्जे एक जैसे है मक्का मुकर्रमा की तरह पहला, दुसरा और तीसरा दर्जा वगैरा नहीं है।
- मदीना मुनव्वरा में सर्दी का मौसम मक्का मुकर्रमा से ज्यादा शदीद होता है। इसलिए अगर आपका मदीना मुनव्वरा का कयाम सर्दीयों के मौसम में है तो गरम कपडे जरूर साथ ले जाएं।
- मक्का मुकर्रमा कि बनिस्बत मदीना मुनव्वरा systematic और पुरसुकून शहर है। शहरी शरीफ और ईमानदार है। अगर आप हस्सास तबीयत के मालिक है तो मदीना मुनव्वरा में आप को हमेशा रहमत व सकीनत का एहसास होगा।
- मदिना मुनव्वरा भी मक्का मुकर्रमा कि तरह हरम शरीफ है। यहाँ पर भी जानवरों का मारना, ड़राना झाडियों को या घास तोड़ना, झगड़ा करना, रास्ते पर पड़ी चीज़े उठाना वगैरा हराम है।
- हदीस शरीफ के मुताबिक दुनिया में सिर्फ तीन मुकामात की ज़ियारत के लिए सफर किया जा सकता है। १. मस्जिदे हराम (मक्का मुकर्रमा), २.मस्जिदे नबवी(स.), ३. मस्जिदे अक्सा। तो जब आप सफर करें तो नीयत मस्जिदे नबवी(स.) में नमाज़ पढ़ने कि करें।
- एक हदीस के मुताबिक मस्जिदे नबवी की एक नमाज़ का सवाब दुसरी मस्जिदों से पचास हज़ार गुना ज़्यादा है।

हाज़िरी के आदाब:-

- अल्लाह तआला का कुरआन शरीफ में हुक्म है कि "ऐ ईमानवालों! अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से बुलंद न करों और न नबी (स.) के साथ ऊँची आवाज़ से बात किया करों, जिस तरह तुम आपस में एक दुसरें से करते हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे नेक आमाल सब बर्बाद हो जांए और तुमको खबर भी न हो।" (सुरहे अल हिज्रात २०)
- मस्जिदे नबवी की हाज़िरी किसी भी शहनशाह के दरबार में हाज़िरी से बढ़कर हैं। एक बादशाह के दरबार में बे अदबी से सिर्फ जान का खतरा रहता हैं। और नबी (स.) के दरबार में बे अदबी से आखिरत की बरबादि का खतरा रहता है। इसलिए वह लोग जो नबी(स.) की अज़मत को समझते थें, उन्होंने नबी (स.) कि ताज़ीम की वह मिसाल कायम की है कि तारीख में और कहीं ऐसी मिसालें नहीं मिलती। इनकी ताज़ीम की चंद मिसाले नीचे दी गई है।

१. हज़रत उमर बिन आस (रज़ी.) ईमान लाने के पहले नबी करीम(स.) और मुसलमानों के सख्त दुश्मन थें। नजाशी के दरबार में आप ही मुसलमानों को तकलीफ पहुँचानें गए थें। आप सख्त जंगजू और इन्तिहाई ज़हीन थें। हज़रत उमर (रज़ी.) के ज़मानें में आप (रज़ी.) ही ने मिस्र फतेह किया था। हज़रत उमर बिन आस (रज़ी.) कहतें हैं कि ईमान लाने के बाद मैंने कभी नज़र भरकर हुज़ूर (स.) के चेहरे अनवर को नहीं देखा। नबी करीम (स.) के दरबार में अदब से हमेंशा सिर झुकाए रखता।

- हज़रत इमाम बुखारी(रह.) की हदीस की किताब कुरआन शरीफ के बाद सबसे ज़्यादा मौअतबर मानी जाती है। हज़रत इमाम बुखारी(रह.) और हज़ारों अल्लाह वालों ने मदीना शरीफ की मुकद्दस जमीन पर ऐहतराम की वजह से न कभी जुते पहने और न कभी सवारी पर सवार हुऐं।
- तुर्की के हुक्मराह जिनसे यूरोप और एशिया के मुमालिक कांपते थे, जब मस्जिदें नबवी बनाने का इरादा किया, तो पहलें हाफिज़ मर्द और हाफिज़ औरतों को चुना। फिर उनका निकाह किया। फिर उनसे जो औलाद हुई उन्हें भी हुकूमत की सरपरस्ती में हाफिज़ बनाया और साथ-साथ इमारत बनानें का हुनर सिखाया और माहिर कारीगर बनाया फिर इन माहिर कारीगरों ने दिली एहतराम के साथ दरूद व सलाम और कुरआनी आयात का विर्द करते हुए मस्जिदें नबवी की इमारत को तअमीर किया। पत्थर तराशनें का काम शहर से बाहर करते और जब कभी किसी पत्थर को मज़ीद तराशने की नौबद आती तो फिर उसे मदिना मुनव्वरा से १२ मील दूर ले जाकर तराशा जाता है कि नबी करीम(स.) को आवाज़ से तकलीफ न हो।
- मस्जिदें नबवी (स.) एअर कंडीशन्ड है। मगर आज भी इसकी एअर कंडीशनींग मशीन मस्जिद में नहीं है बल्कि मस्जिदे नबवी (स.) से ७ किलो मीटर दूर हैं और वह मशीनें इतनी दूर से मस्जिद को पाईपलाईन के ज़रिए ठंडा करती है।
- एक बार एक बुज़ुर्ग ने मदीना के कयाम के वक्त मदीना के दही की शिकायत की, कि बहुत खट्टी होती है। रात को एक बुज़ुर्ग हस्ती ने उनको तंबी किया कि अगर आपको यहाँ की दही पसंद नहीं हैं, तो मदीना से निकल जाओं।
- एक बार मैं मस्जिदे नबवी (स.) में जमात से बहुत पहले पहुँच गया। नमाज़ी कम थे इसलीए मैं पलथी मारकर बैठ गया। जमात का वक्त करीब आया तो मस्जिद भर गई। एक हिंदुस्तानी भाई मुझे हिंदुस्तानी पहचानकर मेरे करीब आऐ और दरखास्त की, कि अगर मैं दो ज़ानो बैठ जाऊं, तो उनके बैठने की जगह निकल आएगी। दो ज़ानों पर ज़्यादा देर बैठना आसान नहीं है। इसलिए मैनें इन्कार किया और वह चले गए मगर इसके बाद बगैर किसी वजह के मुझे बहुत गुस्सा आया और दिल बार बार चाहता था कि मैं मस्जिद से निकल जाऊं और कहीं दूर जाकर सुकून से नमाज़ पढ़ूं।

  एक अर्से बाद जब मै उस वाकिआ को सोचता हूँ, तो मुझे एहसास होता है, कि नबी करीम (स.) के मेहमान को इन्कार करने पर मुझपर लानत हो रही थी और मैं खुद मस्जिद से निकाला जा रहा था। अल्लाह तआला मेरी उस गलती को माफ करें।

(बाकी पेज ७६ पर)

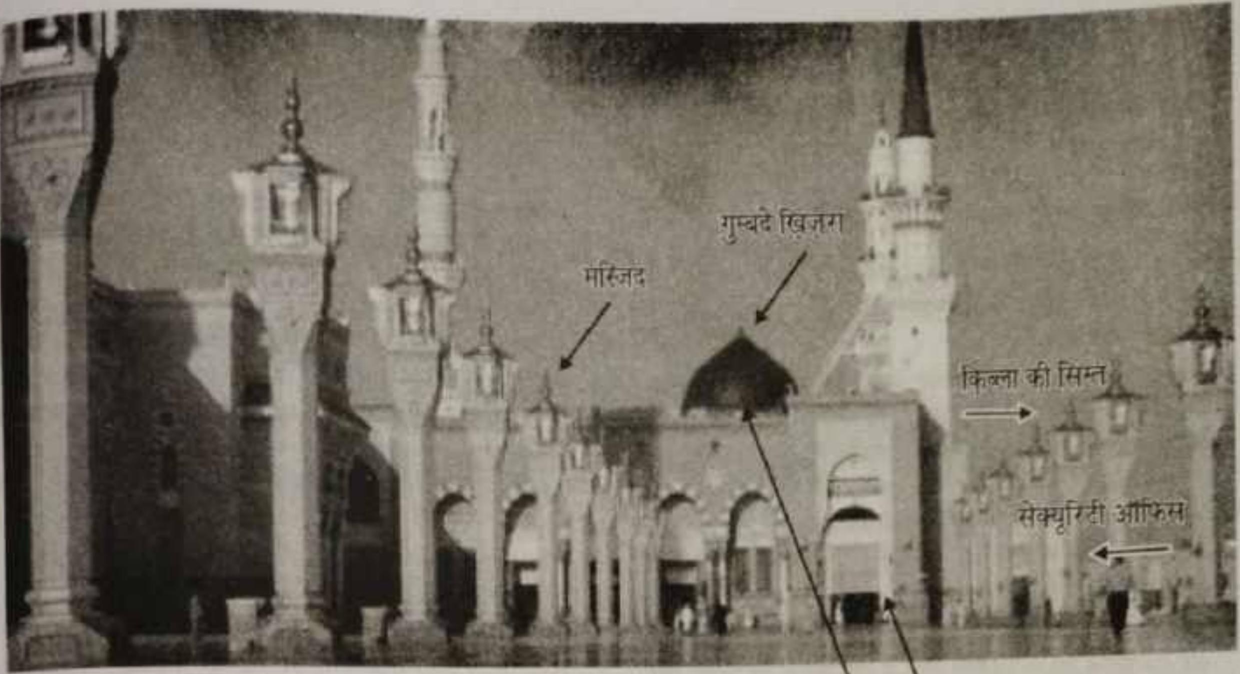

रौज़ा-ए-नबवी (स.) की आउट लाइन (नक्शा)

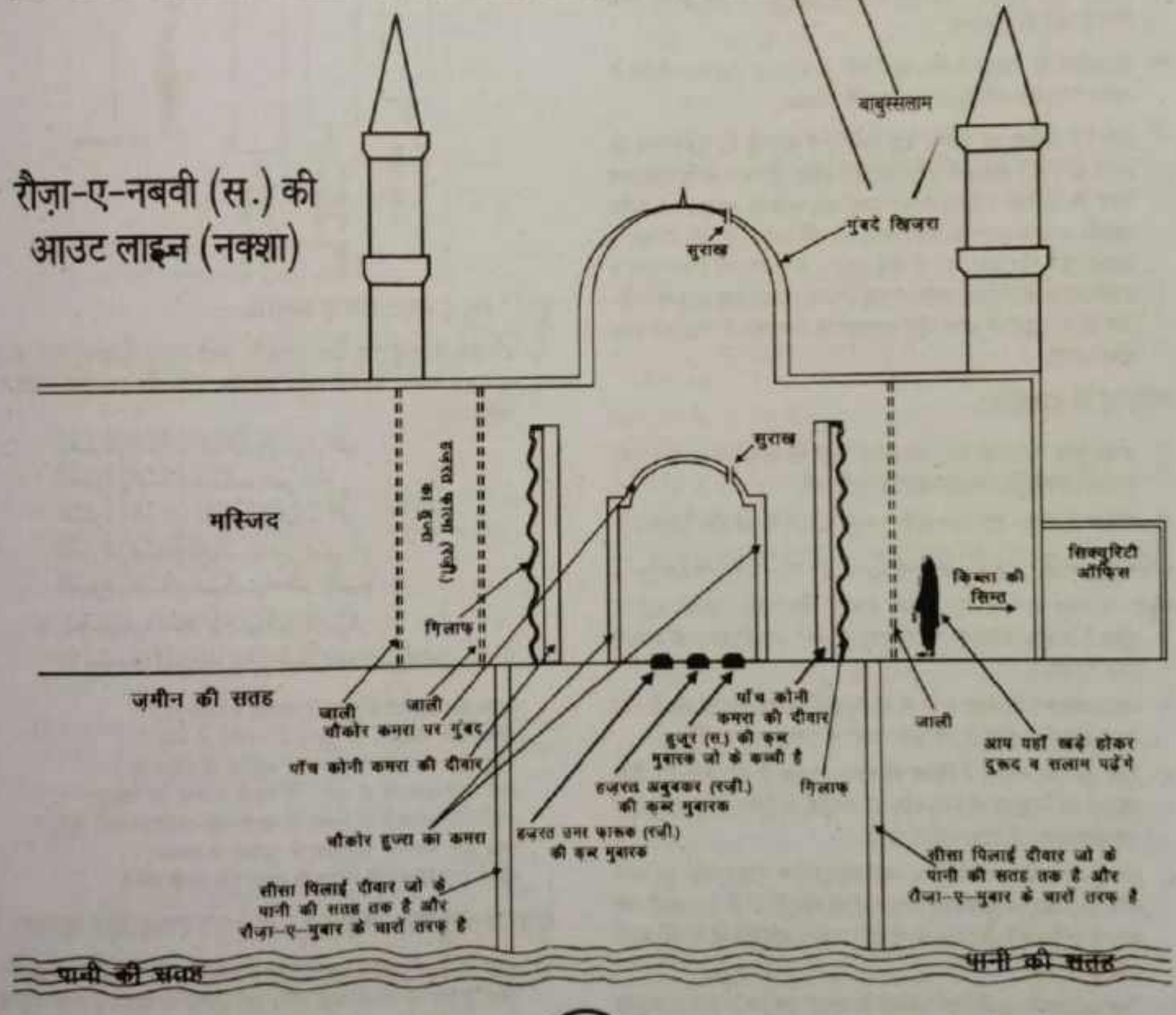

दरबारे रिसालत कि पहली हाज़री

नबी करीम(स.) की अपनी उम्मत से मोहब्बत:-

- मौहसीन इन्सानीयत (स.) जो इस मस्जिदे नबवी मे आराम फरमां है, वह आपसे बेइन्तिहा मोहब्बत करते है और इसकी गवाही कुरआन शरीफ इन अल्फाज़ में देता है:

  "बेशक तुम्हारे पास अल्लाह के पैग़म्बर आए है, जो तुम ही में से है। उन पर वह चीज़ें गिराँ गुज़रती हैं जिस से तुम को तकलीफ पहुँचे। वह तुम्हारी भलाई का हरीस है। और इमान वालों पर बड़ा शफ़्क़त करने वाला है।"

  (सुरहे तौबा आयत १२८)

- नबी करीम(स.) ने फरमाया: "मुसलमानों में जिसका कोई वारिस नहीं है उसका मैं वारिस हूँ और अगर वह अपना कर्ज चुँकाए बगैर मर जाए, तो मैं उसका कर्ज चुँकाउंगा।"(बुखारी शरीफ)
- एक हदीस का मफहुम है कि "ऐ लोगो! मैं तुम लोगों को कमर से पकड पकड कर जहन्नुम के घड़े से दूर लिए जाता हूँ और तुम हो कि उसकी तरफ लपकते रहते हो।"(मुस्लिम)
- एक हदीस का मफहूम है कि एक मोमिन की जान पर खुद उस मोमीन से ज्यादा मेरा (नबी करीम (स.) का) हक है। (मिश्कात)
- आप पर अल्लाह का कितना बड़ा एहसान व करम है कि उसने आप को अपने घर (खाने काबा) के दीदार का शर्फ बख्शा और हज का फरीज़ा अदा करने कि तौफिक अता फरमाई। इसके बाद अल्लाह तआला का मज़ीद एहसान व करम हुआ कि उसने आप को नबी करीम (स.) की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने और आप(स.) के रोज़े मुबारक के रूबरू खड़े होकर दरूद व सलाम पढ़ने की तौफिक अदा फरमाई तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और दिल की गहराईयों से अदब और एहतराम के साथ मस्जिदे नबवी की तरफ कदम उठाएं।

मस्जिद में दाखला:-

१) अच्छी तरह से नहा धो कर, नया कपड़ा पहन लें। खूश्बु लगा लें और दुरूद व सलाम पढ़ते हुऐ मस्जिदे नबवी की तरफ चलें।

२) मस्जिद में दाखिल होते वक़्त दाहिना कदम मस्जिद में रखें और यें दुआ पढ़े

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ . اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِکَ.

तर्जुमा : अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होता हुँ और रसूल अल्लाह (स.) पर दुरूद व सलाम भेजता हूं। ऐ मेरे रब; मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दीजिए।

३) अगर जमाअत का वक़्त न हो तो दो रकअ़त तहीयतुल्मस्जिद पढ़ लें और अगर जमात का वक़्त हो, तो पहले जमात से नमाज़ अदा कर लें।

४) रौज़ा मुबारक, मस्जिद में किब्ला की तरफ; (जुनूब की सिम्त) है और रौज़ा मुबारक की ज़ियारत के लिए आप को मग़रिब की सिम्त से दरवाज़ा नंबर एक बाबुस्सलाम से दाखिल होना होगा।

५) इंतिहाई अदब के साथ आहिस्ता आहिस्ता दुरूद व सलाम पढ़ते हुए आगे बढ़ें। यह अदब का मुकाम है। आवाज़ नीची रखें, किसी से ग़ैर ज़रूरी बात चीत से परहेज़ करें और पूरा ध्यान दोनों जहाँ के शहिंशाह के सामने अपनी हाज़िरी पर रखें।

६) रौज़ा मुबारक के सामने तीन जालियाँ हैं। मगर आप (स.), हज़रत अबुबक सिद्दीक (रज़ी.) और हज़रत उमर फारूक (रज़ी.) आप तीनों हज़रात दरम्यानी जाली के पीछे ही आराम फरमा हैं। अपने रौज़ा मुबारक मे हुज़ूर(स.) का क़दम मश्रिक़ की तरफ, सर मगरिब की तरफ और चेहरा अनवर का रूख़ किब्ला की तरफ है (जुनूब की तरफ)। जब आप रौज़े मुबारक के सामने खड़े होंगे तो आप की पीठ किब्ला की तरफ होगी और आप का रूख़ हुज़ूर (स.) की चेहरा अनवर की तरफ होगा।

आप के पीछे (शुमाल की तरफ) और कंधों की बराबरी में हज़रत अबुबक सिद्दीक (रज़ी.) आराम फरमा हैं और हज़रत अबुबक सिद्दीक (रज़ी.) के पीछे (शुमाल की तरफ) और कांधों की बराबरी में हज़रत उमर फारूक (रज़ी.) आराम फरमा हैं।

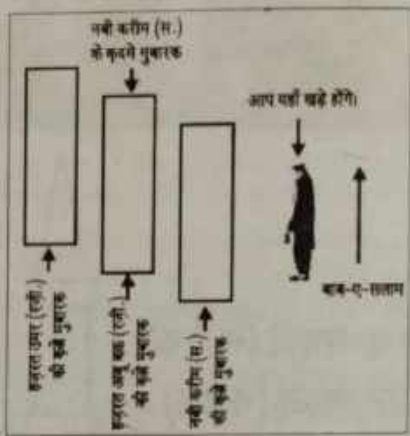

हुजूर (स.) पर दरूद व सलाम:-

७) दरम्यानी जाली में तीन गोल सूराख़ हैं। पहले सूराख़ के सामने आप (स.) का चेहरा अनवर है। यहाँ पहुंच कर रूक जाऐं और इस तरह सलात व सलाम पढ़ें।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَانَبِیَّ اللهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَاحَبِیْبَ اللهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَاخَیْرَ خَلْقِ اللهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَاخَاتَمَ الْاَنْبِیَاءِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَاسَیِّدَ
الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَکَاتُهٗ.

रहमत और सलामती हो तुझपर ऐ अल्लाह के रसुल (स.)
रहमत और सलामती हो तुझपर ऐ अल्लाह के नबी (स.)
दरूद और सलामती हो तुझपर ऐ अल्लाह के हबीब (स.)
दरूद और सलामती हो तुझपर ऐ बेहतर अल्लाह कि मखलुक
दरूद और सलामती हो तुझपर ऐ खातम-उल-अंबीया(आखरी नबी)
दरूद और सलामती हो तुझपर ऐ नबियों के सरदार
और भेजे हुए पैगंबरों को अल्लाह कि रहमत और उसकी बरकत

हज़रत अबु बक्र सिद्दीक (रजी.) पर दरूद और सलाम:

८) हुजूर (स.) पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बाद एक फुट दाहीनी तरफ बढ़ कर दुसरे सूराख़ के सामने रूक जाऐं। इस सुराख़ के सामने हज़रत अबुबक

सिद्दीक (रज़ी) का चेहरा मुबारक है। यहाँ इस तरह से सलाम पढ़ें।

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَبَابَكْرِنِ الصِّدِّيْق
اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَزِيْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِى الْغَارِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

जनाब अबुबक्र सिद्दीक (रज़ी) आप पर सलाम हो,

रसूल अल्लाह (स.) के ख़लीफ़ा आप पर सलाम हो,

रसूल अल्लाह (स.) के वज़ीर आप पर सलाम हो,

रसूल अल्लाह (स.) के ग़ार के साथी आप पर सलाम, अल्लाह की रहमते और बरकतें हों।

हज़रत उमर फ़ारूक (रज़ी.) पर दरूद व सलामः-

९) हज़रत अबुबक्र सिद्दीक (रज़ी.) पर सलाम पढ़ने के बाद एक फुट दाहीनी तरफ़ बढ़े और तीसरे सूराख़ के सामने रूक जाऐ। इस सूराख़ के सामने हज़रत उमर फारूक (रज़ी.) का चेहरा मुबारक है। हज़रत उमर फ़ारूक (रज़ी.) पर इस तरह सलाम पढ़ें।

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابْ
اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا عِزَّ الاِسْلام وَالْمُسْلِمِيْنَ
اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَزِيْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ
وَالاَرَامِلِ وَالاَيْتَامِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

आप पर सलाम हो, ऐ उमर बिन अल्ख़ताब (रज़ी.),
आप पर सलाम हो, ऐ मुसलमानों के अमीर,
आप पर सलाम हो, ऐ इस्लाम और मुसलमानों की आबरू बढ़ाने वाले,
आप पर सलाम हो, ऐ फ़क़ीरों, ज़ईफ़ों, बेवाओं और यतीमों की दस्तगीरी और मदद करने वाले और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों।

१०) हुज़ूर (स.) का इर्शाद है कि जब कोई मुझ पर दुरूद व सलाम भेजता है तो अल्लाह तआला मेरी रूह को मेरे जिस्म में वापस भेज देता है और मैं उस का जवाब देता हूँ।(मिश्कात)

आप (स.) का इर्शाद है कि अल्लाह तआला ने एक फरिश्ता मेरी क़ब्र पर मुक़र्रर कर रखा है। दुनिया में जब कोई मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है तो वह फ़रिश्ता मुझे उस की ख़बर करता रहता है।

(तरग़ीब-रावी हज़रत हसन(रज़ी.))

आप (स.) का इर्शाद है कि फ़रिश्ते दुनिया में सियाहत करते रहते हैं, और दुनिया में जो कोई भी मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है वह मुझ तक पहुँचाते रहते हैं। -(रावी हज़रत अली (रज़ी.))

इस लिए आप कहीं से भी हुज़ूर (स.) पर दुरूद व सलाम भेजेंगे वह हुज़ूर (स.) को ज़रूर पहुँचेगा और आप (स.) उस का जवाब देंगे। इस लिए रौज़ा मुबारक के सामने सेक्युरिटी गार्ड और लोगों के हुजुम को हटा कर जाली छूने, चूमने, रूकुअ की तरह झुकने और हर तरह की बेअदबी से बचें।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

हज़रत जाबीर (रज़ी.) कहते हैं कि रसुले खुदा (स.) ने फर्मायाः "सलाम कलाम से पहले हैं।" (यानी मुलाक़ात के वक़्त पहले सलाम करों फिर बातचित करों।) (तिरमिज़ी)

आप (स.) ने यह भी फर्माया कि, "पहले सलाम करने वाला तक्कबुर से पाक है" (बेहक़ी)

पेज ५७ का बक़िया....हज कैसे करें?

जमार में ज़वाल के बाद बहुत भीड़ होती है और उल्मा ने सुबह सादिक तक रमी जमार की सलाह दी है और कहा है कि इन्शा अल्लाह यह मकरूह नहीं होगा। इसलिए अब अगर आप सुबह सादिक तक भी मिना से निकल गएं तो इन्शा अल्लाह गुनाह न होगा।

इस तरह अल्लाह तआला के करम और फ़ज़्ल से आप के हज के सारे अरकान पूरे हुए। मक्का मुकर्रमा में सिर्फ एक ज़रूरी और वाजिब अमल आप का बाकी रहा वह है तवाफ़े विदा।

तवाफ़े विदाः-

हज के बाद जब मक्का मुकर्रमा से वतन या मदीना जाना हो तो रूकसती का तवाफ़ या तवाफ़े विदा किया जाता है। यह हर बाहर रहने वाले "आफाक़ी" पर वाजिब है।

मक्का मुकर्रमा या मिकात की हुदूद में रहने वाले और सिर्फ उमरह की नीयत से आने वालों पर यह वाजिब नहीं है।

तवाफ़े विदा भी उसी तरह किया जाता है, जैसे; नफ़िल तवाफ करते है। तवाफ के बाद सई नहीं है और न तवाफ में रमल है।

तवाफ़े विदा के बाद अल्लाह तआला से उस घर की बार बार ज़ियारत की तौफिक देने की दुआ करें। अपने अपने रिश्तेदारों और उम्मतें मुस्लिमा की दोनों जहांन में कामयाबी के लिए दुआ करें और आंसू का नज़राना पेश करते हुऐ अपने वतन वापसी के सफर पर रवाना हो।

तवाफ़े विदा के बाद अगर किसी वजह से मक्का शरीफ में रूकना हुआ तो आप जितनी बार चाहे तवाफ कर सकते है और नमाज़ें पढ़ सकते है।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

पेज ५८ का बक़िया....मदीना मुनव्वरा के तारीखी मुकामात

१) ***खाके शिफ़ाः-*** इस मिट्टी से हुज़ुर (स.) ने इलाज का तरीका बताया था।

२) ***कबीला बनी नज़र के मकानातः-*** यह हुज़ुर (स.) कि वालिदा का कबीला था।

३) ***बागे समुनः-*** यह उस यहुदी का बाग है जिसमें हज़रत अली (रज़ी.) काम करते थें।

४) ***बागे सलमान फ़ारसीः-*** इस बाग को हुज़ुर (स.) ने हज़रत सलमान फारसी (रज़ी.) को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अपने हाथों से लगाया था।

५) ***बैरे खातमः-*** इस कुएं में हुज़ुर (स.) कि अंगुठी हज़रत उस्मान (रज़ी.) की उंगली से निकलकर कुंए में गिर गई थी और बहुत तलाश के बाद भी न मिल सकी।

६) ***बैरे उस्मानः-*** इस कुए को हज़रत उस्मान (रज़ी.) ने खरीदकर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था।

७) ***कबीले बनु सलमा कब्रस्तानः-*** इस कब्रस्तान में हज़रत जिब्रईल (अ.स.) ने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करके हुज़ुर (स.) के सामने गुफ्तगू की थी।

मस्जिदे सबक, कबीले सलमा, मस्जिदे बुखारी, कबीला बनु जाफर, कबीला ऐर, जबलै राया इन तारीखे मुकामात के बारे में गाईड से दरयाफ्त करें।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

नबी-ए-करीम (स.) का ईसार और हमारी ज़िम्मेदारियां

- नबी करीम (स.) की हमसे मोहब्बत की रिवायतें हम ने पिछले सफहात में पढ़े। आप (स.) ने हमारे लिए जो तकलीफ बर्दाश्त की और कुर्बानियां दीं, उस की भी मुख्तसर तफसील पढ़ते हैं।

- नुबुव्वत के वक्त नबी करीम (स.) के पास पच्चीस हज़ार दीनार थे।(जो कि पांच हज़ार पाँच सौ तौले सोना या तकरीबन नौ करोड़ रूपयों के बैंक बैलेंस के बराबर है।) और अच्छी तरह चलता हुआ मुनाफा बख्श कारोबार था। (एक हज़ार साढ़े तीन आना के बराबर है और सोलह आना का एक तौला होता है।) यह सारी रकम जो कि आप (स.) ने कारोबार से कमाया था,मुसलमानों के लिए खर्च कर दिया। आप (स.) की वफात के वक्त घर में चिराग जलाने के लिए भी तेल न था। माँ आयशा (रज़ी.) ने इंतकाल की रात एक पड़ोसी के यहाँ से कर्ज़ लेकर चिराग रौशन किया था।

- नुबुव्वत के चौथे साल नबी करीम (स.) ने जैसे ही खाना काअबा की सिहन में तौहीद का ऐलान किया कुफ्फारे कुरैश आप (स.) पर टूट पड़े और आप (स.) को बचाने की कोशिश में हज़रत खदीजा (रज़ी.) के पहले शौहर के बड़े लड़के हज़रत हारिस बिन अबी हाले (रज़ी.) शहीद हो गये।

- अबु लहब और उक्बा बिन अबी मुऔत, नबी करीम (स.) के पड़ोसी थे। एक दीवार का इस के घर से मिलती और एक दीवार उस के घर से । ये दोनों कमीने मुसलसल आप (स.) के घर में गंदगी फेंकते और दरवाज़े पर गंदगी डालते।

- नुबूवत के पहले नबी करीम स. अ. की साहब ज़ादियां हज़रत रूकैय्या और हज़रत उम्मे कुलसुम (रज़ी.), अबु लहब के बेटों उत्बा और उतैबा के निकाह में थी।(रुख़्सती नहीं हुई थी।) अरब के शरीफ घरानों में तलाक बड़ी बे-इज़्ज़ती की बात समझी जाती थी। नबी करीम (स.) को ज़हनी अज़ीयत देने के लिए अबु लहब ने बेटों पर दबाव डालकर दोनों को तलाक देने पर मजबूर कर दिया। एक मौके पर कमीने उत्बा ने नबी करीम (स.) के मुँह पर थूका और गिरेहबान पकड़ कर ऐसी गुस्ताख़ी की कि नबी करीम (स.) की ज़ुबान से इस के लिए बद्दुआ निकल गई। इस तलाक के बाद तकरीबन दस साल तक हज़रत उम्मे कुलसुम (रज़ी.) बिन ब्याही अपने घर बैठी रही।

- नुबुवत के पांचवे साल एक बार आप (स.) हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। जब आप (स.) सिजदे में गये तो आप (स.) के पड़ोसी उक्बा बिन अबी मुऔत ने आप स.अ. की गर्दन मुबारक पर ऊंट की ओझड़ी (आंत) रख दी जो इतनी वज़नी थी कि आप (स.) अपनी गर्दन न उठा सके। जब आप (स.) के घर वालों को ख़बर हुअई तो बीबी फातमा (रज़ी.) दौड़ी दौड़ी आयीं और गंदगी को गर्दन से उतारा। इस मंज़र को देखकर कुफ्फार हंसते और मज़ाक उड़ाते रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ी.) कहते हैं कि मैं गुलाम ओर मजबूर था और आप (स.) की मदद न कर सका। आप (स.) की इस हालत पर मुझे बेहद तकलीफ हुई।

- एक बार नबी करीम (स.) हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज़ की हालत में ही उत्बा बिन अबी मुअीत आया और आप (स.) की गर्दन में चादर फंदा डाल कर पेच देने लगा। गला मुबारक घुटने से आप (स.) की आँखें निकल पड़ी। हज़रत अबु बकर (रज़ी.) ने बीच में पड़कर आप (स.) को फंदे से आज़ाद कराया।

- हज के कयाम में मिना में लोगों का बड़ा मजमअ (भीड़) होता था और आप(स.) अक्सर उन में तब्लीग के लिए तशरीफ ले जाते। ऐसे मुवाक़ओ पर अबु लहब भी पीछे चलता ओर लोगों से कहता कि यह शख्स लात व उज़्ज़ा को छोड़ने की दावत देता है। तुम इस की बात हर्गिज़ न मानो, न ही इसे सुनो नुबूवत के तेहरवें साल भी आप (स.) मिना तशरीफ ले गये और बनी आमिर सअसअ (कबीला) को दावते हक दी, तो उन्होंने आप (स.) की हिमायत की हामी भरी, मगर तब उनका सरदार बहरा बिन फ़ास कैशरी आया तो आप (स.) से बड़ी बेरूखी से मिला और कहा, "जाइये और अपनी कौम से मिल जाइये"।अगर आप (स.) मेरी कौम की अमान में न होते, तो मैं आप स.अ. का सिर तन से जुदा कर देता"। ये सुन कर हुज़ूर अकरम (स.) उठ खड़े हुए और अपनी ऊंटनी पर सवार हो गये इसके बाद उस बदबख़्त ने आप स.अ. की ऊंटनी के पेट पर इस ज़ोर से डंडा मारा। जिससे वह उछल पड़ी और आप (स.) ऊंटनी की पीठ पर से ज़मीन पर आ गिरे।

- एक सहाबी कहते हैं, कि इस्लाम लाने से पहले मैंने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान है ओर लोगों को दावत देता फिर रहा है।सुबह से चल रहा है और कलमे की तरफ बुला रहा है। मैंने पूछा,"यह कौन है?" किसी ने कहा यह कुरैश का एक नौजवान मुहम्मद (स.) है, जो बेदीन हो गया है। सुबह से वह नौजवान दावत देता रहा, यहां तक कि सूरज सिर पर आ गया। इतने में एक आदमी ने आकर उसके मुंह पर थूक दिया,दूसरे ने गिरहबान फाड़ दिया, तीसरे ने सिर पर मिट्टी डाल दी और चौथे ने चेहरे अनवर पर थप्पड़ मारा, लेकिन खूबसूरत नौजवान की ज़बान से बद्दुआ का एक लफ्ज़ न निकला। इतने में एक लड़की ज़ारो कतार रोती हुई पानी का प्याला लेकर आयी। लड़की को रोता हुआ देखकर आप (स.) की आंखें ज़रा नम हुईं और कहा, "बेटी अपने बाप का गम न कर तेरे बाप की अल्लाह हिफाज़त कर रहा है, और मेरा कलमा बुलंद होगा। उन सहाबी(रज़ी.) ने किसी से पूछा,"यह लड़की कौन है?" किसी ने कहा इसकी बेटी ज़ैनब(रज़ी.) है।(बसीरत अफरोज़ वाकआत सफ़े नंबर २२)

- हुज़ूर करीम (स.) की बड़ी साहबज़ादी हज़रत ज़ैनब(रज़ी.) जब मक्का से मदीना के लिए रवाना हुयीं, तो रास्ते में मुश्रिकों ने घेर लिया।उकरमा बिन अबु जहल और उसके साथियों ने आप (स.) के ऊंट को ज़ख्मी कर दिया जिससे आप ऊंट की पीठ से ज़मीन पर आ गिरीं और ज़ाऐ हो गया। सिर में चोट लगी, बहुत सा खून बह गया, और इसी ज़ख्म में कई साल बाद इंतकाल फरमाया।

- नुबूवत के दसवें साल आप (स.) ने तायफ का सफर किया ताके वहां भी इस्लाम की रोशनी फैलायें। वहां के तीनों सरदार अब्दिया लैल मसऊद और हबीब का जवाब गुस्ताख़ाना और तकलीफदह था, न वह खुद सुनना चाहते थे और न यह चाहते थे, कि आप (स.) इनकी कौम में तब्लीग करें। इसलिए शहर के बदमाश और गुंडों को आप (स.) के पीछे लगा दिया कि आप जहां जायें आप की हंसी उड़ायें और आप (स.) जिधर से भी गुज़रें आप पर पत्थर फेंकें आप (स.) दस या बीस दिन तक ये मुसीबतें झेलते और सब्र करते रहे। आखिरी दिन उन्होंने ज़ुल्म की हद कर दी। वह अपने हाथों में पत्थर ले कर सफ-ब-सफ खड़े हो गये। आप (स.) कदम उठाते ओर ज़मीन पर रखते तो वह बद-बख़्त आप (स.) के टख़्नों पर पत्थर मारते। चूंकि कत्ल का इरादा न था सिर्फ अज़ीयत देनी थी इसलिए तीन मील तक वह आप (स.) का इसी

तरह पीछा करते रहे ओर पत्थर बरसाते रहे, भागते-भागते जब आप (स.) थक कर और ज़ख़्मों से चूर होकर बैठ जाते तो फिर वह गुंडे आप (स.) का बाज़ू पकड़कर खड़ा कर देते, गालियां देते, तालियां बजाते, आवाज़ कसते और चलने पर मजबूर करते और फिर पत्थर की बारिश करते। पत्थरों से इतनी चोटें आयीं कि आप (स.) के नालेन (जूता) मुबारक खून से भर गया। जिस्म ज़ख़्मों से चूर हो गया और फिर आप (स.) बेहोश होकर गिर पड़े। हज़रत ज़ैद (रज़ी.) आप (स.) को अपनी पीठ पर उठा कर आबादी से बाहर लाये।

- मक्का में तक़रीबन दस साल तक हुज़ूर (स.) तकालीफ़ उठाते, ज़लील हरकतें करते, उबाशों के झण्डे आप (स.) के पीछे आवाज़ें कसते, रास्ते में ग़िलाज़त ऊपर डाली जातीं, रातों में गुज़र गाह में कांटें बिछाये जाते, गालियों से तवाज़ो की जाती, सिरे अक़दस पर ख़ाक फेंकी जाती। अबू जहल ने खुद एक बार आप (स.) को पत्थर से हलाक करने की कोशिश कर डाली। इस तरह ऐसी हज़ारों मुसीबतें आप (स.) बर्दाश्त करते रहे। दौरे नुबूवत के तेहरवें साल कुरैश के चालीस दरिन्दों ने आप (स.) का शहीद करने के इरादे से रात भर आप (स.) के घर को घेरे रखा। मगर आप (स.) ब-हिफ़ाज़त मदीना हिजरत कर गये।

- ग़ज़्व-ए-अहद के दिन अब्दुल्लाह इब्न कुमैय्या ने इस ज़ोर क हमला किया कि आप (स.) का रुख़्सार मुबारक ज़ख़्मी हो गया। 'खुद' के दो हल्के (Ring) रुख़्सार मुबारक में धंस गये। उत्बा अबी वकास ने पत्थर फेंक कर मारा जिससे नीचे के दंदाने मुबारक शहीद हो गये और होंठ कट गया। अब्दुल्लाह बिन शहाब ज़ौहरी ने पत्थर मारकर पैशानी लहूलुहान कर दिया। हज़रत अबु उबैद इब्न जर्राह ने 'खुद' के एक हल्के को दांतों से पकड़कर इस ज़ोर का खींचा कि ज बवह रुख़्सारे मुबारक से निकला तो हज़रत अबु उबैद इब्न जर्राह का दांत भी टूट गया और हज़रत अबु उबैद (रज़ी.) पीठ के बल ज़मीन पर गिर पड़े। इसी तरह जब दूसरा हल्का दांत से पकड़कर खींचा तो इतना ज़ोर से लगाना पड़ा कि हल्का निकालते वक़्त दूसरा दांत भी टूट गया। हुज़ूर (स.) के ज़ख़्मों से खून किसी तरह बंद न होता था। ज़ख़्मी हालत में कुछ दूर चले ताकि महफ़ूज़ मक़ाम पर मुंतक़िल हो जायें । कि अबु आमिर फ़ासिक़ के खोदे हुए गड्ढे मे गिर गये। जिसे उसने पत्तों से ढांक रखा था। हज़रत अली (रज़ी.) और हज़रत तल्हा बिन अब्दुल्लाह (रज़ी.) की कदद से बड़ी मुश्किल से गड्ढे से निकल कर ऊंचाई पर तशरीफ़ ले गये।

- मदीना मुनव्वरा में भी आप (स.) और आप (स.) के घर वालों को जो भी माले ग़नीमत मिलता सब ग़रीबों पर ख़र्च कर देते।तीन तीन माह घर में चूल्हा जलता, तीन तीन दिन फ़ाक़े होते। रोटी खते भी तो 'जौ' की। हर इंसानों को जहन्नम से बचाने की इतनी फ़िक्र थी कि रात रात भर रो कर दुआएं मांगा करते और इस क़दर मशक़्क़त उठाते कि वह अल्लाह जिस ने आप स.अ. को पैग़म्बर बनाकर लोगों तक दीन पहुंचाने की ज़िम्मेदारी दी थी, उसे भी कहना पड़ा कि (आप इस तरह मशक़्क़त क्यों उठाते हो?) ऐ पैग़म्बर (स.)! शायद तुम इस रंज से कि यह लोग ईमान नहीं लाते। अपने आप को हलाक कर लोगे! (कुराने करीम, सूरह शोअ़रा, आयत:३)

- वह जिस के सदक़े में अल्लाह तआला ने इस कायनात को ज़ीनत बख़्शी। वह जिसका हम पर हमसे ज़्यादा हक़ है। वह शफ़ीक़ हजे अल्विदा के मौक़े पर जब आप (स.) ने अपने सवा लाख सहाबा (रज़ी.) से पूछा कि क्या मैंने तुम तक अल्लाह तआला के फ़रमान पहुंचा दिया और अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया तो सब ने एक ज़ुबान हो कर कहा कि बेशक हम गवाह हैं कि आप (स.) ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया।

- नबी करीम (स.) ने तो अपनी सारी दौलत और आराम व सुकून और सारी ज़िन्दगी हम तक दीन पहुंचाने के लिए क़ुर्बान कर दी और अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अब बारी हमारी है कि अपना फ़र्ज़ अदा करें। नबी करीम (स.) का इर्शाद है कि कोई शख़्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे खुद उस की जान से ज़्यादा अज़ीज़ न हो जाऊं।(मुस्लिम-बुख़ारी)

- जान से ज़्यादा अज़ीज़ होने का क्या मतलब है? कि इंसान को नबी करीम(स.) के हुक्म के ख़िलाफ़ कुछ करने से ज़्यादा आसान जान देना लगे। क्या आप जानते हैं कि नबी करीम (स.) ने हमें क्या हुक्म दिया है?

यह किताब हज के मौज़ूअ पर है, इस लिए हम इस में नबी करीम (स.) के सारे इर्शादात शामिल नहीं कर सकते। नबी करीम (स.) ने अपने आख़िरी हज के मौक़े पर अरफ़ा के मैदान में अपने उम्मतियों को जो हुक्म दिया था सिर्फ़ वही यहाँ नक़ल करते है। आप (स.) ने इर्शाद फ़रमाया:

"सारे इंसान बराबर हैं। न कोई किसी से बड़ा है न छोटा। अगर कोई किसी से ज़्यादा इज़्ज़त दार है तो वह तक़वा के बुनियाद पर है।

"सारे मुसलमान आपस में भाई-भाई हैं।

"मुसलमानों की जान-व-माल और इज़्ज़त एक दूसरे पर हराम है। कोई एक दूसरे को न जान से मारे, न माल बर्बाद करे, न बेइज़्ज़त करें।

"औरतों से बेहतर सलूक करो। तुम में बेहतर वह है जो उसकी बीवी के लिए सब से बेहतर हो सूद हराम है। न कोई सूद ले, न दे।"

"अल्लाह तआला की किताब और मेरी सुन्नत को मज़बूती से पकड़े रहना। अगर तुम ऐसा करोगे तो कभी गुमराह न होगे। जिन लोगों तक मेरी बात पहुंची है वह उन लोगों तक पहुंचा दें, जिन तक नहीं पहुंची। चाहे वह एक ही आयत क्यों न हो। नबी करीम (स.) ने फ़रमाया कि, ऐ मुआसरूलमुस्लिमीन तीन बातें सीने को पाक रखती हैं।(१) अअ़माल में इख़्लास (२) दीनी भाईयों की ख़ैरख़्वाही (३) मुसलमानों का आपस में इत्तेहाद।

क्या हम उन में से एक भी नहीं इर्शादे नबुवी पर अ़मल करते है? क्या हम मुस्तक़बिल में आप (स.) के दूसरे अहकामात पर अ़मल करेंगे।

- एक समझदार के लिए हर दिन ज़िन्दगी की नई शुरूआत होती है। इस हज के मुबारक सफ़र में जब अल्लाह तआला इंसानों को गुनाहों से बिल्कुल पाक-व-साफ़ कर देता है, हम फिर से अपनी रूहानी ज़िन्दगी की शुरूआत करें। हम और आप अपने शफ़ीक़ और करीम नबी (स.) के रौज़-मुबारक के सामने यह अहद करे कि जो हो चुका सो हो चुका। इन्शा अल्लाह नई ज़िन्दगी में आप (स.) के एक बार भी हुक्म की ख़िलाफ़ वर्ज़ी नहीं करेंगे, और पूरे खुलूस के साथ सच्चा पक्का मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे।

- हर पीर और जुमेरात के दिन उम्मत के अअ़माल नबी करीम (स.) के सामने पेश किये जाते हैं। हम और आप उस अहद के बाद जो कुछ करेंगे वह नबी करीम (स.) के सामने हर हफ़्ता पेश होगी अगर हम आप (स.) के इर्शादात की ख़िलाफ़ वर्ज़ी की तो शफ़ीक़ और करीम (स.) को उससे बड़ी सख़्त तकलीफ़ होगी, और हमारा शुमार भी सच्चे और पक्के मुसलमानों में नहीं होगा बल्कि उन मुश्रिकीन और मुनाफ़िक़ीन की तरह के लोगों में होगा जो ज़िन्दगी भर नबी करीम (स.) की सख़्त तकालीफ़ पहुंचाते रहे, और अब हम और आप (स.) की आराम गाह (क़ब्रे अनवर) मे भी तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं।

इस लिए आईये! हम वतन वापसी के सफ़र के साथ एक नई ज़िन्दगी की शुरूआत करें जो पूरी तरह नबी करीम (स.) की सुन्नत के मुताबिक़ हो।

अल्लाह तआला हमें, आप को और सारी दुनिया के मुसलमानों को दुनिया और आख़िरत में सुर्ख़रू और कामयाब फ़रमाये। आमीन !!

हज से मुतअ़ल्लिक़ चन्द मशहूर ग़लतियाँ

- नबी करीम (स.) ने दौलत होने के बावजूद हज न करने वालों से सख़्त नाराज़गी का इज़हार किया है। बहुत सारे लोग बहाना करते है कि कारोबार संभालने वाला कोई नहीं है। बच्चे छोटे है वग़ैरह वग़ैरह आज कल कुछ टूर वाले सिर्फ सात से दस दिन में हज कराते हैं। इतने सारे वसाइल ओर पैसा होने के बावजूद हज न करना एक बहुत बड़ी ग़लती है। कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता, मगर फिर भी ह करना चाहेते हैं वह इसके लिए लोगों से पैसा मांगते फिरते है। बहुत ग़लती और लोगों को तकलीफ़ देने का काम है। जब आप के पास पैसा होगा तब ही हज फ़र्ज़ होगा। इसके बाद ही हज कीजिए चंदा मांग कर लोगों को परेशान मत कीजिए।

- नबी करीम (स.) की एक हदीश का मफहूम है कि आने वाले ज़माने में लोग तीन वजह से हज करेंगे। अमीर तफरीह के लिए हज करेंगे, ग़रीब भीख मांग कर हज करेंगे और दरम्यानी तबके के लोग तिजारत के लिए। इन तीनों वजहों से हज करना बहुत बड़ी ग़लती है।

- उम्रह हज-ए-असग़र है और हज, हज-ए-अकबर है। अब यह हज चाहे जिस अदन भी हो, हजे अकबर ही माना जायेगा। सिर्फ जुमओ के दिन के हज को 'हजे-अकबर' समझना ग़लत है।

- अपने हज का बार बार तज़किरह करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप के हाजी होने का इल्म हो। एक रियाकारी है।

- घर से हज के सफर पर कफ़न ले जाना और उस हज का एक हिस्सा समझना ग़लत है। पचास साल पहले सऊदी अ़रबिया एक ग़रीब मुल्क था। हज का बहरी और रेगिस्तानी सफ़र भी बहुत मुश्किल था। ऐसे में किसी की मौत हो जाये, तो कफ़न का इंतेज़ाम मुश्किल होता है। इसलिए हाजी अपने साथ कफ़न रखते थे। आज के दौर में सऊदी अ़रब दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। सफर भी आसान हो गया है। कफ़न अब आसानी से हर जगह मिल जाते हैं। इसलिए कफ़न साथ ले जाना ज़रूरी नहीं रहा। हज के बाद बहुत से लोग अपने इस्तेअ़माल शुदा एहराम को अपने कफ़न के लिए महफ़ूज़ कर लेते है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं।

- लोग हज से पहले न हज का तरीक़ा अच्छी तरह सीखते हैं, न हरम के चालीस दिन के क़याम के बारे में मअ़लूमात हासिल करते हैं। इस वजह से कभी कभी ख़ुद उनकी अपनी ग़लती की वजह से और कभी टूर और हिंदोस्तानी सफ़ारत ख़ाने की मजबूरी या लापरवाही की वजह से हाजियों को सख़्त तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। जिसे तकलीफ़ हुई है, पहले इस बात को समझे कि उसे ऐसी तकलीफ़ क्यों हुई? फिर क़ानूनी व दीग़र तरीक़ों से कोशिश करें कि दूसरे हाजियों को फिर ऐसी तकलीफ़ न हो। दौराने हज की अपनी तकलीफ़ों का बार बार बयान करने से लोग सफ़रे हज से ख़ौफ़ज़दा हो जाते हैं, और हज न करने या देर से करने के बहाने तलाश करने लगते हैं। इसलिए अपनी तकलीफ़ों का इस तरह ज़िक्र करना कि कोई ख़ौफ़ ज़दा हो जाये, ग़लत काम है। हज के सफ़र में जितनी तकलीफ़ आप को होगी अल्लाह तआ़ला उसका अज्र आप को देंगे।

- मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में इबादत का मज़ा और मस्जिदों की पूर नूर फिज़ा जन्नत से कम नहीं। इसलिए हज के मुद्दतों बाद तक लोग उसके सरवर और मस्ती में मस्त रहते हैं, और बे इख़्तियारी तौर पर उनके ज़बान से वहाँ की ऐसी तअ़रीफ़ निकलती है, कि दिल वहाँ की इबादत की ख़्वाहिश में तड़पने लगता है। ग़रीबों के सामने ऐसी तअ़रीफ़ों और बयानात से बचना चाहिए। जिससे उनके दिल अपने मालिक का घर और महबूब का गुम्बद देखने के लिए तड़प जाये और फिर अपनी मजबूरी और बेबसी पर उदास और ग़मग़ीन हो जाये। किसी मोमिन का दिल दुःखाना और तकलीफ़ पहुंचाना बहुत बड़ा गुनाह है।

- हज नमाज़ की तरह एक इबादत है। हज के सफर पर, अज़मत, वक़ार, सादगी और आजिज़ी के साथ निकलना चाहिए। फूलों का हार पहन कर ढोल बाजों के साथ घर से निकलना ग़ैर इस्लामी तरीक़ा और रियाकारी है।

- इस्लाम किसी भी औरत को बग़ैर महरम के, न किसी सफ़र की इजाज़त देता है और न इसके साथ तन्हाई में रहने की इजाज़त देता है। एक औरत चाहे वह किसी भी उम्र की हो, अगर बग़ैर महरम के हज के सफ़र पर जाती है, तो एक बड़ा गुनाह करती है। और हरम का एक गुनाह एक लाख गुनाहों के बराबर है।

- लोगों के पास हज न करने का एक और बहाना है, कि हमारा पैसा हलाल नहीं है। पहली बात तो यह कि जब पैसा हलाल नहीं था, तो कमाया ही क्यों?और दूसरी बात यह कि हज दौलत आने पर फ़र्ज़ होता है, न कि सिर्फ हलाल दौलत के आने पर। जब आप अपनी दौलत से खा पी रहे हैं और बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो हज भी कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो अल्लाह तआ़ला बे नियाज़ भी है और कह्हार और जब्बार भी है। उसे किसी की भी इबादत की ज़रूरत नहीं है और उसने वआ़दा भी किया है कि मैं जहन्नम को इंसानों और जिन्नों से भर दूंगा।

- बड़े उम्रह और छोटे उम्रह की कोई हक़ीक़त नहीं है। जो आफ़ाक़ी हैं उन्हें उम्रह का एहराम 'हील' की बाहरी सरहद (मिक़ात) से बांधना होता है। जो अहले हिल हैं वह हिल की हुदूद में कहीं भी एहराम बांध सकते हैं। जो अहले हरम या मक्की हैं उसका असर उम्रह या हज की फ़ज़ीलत पर नहीं पड़ता। अगर अहले हरम तन्ईम के बदले, ज़ुल्हुलैफ़ा जाकर उम्रह का एहराम बांधें, तो यह उनके उम्रह की फ़ज़ीलत तो नहीं बढ़ायेगा अल्बत्ता वक़्त बर्बाद ज़रूर करेगा।

हज और उम्रह की अदाएगी के दौरान होने वाली बअ़ज़ आ़म ग़लतियां:-

- एहराम की इब्तेदा से मुनासिक हज की इन्तेहा तक इज़्तिबाअ़ की हालत में रहना।(इज़्तिबाअ़ सिर्फ रमल के लिए है।)

- एहराम बांधने के बाद नीज़ अरफ़ात व मुज़्दलफ़ा में तल्बिया कहते वक़्त आवाज़ बुलन्द न करना या तल्बिया छोड़ ही देना।

- तवाफ़ या सई के दौरान हर चक्कर के लिए बाअ़-ज़ दुआओं को ख़ास करना, जबकि इस दौरान सिर्फ यह मशरूअ़ है कि जो चाहे दुआ मांगे या अल्लाह का ज़िक्र करे या क़ुर-आन मजीद की तिलावत करे।

- तवाफ़ के दौरान बुलन्द आवाज़ से मिल कर दुआऐं पढ़ना जो दूसरों के लिए तशवीश का बाअ़ेस बनती है।

- सफ़ा पर चढ़ते हुए कअ़बा की तरफ़ इशारा करना।

- सब्ज़ निशानियों के दरम्यान बाअ़-ज़ औरतों का दौड़ना, जबकि यह हुक्म सिर्फ़ मर्दों के लिए है।

* बअ्-ज़न लोग यह समझते हैं कि 'सफ़ा' से सई शुरू करके वापस 'सफ़ा' पर पहुंचना यह एक चक्कर है, यह सही नहीं है। सही यह है कि जब 'सफ़ा' से शुरू करके 'मरवा' पर पहुंच गया, और जब 'सफ़ा' पर वापस आयेगा तो यह दूसरा चक्कर होगा।
* एहराम से हलाल होते वक़्त सिर का कुछ हिस्सा मुंडवा देना और कुछ को छोड़ देना। या पूरे सिर के बाल मुंडवाने या कटवाने की बजाय चन्द बालों को काट लेना।
* वक़ूफ़े अरफ़ात के दौरान दुआ मांगते वक़्त क़िब्ले रूख़ न होना।
* अरफ़ात में दुआ के लिए 'जब्ले रहमत' पर चढ़ने की कोशिश करना।
* अरफ़ात में मिना में और अय्यामे तशरीक़ की रातों के दौरान बिला मक़सद कामों या बातों में वक़्त ज़ाऐ करना।
* ऐसा जानवर ज़बाह करना जो क़ुर्बानी की उम्र को न पहुंचा हो, या ऐबदार जानवर ज़बाह करना या ज़बाह करने के बाद जानवर को फैंक देना।
* अरफ़ा के दिन अस्र के बाद बहुत से हाजी कूच की तैयारियों में लग जाते हैं, बावजूद इसके कि यह वक़्त दुआ के लिए अफ़ज़ल तरीन वक़्त है, और इस वक़्त अल्लाह तआला अपने बन्दों का ज़िक्र फ़िक्रिया अंदाज़ में फ़रमाता है।
* बहुत से हुज्जाजे किराम का मुज़्दल्फ़ा की रात मग़रिब और ईशा की नमाज़ों के लिए क़िब्ले की सिम्त मअ़लूम किये बग़ैर जल्दी करना और इसी तरह फ़ज्र की नमाज़ में भी करना जबकि वाजिब यह है कि क़िब्ला की सिम्त मअ़लूम करने की कोशिश करनी चाहिए या जिसको मअ़लूम हो उससे पूंछ लेना चाहिए।
* बहुत से हुज्जाज का मुज़्दल्फ़ा से आधी रात से क़ब्ल ही निकल जाना, हालांकि मुज़्दल्फ़ा में रात गुज़ारना हज के वाजिबात में से है।
* बअ्-ज़ क़ुव्वत रखने वालों का किसी दूसरे को रमी जुमार के लिए वकील बनाना, जबकि यह इजाज़त सिर्फ़ मअ़ज़ूरों के लिए है।
* जम्रात कंकरियां मारते वक़्त जूतियां या बड़े बड़े पत्थर वग़ैरह फेंकना।
* बअ्-ज़ हाजी (अल्लाह इनको हिदायत दे) ईद के रोज़ यह समझते हुए दाढ़ी मुंडवाते हैं, कि यह ज़ीनत का बाअ़स है। हालांकि ऐसा करना अफ़ज़ल जगहों और अफ़ज़ल वक़्त में अल्लाह की नाफ़रमानी है।
* बअ्-ज़ औक़ात हज्रे अस्वद के बोसा के लिए धक्कम पेल करना, जिसमें कभी-कभार लड़ाई, गाली गलौच और दुश्मनी तक जा पहुंचती है।
* बअ्-ज़ लोगों का यह समझना है कि हजरे अस्वद ब-ज़ाते ख़ुद नफ़ा देता है, लिहाज़ा आप उन्हें हजरे अस्वद को हाथ लगाकर उसे जिस्म पर मलते देखेंगे। मगर यह जिहालत है। नफ़ा देने वाला सिर्फ़ अल्लाह है।

  हज़रत उमर (रज़ी.) ने हजरे अस्वद को हाथ लगाते हुए बड़ा तारीख़ी जुम्ला कहा थाः "मैं जानता हूं, कि तुम एक पत्थर हो और अपने तौर पर किसी को नफ़ा या नुक़सान नहीं दे सकते। अगर मैंने रसूल (स.) को तुम्हें बोसा देते हुए न देखा होता, तो तुम्हें कभी बोसा न देता"।
* बअ्-ज़ हाजी साहिबान काबा के तमाम कोनों को छूते हैं और कभी उसकी दीवारों को हाथ लगाते हैं और फिर उनको अपने जिस्म पर फेरते हैं, हालांकि यह जिहालत है।
* बअ्-ज़ लोग रूकने यमानी को भी बोसा देते हैं और यह ख़ता है इसलिए कि रूकने यमानी को सिर्फ़ हाथ लगाने का हुक्म है, बोसा देने का नहीं।
* बअ्-ज़ हाजी साहिबान हतीम के अन्दर से तवाफ़ करते हैं। यह सही नहीं है।
* बअ्-ज़ लोग मिना में क़याम के दौरान नमाज़ें जमा करके पढ़ लेते हैं। यह भी ठीक नहीं।
* बअ्-ज़ हाजी साहिबान सबसे पहले बड़े जम्रह को फिर दरम्यानी जम्रह को और आख़िर में छोटे जम्रह को कंकरियां मारते हैं। जबकि सही यह है कि इसके बरअक्स तरतीब से कंकरियां मारी जायें।
* बअ्-ज़ लोग सातों कंकरियां मुट्ठी में लेकर एक ही बार फेंक देते हैं,और यह बहुत बड़ी ग़लती है। अहले इल्म कहते हैं कि अगर किसी ने एक ही बार एक से ज़्यादा कंकरियां फेंक दीं, तो वह एक ही कंकरी शुमार होगी। वाजिब यह है, कि एक एक कंकरी करके फेंकी जाये जैसा कि नबी करीम (स.) ने किया था।
* बअ्-ज़ हाजी साहिबान रमी जम्रात से पहले ही तवाफ़े ज़ियारत के लिए बैतुल्लाह शरीफ़ पहुंच जाते हैं, फिर वापस लौटकर कंकरियां मारते हैं।यह जायज़ नहीं, इसलिए कि यह नबी करीम (स.) के हुक्म की मुख़ालिफ़त है। आप (स.) ने हुक्म दिया है, कि हाजी का सबसे आख़िरी अमल तवाफ़े ज़ियारत होना चाहिए।
* काबा से अल्विदा होते वक़्त उसकी ओर हाथ से इशारा करना ग़लत है।

बच्चे का हजः

ना बालिग़ पर हज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर वह हज करे, तो उसे और उसके वालिदैन को सवाब मिलेगा। अलबत्ता बालिग़ होने के बाद उसे फिर हज करना होगा अगर बच्चा समझदार है, तो वह अपने सरपरस्त की हिदायत और रहनुमाई में खुद हज की नीयत करे और तमाम अरकान जो खुद कर सकता है अदा करें। और जो काम वह नहीं कर सकता वह उस के सरपरस्त करें, जैसे रमी जमार, क़ुर्बानी वग़ैरह और अगर बच्चा बहुत छोटा और ना समझ है, तो उसके सरपरस्त उसकी तरफ़ से नीयत करें और तमाम मुक़ामाते हज पर उसे साथ ले जायें। जो वह कर सकता है उससे करवायें और न कर सकता हो, तो खुद करें अगर बच्चा तवाफ़ व सई करने के क़ाबिल न हो, तो बच्चे को उठाकर तवाफ़ और सई की जाये। अफ़ज़ल ये है, के अपने और बच्चे की तरफ़ से मुश्तरका तवाफ़ व सई न करें बल्कि पहले अपने तवाफ़ और सई करें फिर बच्चे की तरफ़ से करें बच्चे के एहराम की एहकाम भी बालिग़ के एहकाम जैसे ही हैं।

बच्चे का हज

हज़रत साइब (रज़ी) बिन यज़ीद से रिवायत है कि मेरे बाप ने हज्जतुल विदा में मुझे रसूल अल्लाह (स.) के साथ हज कराया। उस वक़्त मैं सात साल का था। (बुख़ारी)

बच्चे के हज का सवाब माँ को

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ी.) से रिवायत है कि रसूल अल्लाह (स.) रोहा(१) में एक क़ाफ़िले से मिले। आप (स.) ने फ़रमाया, तुम लोग कौन हो? अर्ज़ किया हम मुसलमान हैं और आप कौन हैं। फ़रमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो एक औरत ने (कजावे से) बच्चे को ऊंचा कर के दिखाया और अर्ज़ किया "क्या इस के लिए हज है? आप (स.) ने फ़रमाया, हाँ! है, लेकिन सवाब तुमको मिलेगा"।

हज का सफ़र किस के ज़रिए करें..?
(हज कमेटी या टूर)

हज का सफ़र हज के ज़रिए किया जाये या टूर से? यह एक मुश्किल सवाल है, मैं आप से इन दोनों की हक़ीक़त बयान करता हूं। फ़ैसला आप ख़ुद करें कि सफ़र किस के ज़रिए किया जाये।

सऊदी हुकूमत ने हाजियों की अच्छी मेअयारी रिहाईश और आसानी के लिए मुंदरजा ज़ैल (नीचे दिये गये) क़वानीन बनाये है।

१) हर हाजी को रहने के लिए १.मी. ग ३.५ मी. की जगह मिलनी चाहिए।

२)हर हाजी को पलंग, गद्दा, तकिया और कम्बल मुअल्लिम की तरफ से मिलना चाहिए।

३) बस का सारा इंतेज़ाम मुअल्लिम करेगा।

४)क़याम गाह में गैस का चूल्हा और गैस पहली बार मुफ्त मिलेगा।

५)हर हाजी को उसके कमरे के बाहर ज़मज़म का पानी पीने के लिए मिलेगा।

६)हर बिल्डिंग में लिफ्ट होगी।

७)हाजी साहिबान सिर्फ़ दो जगह अपना सामान उठायेंगे। एक मक्का में बिल्डिंग की लिफ्ट से अपने पलंग तक और दूसरी जगह मदीना में बिल्डिंग के नीचे से अपने पलंग तक। बाकी एयर पोर्ट तक, बस डिपो या हर जगह मुअल्लिम या एयर पोर्ट के कुली सामान उठायेंगे।

८)हज कमेटी के ज़रिए जाने वालों के लिए मक्का शरीफ़ या मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर पहले एक वक़्त का खाना मुअल्लिम की तरफ़ से होगा। इसी तरह अरफ़ात के दिन भी दोपहर का खाना मुअल्लिम की तरफ से होगा।

ऊपर लिखी हुई सारी ज़रूरियात और सहुलतें मुहैय्या कराने का काम टूर वाले और हज कमेटी वाले किस तरह अंजाम देते हैं। उसका बयान मुदंर्जाज़ेल है।

हरम से नज़दीकी:-

हज कमेटी:

हज कमेटी ने हाजियों के रिहाईश गाह के तीन ग्रेड(दर्जे) बनाये हैं।

१) फर्स्ट ग्रेड(दर्जा अव्वल): फर्स्ट ग्रेड की क़यामगाहे हरम से एक किलो मीटर की दूरी पर होती है।

२) सेकंड ग्रेड(दर्जा दुव्वम): सेकंड ग्रेड की कयामगाहे एक किलो मीटर से भी ज़्यादा की दूरी पर होती है।

३) थर्ड ग्रेड (दर्जा सुव्वम): थर्ड ग्रेड की क़यामगाहे २ से तीन किलो मीटर की दूरी पर होती है।

हज कमेटी वाले इस बात की कोशिश करते हैं के वायदे के मुताबिक रिहाईश दें। व अपने वायदों और कोशिशों में ६०: कामयाब भी होते हैं। अलबत्ता कभी कभी रिहाईशी बिल्डिंगों कि कमी की वजह से कुछ हाजियों को वायदे के मुताबिक रिहाईश नहीं मिलती।

टूर:-

टूर वाले अक्सर हाजियों का क़याम बिल्कुल हरम के पास ही रखते हैं मगर टूर वालों के भी ग्रेड होते है। जो बिल्कुल कम रुपयों पर हज कराते हैं। उनकी कयाम गाहें भी कमेटी दुसरी या तीसरी ग्रेड कि तरह दूर होती है। और जब कम दाम पर नज़दीक के होटलों में हाजियों को रखते हैं, वह हज से तीन या चार दिन पहले और हज के तीन या चार दिन बाद तक आरज़ी तौर पर हाजियों को इतनी दुर के होटलों में रखते है कि टैक्सी या बस के ज़रियें हरम आना जाना पड़ता है। यह इसलिए के नज़दीक के होटलों में रिहाईश हज के अय्याम के दौरान बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और गैर मुल्कि अमिर हाजी उसे पहले ही से बुक किये रहतें हैं।

मिना में ख़ैमें मुअल्लिम की तरफ से होते हैं। कभी कभी मुअल्लिम और टूर का तालमेल न होने की वजह से टूर के हाजियों को मिना में ख़ैमा भी नहीं मिल पाता। बेचारे हाजियों को दुसरों के ख़ैमों में पाँच दिन गुज़ारने पड़ते है।

हाजियों के रहने का म्यार:-

हज कमेटी:

सऊदी हुकुमत के क़ानून के मुताबिक़ हाजी किसी भी ग्रेड कि रिहाईश वाला हो (याने रिहाईश पास में हो या दुर हो) हर एक को उपर लिखे गये म्यार के मुताबिक सारी सहुलते देना जरूरी है और हज कमेटी वाले अपनी पूरी कोशिश करते है की उस म्यार को पूरा करें और हकिकत में वह इस कोशिश में ६० फीसद से १०० फीसद कामयाब हो जाते हैं।

टूर:

टूर वालों के लिए हज का सफर एक कारोबार है और मुनाफा हासिल करने का एक ज़रिया है इस लिए टूर वाले हर जगह रूप्या बचाते हैं और सारी सहूलतें आप के पैसे के मुताबिक़ होती हैं। दरम्यानी और कम खर्च वाले टूरीस्ट बहुत सारे हाजियों को एक ही कमरे में ठहरातें है, वह भी कभी कभी बगैर पलंग के। अच्छे टूर वाले हर ग्रेड के हाजि को रिहाईश पर अच्छी सहूलत देते हैं आम टूर वाले सिर्फ लक्ज़री (Luxury)या (Delux) वगैरा ग्रेड के हाजियों को अच्छी सहूलतें मुहैय्या होती हैं।

खाना:-

हज कमेटी:

हज कमेटी हज कमेटी तकरीबन २६ हजार रूपये वापस देकर और कयाम गाह पर गैस और चुल्हा वगैरा देकर बरी उज़ ज़िम्मा हो जाती है। हाजियों को खरीदकर या खुद पकाकर खाना होता है। हाजी अपनी पसंद आसानी और बजेट के मुताबिक पकाकर या खरीदकर खाते हैं।

टूर:

टूर वाले कोई रूपया वापस नहीं करते, खाना टूर की तरफ से होता है, अगर बावर्ची आपके वतन का है और खाना भी अच्छा बनाता है तो खैरियत हैं वरना चालीस दिन मजबुरन जो कुछ मिले आपको खाना पडेगा। (मैं एक ऐसे टूर वाले को जानता हूँ जिसने सन् २००७ हिजरी में हाजी औरतों से भी खाना पकवाया था) कुछ अच्छे टूर वाले बहुत अच्छा खाना देते हैं।

मसलक का मसला:-

हज कमेटी:

हज कमेटी से जाने वाले लोग मुख्तलीफ इलाको के और मुख्तलीफ मसलकों

पर अमल करने वाले होते हैं, इसलिए रिहाईशगाह पर भी एक मसलक वालों की अक्सरियत नहीं होने पाती, मकान का खौफ और मुअल्लिम के आदमियों का डर भी होता है इसलिए सब अपने काम से काम रखते हैं और मसलकी बहस व मुबाहसों में नहीं उलझते हैं।

टूरः

टूर में अक्सर लोग ग्रुप बनाकर जाते हैं। टूर ऑपरेटर को भी रूपया और खिदमत का मौका देकर एहसान मंद बना चुके होते हैं। होटलों में मुअल्लिम या मकान मालिक का डर नहीं होता इसलिए लोग आपस में बहस और मुबाहिसा बहुत करते हैं। कुछ मसलक वाले हरम शरीफ के इमाम के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते, इन लोगों को हरम में जमात छूट जाने का डर तो होता नहीं इसलिए कमरे या रिहाइश के हॉल में बहुत वक्त गुज़ारते है, मजलिस करते हैं, तकरीर कराते है। जिसकी वजह से दुसरे मसलक वालों को ४० दिन गुज़ारना मुश्किल हो जाता है।

हवाई सफरः-

हज कमेटीः

हज कमेटी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं की हाजियों को ज़र्रा भर तकलीफ न हो, इसलीए हाजियों की सारी फ्लाइट हिन्दुस्तान से सीधे मक्का शरीफ या मदीना मुन्वरा के लिए होती है। हज कमेटी से जाने वाले हाजियों को हवाई सफर में जो भी तकालीफ होती हैं वह उनकि अपनी हटधरमी या नावाकफियत या फिर एअर पोर्ट के अमला और एअर इंडीया कि उनकि कारकर्दगी और सियासत की वजह से होती है। इसमें हज कमेटी का कोई कसूर नहीं होता।

टूरः

हज के दिनों में सऊदी अरब कि सारी डायरेक्ट फ्लाईट पहले से रिज़र्व (Reserve) होती है। इसलिए टूर वालों को अक्सर डायरेक्ट फ्लाईट में सीटें नहीं मिलती इसीलिए वह अरब के किसी शहर का पहले टिकट निकालते हैं फिर उसी शहर से सऊदी की टिकट निकालते हैं इसलिए अक्सर हाजियों को कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक अरब के किसी एअर पोर्ट पर रहना पड़ता है और अगली फ्लाईट का इंतज़ार करना पड़ता है। और यह एक बहुत तकलीफ दाह मरहला होता है। जाने और आने में कुछ बड़े टूर वाले जब चार्टर फ्लाइट बुक करते है तो यह मसला नहीं होता मगर छोटे टूर वालों के साथ परेशानी का मामला होता ही है। यह मामला हज पर जाने और हज से वापस आने दोनों बार होता है। और दोनों बार (जाते और आते वक्त) जहाज़ बदलते वक़्त अक्सर सामान भी छुट जाता है और कई महिनों बाद मिलता है।

धोका दहीः-

हज कमेटीः

हज कमेटी से अगर आप का नाम कुर्रा अंदाज़ी में आ गया तो आपका हज के सफर पर जाना यक़ीनी है।

टूरः

हज के दिनों मे हज के एक वीज़ा की काले बाज़ार में कीमत ८० हजार रूपएं से भी ज़्यादा होती है इसलिए ऐसे भी वाक्यात होते हैं की टूर वाले हाजियों से पहले पूरा पैसा ले लेते है फिर हज के कुछ दिनों पहले वह सारे पैसे यह कहकर लौटा देते है कि विज़ा का इन्तेजाम नहीं हो सका। दरअसल होता यह है कि अगर वह हाजी को हिन्दुस्तान से ले जाकर हज कराकर वापस लाते है तो एक हाजी पर तीस हजार से पचास हजार तक मुनाफा कमाते है, जब कि अगर वह विज़ा बेच दे तो बगैर मेहनत के हर विज़ा पर ८० हजार तक मुनाफा होता है। इसलीए धोकेबाज़ टूरीस्ट काले बाज़ार में विज़ा बेचकर हाजियों का पैसा आखरी दिनों में लौटा देते है।

शिकायत किससे और कहाँ करें?

हज कमेटीः

हिन्दुस्तान कि हुदूद के अन्दर हज से मुतालिक सारे इंन्तेजामात कि जिम्मेदारी, हज कमेटी ऑफ इंडिया, की है। मगर हिन्दुस्तान से बाहर हज से मुतालिक सारे इन्तेजामात हज कमेटी ऑफ इंडिया के बजाय "हिन्दुस्तानी हज मिशन" नामी इदारा करता है। यह इदारा हिन्दुस्तानी कॉन्सलेट की निगरानी में काम करता है। इसलिए अगर आप को हिन्दुस्तान के अंदर कोई शिकायत हो तो "हज कमेटी ऑफ इंडिया" में शिकायत करें। मगर हिन्दुस्तान के बाहर कोई शिकायत हो तो हिन्दुस्तानी हज मिशन के दफ्तर में शिकायत करें और वह भी हिन्दुस्तान लौटने से पहले करें। हिन्दुस्तानी हज मिशन और हिन्दुस्तानी सफारत खाना (कॉन्सलेट) के पत्ते और फोन नं. इस किताब के आखरी सफे पर दर्ज हैं। हज कमेटी का पता नीचे दिया है।

चीफ एक्ज़ीक्यूटीव ऑफिसर, हज कमेटी ऑफ इंडिया
हज हाऊस, ७-ए पलटन रोड, मुंबई ४०० ००१.

टूरः

टूरीजम एक बहुत बड़ा और अच्छा कारोबार है। उसमें टूर ऑपरेटर बहुत ईमान दारी के साथ ग्राहकों को बेहतरीन खिदमात देते है। मगर हाजियों के साथ ऐसा मामला नहीं होता है। इसलीए के अक्सर हाजी भोले भाले, नेक और शरीफ होते है। चुँकि जैसे वह खुद नेक होते है वैसे ही वह दुसरों को भी नेक समझते हैं इसलिए वह टूर ऑपरेटरो पर भी भरोसा करते है और इसी भरोसे का अक्सर टूर ऑपरेटर गलत फायदा उठाते हैं। (कुछ टूर वालों का म्यार बेहतरीन है और किसी को भी किसी मामले में शिकायत का मौका नही देते मगर अक्सर टूर वालों से हाजियों को शिकायत होती है।)

इन टूर वालों का हज टूर के अलावा अक्सर इंम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, (Foreign Exchange) बैरून मुमालिक में रोज़गार दिलाने वगैरा के कारोबार होते हैं। यह एक पावर फुल लॉबी है। या तो यह खुद भाई होते है या भाई के भाई होते है। इसलीए किसी शरीफ हाजी की इल्तिजा या एहतेजाज का इनपर कोई असर नहीं होता अगर किसी को इन से शिकायत हो तो कानूनी कारवाई करें और इस नीयत से करें कि इन्शा अल्लाह आईदा दुसरे हाजी उनकी शरारतों से महफूज़ रहेंगे।

टूर ऑपरेटरों का मुंन्दर्जाज़ेल दफ्तरों से किसी न किसी तरह का रिश्ता या राबता होता है। यह सारी जगहें आम हाजी कि पहुँच से बाला तर हैं। मगर अल्लाह से उम्मीद है कि आप की शिकायत पर किसी न किसी के कान पर जुं ज़रूर रेंगेगी।

ASSOCIATION OF ALL INDIA HAJ UMRAH TOUR ORGANISERS
Head Office: Post Box No.17377, 2nd Floor,
Halima Manzil, 4th Gavthan Lane,
Opp. P.O. Andheri (West), MUMBAI-400 058
Phone Nos: 26283011-26204886-26204887-26245572
Fax Nos: 022-2628 8453 & 022-2623 6040
E-mail: info@aihutoa.com, chairman@aihutoa.com
Website: www.aihutoa.com

बुनयादी तौर से यह टूर ऑपरेटर के मफ़ाद की हिफ़ाज़त के लिए बनायी गई एक असोसीएशन हैं। लेकिन हो सकता है हाजियों की मुसलसल शिकायतें पहुँचनें पर हाजियों के मफाद के बारें में भी संजीदा हो जाएं।

(बाकी पेज 76 पर)

सन् १८६८ ई. का एक समंदरी सफ़रे हज

नवाब सैयद सिद्दिक हसन खान (रह.) सन् १८३२ ई. में पैदा हुए। बचपन में अपने बड़े भाई के पास रहे। उलमा से इब्तेदाई दीनी तअ्लीम हासिल की। फिर चंद साल कानपुर और फरख आबाद में पढ़ते रहे। आखिर में मुफ्ती सदरूद्दिन खान साहब सदरूस्सुदुर देहली के पास हाज़िर हो कर तकमील ए इल्म की। हदीस में वह हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ (रह.) और सौकानी के शागिर्द हैं।

सन् १८६८ ई. में हज किया। इस सफर के मुख्तसर हालात उन्होंने 'इत्तहाफुल नब्ला' और 'ईजाहुल मुहज्जा' में लिखे हैं। फरमाते हैं:

बंदा ए शर्मिंदा १३ दिसम्बर सन् १८६८ ई. (सन् २७ शअ्बान १२८५ हिजरी) बाद नमाज़े ज़ोहर घर से बा इरादा ए फरीज़े ए हज बाहर निकला। २४ दिसम्बर (१८ रमज़ान) को नमाज़े अस्र से पहले बम्बई से फतेह सुल्तान नामी जहाज़ में सवार हुआ। जब जहाज़ का लंगर उठाया गया तो हवा अच्छी चल रही थी। इस लिए जहाज़ ने करीब ६० मरहले एक दिन में तय कर लिए। फिर हवा रूक गई। तीन दिन तक सर दर्द रहा और कै होती रही। चौथे दिन तबीअत कुछ संभली। इस जहाज़ में ३०० आदमी सवार थे। हम वुज़ू और गुस्ल समंदर के खारे पानी से करते और खाना पीना मीठे पानी से, जो हम ने जहाज़ में साथ रख लिए थे। १ जनवरी १८६९ को बाबे सिकंदर (बाब उल मन्दब) से गुज़र हुआ। १० जन्वरी को जहाज़ हदीदा में लंगर अंदाज़ हुआ। अभी हमारे हिसाब से २८ ही तारीख थी कि वहाँ रूयते हिलाल ठहर गई। चार व नाचार बंदरगाह के लोगों के साथ इत्तेफाक करना पड़ा। ईद गाह में करीब २००० लोगों के साथ नमाज़े ईद पढ़ी। बक्या कज़ा रोज़े रखे। और १० शव्वाल को वापस जहाज़ पर आना हुआ।

जहाज़ ६ दिन और बंदरगाह में लंगर अंदाज़ रहा और १७ शव्वाल को लंगर उठा। जब जहाज़ चला, राह में फिर हवा बंद हो गई। तीन दिन तक जहाज़ वहीं खड़ा रहा। जब हवा चली तो रात को अब्र व बाराँ भी आया। जिस से दिन को जहाज़ जितना सफर तै करता, रात को हवा की सिम्त मुखालिफ होने की वजह से फिर पलट आता। ऐसा कई दिन तक होता रहा। कुछ न पूछो क्या हाल हुआ? न पानी बाकी रहा न खाना। सिर्फ एक वक़्त आधा पाव खिचड़ी और दो घूंट पानी बा मुश्किल मिलते थे। दम घुट कर नाक में आ गया। "हिस्ने हसीन" का खतम किया। हवा चली और जहाज़ रवाना हुआ। एक अंधेरी रात में जहाज़ किसी पहाड़ से टकराते टकराते बचा। वह तुफानी रात शबे हिज्र से ज्यादा सियाह, सख्त व दराज़ थी। सनीचर के दिन जहाज़ में ज़िल्कअ्दा का चांद दिखाई दिया। चार ज़िल्कअ्दा को 'यलम लम' पहाड़ी (मीकात) का सामना हुआ। बाद नमाज़े फज्र नहा धो कर उम्रह का एहराम बांधा। हज्जे तमत्तअ् की नीयत की। अल्लाह अल्लाह करके जहाज़ २१ फरवरी (९ ज़ी-कअ्दा) को जिद्दाह बंदरगाह पर लंगर अंदाज़ हुआ। जान में जान आई। हदीदा से जिद्दाह का सात दिन का बहरी रास्ता तकरीबन एक माह में तै हुआ। जिद्दाह में तीन दिन कयाम रहा। १४ ज़ी-कअ्दा को महसूल जमरक (जंग) दे कर आगे बढ़े। आधी रात को अपने एक साथी सैयद अबू बक्र के साथ बाबुस्सलाम से मस्जिद उल हराम में दाखिल हुए।

खाना ए काबा पर निगाह पड़ते ही सारी तकलीफे राह व मसाईबे सफर व मताइबे बहर व बर भूल गए। आमाले उम्रह तरतीब वार अदा किए। भीड़ न होने की वजह से हज्रे अस्वद का बोसा हर चक्कर में बा खूबी मयस्सर आया। सई के बाद शब हरम में ही बसर की। सुबह अव्वल वक्त में मुसल्ला ए शाफई पर फज्र की नमाज़ पढ़कर मंज़िल पर आना हुआ। २९ ज़िल्कअ्दा (१३ मार्च) को काज़ी के सामने चांद देखने की शहादत गुज़री। मगर मैं ने या किसी मुसाफिर ने चांद नहीं देखा।

८ ज़िलहिज्जा को हज का एहराम बांध कर मिना पैदल गए, फिर वहाँ से सवारी के ज़रिए गए। अरफात में कब्ले वकूफ सारी "हज़फुल आज़म" पढ़ी। बाद मगरिब मुज्दल्फा की तरफ कूच किया। अरफात व मिना में बा औकाते फुरसत किताबत भी की। १३ ज़िलहिज्जा को मिना से मक्का आना हुआ। १५ सफर १२८६ हिजरी सन (२७ मई १८६९ ई. सन) को काफिला मदीना की तरफ चला। खिलाफे आदत २० दिन में पहुँचा। एक हफ्ता कयाम हुआ। मस्जिदे नबवी मआ मरकद व मुतहहर व दीगर मज़ारात ए बकी व शोहदा ए उहद वगैरा मयस्सर आया। वापसी में खास मदीना से उम्रह का एहराम बांधा। १२ दिन में काफिला मक्का पहुँचा। उस वक़्त भी निस्फ शब थी। मुताफ व सई को खाली पाया और इस को गनीमते बारदा समझा। मुहल्लाह हिंदी में कयाम था। हरम में आने जाने के लिए बाबुज़्ज़ियारा था।

मक्का मदीना में कुल कयाम तकरीबन चार माह का रहा। वापसी में फैज़ुल बारी नामी जहाज़ मिला। इस में नौ सो आदमी सवार थे। इस का लंगर भी हदीदा में तीन दिन रहा। इस बंदरगाह का मुअब्बिर निहायत बदतर है। वहाँ से चल कर अदन तक ऐसी गर्मी हुई के सारे बदन पर दाने हुए। अदन से आगे बारिश का मौसम मिला। करीब ए बम्बई तुफान ने जहाज़ को तह व बाला करना शरू कर दिया। तुफानी मौजों ने मुसाफिरों के औसान खता कर दिए। २२ दिन में जिद्दाह से बम्बई पहुंचा। बारिश की वजह से बड़ी मुश्किल से जून के दूसरे हफ्ते में भोपाल पहुँचना हुआ। सारी मुद्दत इस सफर की सात माह है।

(बा शुक्रिया : माहनामा हज मैगज़ीन, मुंबई)

यह था अपने ज़माने के एक नवाब का हज का सफर। पहले ज़माने में नवाबों को भी हज के सफर में जो तकलीफ होती थी, इस नए ज़माने में क्या इस का एक फीसद भी किसी को तकलीफ होती है? इस लिए इस मज़मून को कई बार पढ़ कर ज़हन नशीन कर लीजिए। फिर आप के अपने सफर में आप को अगर कोई तकलीफ हुई, तो आप शिकायत के बजाए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे।

अल्लाह तआला आप का सफरे हज आसान और खैर व आफियत वाला बनाए और आप को हज्जे मबरूर अता करे। आमीन

आखरी लफ्ज़

- इस किताब का मकसद आपको हज के सफर में पेश आने वाली मुश्किलात से आगाह करना है जो अल्हमदु लिल्लाह पूरा हूआ।
- आखिर मैं अपना एक और मुशाहिदा आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि अल्लाह तआला के करम और फज़्ल से ही हज की तौफिक होती है और अल्लाह तआला ही अपने करम और फज़्ल से सारे अरकान पूरे कराता है।
- हम अपनी तरफ से हज की पूरी तैयारी करें मगर हज के सारे अरकान पूरे होने और हज मकबुल होने के लिए अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें और उसी से हर नमाज़ में हजे मबरूर के लिए दुआ करें।
- दुनिया के लाखों दौलतमंद बगैर हज किए इंन्तेकाल कर गऐं क्योंकि उनको हज की तौफिक न मिली और हर साल लाखो बुढे और मअज़ुर लोग हज के सारे अरकान पूरे करके फरीज़े हज बखुबी अदा करते हैं। यह अल्लाह तआला का करम है इसलिए हज की पूरी तैयारी जरूर करें मगर भरोसा सिर्फ उसकी ज़ात पर रखें और उसी से दुआ मांगे।
- हज अज़ीम तरीन इबादत है जिसे करने के बाद अल्लाह तआला बंदे के न सिर्फ सारे गुनाह माफ कर देता है बल्कि उसकी दुआएं भी कबूल करता है इसलिए अपनी दुआओं में अपने साथ अपने अहल व अयाल, अपने खानदान और उम्मतें मुस्लिम्मा को मत भुलिएं। अगर इस गुनाहगार कमरूद्दीन खान को भी याद रखेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
- मैंने अब तक हज और उम्रह के अरकान के बारे में जो किताबे पढ़ी उनमें "हज और उम्रह फलाही के हमरा" किताब सबसे ज़्यादा मुफिद और आसान मालुम हुई। हज से पहले आप भी इस किताब को एक बार जरूर पढ़िएं। (इस किताब और बिगर किताबों की तफसिलात सफा नं २ पर दी गई है।)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

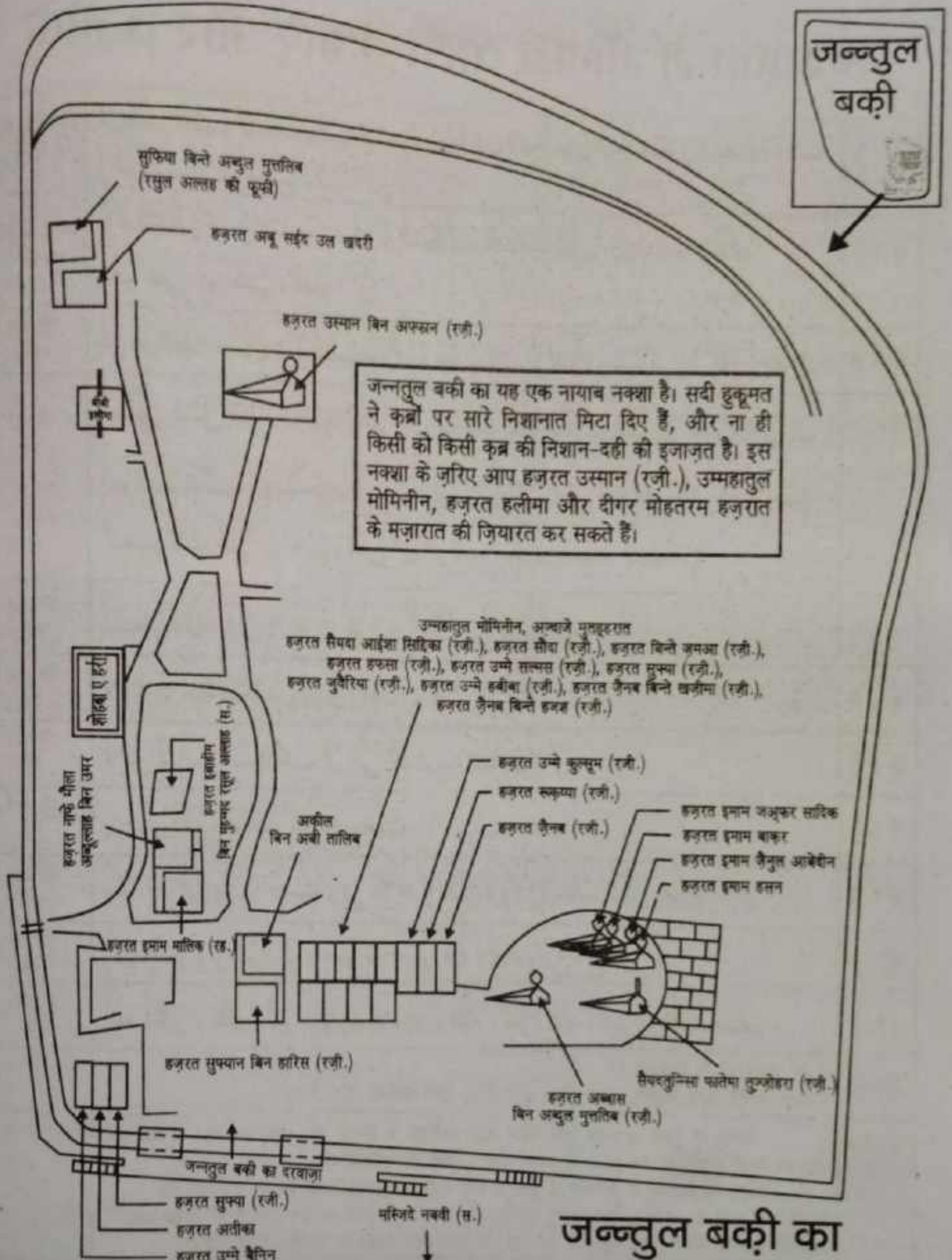

जन्नतुल बक़ी का एक नायाब नक्शा

अरफ़ात में माँगने वाली दुआऐं और वज़ीफ़े

﴾१﴿	لَبَّيْکَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْکَ لَبَّيْکَ لَا شَرِيْکَ لَکَ لَبَّيْکَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ، لَا شَرِيْکَ لَکَ	ज़्याद से ज़्यादा पढ़ें
﴾२﴿	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْکَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِیْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ ط. وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ، ٥ ط	ज़्याद से ज़्यादा पढ़ें
﴾३﴿	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَکُنْ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ۝	सौ बार पढ़ें
﴾४﴿	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّکَ حَمِيْدٌ، مَّجِيْدٌ، ٥ ط اَللّٰهُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّکَ حَمِيْدٌ، مَّجِيْدٌ، ٥ ط	सौ बार पढ़ें
﴾५﴿	اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.	सौ बार पढ़ें
﴾६﴿	لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ.	सौ बार पढ़ें
﴾७﴿	لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَکَ ق صلے اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ط	सौ बार पढ़ें
﴾८﴿	يَا حَیُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِکَ اَسْتَغِيْثُ.	सौ बार पढ़ें
﴾९﴿	رَبَّنَآ آتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرة ۲۰۱)	सौ बार पढ़ें
﴾१०﴿	رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝ (المومنون ۱۱۸)	सौ बार पढ़ें
﴾११﴿	اَللّٰهُ اَکْبَرُ ، اَللّٰهُ اَکْبَرُ ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَکْبَرُ، اللّٰهُ اَکْبَرُ ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.	सौ बार पढ़ें
﴾१२﴿	इन सूरतों की भी तिलावत करें: सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुल्क, सूरह तौबा, सूरह वाकेआ, सूरह फतेह	
﴾१३﴿	ज़वाल से गुरूबे आफताब तक नमाज़ और तस्बीहात में मश्गूल रहें। खास कर अस्र के बाद खुले आस्मान के नीचे खड़े हो कर ज़्यादा से ज़्यादा दुआऐं मांगने की कोशिश करें। हज की किताबों में अरफात के दिन के लिए बहुत सी दुआऐं लिखी हुई है। उन्हें हज की तअ्लीम के वक्त ही पढ़ कर ज़ेहन नशीन करलें। और अरफात के दिन इन इन दुआओं को समझ कर आजिज़ी के साथ और रो कर खुदा से मांगें। जो भी दुआ आप समझ कर मांगेंगे, असर रखेगी।	

नोटः ऊपर जो कुछ वज़ीफे और इबादात का तरीका बयान किया है वह सिर्फ बेहतर तरीका है, वाजिब या फर्ज़ नहीं।

आज़मीने हज के लिए ज़रूरी मालूमात

कमेटी ऑफ इंडिया के मैंबरों के नाम, पते और फोन नंबर

नाम और ओहदा	पता	फोन नम्बर	मोबाईल
जनाब हसन अहमद (M.L.A.) कार गुज़ार चेअरमन, हज कमेटी ऑफ इंडिया	१८७, ज़ाकिर बाग, ४ था मंज़िला, सुर्मा हॉटल के सामने, न्यु फ्रैन्ड्स कॉलनी, न्यु दिल्ली	011.26928478	09610877887 09447630236
प्रोफेसर अली कुट्टी मुसिलयार वाइस चेअर पर्सन, हज कमेटी ऑफ इंडिया	(ऑफिस) काज़ी मंज़िला, पोस्ट कुकुट, पिन नं. ६७६ ०३५ डिस्ट्रिक्ट मल्लीपुरम (केरला) (रिहाईश) पोस्ट पत्तीकुड डिस्ट्रिक्ट मल्लीपुरम (केरला)	04933.235917 (रिहाईश) 04933239245 (फैक्स) 04933.237083 04933.239320 04933.239322	

हिन्दुस्तानी सफारत खाना "रियाद", और हिन्दुस्तानी कौन्सलेट जनरल "जिद्दा" और हिन्दुस्तानी हज ऑफिस "मक्का मुकर्रमा" और मदीना मुनव्वरा के दफ्तरों के पते, अफसरों के नाम और टेलिफोन नंबर, आज़मीने हज की सहूलत के लिए नीचे दिए गए हैं।

नाम व ओहदा	पता	फोन नंबर	फैक्स नंबर
हिन्दुस्तानी सफारत खाना, रियाद	बी-१-डिप्लोमेटिक कोर्टर, पोस्ट बॉक्स नं. ७६४३८, रियाद, ११६९३	02.488.4144 02.488.4691	02.488.4750
जनाब एम.ओ.एच फारूक (सफीरे हिंद बराए सऊदी अरबिया)	-//-	02.488.4098	02.488.4750
हिन्दुस्तानी कौन्सलेट जनरल, जिद्दा	इमारत, बगशान और ब्रदर्स, अल्मेरा कार्पेट के करीब, मदीना रोड, शर्फिया डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट बॉक्स नं. ९५२, जिद्दा-२१४२१	02.652.0104 02.652.0112 02.651.7581 (PBX)	02.653.3964
जनाब सईद अहमद बाबा (कौन्सिल जनरल)	-//-	02.652.0072	02.653.3964
जनाब बी-एस-मुबारक (कौन्सिल जनरल)	-//-	02.652.0084	02.652.0084
जनाब सुब्रमन्यम दक्षिणा मुर्ती वाइस कौन्सिल (ज.)	-//-	02.651.0514	02.651.0514
हज सेक्शन	-//-	02.653.3032	02.653.3032

मक्का मुकर्रमा/हरम शरीफ के पुलिस स्टेशन के फोन नंबर

हरम शरीफ	हरम शरीफ, मक्का मुकर्रमा	02.574.6005	02.574.9602
हरम शरीफ पुलिस स्टेशन	हरम शरीफ, मक्का मुकर्रमा	02.575.0206	
हरम शरीफ के करीब पुलिस स्टेशन	अज्याद, मक्का मुकर्रमा	02.534.1155	

हिन्दुस्तानी हज मिशन और शिफा खाना मक्का मुकर्रमा

हिन्दुस्तानी हज मिशन और शिफा खाना, मक्का मुकर्रमा	पोस्ट बॉक्स नं ५७८७, दफ्तर मिस्र अल तेहरान के पास, जरोल कसला, मक्का मुकर्रमा।	02.560.3570 02.542.7303 02.560.4270 02.560.3780	02.560.3380
जनाब सी. एम. मोहम्मद हारिस, इन्चार्ज हज मिशन मक्का मुकर्रमा	-//-	02.560.3570	02.560.3380
जनाब इरफानु रहमान नायब वेल्फअर असिस्टन्ट	-//-	02.560.3690	02.560.3690
मेडीकल ऑफिसर, इन्चार्ज इंडियन मेडीकल मिशन, मक्का मुकर्रमा		02.560.3690	02.560.3690

हिन्दुस्तानी हज ऑफिस और शिफा खाना, मदीना मुनव्वरा

नायब हज ऑफिसर, इन्चार्ज हिन्दुस्तानी हज ऑफिस, मदीना मुनव्वरा	नेशनल कंपनी के पीछे अलकुद्स हॉटल के पास, मतीन रोड, मदीना मुनव्वरा	04.838.0025 04.834.4715	04.838.7549
मेडीकल ऑफिसर, इन्चार्ज हिन्दुस्तानी शिफा खाना, मदीना मुनव्वरा	-//-		

आरज़ी हिन्दुस्तानी दफ्तर, हज टर्मिनल, जिद्दा

नायब हज आफिसर	किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एअरपोर्ट, हज टर्मिनल, जिद्दा	02.696.8157 02.696.8156	02.696.8158
मेडीकल ऑफिसर, इन्चार्ज	-//-		

मिनिस्ट्री ऑफ हज शिशा मक्का मुकर्रमा

मिनिस्टरी ऑफ हज	शीशा, मक्का मुकर्रमा	02.558.7600 02.557.2022	02.557.2933
डायरेक्टर जनरल, मिनिस्टरी ऑफ हज	किंग अब्दुल अज़ीज़, एअरपोर्ट, हज टर्मीनल, जिद्दा	02.685.8271	02.685.8272
जनाब फारूख अबू सैद, चेअरमैन मकतबुल वुक्ला अलमुहिद	सऊदी बिझनेस सैंटर, ४ थी मंज़ीला मदीना रोड, शरारीया डिस्ट्रिक्ट, जिद्दा	02.652.6370 02.652.6362 02.652.6376	02.652.6420 02.685.8344 02.532.2222
मकतबुल वकला अलमुहीद जुनूब एशियाई मोसीसा, मक्का मुकर्रमा	हज टर्मिनल जिद्दा, समिफया, पो.बॉक्स नं. ३०९, मक्का मुकर्रमा	02.85.8344 02.534.4444	02.534.4444 (Ext.) 317
ज़की हुरैरी, इन्चार्ज हिन्दुस्तानी हुज्जाज		02.534.4444 (Ext.) 316	
नकाबाते सयारात (जनरल कार सिंडीकेट)	नज़हाई सलामा मक्का मुकर्रमा	02.545.5454 02.5435035	02.543.3819
सेक्रेटरी टु चेअरमन		02.543.5035 (Ext.11)	02.543.1435 (Ext.18)
अब्दुल्ला यमानी वाइस चेअरमन		0555506527	02.543.3819

मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ के करीबी अस्पतालों के पते

अजयाद अस्पताल	अजयाद	02.573.0070	02.574.3116
किंग अब्दुल अज़ीज़ अस्पताल	अल्ज़ाहीर	02.544.2400	02.542.4449 02.544.0024
किंग फैसल अस्पताल	शीशा	02.556.6411	02.557.4350
अल नूर अस्पताल	अज़ीज़ीया, जुनूबिया	02.566.5000	02.565.6842
हिरा जनरल अस्पताल	मस्जिदे आईशा (तनईम)	02.520.1604 02.520.3535	02.520.0333
मिनीस्टरी ऑफ हेल्थ	मुहल्ला ज़हीर जवाज़ात के सामने	02.545.7774	02.542.2696

मदीना मुनव्वरा में हेल्थ ऑफिसर 04-837-0600

डायरेक्टर ऑफ हेल्थ	डॉ.अब्दुल कादीर ए अल तैय्यब (मतार रोड, मदीना मुनव्वरा)	04.837.0600	04.845.5094
डायरेक्टर ऑफ हज मिशन	जनाब अब्दुल अज़ीज़ जाद		

मदीना मुनव्वरा में अस्पतालों के फोन नंबर

किंग फहद अस्पताल		04.846.1500 04.846.0900 04.846.0145	02.846.1160
ज़च्चा बच्चा अस्पताल		04.836.1000	
अहद अस्पताल		04.830.0016	
सीने का अस्पताल		04.826.6639	
अल मिकात अस्पताल		06.840.1631	

मक्का मुकर्रमा में होटल/सऊदी अरबीयन एअरलाइन

अजयाद मक्का होटल	अजयाद	02.572.0500	02.574.6061
हिल्टन होटल	हरम शरीफ के पास	02.537.3800	02.537.6500
नज्मा वफा	मिसफला	02.574.8922	02.554.6343
सऊदी अरेबीयन एअरलाइन्स	हरम शरीफ के पास	02.537.7044	02.537.8434

कुर्बानी और हज के मसाइल पूछने के लिए मदरसे सौलतीया से राब्ता कायम करें।

फोन नं. 02-542-5105

पेज ६२ का बकिया....मदिना मुनव्वरा का सफर

मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी (स.) दोनों जगह मुझसे कुछ गलतियाँ हुई और मुझे फौरन सज़ा का एहसास हुआ। इससे मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि इन दोनों मस्जिदों में हमें अपनी आसानी और आराम से ज्यादा दुसरें नमाज़ियों की आसानी और आराम का ख्याल रखना ज़रूरी है। क्योंकि वह अल्लाह और उसके रसूल (स.) के मेहमान हैं और अगर हमने ऐसा नहीं किया, तो हम इस गुमान में रहेंगें कि उस मुकद्दस मुकाम पर हम खूब सवाब कमा रहें हैं, जबकि हकीकत में हम पर लानत बरस रही होगी।

- नबी करीम (स.) के रोज़े मुबारक पर जब हाज़िरी दे, तो इंन्तिहाई अदब से हाज़िरी दें। किसी तरह की बातचित से परहेज़ करें और दुसरों का ख्याल अपने आप से ज्यादा रखें। क्योंकि वह सारें हाजी नबी करीम (स.) के मेहमान हैं।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

अरफात की दुआऐं और वज़ीफें

नबी करीम (स.) से रिवायत है, कि आप(स.) ने फरमाया:

"दुआओं में सबसे बेहतर दिन अरफा की दुवा है और मैंने और मुझसे पहले अंबीयाने इस रोज जो अफज़ल तरीन कलमात कहें वह यह है"

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

तर्जुमा: कोई माबुद बरहक नही सिवाय अल्लाह तआला के, वह तनहा है, उसका कोई शरीक नही, उसीके लिए सारी बादशाही है, उसी के लिए सारी हम्द है, वह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है।

- एक सही हदीस में है कि, नबी (स.) ने फरमाया:

अल्लाह के यहाँ महबुब तरीन कलमात चार हैं:

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

- आप (स.) ने फरमाया:

दो कलमात ऐसे हैं जो ज़बान पर बहुत हल्के हैं, मिज़ाने आमाल में बहुत भारी हैं और रहेमान को बहुत महबूब हैं।

سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم

- हज़रत साद बिन अबी वकास (रज़ी.) से रिवायत हैं कि हम रसुल (स.) की ख़िदमत में हाज़िर थें कि आप (स.) ने फरमाया:

"क्या तुम में से हर एक शख़्स इस बात से आजिज़ हैं की वह हर रोज़ एक हज़ार नेकिंया कमाएं?"

हाज़रीन मज़लिस में से एक सहाबी (रज़ी.) ने अर्ज़ किया: "या रसुल अल्लाह(स.)! हम में से हर एक शख़्स एक हज़ार नेकियां कैसे कमा सकता है?"

आप (स.) ने फरमाया: १०० बार सुब्हान-अल्लाह कहें तो उस के लिए एक हजार नेकियां लिख दी जाएगी और एक हज़ार गुनाह उससे माफ कर दिए जाएंगे।

पेज 71 से आगे...हज का सफर किस के ज़रिए करें?

Ministry of External Affaires (MEA) Govt. of India
Administrative officer/Under Secretary (Haj cell)
Akbar Bhavan, New Delhi.
E-mail: sohaj@mea.gov.in
Website: http//meaindia.nic.in

यह हिन्दुस्तानी हुकूमत का एक दफ्तर है। जहाँ सारें टूर ऑपरेटरज़ को अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है।

Moassasa Mutawaffy hujjaj (South Asia countries)
Second ring road, AlRusaifa Makka Al Mukarammah
(Kingdom of Saudi Arabia) Tel: 5342144
Fax No. 009662-2-5342182

यह सऊदी हुकूमत का दफ्तर है जो जुनुबी एशिया से हज और हाजियों से जुड़े मामलात पर नज़र रखता है। इनकि नज़र टूर ऑपरेटरों पर भी होती है।

आपकी शिकायत का आख़री पत्ता पुलिस चौकी है। मगर वहाँ कदम रखने से पहले ज़रा अपनी आप का जायज़ा ले लें। क्योंकि यहाँ के कानुन कुछ कुछ जंगल से मिलते जुलते हैं। वहाँ जीत उसी की होगी जिसमें देर तक और दूर तक आने कि ताकत होगी।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

हज पर जाने वालों की खिदमत में

अज़: मुहम्मद मसऊद अज़ीज़ी नदवी

हज इस्लाम का चौथा रूक्न है, हज उस शख़्स पर फ़र्ज़ है जो बैतुल्लाह तक पहुँचने की इस्तताअत रखता हो, यानी जिसके पास मक्का मुकर्रमा तक पहुँचने और वापस लौटने तक का खर्च हो और उसकी वापसी तक उसके अहल व अयाल की ज़रूरियात को काफी हो, इस पर ज़रूरी है, कि वह अय्यामें हज में हज के लिए हिजाज़े मुकद्दस का सफर करें। अल्लाह तआला ने जिस को वुसअत और तौफीक दी है, और वह उस अहम रूक्न की अदाएगी का कस्द करके मक्का मुकर्रमा जाता है और बैतुल्ला का हज और उसकी ज़ियारत से मुशरफ होता है, वह हाजी कहलाता है और वह ऐसे ही गुनाहों से पाक व साफ होकर लौटता है जैसा कि आज ही उसकी माँ ने इस मासूम को जनम दिया है।

गाँव,देहात में बल्कि शहरों में भी बाज़ हज पर जाने वाले अपने सफर से कब्ल ज़ोरदार दावतों का प्रोग्राम करते हैं। तमाम रिश्तेदारों को अहले तअल्लुक को, दोस्तों को, चौधरियों को, पहल न्यौते के लिए जाते हैं, फिर बड़ी धूमधाम के साथ दावत होती है। जिस में खूब फुजूल ख़र्ची की जाती है और शौहरत के हुसूल या नाम व नमुद और दिखावे के लिए बहुत से ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं। बाज़ लोग हज से लौटने के बाद यह तमाम खुराफात करते हैं, जो सही नहीं है क्योंकि जब मुसलमान ज़कात देता है, रोज़ा रखता है, नमाज़ पढ़ता है, तो इस तरह की कोई खुराफात नहीं करता। फिर यह क्या गज़ब है कि हज जैसी इबादत की अदाइगी के लिए पूरे जश्न मनाए जाते है, मस्जिद के लाउड स्पीकर से बार-बार ऐलान होता है और खाने की पुरतकल्लुफ दावतें होती है। एक हुजूम का मंज़र होता है जैसा कि शादीयों में पुरतकल्लुफ प्रोग्राम होते है। अगर कोई हाजी हज के लिए जाएं और दावत न करें, लोगों को न बतलाएं तो इसपर जुमले कसे जाते है, इसपर ऐअतराज़ात किए जाते है और उसके इस अमल को मज़मुम करार दिया जाता है। जब कि यही अमल अल्लाह के यहाँ मकबुल है अगर हाजी ने दुनिया की सारी रसूम अदा की, रिश्तेदारों को अहले तअलुक को खुश किया और जिसके लिए इतना लंम्बा सफर किया जा रहा है वह खुश न हुआ, हज कबुल न हुआ, तो लोगों का खुश करना कुछ काम न आएगा। अल्लाह तआला सबको सही समझने की तौफिक अता फरमाएं और अपनी दौलत व माल को अल्लाह के रास्ते में गुरबा व मसाकीन या मसाजिद या मदारिस या किसी भी दीनी काम में ख़र्च करने की तौफीक अता फरमाएं।

हज के सफर से पहले और दौराने सफर भी रूजु इलल्लाह की कैफियत और अपनी आजीज़ी व इन्किसारी का एहसास होना चाहिए। गुनाहों से माफी और इस्तगफ़ार का अमल जारी रहना चाहिए और अल्लाह तआला का इसपर शुक्र अदा करना चाहिए की उसने अपने फ़ज़्ल से आप को अपने दरबार में बुलाया है और इस आदत का मौका अता फरमाया। यह आपकी खुशबख़्ती और सितारा इक्बाल की बुलंदी, फसले रब्बानी और इनामें खुदा बंदी है, वरना कितने अल्लाह के नेक बंदे और अहले दिल बुजूर्ग सारी उम्र हज की तमन्ना करते रहे और उसका गीत गाते दुनिया से चले गएं, लेकिन यह सआदत व दौलत उनका मुकद्दर न बन सकें लाखों मुसलमान अब भी इसके लिए तड़पते हैं। इसलिए आपको इसकि कदर दानी करनी चाहिए, क्योंकि यह आपकी कदरदानी, बुलंद होसलगी और आली हिम्मती का इम्तिहान है। बकौल हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हुस्नी नदवी (रह.) के "यह इश्क की पूलसिरात है। बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़, या तेज़ गामी भी ज़रूरी है और सबक रवी भी। आप ने जब इस रास्ते पर कदम रखा है तो हौसला बुलंद कीजिए। दिल की प्यास बढ़ाइयें और शौक की आग भड़काइयें कि यह "दौलते बेदार" हर एक को नहीं मिलती और हर रोज़ नहीं मिलती और हर लम्हे को गनीमत समझिएं कि शायद यह आखरी मौका हो, फराइज़ कि पाबंदी, नवाफिल का एहतिमाम, खिदमत व इसार की कोशिश, अहले हरम का ऐहतराम, जिराने रसूल (स.) की मुहब्बत व खिदमत, लायानी से एहतिराज़, दिली आज़ादी व इज़ा रसानी से कतई परहेज़, शिकस्ता दिलों की दिलजुई व गमख्वारी, कमज़ोरों, माज़ुरों और फुकरा की खिदमत गुज़ारी, ज़िक्र व इस्तिगफ़ार की कसरत यह सब हज की मकबुलीयत व कीमत बढ़ाने वाले अमाल है।" मीकात से पहले या मीकात पर एहराम बाँध लें, और फिर एहराम की हालत में कोई ऐसा अमल सादिर न होना चाहिए जो हज के मनाफी हो, बहुत सारे हाजियों को जोश व गुस्सा ज़्यादा होता है, बात बात पर झगड़ते हैं, खाने पीने के मामलात में लड़ते है, जिसके टूर में जाते हैं, उससे झगडते हैं, यह सब आदाब हज के खिलाफ और मुकामे मुकद्दस के ऐहतराम के मनाफी है, इस तरह की खुराफ़ात और लड़ाई झगड़ो से बचना चाहिए, अगर कोई गलती वाक्ये हो जाएं तो फौरन उसका दम या हरजाना अदा करना चाहिए, हज के सफर से पहले जहाँ बहुत सारी तय्यारीया शुरू हो जाती है, हज और मनासीक हज से मुत्तलिक भी कोई किताब खरीदकर पढ़नी चाहिए और इसका बार बार मुताअला करना चाहिए "मुअलीमुल हुज्जाज" या कोई दूसरी किताब साथ में रखनी चाहिए, बल्कि जो हज के तरतीबी कैंम्प लगाए जाते हैं उनसे भी इस्तिफादा करना चाहिए और मसाइल को सीखने की कोशिश करना चाहिए, बल्कि कोशिश यह करनी चाहिए कि किसी आलिम का साथ अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हैं, हज की तैयारी क्या है?कुवत यकिन, अल्लाह व रसूल की इताअत और वादों पर कामिल व बेतकल्लूफ ऐतिमाद की आदत, ज़ोख व शौक व हलावते इमानी, किसी कदर सोज़ व गुदाज़, दुआ की कुव्वत व आदत, ज़प्त व इसार कि मश्क, यह हज का सही तौशा और ज़ादेराह हैं, कदम कदम पर उसकी कमी का एहसास होगा और उसकी तलाफि किसी मादी ज़रिए से न हो सकेगी, इसलिए हज के दौरान एहराम की हालत में, तवाफ व सई, कयामे मिना, वकुफे अरफात, रमी जुमरात, दुआ व मुल्तज़िम में बहुत ही मुतवज्जा इलल्लाह होना चाहिए और कबुलियते हज की दुआ करते रहना चाहिए।

ज़िल्हिज्जा की आठवी तारीख़ से हज के आमाल शुरू होते है, इसलिए आठवी तारीख को मिना में जाकर ठहरें और पांच नमाज़े वहाँ पर अदा करें, बहुत से दूर वाले और मुअल्लिम हज़रात नौवी तारीख की सुबह सादिक से पहले ही लोगों को मिना से अरफात भेजना शुरू कर देते है, यह खिलाफे सुन्नत है, नौवी तारीख़ की सुबह को मैदाने अरफात के लिए चलना चाहिए, अरफात के मैदान में ज़ोहर, अस्र इकट्ठी पढ़ी जाती है, वह दुआ के कबुल होने का मुकाम है, वहाँ पर बहुत ऐहतिमाम और दिली कैफियात के साथ दुआओं में मशगुल होना चाहिए, अरफात में वकूफ ज़रूरी है, फिर जब गुरूबे आफताब के बाद मुज्दल्फा के लिए चलते हैं तो रात में जिस वक़्त भी मुज्दल्फा पहुँचे, वहाँ पहुँचकर मग्रिब और ईशा की नमाज़ अदा करनी चाहिए, बाज़ पैदल चलने वाले लोग थक जाने की वजह से या मसला मालूम न होने की वजह से मुज्दल्फा से पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, या मुज्दल्फा से पहले ही पड़ाव डाल देते है और आराम करने लगते है, जबकि उनको नमाज़ मुज्दल्फा में पहुँचकर अदा करनी चाहिए और फज्र की नमाज़ पढ़कर सुरज निकलने से पहले मुज्दल्फा से मिना के लिए रवाना होना चाहिए, फिर रमी जुम्रात (यानि शैतान पर) कंकरी मारने के लिए जाना चाहिए और मसनुन तरीके से कंकरी मारकर

वापस आना चाहिए, दसवी तारीख को सिर्फ आखरी जुम्रे की रमी होगी और पहले और दरम्यानी की रमी नहीं होगी और उसका वक्त दसवी तारीख की सुबह सादिक से ग्यारवी की सुबह सादिक तक है, रमी के बाद शुकिया हज की कुर्बानी करें, यह कुर्बानी मुफरिंद के लिए मुस्तहब है और कारण व मुतमत्तों के लिए वाजिब है, मुफरिंद ने अगर कुर्बानी से पहले हजामत बनवायी और इसके बाद कुर्बानी की तो इसपर दम वगैरा वाजिब नहीं, अलबत्ता रमी ज़बाह से पहले और जबाह हजामत से पहले करना मुस्तहब है और कारिन के लिए और कारिन व मुतमत्तों पर ज़बाह हजामत से पहले वाजिब है, इसमें लोगो से अक्सर कोताही होती है इसलिए कुर्बानी व हजामत यानि बाल मुंडवाने के मसले को अच्छी तरह मालुम करके ज़हन नशीन कर लेना चाहिए; क्योंकि बगैर बाल मुंडवाए एहराम से बाहर नहीं आ सकते, औरत के लिए सिर्फ सारे बालों से एक उम्र कटवाना काफी है इससे फरागत के बाद तवाफे ज़ियारत करें, यह तवाफ रूक्न और फर्ज़ है इसको दसवी तारीख को करना अफज़ल है और बारावी के अफ्ताब गुरूब होने तक जायज़ है, दसवी को तवाफे ज़ियारत करके मक्का से मिना आ जाएं, रात को मिना में रहना मसनून है, ग्यारवी तारीख को ज़वाल के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर तीनों जम्रात पर सात-सात कंकरिया मारें, फिर बारवी को ज़वाल के बाद इसी तरह रमी जम्रात करें, बारवी तारीख को ज़वाल के बाद रमी करके मिना से मक्का मुकर्रमा चला आना बिला कराहीयत जायज़ है, लेकिन अफज़ल यह है की तेरावी को रमी के बाद आएं, तेरवी को भी ज़वाल के बाद रमी का वक्त है, इस तरह हज पूरा हो जाता है, हज के बाद जब तक भी मक्का मुअज़्ज़मा में कयाम रहे, गनीमत और सआदत समझो और हरम शरीफ में नमाजों और नफिल तवाफ को अल्लाह की तरफ से ईनाम समझो, अपने वालीदेन, अज़ीज़ व अकारिब असातिज़ा व मशायख अहेले तअल्लूक को नफिल तवाफ करके सवाब पहूँचाते रहो, फिर मक्का मुकर्रमा से जब रूखसती का वक्त आए तो रूखसती का तवाफ करो, जिसका नाम तवाफे सद्र और तवाफे विदा है, तेरावी ज़िल्हिज्जा के बाद अपनी तरफ से, वालीदेन व अकारिब की तरफ से और जिसकी तरफ से चाहो उम्रह करो, उम्रह का भी बहुत सवाब है, हरम में कुरआन शरीफ की तिलावत करो, हरम में एक कुरआन खत्म करना भी मुस्तहब है, अहेले मक्का की ताजिम करो, जहाँ तक हो सकें उनके साथ हुस्ने सलूक करो।

हज से फरागत के बाद रोज़ाएं अक्दस पर हाज़री के लिए मदिना मुनव्वरा का सफर करना चाहिए, इसलीए कि हुज़ूर (स.) ने फरमाया कि जिस शख्स ने हजे बैतुल्ला किया और मेरी ज़ियारत न की यानि मदीना मुनव्वरा हाज़िर न हुआ तो उसने मुझपर जुल्म किया, एक रिवायत में हुज़ूर(स.) ने फरमाया की जो शख्स मेरी ज़ियारत करेगा, कयामत के दिन वह मेरे पड़ोस में होगा, एक जगह इर्शाद फरमाया कि जिसने हज किया फिर मेरी कब्र की ज़ियारत मेरे मरने के बाद कि तो गोया उसने मेरी जिंदगी में मेरी ज़ियारत की, एक हदीस ने इर्शाद फरमाया कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसकी शिफाअत मुझ पर वाजिब हो गई, इन रिवायत में हुज़ूर अक्दस(स.) ने हद दर्जा ज़ियारत की तरगीब दी है, इसलिए हर मुसलमान को यह सआदते कुब्रा हासील करनी चाहिए, इसीलिए तमाम हुज्जाजे किराम कुछ हज से पहले कुछ हज से फरागत के बाद मदीना मुनव्वरा हाज़री देते है, जब मदीना मुनव्वरा के करीब पहूँचो तो खूब खुशू व खुज़ू और ज़ौख व शौक पैदा करो और दरूद व सलाम की कसरत करो, दुआओं का ऐहतिमाम करो और जिस कदर अदब व तअज़िन और एहतिराम मुम्किन हो करो, इसमें कोताही न करो, मस्जिदे नबवी (स.) में दाखिल हो तो निहायत खुशू व खुज़ू के साथ दाहिने पैर से दुआ के एहतेमाम के साथ दाखिल हो, मस्जिद में दाखिल होकर मिम्बर और कब्रे शरीफ के दरम्यान रोजे में खड़ा होकर दो रकअत तहीयतुल मस्जिद पढ़ो बशर्ते यह कि वक्त मकरूह न हो, जो हिस्सा मस्जिद के मैंबर और हुज़ूर (स.) की आरामगाह के दरम्यान है इसको रोज़ा और रियाज़ुल जन्नत कहते है, इसके मुतअल्लिक हुज़ूर (स.) का इर्शाद है कि मेरे और मेरे मिम्बर के दरम्यान एक बाग है जन्नत के बागों में से, रोज़ा में, मेहराब नबी(स.) में तहय्यतुल मस्जिद पढ़ना अफज़ल है, अगर वहाँ मौका न हो तो फिर रोज़े में जहाँ जगह मिले पढ़ लो और सलाम फेरकर अल्लाह तआला की हम्द व सना और शुक्र अदा करो और ज़ियारत के कबूल होने की दुआ माँगो और दो रकअत शुकाना की नीयत से भी पढ़ लो, तहय्यतुल मस्जिद से फारिग़ होकर निहायत अदब के साथ मरकदे अतहर (स.) पर आओ, और दिल को तमाम दूनियावी खयालात से फारिग़ करो और सिरहाने की दिवार के कोने में जो सुतून है, इससे चार हात फासले पर खड़े हो जाओ और किब्ले की तरफ पुश्त करके ज़रा बाएं तरफ माईल हो जाओ, ताकि रूऐ अन्वर(स.) का सामना हो जाएं, इधर उधर मत देखो, नज़र नीची रखो और कोई खिलाफे अदब न करो, ज्यादा करीब भी खड़ें न हो और जाली को हाथ भी न लगाओ, न बोसा दो न सजदा करो, इस किस्म की बाते खिलाफे अदब व एहतराम और नाजायज़ है, और सजदा करना शिर्क है और यह ख्याल करो कि रसूल (स.) लहद शरीफ में किब्ला की तरफ मुंह किए हुए आराम फरमा है और सलाम व कलाम को सुनते है और अज़मत व जलाल का लिहाज़ करते हुए मुतवस्त आवाज़ से सलाम पढो, ज्यादा ज़ोर से मत चीखो और बिल्कुल आहिस्ता भी मत पढ़ो इसके बाद आप (स.) के वसीले से दुआ करो और शिफाअत की दरख्वास्त करो, हुज़ूर (स.) पर सलाम पढ़ने के बाद एक हाथ दाहीनी तरफ को हट कर हज़रत अबु बक्र सिद्दीक (रज़ी.) के चेहरे मुबारक के सामने खड़ें होकर सलाम पढ़ो और फिर एक हाथ और दाहिनी तरफ को हटकर हज़रत उमर (रज़ी.) के चेहरे के मुकाबिल खड़ें होकर सलाम पढ़ो, और जिन मुसलमानों ने हुज़ूर (स.) की खिदमत बा बरकत में सलाम पेश किया हो उनका सलाम पहुँचा दो, जो हुज्जाज इमसाल हज के लिए जा रहें है उनसे दरख़्वास्त है,कि वह राकिम आसिम का सलाम भी हज़रत रिसालते माअब(स.) की खिदमते अक्दस में और दोनों खुल्फा की ख़िदमत बा बरकत में पहुंचा दे और ख़ात्मा बिल खैर और मगफिरत की दुआ फरमाकर मम्नून व मशकूर फरमाए,अक्सर वक्त मस्जिदे नबवी (स.) में एतिकाफ की नीयत से गुज़ारो और पंजेगाना मस्जिदे नबवी में अदा करो,मस्जिदे नबवी में एक नमाज़ का सवाब बुखारी व मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक एक हज़ार से ज़्यादा है,एक रिवायत में हुज़ूर (स.) का इर्शाद है,कि जो शख़्स मेरी मस्जिद में चालीस नमाज़ अदा करे और कोई नमाज़ उसकी फौत न हो,तो उसके लिए दोज़ख से बरअात लिखी जायेगी और अज़ाब व निफाक से भी बरअात लिखी जायेगी,इस वास्ते मस्जिदे नबवी(स.)नमाज़ बा जमात का खास एहतेमाम करना चाहिए,अगर मुम्किन हो,तो मस्जिदे नबवी(स.)में मुस्तकिल तौर से एतिकाफ भी करो और कुरआन शरीफ ख़त्म करो और सदका व ख़ैरात भी हस्बे हैसियत करो,फिर जब मदीना मुनव्वरा से वापसी का वक़्त आये,तो रौज़े अक्दस पर हाज़िर होकर सलाम करके फिर रूख़्सत हों,फिर अपने वतन के लिए रूख़्ते सफर बांधो।

हज से आने के बाद हाजी की ज़िन्दगी में इंकलाब आना चाहिए,अपने हज का हर एक से तज़किरा न करें, फख्र व मुबाहात न करें,हज की तकालीफ का लोगों से इज़हार नहीं करना चाहिए,आमाले सालिहा का मज़ीद एहतेमाम होना चाहिए,अगर दाढ़ी नहीं रखाता था,तो दाढ़ी रखना चाहिए,बेनमाज़ी था,तो नमाज़ का एहतेमाम होना चाहिए,और जितने बुरे काम पहले करता था उनसे बाज़ आना चाहिए और इसतेकामत की दुआ करना चाहिए और मिसाली ज़िन्दगी गुज़ारना चाहिए,अल्लाह तआला हम सब को मिसाली ज़िन्दगी गुज़ारने की तौफीक अता फरमाए और हजे मबरूर नसीब फरमाए और बार बार बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। (आमीन!!)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

مختصر تعارف

مرکز احیاء الفکر الاسلامی، مقاصد، سرگرمیاں، منصوبے اور تصدیقاتِ اکابر

مرکز احیاء الفکر الاسلامی ایک دینی، دعوتی، فکری، اصلاحی، ادبی، ثقافتی، تعلیمی اور جامع عالمی ادارہ ہے، جس کا قیام مفکر ملت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ اور دیگر علماء حق دیوبند، سہارنپور، رائے پور کی سرپرستی میں ۲۰ رجب ۱۴۲۱ھ مطابق ۱۹ اکتوبر ۲۰۰۰ء بروز جمعرات قرآن وحدیث اور اسلامی فکر کی دعوت وتبلیغ اور اشاعت کے لیے عمل میں آیا، جس کے بلند مقاصد مندرجہ ذیل ہیں:

اغراض ومقاصد

☆ قوم کے اندر صحیح اسلامی فکر اور دینی بیداری اور دینی حمیت پیدا کرنا۔

☆ عصری اسلوب میں اسلامی کتب، دینی پمفلٹ، دعوتی، فکری اور ادبی لٹریچر تیار کرنا اور علماء حق کی کتابوں کی اشاعت کرنا۔

☆ ایسے علماء تیار کرنا جو کتاب وسنت کے وسیع وعمیق علم کے ساتھ جدید حالات وعصری علوم سے بخوبی واقف اور زمانے کے نبض شناس ہوں۔

☆ انٹر یا ہائی اسکول پاس اور جدید تعلیم یافتہ حضرات نیز لڑکیوں کو الگ الگ پانچ سال کی قلیل مدت میں خصوصی کورس کے ذریعہ عالم دین بنانا۔

☆ اسلامی شفاخانوں کا قیام تاکہ نادار طلبہ کے ساتھ غرباء اور مساکین کا بھی علاج مفت اور اطمینان بخش ہو سکے۔

☆ مکاتب اور مساجد کا قائم کرنا۔

☆ غرباء ومساکین کے لیے پانی کا انتظام کرنا، ہینڈ پمپ اور ٹیوب ویل لگوانا۔

☆ اسلام کے خلاف مستشرقین کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کے جوابات دینا اور یہ ثابت کرنا کہ اسلام ہر زمانہ میں اور ہر جگہ قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے۔

☆ اتحادِ ملی اور اخوت اسلامی کے جذبات کو فروغ دینا اور نزاع باہمی کے فتنہ کو ختم کرنا۔

☆ مسلمانوں کو مادی قوتوں اور مغربی افکار سے متاثر ہونے سے روکنا۔

☆ فرق ضالہ کا مقابلہ کرنا اور ان کو اسلام کا پیغام پیش کرنا۔

☆ برادرانِ وطن اور غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا اور ان کے سامنے اس کی ہمہ گیری اور پوری انسانی برادری کے لیے باعث رحمت بتانا اور پیام انسانیت پیش کرنا۔

☆ عربی، اردو، انگریزی اور ہندی وغیرہ میں دینی ماہنامے جرائد ومیگزین نکالنا۔

☆ سال میں کم از کم ایک مرتبہ ہند اور بیرون ہند کے اکابر علماء مفکرین اور دانشور حضرات کا جمع ہو کر دعوت وتبلیغ کے مؤثر منصوبے بنانا اور ملت کے مسائل کا حل پیش کرنا اور مسلمانوں کے اسلامی فکری نشوونما کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا۔

دائرہ کار

مذکورہ بالا مقاصد کو بروئے کار لانے اور عملی جامہ پہنانے کے لیے مرکز کے دائرہ کار کو مندرجہ ذیل شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

۱- جامعۃ الامام ابی الحسن الاسلامیۃ ۲- جامعہ فاطمۃ الزہراء للبنات

۳- المہ مسان انگلش لنگویج اینڈ لٹریچر ۴- اے ایس پبلک اسکول

۵- مکتبۃ الامام ابی الحسن العامۃ ۶- جمعیۃ اصلاح البیان

۷- دعوت وارشاد ۸- دارالافتاء ۹- مجلس صحافت اسلامیہ

۱۰- دارالبحوث والنشر ۱۱- مطبخ

جامعة الامام أبي الحسن الاسلامية

تحفیظ القرآن الکریم: جس میں حفظ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، نیز اردو کی تعلیم، خط اور املاء کا بھی اہتمام کرایا جاتا ہے، دینیات میں عقائد، نماز کے فرائض وواجبات، سنن ومستحبات، کلمے اور ادعیہ ماثورہ مسنونہ یاد کرائی جاتی ہیں، اس شعبہ میں حفظ کلام پاک کی مدت تین سال ہے۔

کلیۃ التجوید: -اس شعبہ میں روایت حفص کی متداول اور اہم کتب معتبرہ کے پڑھانے اور قرآن کریم کا اجراء ومشق کرانے کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کی مدت ایک سال رکھی گئی ہے۔

تدریب ائمہ مساجد: -اس شعبہ کا قیام اس لیے ہوا تاکہ ائمہ حضرات اور مدرسین کو تجوید وقرأت کی بعض اہم کتابیں پڑھائی جائیں اور ان کو قرآن کریم کی تجوید کے ساتھ مشق کرائی جائے، نیز امامت کے مسائل واحکام کے سکھانے کے لیے مستقل کتاب لکھی گئی ہے، تاکہ اس کی روشنی میں مسائل امامت سے واقفیت کرائی جائے، اس کی مدت ۳ ماہ، ۶ ماہ اور ایک سال ہے۔

کلیۃ الشریعۃ واصول الدین: -اس شعبہ میں عالمیت اور دینیات کے کئی کورس رکھے گئے ہیں۔

آٹھ سالہ کورس: -جس میں عربی اول سے آخر تک صرف ونحو عربی، عربی ادب، سیرت نبوی، تاریخ اسلامی، فقہ وحدیث اور تفسیر اور علوم عصریہ میں سے انگریزی، ہندی، حساب، سیاسیات، اقتصادیات، جغرافیہ، سائنس وغیرہ تمام علوم کا بندوبست کیا گیا ہے، اس شعبہ میں داخلہ کے مستحق وہ طلبہ ہیں جو حافظ قرآن، یا ناظرہ قرآن اور اردو لکھنا پڑھنا اور ابتدائی ہندی اور انگریزی سے بھی واقف ہوں۔

پانچ سالہ خصوصی کورس: - یہ کورس ہائی اسکول یا انٹر پاس اور جدید تعلیم یافتہ حضرات کے لیے وضع کیا گیا ہے، جس میں ان کو مذکورہ علوم شرعیہ عربیہ پڑھائے جاتے ہیں، اور عالمیت کی فراغت کی سند دی جاتی ہے۔

ایک سالہ کورس: -اس درجہ میں صرف وہ اسکولی تعلیم یافتہ حضرات یا معمولی لکھے پڑھے حضرات ہوتے ہیں جو زیادہ وقت نہیں دے سکتے، ان کو ایک سال میں صرف دینیات اور اسلامیات کی تعلیم وتربیت دی جاتی ہے اور ان کا اسلامی معلومات، مسائل سے واقفیت کے ساتھ دینی ذہن بنایا جاتا ہے۔

ایک ماہ یا دو ماہ کا کورس: -اسکول یا کالجز میں پڑھنے والے طلبا کے لیے جون، جولائی کی چھٹیوں میں مرکز کی عمارت یا کسی بھی بڑے شہر میں مرکز کے تحت ایک دینی، تعلیمی وتربیتی کیمپ لگایا جاتا ہے، جس میں ماہر اساتذہ واسکالر اسلامیات، دینیات اور اسلامی تاریخ سے متعلق لیکچر اور محاضرے دیتے ہیں۔

شعبہ کمپیوٹر: - عربی پڑھنے والے طلبہ کو کمپیوٹر کا کورس بھی کرایا جاتا ہے، جس میں ان کو اردو اور انگریزی میں کمپیوٹر کی تعلیم وتربیت دی جاتی ہے۔

جامعہ فاطمۃ الزہراء للبنات

دوسالہ تربیتی کورس: یہ جامعہ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم وتربیت کے لیے قائم کیا گیا ہے، جس میں ابتداءً لڑکیوں کو قرآن کریم ناظرہ اور دینیات میں عقائد، نماز کے فرائض وواجبات، سنن ومستحبات، ادعیہ ماثورہ اور اردو لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے، یہ لڑکیوں کا دو سالہ کورس ہے۔

لڑکیوں کا پانچ سالہ کورس :- اس میں وہ لڑکیاں پڑھتی ہیں جو ہائی اسکول یا انٹر پاس ہوں، یا مڈل یا پرائمری ہوں، یا جو حافظ قرآن یا ناظرہ قرآن اور اردو لکھنا پڑھنا جانتی ہوں، ان کو پانچ سال میں صرف ونحو عربی، عربی ادب، تاریخ اسلام، سیرت نبوی، حدیث وتفسیر اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور عالمۂ دین بنایا جاتا ہے، نیز کمپیوٹر اور امور خانہ داری، کشیدہ کاری اور گھریلو دستکاری بھی سکھائی جاتی ہے۔

مکتبۃ اصاغر العامۃ :- جامعہ کے تحت یہ لائبریری اس لیے قائم کی گئی ہے تاکہ طالبات خارجی اوقات میں اپنے مطالعہ میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کتابوں سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنا تحقیقی اور علمی مزاج بنائیں، یہ شعبہ گذشتہ سال ہی شروع کیا گیا ہے جس میں کتابوں کی فراہمی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔

ڈپلومہ ان انگلش لنگویج اینڈ لٹریچر

مرکز کے تحت یہ شعبہ فضلائے مدارس کے لیے قائم کیا گیا ہے، جس میں ایسے ممتاز فضلا جو دیوبند، ندوہ، مظاہر علوم اور دوسرے مدارس سے فارغ ہوتے ہیں ان کا، ان کے تعلیمی معیار کے مطابق ایک ٹسٹ ہوتا ہے، جس میں ممتاز نمبرات حاصل کرنے والوں میں سے ۲۰ فضلاء کا انتخاب کیا جاتا ہے، تاکہ ان کو انگریزی زبان میں مہارت پیدا کرائی جائے اور ان کا دعوتی مزاج بنایا جائے اور مستشرقین کی طرف سے اسلام کے خلاف ہونے والے اعتراضات کا وہ جواب دے سکیں اور اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشوں کو سمجھا جا سکے، امسال اس شعبہ میں ۲۰ فضلاء وعلماء کا داخلہ ہوا تھا، جن کے لیے ۲ ماہر تعلیم اور انگریزی میں مکمل دسترس رکھنے والے عالموں کا انتظام کیا گیا تھا، آئندہ سال کے لیے ۲۵ فضلاء کا مزید انتخاب ہوا ہے، واضح رہے کہ یہ ڈپلومہ کورس دو سال میں کرایا جاتا ہے۔

اے۔ایس پبلک اسکول

یہ اسکول اس لیے قائم کیا گیا ہے، تاکہ مسلمانوں کے بچے یہاں دینی ماحول میں رہتے ہوئے اسلامی تعلیم وتربیت کے ساتھ عصری، دنیوی اور اسکولی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں، ہندی اور انگریزی کی معیاری تعلیم کا نظم ہے، فی الحال پرائمری تک تعلیم جاری ہے، ان شاء اللہ آئندہ ہائی اسکول اور انٹر لیول کی تعلیم کا منصوبہ ہے۔

جمعیۃ اصلاح البیان

یہ شعبہ طلبہ کا وہ اسٹیج ہے، جس سے وہ اردو اور عربی میں کتابت وخطابت کے شہسوار بن سکیں گے، اس کے پروگراموں کو تین طرح تقسیم کیا گیا ہے:

بزم خطابت :- طلبہ میں تقریری ذوق وصلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام کا نظم کیا گیا ہے، جس میں طلبہ حسبِ موضوع پر تمام طلبہ کے سامنے تقریر کرتے ہیں۔

بزم مقالات :- طلبہ میں تصنیف وتالیف اور مقالہ نگاری ومضمون نویسی کی مشق کے لیے ہر پندرہ دن کے بعد اس بزم کا انعقاد کیا جاتا ہے، طلبہ کسی خاص حسبِ موضوع پر مقالہ لکھ کر جمعیۃ کے پروگرام میں اس کو پیش کرتے ہیں۔

النادی العربی :- عربی میں تقریری صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہر ہفتہ جمعرات کو تعلیمی گھنٹوں کے بعد النادی کے جلسہ کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں طلبہ عربی میں اپنے مافی الضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔

مکتبۃ الامام ابی الحسن العامۃ

لائبریری یا کتب خانہ کسی بھی ادارے کی ریڑھ کی ہڈی اور وہ سرچشمہ ہوتا ہے جہاں علمی پیاس بجھائی جاتی ہے اور مطالعہ وتحریر وتحقیق اور تصنیف وتالیف نیز درس وتدریس میں اس سے مراجعت واستفادہ کیا جاتا ہے، اس میں درسی وغیر درسی کئی سو کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں، مزید اضافہ کی کوشش کی جاری ہے۔

دارالافتاء

مسلمانوں کے ملی اور عائلی مسائل کا حل شریعت مطہرہ کی روشنی میں کرنے کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے، تاکہ وہ دینی احکام ومسائل سے متعلق سوالات اور استفتاء لکھ بھیجیں اور قرآن وسنت کی روشنی میں جوابات اور فتویٰ حاصل کریں۔

دعوت وارشاد

چونکہ مرکز کا اصل قیام ہی کتاب وسنت کی تعلیم وتبلیغ اور لوگوں کو دعوت وارشاد کے ذریعے واقف کرانے کے لیے ہوا ہے، اس لیے اس میں دعوت وارشاد کے کام کو کئی طرح سے تقسیم کیا گیا ہے:

اول :- طلبہ کی ۲۴ گھنٹے کی جماعت جمعرات کو علاقے کے کسی بھی گاؤں میں جاتی ہے اور جمعہ کو واپس آتی ہے اور عوام میں دعوت واصلاح کا فریضہ انجام دیتی ہے، تاکہ طلبہ کا خود بھی دعوتی مزاج بنے اور عامۃ المسلمین کو فائدہ پہنچے۔

دوسرے :- ماہانہ تبلیغی جماعت کا جوڑ بھی ہوا کرے گا، تاکہ لوگوں کی جماعتیں آئیں اور یہاں سے جماعتیں بھیجی جائیں اور ان کے سامنے دعوت وتبلیغ کے اصول بیان کیے جائیں۔

تیسرے :- سال میں تین چار پروگرام عام مسلمانوں کے لیے رکھے جائیں گے، جن میں اور علماء میں سے کوئی بھی ایک عالم تقریر کرے گا اور لوگوں کو قرآن وحدیث، سیرت نبوی اور تاریخ اسلامی کی روشنی میں سمجھائے گا اور دینی دعوت پیش کرے گا۔

چوتھے :- سال میں تین چار پروگرام برادران وطن اور غیر مسلم بھائیوں کے لیے کیے جائیں گے جن میں اہم دانشور، مفکرین، اسکالر اور داعی حضرات آکر ان کو اسلامیات کے موضوع پر خطاب کریں گے اور پیام انسانیت دیں گے، اسلام کی ہمہ گیری اور پوری انسانی برادری کے لیے اس کو باعث رحمت ثابت کریں گے۔

مجلس صحافت اسلامیہ

یہ مجلس اس لیے قائم کی گئی تاکہ اس کے ذریعہ عربی، انگریزی، ہندی اور اردو میں دینی، اسلامی، فکری، دعوتی اور اصلاحی ماہنامے جرائد ومیگزین کی شکل میں نکالے جائیں، نیز انٹرنیٹ اور جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعہ اسلامی دعوت وفکر اور اس کے مشن کو پوری دنیا میں پہنچایا جا سکے، فی الحال اس شعبہ سے ایک مؤقر علمی واصلاحی اور دعوتی ماہنامہ "نقوش اسلام" مارچ ۲۰۰۹ء سے مسلسل شائع ہو رہا ہے۔

دارالبحوث والنشر

اس شعبہ میں عصری اسلوب میں حالات کے تقاضوں کے مطابق عربی، اردو، ہندی اور انگریزی وغیرہ میں بہت وقیع اور معیاری اسلامی لٹریچر اور دینی رسائل وپمفلٹ تیار کرکے شائع کیے جاتے ہیں، تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ معلومات، پیغام اور دعوت فکر وعمل پیش ہو سکے، علماء حق کی دینی، دعوتی، اصلاحی، فکری اور ادبی کتابوں کی اشاعت کی جاتی ہے، اس شعبے سے اب تک ۱۸ کتابیں شائع ہو کر مقبول ہو چکی ہیں۔

شعبہ مطبخ

یہ شعبہ مرکز کے تحت چلنے والے اداروں جامعۃ الامام ابی الحسن الاسلامیۃ اور جامعہ فاطمۃ الزہراء للبنات میں مقیم طلبہ وطالبات کے طعام وکھانے کے لیے قائم ہے، جس میں طلبہ وطالبات کی کثیر تعداد کا کھانا تیار کیا جاتا ہے، جس کے لیے مستقل ایک تجربہ کار باورچی ہے، جو دونوں وقتوں کا کھانا اور ناشتہ تیار کرتا ہے، مطبخ کے تحت ایک گودام ہے، جس میں مطبخ کے لوازمات غلہ، اناج، سبزیاں، دال وغیرہ ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔

کارگزاری

مرکز کے تحت چلنے والے جامعۃ الامام ابی الحسن الاسلامیۃ اور جامعہ فاطمۃ الزہراء للبنات میں طلبہ اور طالبات کی ایک کثیر تعداد زیر تعلیم ہے، اس وقت انیس افراد پر مشتمل اسٹاف مرکز میں کام کر رہا ہے۔

۱- ساڑھے تین بیگہ آراضی خرید کر اس پر جامعۃ الامام ابی الحسن الاسلامیۃ کی دو منزلہ بلڈنگ تعمیر ہو چکی ہے جو ۳۲ کمروں پر مشتمل ہے، جس میں چھ درسگاہیں، ایک دفتر، ایک لائبریری، ایک مہمان خانہ اور ۱۴ اساتذہ کے کمرے اور ۱۲ کمروں پر مشتمل ایک ہاسٹل تیار کیا ہے، ۱۰ مزید درسگاہیں بنائی گئی ہیں اور ۱۲ کمرے مختلف کاموں کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اس طرح جامعہ میں کل ۷۵ کمرے تعمیر ہو چکے ہیں، ایک شاندار مسجد تعمیر کر دی گئی ہے، پانی کی ٹنکی بنا دی گئی ہے اور چہار دیواری بھی کرا دی گئی ہے، مزید بارہ بیگہ زمین خریدی گئی ہے جس کی قیمت ابھی تک ادا نہیں کی گئی ہے۔

۲- لڑکیوں کے مدرسہ جامعہ فاطمۃ الزہراء للبنات کے لیے ایک بیگہ آراضی خرید کر اس پر ۱۹

کمروں اور ایک بڑے ہال پر مشتمل دو منزلہ بلڈنگ تعمیر کروی گئی ہے، جس میں امسال طالبات کا پانچواں بیچ فارغ ہوا۔

۳- دار البحوث والنشر کے تحت اب تک مندرجہ ذیل اکیاون علمی، اصلاحی اور دعوتی کتابوں کی طباعت ہو چکی ہے۔

(۱) مراح الفقہ الحنفی وجواہرہا (۲) مختصر تجوید القرآن (۳) رہنمائے طریقت (۴) اسلام میں پردہ کی اہمیت (۵) بخاری شریف کی آخری حدیث کے دو آب دار موتی (۶) تذکرہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی (۷) مقالات ومشاہدات (۸) الاہلہ فی الصلاۃ ومسائلہا واحکامہا (۹) چند مایہ ناز اسلاف قدیم وجدید (۱۰) جیب کی تجوید (۱۱) شرح نایاب اردو زبان کی پانچویں کتاب (۱۲) مکتوبات اکابر (۱۳) سفر حج کی مشکلات اوران کا ممکن حل (۱۴) تحفوں کی کفالت قرآن وحدیث کی روشنی میں (۱۵) فقہ حنفی کے مراجع اوران کی خصوصیات (۱۶) چندہ دینے، دلوانے اور لینے کے اصول وآداب (۱۷) Rules of Raising Funds (۱۸) خطبات عزیزی۔

۴- مجلس صحافت اسلامیہ سے ایک دینی دعوتی علمی، ادبی تحقیقی فکری اور اصلاحی ترجمان ماہنامہ "نقوش اسلام" مارچ ۲۰۰۶ء سے مسلسل شائع ہوکر مقبول ہو رہا ہے، امسال اس شعبہ سے اردو میں حج کے مشاکل ومسائل سے متعلق ایک خصوصی نمبر "سفر حج کی مشکلات اوران کا ممکن حل" کے نام سے ۱۵ ہزار کی تعداد میں شائع کر کے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں حجاج کرام کو مفت بذریعہ ڈاک بھیجا جا رہا ہے۔

فوری ضرورت

مذکورہ بالا مقاصد کی تکمیل اوران میں مزید جلا بخشنے وترقی کے لیے جن چیزوں کی فوری ضرورت ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں:

- ☆ جامعۃ الامام ابی الحسن الاسلامیہ کی مستقل دو منزلہ عمارت جس میں بیک وقت ۳۰۰ طلبہ رہ سکیں۔
- ☆ جامعہ کی درسگاہوں کے لیے مستقل ایک عمارت
- ☆ جامعہ فاطمۃ الزہراء للبنات کی مستقل دو منزلہ عمارت کی تکمیل
- ☆ مرکز الامام ابی الحسن الاسلامی للبحوث والدعوۃ کی مستقل دو منزلہ عمارت
- ☆ لائبریری کی مستقل عمارت اوراس میں کتابوں کی فراہمی
- ☆ مرکز کے تمام شعبہ جات کے لیے ایک مستقل عمارت
- ☆ ایک بڑے جنریٹر کی ضرورت
- ☆ علاقے کی لڑکیوں کو لانے کے لیے ایک موٹر وین کی ضرورت
- ☆ مطبخ کے لوازمات وضروریات

مرکز احیاء الفکر الاسلامی میں تشریف لانے والے علماء کرام

جنھوں نے مرکز کے تعلیمی وتعمیری پروگراموں کو دیکھا طلبہ وطالبات کا تعلیمی معیار پرکھا اور مرکز کی ضروریات کو محسوس کر کے اپنے مشاہدات وتاثرات تحریر فرمائے۔

- ☆ مفکر ملت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ
- ☆ عارف باللہ حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب رائے پوری
- ☆ طبیب حاذق حضرت مولانا سید کرم حسین صاحب سنسار پوری
- ☆ حضرت مولانا سعید الرحمن اعظمی ندوی مہتمم دار العلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ
- ☆ حضرت مولانا محمد برہان الدین سنبھلی شیخ التفسیر دار العلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ
- ☆ حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب اعظمی شیخ الحدیث دار العلوم دیوبند
- ☆ حضرت مولانا محمد سلمان مظاہری ناظم مظاہر علوم سہارنپور
- ☆ حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی استاذ دار العلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ
- ☆ حضرت مولانا سید عبداللہ حسنی ندوی استاذ حدیث دار العلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ
- ☆ حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صدر جمعیۃ شاہ ولی اللہ پھلت
- ☆ حضرت مولانا محمد عمر صاحب سابق نائب مہتمم مدرسہ شاہی مرادآباد
- ☆ حضرت مولانا قاری عبدالرؤف استاذ تجوید وقراءت دار العلوم دیوبند
- ☆ حضرت مولانا محمد گورا صالح جی ندوی ورزن
- ☆ حضرت مولانا یحییٰ بام صاحب افریقی
- ☆ حضرت مولانا حافظ محمد ایوب کاڈو اپورٹ شیپٹن
- ☆ جناب حضرت الحاج عبدالرحیم صاحب گوہر الوساکا
- ☆ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب مہتمم جامعہ بیت العلوم بیلی حرزرہ
- ☆ جناب الحاج موسیٰ اسماعیل ورسوت ورزن
- ☆ حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندوی مہتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل
- ☆ حضرت مولانا محمد منظر صاحب ندوی جامعہ اسلامیہ دار القرآن سرخیز احمدآباد
- ☆ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ندوی، مولانا ابوالحسن اکیڈمی بھٹکل
- ☆ حضرت مولانا محمد اسلم صاحب ناظم کاشف العلوم چھٹمل پور
- ☆ حضرت مولانا محمد اختر صاحب مہتمم جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاجپورہ
- ☆ حضرت مولانا قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب مہتمم جامعۃ القراءت کفلیتہ سورت
- ☆ حضرت مولانا حکیم محمد عثمان صاحب قاسمی مقیم مدینہ منورہ
- ☆ مولانا قاری رکن الدین صاحب مقیم حال دبئی
- ☆ حضرت مولانا محمد اقبال صاحب ملا ندوی بھٹکل
- ☆ حضرت الحاج ماسٹر محمد شفیع صاحب ناظم جامعہ اسلامیہ بھٹکل
- ☆ حضرت مولانا نعمت اللہ ندوی استاذ جامعہ اسلامیہ بھٹکل
- ☆ حضرت مولانا محمد فرقان صاحب مدنی مہتمم جامعۃ القرآن بجنور
- ☆ جناب الحاج شیخ خالد البدر مدیر عام جمعیۃ شیخ عبداللہ نوری کویت

تأثـــرات

فدائے ملت حضرت مولانا سید محمد اسعد مدنی صدر جمعیۃ علماء ہند

"مرکز احیاء الفکر الاسلامی" مظفرآباد ضلع سہارنپور (یوپی) اپنے علاقہ کا ایک دینی، تعلیمی مدرسہ ہے، جو مقامی وبیرونی مسلمان بچوں کی دینی، تعلیمی خدمات بحسن وخوبی انجام دے رہا ہے۔

میری اصحاب خیر اور باہمت حضرات سے اپیل ہے کہ دامے، درمے، قدمے، سخنے ہر طرح کا تعاون کر کے عنداللہ ماجور ہوں۔

مفکر ملت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ

مرکز احیاء الفکر الاسلامی، مظفرآباد، ضلع سہارنپور میں مجھے حاضری کا موقع ملا، یہ ایک علمی ودعوتی مقصد سے قائم کیا ہوا ادارہ ہے، جس کو عزیز مکرم مولوی محمد مسعود عزیزی ندوی نے اپنی علمی ودینی جدوجہد کا مرکز بنایا ہے، یا نہی کا قائم کردہ ہے اور وہ اس کے ذریعہ فکر اسلامی اور دعوت اسلامی کے مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں۔

مولوی صاحب موصوف کا جذبۂ عمل اور صحت فکر کو دیکھ کر بڑی توقع ہوتی ہے کہ اس ادارہ سے انشاء اللہ خیر کا بڑا کام انجام پا سکے گا اور چونکہ اس ملک کے بیج اور مخلصانہ کردار کے ادارے عامۃ المسلمین کے تعاون سے ہی چلتے ہیں، اس لیے اس ادارہ کو بھی یہی راہ اختیار کرنا ہوتی ہے، اس طور پر اس کو اہل خیر حضرات کے تعاون کی بھی ضرورت ہے، میں دعاء گو ہوں کہ یہ ادارہ دین وفکر اسلامی کی خدمت بطریق احسن واکمل انجام دے اور قبول حاصل کرے، آمین

حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی شیخ الحدیث دار العلوم دیوبند

آج مورخہ ۱۹ ذیقعدہ ۱۴۲۵ھ مطابق یکم جنوری ۲۰۰۵ء بروز شنبہ مرکز احیاء الفکر الاسلامی اور جامعہ فاطمۃ الزہراء میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، جامعہ فاطمۃ الزہراء میں بچیوں کے مختصر پروگرام میں بھی شرکت کا موقع ملا، ان کی اردو وعربی تقریروں کو سن کر اندازہ ہوا کہ بچیوں کا تعلیمی معیار بہتر ہے، مرکز کو دیکھ کر اور اس کے اساتذہ وطلبہ سے مل کر بے حد مسرت ہوئی، طلبہ پر تعلیم وتربیت کے آثار نمایاں تھے، اساتذہ نہایت باخلاق تھے، مرکز اور جامعہ کے مہتمم حضرت مولانا مفتی محمد مسعود عزیزی ندوی کے اندر علمی

اور دینی صلاحیت کے ساتھ ساتھ انتظامی صلاحیت بھی علی وجہ الاتم موجود ہے۔

حضرت مولانا محمد سلمان مظاہری ناظم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور

چند سال قبل ہمارے علاقے کے موضع مظفرآباد ضلع سہارنپور میں عزیزم مولانا مفتی محمد مسعود عزیزی ندوی نے مرکز احیاء الفکر الاسلامی کے نام سے دینی تعلیمات کا سلسلہ شروع کیا تھا، الحمدللہ اس مرکز کے تحت جامعۃ الامام ابی الحسن الاسلامیہ اور جامعہ فاطمۃ الزہراء للبنات کے نام سے دو مدرسے دینی تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

تعلیم کے ساتھ ساتھ تعمیر کا سلسلہ بھی الحمدللہ جاری ہے اور مرکز کی متعدد عمارات زیر تعمیر ہیں اور انمی میں بنین اور بنات کی تعلیم بھی جاری ہے، احقر کو مدرسہ میں حاضری کا موقع ملا ہے، دل سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ اراکین مدرسہ کو ان کے تمام تعلیمی اور تعمیری پروگراموں میں کامیابی عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین

حضرت مولانا سعید الرحمٰن اعظمی ندوی مہتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

تصدیق کی جاتی ہے کہ برادرم فاضل مولوی محمد مسعود عزیزی ندوی نے مرکز احیاء الفکر الاسلامی قائم کیا ہے جس کے ذریعہ دعوت و تبلیغ اور مسلمانوں لڑکے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔

مجھے اس مرکز کی زیارت اور اس کے تعلیمی پروگرام میں شرکت اور لڑکیوں کے ادارے جامعہ فاطمۃ الزہراء للبنات کو دیکھنے اور طالبات کی تعلیمی سرگرمیوں پر مطلع ہونے کا موقع ملا ہے اور اس سلسلہ میں مولانا محمد مسعود عزیزی ندوی جو جد وجہد اور کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا، اس لیے میں ان کو صحیح العقیدہ اور مخلص انسان سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اہل خیر حضرات اور رفاہی اداروں کے ذمہ داران کی توجہ و حمایت کے مستحق ہوں گے، اس لیے کہ وہ اپنے اس اسلامی پروگرام میں مسلمانوں کے تعاون کے محتاج ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔

حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی صدر جمعیۃ شباب الاسلام لکھنؤ

تصدیق کی جاتی ہے کہ مرکز احیاء الفکر الاسلامی، مظفرآباد ضلع سہارنپور ایک دینی، تعلیمی اور دعوتی ادارہ ہے، جس کو مولوی مسعود عزیزی ندوی نے قائم کیا ہے، مجھے مرکز کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، جس کے مقاصد میں اسلامی کتب اور دعوتی پمفلٹ کو مختلف زبانوں میں شائع کرنا اور مسلمانوں کے درمیان دینی تعلیم کی اشاعت کرنا ہے۔

مولوی صاحب موصوف نے ایک لڑکوں کا مدرسہ جامعۃ الامام ابی الحسن الاسلامیہ اور دوسرا لڑکیوں کا مدرسہ جامعہ فاطمۃ الزہراء للبنات بھی قائم کیا ہے، وہ اپنے ان کاموں میں مسلمانوں کے تعاون کے مستحق ہیں، تاکہ وہ اپنے تعلیمی اور دعوتی پروگراموں کو پورا کرسکیں۔

اللہ تعالیٰ موصوف کو اسلام اور مسلمانوں کے خیر کے کاموں کی انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے۔

حضرت مولانا سید عبداللہ حسنی ندوی استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

یہ دور پر آشوب ہے، نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اہل زیغ و ضلال کی بن آئی ہے، یہ جدید ترین وسائل سے لیس ہے، اپنے غلط عقیدے اور منحرفانہ افکار کو پوری طاقت کے ساتھ پھیلا رہے ہیں، ان کے مقابلہ میں صحیح العقیدہ، راسخ العلم اور صحت مند فکر کے حامل علماء کی بہت کمی ہے، اگر ہیں بھی تو دعوتی کوششیں یا کوتاہ قلمی کا شکار، ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان اہل قلم اور اہل فکر میدان عمل میں قدم رکھیں اور اس سیلاب بلاخیز کا مقابلہ کریں اور جو کچھ ان کی حوصلہ مند طبیعتوں اور پر عزم ارادوں سے ہو سکے کوتاہی نہ کریں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ایک باہمت، حوصلہ مند نوجوان فاضل مولوی مفتی محمد مسعود عزیزی ندوی سلمہ اللہ تعالیٰ ونفع بہ نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور اپنے بزرگوں کے مشورہ اور سرپرستی میں "مرکز احیاء الفکر الاسلامی" مظفرآباد سہارنپور کی داغ بیل ڈالی ہے، جو تعلیمی اور تعمیری ہر دو اعتبار سے ترقی کی طرف رواں دواں ہے جن بلند مقاصد کو لے کر انھوں نے کام شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ان کی غیب سے مدد فرمائے اور اہل خیر کو توفیق دے کہ ان کا ہر طرح تعاون کریں، یہ وقت کا تقاضہ بھی ہے اور وقت کا جہاد بھی۔

صدقہ جاریہ میں حصہ لیجئے!

مرکز احیاء الفکر الاسلامی کے تحت چلنے والے ادارہ

"جامعۃ الامام ابی الحسن الاسلامیہ"

میں مختلف درسگاہیں Class Rooms تعمیر ہو رہے ہیں، اہل خیر حضرات سے اپیل ہے کہ اس تعمیر میں دل کھول کر حصہ لیں، ایک یا چند درسگاہیں، یا کمرے اپنے اعزہ کے ایصال ثواب کے لیے یا اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر تعمیر کرائیں، یا حسب المقدور جزوی تعاون، سریا، سیمنٹ، اینٹ وغیرہ کے ذریعہ سے فرمائیں۔

مختلف سائز Size کی درسگاہوں اور کمروں کا تخمینہ Estimate پیش ہے۔

Total	Amountm.Per	Rate	Room Size	S.No.
2	126000-00	450	280-00	1
2	88200-00	450	196-00	2
1	135000-00	450	300-00	3
1	100800-00	450	224-00	4
4	93600-00	450	208-00	5
4	68250-00	350	195-00	6

Total 1311600=00 Rs.

مخلصانہ اپیل

ملت کے اصحاب خیر و دردمند حضرات سے گذارش ہے کہ مرکز احیاء الفکر الاسلامی کی تمام تعمیری، تعلیمی اور دعوتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پر ایک خطیر رقم کی ضرورت ہے، اس لیے آپ حضرات مرکز اور اس کے تحت چلنے والے اداروں جامعۃ الامام ابی الحسن الاسلامیہ اور جامعہ فاطمۃ الزہراء للبنات وغیرہ کو اپنے خصوصی و عمومی ہر طرح کے تعاون سے نواز کر مرکز کی تعمیری و ترقی اور اسلامی فکر کی نشر و اشاعت اور قرآن و حدیث کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لیں اور دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوں۔

امید ہے کہ آپ ہر طرح کا تعاون فرمائیں گے اور ادارہ کے ماہانہ یا سالانہ ممبر بن کر حسب استطاعت امداد فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں سرخروئی و کامیابی عطا فرمائے۔ چیک یا ڈرافٹ پر یہ لکھیں۔

Markazu Ihyail Fikril Islami , Account No.30416183580,State Bank of India

الداعی المخلص

محمد مسعود عزیزی ندوی ناظم مرکز احیاء الفکر الاسلامی، مظفرآباد، سہارنپور، ۲۴۷۱۲۹-یوپی (الہند)

Fax.0132-2647149, Ph.0132-2775452,Mo .0 9719831058,Email.masood_azizinadwi@yahoo.co.in